खण्ड-424, अंक-8
मंगलवार, 9 आषाढ़, शक संवत् 1920
(30 जून, 1998 ई0)

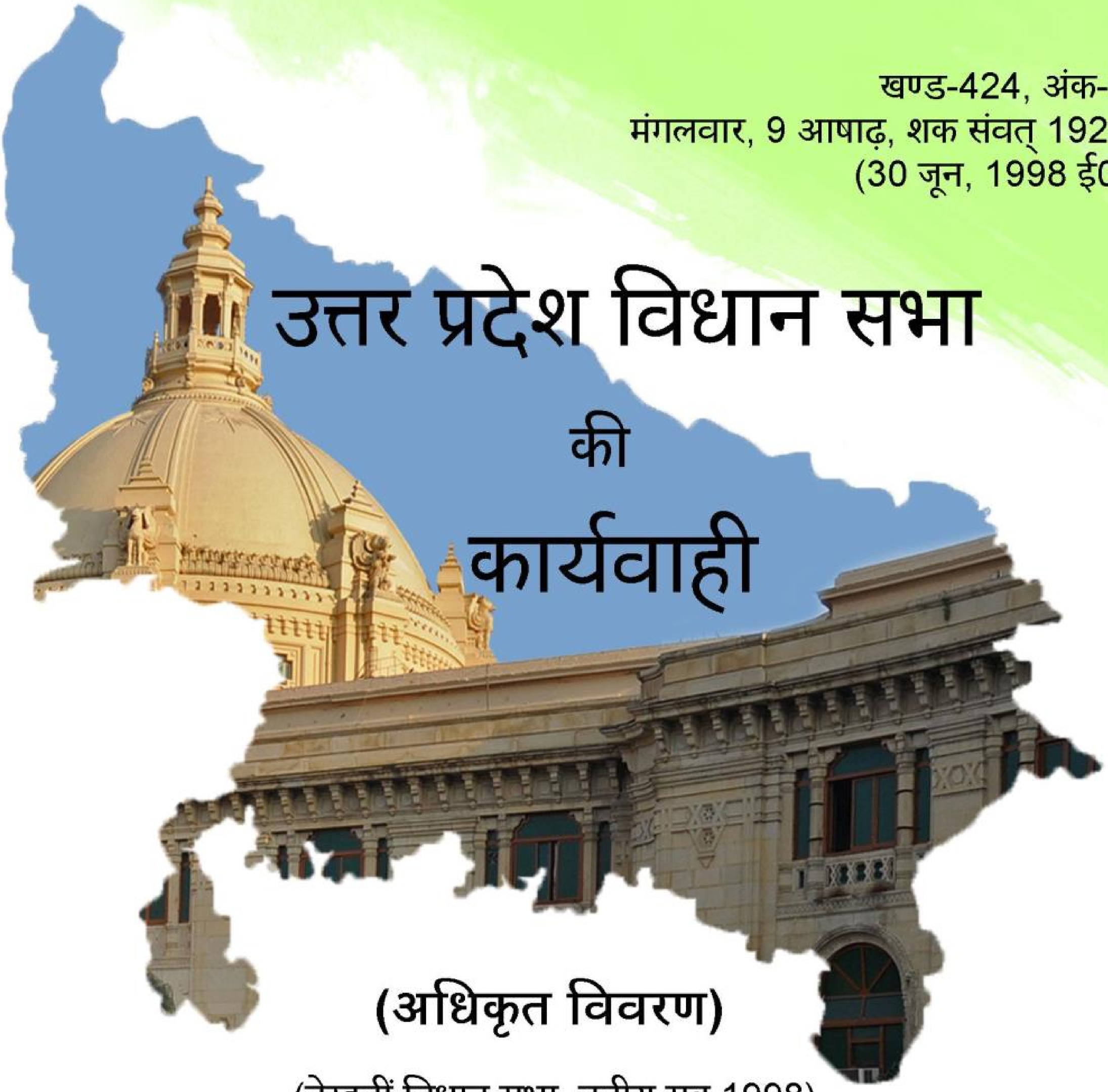

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	घ
नियम 311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1–3
प्रश्नोत्तर	4–114
प्रश्नों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	114
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण डा० जय गोपाल तथा सुक्खन लाल के निधन पर शोकोद्गार	114–121
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	121
जनपद हरदोई में जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद गेहूँ क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूँ न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122–123
जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के जमतड़ गांव में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
हापुड़ डिपो में राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों व निजी बस मालिकों की मिली भगत से सरकारी राजस्व को हो रही क्षति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद बहराइच में गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस/कालरा के त्वरित निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123–124
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत श्रवण पाकर तीर्थ स्थल का सौन्दर्यीकरण करने एवं पर्यटन केन्द्र घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
लखनऊ स्थित आर०ए०एल०सी० के निदेशक द्वारा की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद फतेहपुर के ग्राम लौधौरा में बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के मूर्ति को पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125–126
नियम 300 की सूचनायें	126
सरकारी विभागों से सम्बन्धित बजट साहित्य को चार दिन पूर्व उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	126–128
प्रश्नों के उत्तर सदन में सही रूप से न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	128–130
नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का अनुपालन छः माह बाद भी न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	130–135

विषय	पृष्ठ-संख्या
खण्ड विकास अधिकारी सहसवान बदायूँ द्वारा पंचायत भवन मैनी का उद्घाटन पूर्व विधायक से कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	135–136
परिवहन राज्य मंत्री द्वारा परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	136
वर्ष 1996-97 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के बारे में जनपद जालौन के विधायकों से प्रस्ताव पुनः मांगे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	136–137
दिनांक 30 जून, 1998 को नगर पालिका द्वारा प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिये बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	137–142
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया)	142–143
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	143–146
श्री राम औतार शाक्य स०वि०स० द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर पर शोधन वक्तव्य	146
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	146–184
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 21—खाद्य एवं रसद विभाग (स्वीकृति)	185–223
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 76—श्रम विभाग, (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 77—श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत).	223–234
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 88— संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	234–235
अनुदान संख्या 89—संस्थागत वित्त, विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृति)	
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 40—नियोजन विभाग (स्वीकृति)	235
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)	236–239

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मुन्ना चौहान स०वि०स० द्वारा आवेश में कहे गये कतिपय शब्दों पर खेद प्रकाश के पश्चात् कार्यवाही से निकालने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	239
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	239
जनपद फर्रूखाबाद स्थित सकिसा बौद्ध पर्यटक स्थल में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1992 में निर्मित पर्यटक आवास गृह को पर्यटन विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन, राज्यमंत्री का वक्तव्य ।	240–242
माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकों द्वारा अभिभावकों व शिक्षकों का आर्थिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा, मंत्री का वक्तव्य	242–245
प्रदेश में सरकारी वाहनों के प्रयोग हेतु शासन द्वारा मानक निर्धारित किये जाने के विषय में तथा प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से चल रही शिक्षण संस्थाओं में ली जाने वाली फीस की दरों में कई गुना वृद्धि किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	245
नत्थियां	246–256

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 30 जून, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थिति थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भईया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक बाजपेई, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
कुवंर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुवंर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नवाब सिंह नागर, श्री	गाजियाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया," कुवंर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुवंर	पडरौना
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी	मिर्जापुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 30 जून, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर 40 घरों को जला दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 के अन्तर्गत जो सूचनायें आई हैं उनको नियम-56 में परिवर्तित करके नियम-56 की प्रक्रिया अपना ली है। जो सूचनायें आज आई हैं उनको आज लिया जायेगा जो नहीं आई हैं उनको कल दे दीजिएगा, उनको कल ले लिया जायेगा।

(व्यवधान)

शलाका की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया अपनाई गई है तो मेरा अनुरोध है कि आज सूचना नहीं आ पाई है तो उसको कल दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चालीस लोगों के घरों को जला दिया गया है आप इस पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनुरोध किया अगर आज सूचना नहीं आई है तो कल दे दीजिएगा सूचना को नियमों के अनुसार लिया जायेगा। मैं आश्वासन देता हूं मैं सुन लूंगा आज नहीं तो कल इसको ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रश्न काल के बाद ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अगर शलाका में आज सूचना नहीं आई है तो विश्वास मानिए मैं कल आपकी सूचना ले लूंगा। निश्चित रूप से ले लूंगा इसका आप विश्वास मानिए, मेरा यकीन रखिए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(व्यवधान)

मैं अनुरोध कर रहा हूं मैं कल निश्चित रूप से सुन लूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

श्रीमन् इससे गम्भीर मामला और नहीं हो सकता है एक माननीय सदस्य पर हमला हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

किसी निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही तो सुनवाई होगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह माननीय सदस्य का मामला है इनके जीवन को खतरा है माननीय निषाद जी के जीवन को खतरा है इनको सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय सदस्य के जीवन को खतरा है जब आपके द्वारा संरक्षण नहीं मिलेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं तो सभी माननीय सदस्यों को संरक्षण दे रहा हूं मैंने इसलिए अनुरोध किया कि हर चीज का उपयुक्त समय होता है। मेरे पास दो रास्ते हैं पहला तो यह कि किसी समय माननीय सदस्य को सुन लूं या फिर आप कल सूचना दे दें मैं सुन लूंगा। एक दिन में कोई बहुत अन्तर पड़ने वाला नहीं है। आप कल सूचना दे दें कल मैं किसी न किसी प्रकार से सुन लूंगा। संरक्षण तो मैं दे ही रहा हूं उधर के माननीय सदस्यों को भी संरक्षण दे रहा हूं इधर के माननीय सदस्यों को भी संरक्षण दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं कल इसको सुनने का आश्वासन देता हूं। इसको कल ले लिया जाएगा मैं कल पूरा अवसर निषाद जी को दे दूंगा मैं आपकी सारी व्यथा को सुन लूंगा माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुन लूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

तब तक इनकी गिरफतारी न की जाए उस पर रोक लगा दें।

श्री अध्यक्ष-

इतना मैं अनुरोध कर देता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं आपकी सूचना की प्रति भेज दूंगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप प्रश्नकाल के बाद मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं श्री सीताराम निषाद ने जो सूचना दी है उस सूचना की प्रति के साथ मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देश दे दूंगा।

श्री राम नक्षत्र-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं शाम से खाना नहीं खाया हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं।

(श्री राम नक्षत्र इसी मध्य सदन के वेल में आ गए)

श्री राम नक्षत्र-

मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने आसन पर जाएं इतने वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है उनसे कुछ सीखिए।

श्री राम नक्षत्र- (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जाएगा।

श्री राम नक्षत्र-

मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप इस्तीफा मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं पूरे सदन के सामने अभी स्वीकार किए लेता हूं।

(श्री राम नक्षत्र अपने आसन पर चले गए)

नोट:-(xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य एवं प्रति कुन्टल पर बोनस दिये जाने की मांग।

श्री जगदम्बिका पाल-

** । -क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वर्तमान रबी फसल के लिये प्रदेश में गेहूं खरीद के लिये समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो सरकार किसानों को गेंहू के लिये प्रति क्विन्टल कितना समर्थन मूल्य देगी ? क्या सरकार किसानों को प्रति क्विन्टल बोनस भी देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो बोनस का किस दर से भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

विभिन्न फसलों के लिए समर्थन मूल्यों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है ।

भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 455/- रुपये प्रति कुण्टल रखा गया है ।

भारत सरकार द्वारा बोनस भी देने की घोषणा की गयी है ।

रुपया 55/- प्रति कुन्टल बोनस दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मैंने मंत्री जी से पूछा था कि समर्थन मूल्य घोषित करने की क्या नीति है ? भारत सरकार द्वारा । आपने उत्तर दिया कि विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है और माननीय मंत्री जी ने इसका भी उल्लेख किया है कि भारत सरकार ने 455 रुपये प्रति कुंन्टल गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है । इसके अलावा 55 रुपये प्रति कुन्टल बोनस दिया जाएगा, तो यह 510 रुपए गेहू का मूल्य बोनस सहित होता है । क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुए हैं उनकी लागत मूल्य को देखते हुए फिर समर्थन मूल्य पर पुनर्विचार करेगी । किसानों को लाभप्रद होगा उसको घोषित करने पर विचार करेगी ।

जब यह गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित हुआ तो पहले शिकायतें आई कि गेहूं के क्रय केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं, फिर बोरों की कमी थी, इस कारण गेहूं की खरीद नहीं हुई । आज समाचार पत्रों में पढ़ा कि क्रय केन्द्रों पर वहां के कर्मचारियों ने व्यापारियों से गेहूं खरीदकर विभिन्न किसानों के नाम दिखाया और इसी सिलसिले में बहराइच जिले के दो कर्मचारियों को आपने निलम्बित करने की घोषणा भी की है । जो इस तरह का काम हो रहा है, इसकी कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं और कृषि विभाग और खाद्य विभाग के प्रश्न को सम्मिलित कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था समर्थन मूल्य के बारे में। समर्थन मूल्य कृषि विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसमें प्रत्येक प्रान्त के कृषि विभाग द्वारा अपनी तरफ से मांग भेजी जाती है। जहां तक खरीद का सवाल है, वह एक अलग प्रश्न है जो खाद्य विभाग से जुड़ा हुआ है। खाद्य विभाग ही खरीद का काम करता है। कहां कितनी खरीद हुई, कितनी शिकायतें मिली, कहां सेन्टर खोले गये, इसके लिये अलग से प्रश्न कर लें, उत्तर दे दिया जायेगा। श्रीमान् जहां तक समर्थन मूल्य का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने 565 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य की संस्तुति की थी। भारत सरकार के पास सभी प्रान्तों के समर्थन मूल्य की संस्तुति आती है, उपभोक्ताओं की संस्तुति आती है, उसको भारत सरकार देखती है और सबको मिलाकर निर्णय लिया जाता है, तब भारत सरकार ने 455 रु0 समर्थन मूल्य तय किया, यह हम लोगों को कम महसूस हुआ, तब हम सब लोगों ने मांग की.....

(किसी माननीय सदस्य का सेल्युलर फोन बजने पर)

श्री अध्यक्ष -

मुझे बड़ा दुख है कि बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी लोग यहां सेल्युलर फोन लेकर आते हैं। जिन लोगों के पास यहां सेल्युलर फोन मौजूद हैं, वह कृपया अपना फोन लाकर सचिव के पास जमा कर दें। यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

जब यह देखा गया कि 455 रु0 कम है, इस पर पंजाब ने आपत्ति की, उत्तर प्रदेश ने भी आपत्ति की तो 55 रुपया क्विन्टल बोनस स्वीकृत किया गया और इस प्रकार 510 रुपया समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया। अब 510 रुपये का समर्थन मूल्य क्रय केन्द्रों पर दिया जा रहा है या नहीं। इसके लिये माननीय सदस्य अलग से प्रश्न कर लें। किन क्रय केन्द्रों पर क्या सुविधायें उपलब्ध हैं, कहां शिकायतें आई हैं, इसके लिये अलग से सूचना दे दी जायेगी?

श्री जगदम्बिका पाल -

माननीय कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य है, उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 596 रुपये की संस्तुति भारत सरकार से की थी और भारत सरकार ने पूरे देश के हिसाब से 455 प्लस 55 रुपये मिलाकर 510 रुपये का मूल्य घोषित किया। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह माना कि किसानों को 596 रुपया मिलना चाहिये और भारत सरकार ने 510 दिया तो इस बीच की भरपाई को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि यह अलग विभाग की बात है, यह कहकर वह बरी नहीं हो सकते क्योंकि माननीय मंत्री जी सामूहिक उत्तरदायित्व की बात को अच्छी तरह जानते हैं यह कृषि विभाग से सीधे जुड़ा प्रश्न है, यह मंत्री जी को मालूम होना चाहिये।

आज जो 596 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्तुति की थी परन्तु भारत सरकार द्वारा 510/- दिया जा रहा है तो इस अन्तर से किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करेगी? इसके साथ ही मान्यवर, जब गेहूं का लागत मूल्य निकाला जाता है तो क्या किसानों के प्रतिनिधि भी रहते हैं या नहीं रहते हैं?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के, किसानों के तथा उपभोक्ता के प्रतिनिधि रहते हैं। जहां तक लागत का सवाल है। 1997-98 के गेहूं का मूल्य 403-28 रुपये आंकी गयी थी। मैंने रु0 565/- प्रति कुन्टल की मांग इसीलिए की थी ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके, भारत सरकार द्वारा जो 510/- प्रति कुन्टल देने का निर्णय लिया है वह पूरे देश को देखते हुए लिया गया है। मान्यवर, इसमें किसानों का नुकसान नहीं है लेकिन जितना मुनाफा हम किसानों को दिलाना चाहते थे वह नहीं मिल पाया।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जब 565/- भारत सरकार से माननीय मंत्री जी ने मांग की और उन्होंने 55/- बोनस देकर एक नीति निर्धारित कर दी, जो अन्तर आया उसे माननीय मंत्री जी अपने संसाधन से देंगे। जनपद बहराइच का जिक्र पाल साहब ने अपने सवाल में किया। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दो आदमियों को निलंबित किया और कम से कम 30-35 और लोग हैं जिनकी सूची जिलाधिकारी के पास है, सप्लाई दफ्तर के लोग भी हैं। मान्यवर, जो 3 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं दिया गया, विनोद कुमार सिंह, थाना-हुजुरपुर के कोटेदार ने उस कोटे के गेहूं को क्रय केन्द्र पर ले जाकर 5.10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया।

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से हटकर है। आप मूल प्रश्न करें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो संस्तुति भारत सरकार को प्रदेश सरकार द्वारा की गयी और जो भारत सरकार द्वारा मूल्य दिया जा रहा है, दोनों में अन्तर है। क्या माननीय मंत्री जी अपने स्तर से उसको दूर करने का कोई उपाय निकालेंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, प्रदेश के वित्तीय संसाधन ऐसे नहीं है कि हम अलग से कोई बोनस दे सकें, कोई भी प्रदेश सरकार अलग से बोनस नहीं दे रही है। हम मांग जरूर करते हैं और हमारा प्रयास यह होता है कि किसानों को अधिक से अधिक मूल्य दिलवायें, जो मूल्य घोषित होता है यह समर्थन मूल्य है, न्यूनतम मूल्य है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिये, इससे ऊपर जाता है तो सरकार उस पर रोक नहीं लगाती है। हमारे वित्तीय संसाधन ऐसे नहीं है कि हम अलग से कोई धनराशि दे सकें।

श्री गोपाल कृष्ण -

मान्यवर, मैं पूरनपुर क्षेत्र जनपद पीलीभीत से विधान सभा का सदस्य हूं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का रिकार्ड उत्पादन होता है। मैंने कई बार शासन को लिखा, माननीय मंत्री जी को बताया है कि हमारे यहां किसानों को गेहूं का मूल्य 470-480 रुपया प्रति कुन्टल दिया जा रहा है। जब संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गयी तो उन्होने कहा कि भारतीय खाद्य निगम को हमें पैसा देना पड़ता है, इसलिए वह मजबूर हैं, मंत्री जी भी जानते हैं, यह जवाब वहां के जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया। क्या जो बातें संज्ञान में आयी हैं तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करेगें?

श्री अध्यक्ष -

यह मूल प्रश्न से बात नहीं आती है, आप इसके लिए अलग से प्रश्न कर लीजिएगा।

श्री लाल जी वर्मा -

अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश का 97-98 का जो लागत मूल्य है वह 403 रुपये है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कृषि फार्मों और कृषि विश्वविद्यालयों में गेहूं का प्रति कुन्टल लागत मूल्य क्या है और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में लागत मूल्य को ज्यादा बढ़ा हुआ देखते हुए माननीय मंत्री जी प्रदेश स्तर पर बोनस देने पर विचार करेगें इसके साथ ही साथ कुछ अन्य प्रान्त ऐसे हैं जहां पर प्रान्तीय स्तर पर बोनस दिया जा रहा है, यह बता दें?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, 403 रुपये जो लागत मूल्य बताया है तो यह एक कमेटी है जिसमें तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ बैठते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैने पूछा था कि प्रदेश के जो कृषि फार्म हैं और कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां भी गेहूं पैदा किया जाता होगा तो वहां प्रति कुन्तल उत्पादन लागत मूल्य क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, जो भी लागत मूल्य जोड़ा जाता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इसमें कृषि निदेशक बैठते हैं, कृषि फार्म के इंचार्ज बैठते हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, जो हमारा गेहूं का लागत मूल्य है वह सभी जगह का सभी लागत मूल्यों को देखकर यह निर्णय लिया जाता है कि क्या लागत मूल्य हो ? जहां तक माननीय वर्मा जी ने प्रान्तों के बारे में पूछा है तो उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

आपने जानना चाहा है कि सरकारी कृषि फार्मों और कृषि विश्वविद्यालयों में गेहूं का लागत मूल्य क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, अलग-अलग कृषि फार्मों का अलग-अलग मूल्य आता है । हमारे जो कृषि फार्म हैं वह या तो बीज उत्पादन फार्म हैं या कृषि फार्म हैं वहां का लागत मूल्य अलग-अलग फार्मों की मेरे पास सूचना नहीं है, यह मंगानी पड़ेगी ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा करते हैं कि यह महत्वपूर्ण विषय है इसी पर किसी दिन आधे घन्टे की चर्चा निर्धारित कर देते हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, ठीक है ।

उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार से मांग

श्री राम औतार शाक्य-

**2-क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के शिक्षित बेरोजगारों को सूचीबद्ध करके मासिक बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना संभव नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं एक तो शिक्षित बेरोजगारों को सूचीबद्ध करेंगे और दूसरा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे तो पहले वाले प्रकरण में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षित बेरोजगारों को सूचीबद्ध करके उनकी संख्या ज्ञात करने की कृपा करेंगे क्योंकि उसमें आठवां पास, हाईस्कूल पास, इंटर पास, ग्रेजूएट और पोस्ट ग्रेजूएट भी होते हैं तो इसमें ज्यादा धन का खर्चा भी नहीं है। तो कोई ऐसी कार्ययोजना लायेंगे जिससे प्रदेश की जनता को यह मालूम हो जाय कि कितने शिक्षित बेरोजगार हैं ? मान्यवर, संसाधन की कमी है लेकिन क्या सिद्धान्ततः यह सरकार सहमत है कि उनको भत्ता देना चाहिए। मान्यवर, यह बता दें कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ?

*पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर की बात है, सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से सूचीबद्ध कराया गया। हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक श्रेणी वाइज बता देता हूं हाईस्कूल 6,69,072, इण्टर 8,73,053, स्नातक 3,47,955 स्नातकोत्तर 84,385, कुल मिलाकर 19,74,365, मान्यवर, सिद्धान्त रूप से मानने की जो बात है हमने केलकुलेशन कराने का प्रयास किया जो शिक्षित बेरोजगारों को यदि 50 रु0 प्रति माह भत्ता देंगे तो कुल व्यय भार आता है 218 करोड रुपये और यदि 100 रुपये प्रति माह देते हैं तो 436 करोड़ रुपये व्यय भार आयेगा। इसलिए केवल 100 रु0 मात्र देने के लिए इतना बड़ा अधिष्ठान बनाना और उसके वितरण में ज्यादा खर्च आयेगा तो सिद्धान्त रूप में इसे देने का कोई औचित्य नहीं हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने दिया है तो क्या पश्चिम बंगाल का अनुकरण करके कोई योजना बनाकर इस संबंध में प्लानिंग करेंगे?

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया कि ऐसी योजना नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह सरकार जान-बूझकर बेरोजगारों को भत्ता नहीं देना चाहती है।

मैं सरकार की बेरोजगारों के प्रति गलत नीति के विरोध में सदन से बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम औतार शाक्य सदन त्यागकर चले गये)

श्री राम जग-

मान्यवर, सरकार इस मामले में गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में वाममोर्चा की सरकार हैं। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है क्या सरकार उनके पैटर्न पर विचार करेगी?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दो पक्ष हैं, बेरोजगारी भत्ता देने का और रोजगार देने का। माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण जब दे रहे थे तो उन्होंने 13 योजनाओं का उल्लेख किया कि उसके माध्यम से युवकों को रोजगार और स्व-रोजगार देने की योजना है मेरा विश्वास है कि बजाय भत्ता देने के उनको रोजगार दिया जाए। रोजगार देने से काम में भी लगेंगे और आत्म विश्वास भी पैदा होगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ में दारूलशफा स्थित विधायक निवासों में बढ़ती हुई चोरी का मामला

*1-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि दारूलशफा स्थित विधायक निवासों में विगत वर्षों से चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है? क्या यह सही है कि उक्त घटनाओं में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि उक्त विधायक निवासों में गैर विधायकों को भी आवास आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसका निराकरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1996 की अपेक्षा वर्ष 1997 में चोरी की घटनाओं में किंचित वृद्धि हुई है?

विवेचना से यह तथ्य कभी प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, पहले भाग में यह स्वीकार किया है कि घटनाओं में किंचित वृद्धि हुई है।

हम लोग मान्यवर, ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहां पर यह घटनाएं बढ़ रही है यह चिंता का विषय है। आज समाचार में छपा कि माननीय राज्य मंत्री कण्डारी जी के आवास में चोरी हो गयी है। कभी जीप, कभी कार, यह चोरी होना आम बात हो गयी है आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगा पाये हैं। मान्यवर, जो विधायकों को आवास आवंटित किये हैं, हर आवासों पर उनकी नेम-प्लेट लगी हुई है। उसके बाद यह कहना कि विवेचना से यह तथ्य कभी प्रकाश में नही आया, बात समझ में आने वाली नहीं है। ऐसे मामलों की विवेचना की जाय, क्या सरकार इस ओर प्रयास करेगी?

* लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)-

मान्यवर, प्रश्न के अन्दर यह पूछा गया था कि क्या यह सही है कि घटनाओं में वृद्धि का एक कारण यह है कि विधायक निवासों में गैर-विधायकों को भी आवास आवंटित किये गये हैं। इसकी विवेचना की गई और जो भी आवंटित लोग हैं, वह प्रकाश में नहीं आये। जहां तक अपराध का सवाल है और चोरी की घटनाओं का सवाल है, जो भी विवेचना हुई है, उस विवेचना कर्मी बनाम अज्ञात करके लिखा था। इसमें जो भी रह रहे हैं, गैर विधायकों को जो आवंटन हुआ है, उनके नाम प्रकाश में नहीं आये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, विधायक निवासों में जन प्रतिनिधि रहते हैं। जन-प्रतिनिधियों से मिलने तमाम लोग आते हैं। जब विधान सभा का सत्र चलता है तो बहुत भीड़ हो जाती है। विधान सभा सत्र जब नहीं चलता है तो माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। मेरा यह विचार है, कोई निर्देश नहीं है, कि इस दृष्टि से अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है। यद्यपि हम समाचार-पत्रों में छपी बात का संज्ञान नहीं लेते हैं परन्तु आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि किसी मंत्री के घर में चोरी हो गई, मुकुट आदि की चोरी हुई। आपने भी स्वयं स्वीकार किया है कि किंचित वृद्धि हुई है। इसको समाप्त करने के लिये कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

* श्री राम सिंह सैनी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधायक निवासों में आपने विधायक के साथ-साथ जो गैर विधायकों को भी आवास आवंटित किये हैं, क्या ऐसे लोगों को आप किसी स्पेशफिक ब्लाक में आवंटित नहीं कर सकते। क्योंकि एक साथ आवंटित होने से हमें असुविधा होती है। इसलिए विधायकों को अलग और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गैर-विधायकों को अलग आवंटित नहीं किया जा सकता?

श्री कलराज मिश्र-

अभी जो आवंटन है, वह आवंटन जिस प्रकार से है, आपके सामने है। आपने एक सुझाव दिया है, इस संबंध में विचार किया जा सकता है।

श्री राम तेज यादव (एडवोकेट)-

मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के विधायक जी ने एक बहुत ही सामयिक प्रश्न उठाया है और आपने एक प्रकार से सरकार को निदेश भी दिये हैं। आज दारूलशफा, ओ0सी0आर0, पार्क रोड तथा अन्य स्थानों पर जहां विधायकगण रहते हैं, साईकिलें, मोटरसाईकिलें, जीप तथा कार आदि चोरी चली जा रही हैं और विधायकों के आवासों के ताले तोड़कर सामान चोरी जा रही हैं और विधायकों के आवासों के ताले तोड़कर सामान चोरी हो जा रही है। क्या राज्य सम्पत्ति विभाग इतना फ्री हो गया है कि विधायकों, मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री जी के न चाहते हुए भी ऐसे लोगों को विधायक निवासों में आवास आवंटित कर देता है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी? प्रानी, बिजली और लिफ्ट खराब पड़ी है तो इसकी तो आपको चिन्ता नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे, जिससे मंत्रियों/विधायकों तथा कर्मचारियों के आवंटन में कोई अन्तर हो? क्या राज्य सम्पत्ति विभाग पर इस प्रकार का कोई अंकुश लगाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है यद्यपि इस परिधि के अंतर्गत नहीं आता है फिर भी जो अवैध तरीके से कब्जे किये गये और अतिक्रमण के आधार पर निर्माण कार्य किये हैं और रह रहे हैं ऐसे लोगों को हटाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, ओ0 सी0 आर0 में गेट के ऊपर एक और नयी बिल्डिंग बन रही है, विधायकों की गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज नहीं है। वह किसके आदेश से बन रही है, और वहां पर इन्क्रोचमेंट हो रहा है.....

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। जो घटनायें हो रही हैं वह चिन्ता का विषय है। माननीय विधायक गण जो विधायक निवासों में रहते हैं वह लोग अपने यहां एक रजिस्टर रख लें और प्रत्येक व्यक्ति जो उनके यहां मिलने आये उसका नाम पता दर्ज करते जायें।

मेजर जगत पाल सिंह-

मान्यवर, विधायक निवास-5, मीराबाई मार्ग में मुझे कक्ष का आवंटन किया गया। मैंने अपना आवास चेंज करने के लिए कई बार लिख कर दिया....

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप इसके बारे में माननीय मंत्री जी से अलग से मिल लें।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं दारूलशफा बी0-ब्लाक में रहता हूं। 21 मई, 1998 को मेरी गाड़ी नीचे खड़ी थी और उसमें लगा टेप चोरी हो गया मैंने उसकी रिपोर्ट लिखा। मान्यवर, मैं दो चीजें माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय करेंगे और दूसरा वाहनों की सुरक्षा के लिए गैराज बनाने पर विचार करेंगे जिससे माननीय सदस्यों की गाड़ी सुरक्षित रह सकें?

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, सुरक्षा के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर 15-20 वर्षों से पुलिस चौकी लगी हुई है। एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने के संबंध में हमने यह कहा है कि अगर वहां पर इस प्रकार की घटनायें होती है तो एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने की व्यवस्था की जाय। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या गैराज बनाने की व्यवस्था है? तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास जिस प्रकार से संसाधन होंगे उसकी उपलब्धता के ऊपर आधारित है। जो माननीय विधायकों के पास उनके आवास में लोग मिलने के लिए आते हैं उनको चिन्हित करना बड़ा कठिन होता है और ऐसे लोग भी होते हैं जो इस प्रकार की घटना के कारण में अपना महत्व रखते हैं। आज ही घटना के बारे में बात आयी है उसमें अंदर से खिड़की खोलकर ताला तोड़ा गया। जो बाहर से लोग आते हैं वह किस प्रकार के आते हैं इनके ऊपर भी ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है उसके अनुरूप सुरक्षा की व्यवस्था प्रभावी बनायी जाय। हम इसके लिए मुख्य मंत्री से बातें कर प्रभावी कदम उठायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, मान्यवर, विधायक निवास दो तरह के हैं एक तो छोटे कक्षों वाले विधायक निवास और एक बड़े कक्षों वाले, जो छोटे कक्षों वाले विधायक निवास है जैसे दारूलशफा, रायल होटल उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है? ओ0 सी0 आर0, पाक रोड, डालीबाग, बहुखण्डी आवास में उनके कक्षों की संख्या कितनी है? मान्यवर, बाहर के लोगों को विधायक निवासों में आवंटन दिया गया है।

जब इसके लिये कानून इस सदन में लाया गया और यह बात रखी गयी कि विधायकों को विधायक निवास में रखा जाये तो उस कानून का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है और जो छोटे-छोटे कक्ष हैं, जो विधायकों को दिये गये हैं, उनको दो मिलाकर एक माननीय विधायक को कब तक देंगे?

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, जो प्रश्न है, चोरी की घटनाओं के बारे में है, लेकिन जो मा0 सदस्य ने पूछा है, उसमें छोटे कक्षों के बारे में पूछा है, तो यह सूचना हमारे पास इस समय नहीं है, लेकिन मान्यवर, ऐसे आवंटन के बारे में कहा है कि नियमावली बनी है, तो इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। दारुलशफा में और अन्य विधायक निवासों में बहुत से ऐसे आवंटन है, जो किसी संस्था के नाम हैं, या पत्रकारों के नाम हैं, सभी लोग सुनिश्चित करें तो हमें करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं विधायक निवासों की समस्या के बारे में एक बैठक बुला लूंगा, माननीय मंत्री जी और अन्य प्रतिनिधि लोगों को बुला लूंगा कि समस्या का समाधान निकल आवे।

जनपद प्रतापगढ़ की आटो ट्रैक्टर लि0 फैक्ट्री में तालाबंदी

*2 श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद की आटो ट्रैक्टर लि0 को दिनांक 16-3-98 से फैक्ट्री मालिकों ने बन्द कर दिया है? क्या शासन श्रमिक हित में फैक्ट्री मालिक के विरूद्ध कोई कार्यवाही कर रहा है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रबन्ध तन्त्र तथा श्रमिकों की आपसी सहमति से दिनांक 27.5.98 से तालाबंदी समाप्त कर दी गयी है।

श्री चन्द्र नाथ सिंह-

अध्यक्ष महोदय, हमारा मूल प्रश्न यह था कि क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ आटो ट्रैक्टर्स लि0 को दिनांक 16.3.1998 से मालिकों ने बन्द कर दिया है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, जी हां। अगर माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी थी, तो क्या बतायेंगे कि तालाबन्दी अवैधानिक थी या वैधानिक थी, या मनमाने ढंग से तालाबन्दी कर दी गयी थी। श्रमिकों को वेतन नहीं दिया गया और उत्तर आ गया है कि समझौता हो गया है, तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या समझौता श्रमिकों से हुआ है, जो श्रमिक कार्यरत थे, उनको पुनः रख लिया गया है या दूसरे श्रमिक रख लिये गये है।

(सहकारिता मंत्री)-श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि 16.3.1998 को तालाबन्दी हुई थी, श्रमिकों ने यह काम किया था। इस सम्बन्ध में बैठक हुई है और ताला बन्दी समाप्त हो गयी है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह -

मान्यवर, तालाबन्दी श्रमिकों ने की थी या मालिकों ने की थी अगर मालिकों ने की थी, तो क्या वह वैधानिक थी या अवैधानिक थी ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा -

तालाबन्दी तो अपने आप हो गयी । जब श्रमिकों ने हड़ताल कर दी, तो तालाबन्दी अपने आप हो गयी ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह -

मान्यवर, मैं केवल इतनी जानकारी चाहता हूं कि तालाबंदी वैधानिक थी या अवैधानिक थी ।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा -

तालाबन्दी तो अपने आप हो गयी जब श्रमिकों ने हड़ताल कर दी, तो तालाबन्दी अपने आप हो गयी ।

श्री अम्बिका चौधरी -

माननीय अध्यक्ष इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में तालाबन्दी परिभाषित है । तालाबन्दी ऐसा नहीं है कि आप घर में या गाड़ी में ताला लगा दें उसे तालाबन्दी कह दें और न ही मिल के गेट पर ताला लगा देने से तालाबन्दी हो जाती है । इसकी एक प्रक्रिया है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है । श्रमिकों द्वारा काम बन्द कर देने से तालाबन्दी नहीं हो जाती है । यहां पर जो तालाबन्दी हुई है वह नियमानुसार नहीं थी । मैं जानना चाहता हूं कि इस तालाबन्दी से कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये और सरकार ने उसके लिए क्या कार्यवाही की और क्या इस प्रकरण की किसी अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा -

मान्यवर, मैंने सदन को अवगत कराया है कि 27.5.1998 से तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है । प्रबन्ध तंत्र और मजदूरों में समझौता हो गया है, उसका वेतन का मामला था उस पर समझौता हो गया है ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह -

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या शासन श्रमिक हित में फैक्ट्री मालिक के विरूद्ध कोई कार्यवाही कर रहा है ? इसका उत्तर आपने दिया ही नहीं । अगर तालाबन्दी अवैधानिक थी और कानून के अन्तर्गत नहीं थी तो फिर फैक्ट्री मालिकों के हित में यह कार्य क्यों किया गया ? फैक्ट्री मालिकों का फायदा क्यों दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष -

इसके उत्तर में लिखा है श्रमिकों की आपसी सहमति से यह हुआ है ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह -

मान्यवर, वहां पर जो श्रमिक कार्य कर रहे थे उनसे समझौता नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने श्रमिक हैं जिनके साथ समझौता हुआ है, जो फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे। चूंकि यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का है। मेरी जानकारी है कि जो श्रमिक कार्य कर रहे थे, उन्हें पुनः नही रखा गया है।

श्री अध्यक्ष -

आपका प्रश्न बहुत सीमित है कि इतने दिन जो फैक्ट्री बन्द की गई उसके आधार पर कोई कार्यवाही की गई या नहीं इसका उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री श्रीरामपाल -

मान्यवर, आटो ट्रेक्टर के कर्मचारियों की जो छटनी हुई थी उस पर सरकार ने निर्णय लिया था कि आटो ट्रेक्टर के कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित कर लिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे सभी छटनीशुदा कर्मचारी समायोजित हो गये हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष -

माननीय मंत्री जी आटो ट्रेक्टर के कर्मचारियों की जो छटनी की गई थी उसके बारे में शासन ने निर्णय लिया था कि शासन अपने विभिन्न विभागों में समायोजित कर लेगा। उसमें क्या स्थिति है?

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा -

मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि 1227 कर्मचारी थे उनमें से 866 कर्मचारियों को समायोजित कर लिया है शेष के बारे में प्रक्रिया जारी है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह -

मान्यवर, यह तालाबन्दी वैधानिक थी या अवैधानिक थी, क्या इसकी शासन से अनुमति ली गई थी या फैक्ट्री मालिकों ने अपने आप तालाबन्दी कर दी थी?

श्री अध्यक्ष -

अभी बताया गया कि आपस सहमति हो गई है और वार्ता से आपस में बातचीत कर तालाबन्दी समाप्त हो गई है।

* 3 श्री राम औतार शाक्य -

(दिनांक 23.6.98 को ता0 प्र0 सं0-2 द्वारा उत्तरित)

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के प्रोन्नति का मामला

* 1. श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के साथ जून, 1997 में हुई वार्ता के दौरान सचिवालय में कार्यरत अवर वर्ग सहायकों का प्रोन्नति में लिये जाने हेतु प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर अतिरिक्त पद सृजित कराने का निर्णय लिया गया था? क्या यह सही है कि उसमें एक मास का समय भी निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सच है कि सचिवालय में कार्यरत अवर वर्ग सहायक लगभग 15-15 वर्षों से कार्यरत हैं और उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो उन्हें प्रोन्नति का लाभ कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं। इस हेतु किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। अवर वर्ग सहायकों की प्रोन्नति में उत्पन्न अवरोध की स्थिति को दूर करने के लिए सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2478/बीस-इ-5-1 (सृजन)/97, दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 द्वारा प्रवर वर्ग सहायक के 390 अधिसंख्यक पदों का सृजन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 1988 में टंकक संवर्ग के 427 पदों के अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलीन हो जाने से अवर वर्ग सहायक संवर्ग में पद तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने परन्तु उसी अनुपात में प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में पदों में वृद्धि न होने के कारण अवर वर्ग सहायक संवर्ग में अवरोध (स्टेगनेशन) की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

संदर्भगत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 द्वारा सृजित प्रवर वर्ग सहायक के 390 अधिसंख्य पदों पर प्रोन्नति के प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो 390 अधिसंख्य पदों के बारे में लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी है 22 अक्टूबर, 1997 को उस संबंध में अधिकारिक स्तर पर इस सहमति को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किया गया? दूसरा यह कि जो 390 पदों के सृजन का मानक क्या है, आधार क्या है? जबकि 773 पदों की स्टेगनेशन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, जहां तक प्रयास का प्रश्न है इसमें 26 फरवरी, 1998 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये पत्र भेजा गया है। 31 मार्च, 1998 को इस प्रस्ताव पर सहमति लोक सेवा आयोग ने दी। तो फिर-5 मई, 1998 द्वारा उनकी सहमति मांगी गयी है। मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है कि पूर्व में 2 संवर्ग थे, एक टंकक तथा दूसरा अवर वर्ग सहायक का। टंकक वर्ग के पद समाप्त किये गये 26-11-88 को और 880 जो पद थे वह संविलीन अवर वर्ग सहायक में हो गये। इससे संख्या ज्यादा हो गयी और उसके अनुपात में अवर वर्ग सहायकों के पद कम पड़े इस लिये स्टेगनेशन हुआ। स्टेगनेशन को समाप्त करने के लिये 390 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। लेकिन दिक्कत यह आयी कि यह पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं। इसके लिये 50:50 का अनुपात निर्धारित है। यह जो 390 पदों का पदोन्नति के लिये सृजन किया गया है लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने पर शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा अवर वर्ग सहायकों के पद भरे जायेंगे। सहमति मिल जायेगी तो पद भर दिये जायेंगे।

श्री राम औतार शाक्य-

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 390 अधिसंख्य पद हैं क्या वित्त विभाग से इनके लिये धन प्राप्त कर लिया गया?

श्री अध्यक्ष -

पद तभी सृजित हुये होंगे जब धन की व्यवस्था हो गयी होगी।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी अनुदेशकों तथा स्टेनोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस के अनुदेशकों के पदों के वेतनमान को समान कराये जाने की मांग

*2 श्री कृष्ण चन्द पुनेठा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में एक ही संवर्ग के अनुदेशकों के पद (अनु0 इन्जी0 परिवर्तित पद नाम सहायक/सह प्रवक्ता तथा अन्य अनुदेशक) जो चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों तक समान वेतन क्रम (रु0 1400-2400) में थे, परन्तु कुछ अनुदेशकों को विभाग द्वारा उनकी शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताओं में वृद्धि किये बिना ही रु0 1640-2900 का उच्च वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है? क्या सही है कि उसी संवर्ग के पद अनुदेशक स्टेनोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस के पद का वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र सिंह गौर)-

जी हां किन्तु संवर्ग भिन्न हैं।

विभाग के इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारी अनुदेशकों का पदनाम राजाज्ञा संख्या-5340/- प्रा0 शि0-2-200 (एम)/81, दिनांक 31-12-87 द्वारा परिवर्तित

करके सहायक प्रवक्ता कर दिया गया एवं राजाज्ञा संख्या-1414/16-प्रा0 शि0-2-116 (इ)/89, दिनांक 23.5.92 से सहायक प्रवक्ताओं का वेतनमान पुनरीक्षित कर रु0 1640-2900 किया गया।

अनुदेशक स्टेनोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस के पद इंजीनियरिंग अनुदेशकों के संवर्ग से भिन्न हैं। अतः वे उक्त दोनों शासनादेशों से आच्छादित नहीं हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग के पूर्व पदनाम थे उन्हें परिवर्तित किया गया वैसे ही अनुदेशक स्टेनोग्राफी का पद है। इनकी कार्य प्रणाली एक सी है जबकि अनुदेशक स्टेनोग्राफी की शैक्षिक अर्हता इन्टरमीडिएट है और अनुदेशक इंजीनियरिंग की अर्हता हाइस्कूल रखी गयी है। मेरे पास विवरण है उसमें दिया है कि उनकी कार्यप्रणाली समान है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि अनुदेशक इंजीनियर को राजाज्ञा के द्वारा उनका नाम परिवर्तित कर दिया और फिर दूसरी राजाज्ञा के द्वारा उसको पुनरीक्षित वेतनमान दे दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इन दोनों का कार्य एक सा है तो क्या अनुदेशक स्टेनोग्राफी के वेतनमान पुनरीक्षित किये जायेंगे?

* डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अनुदेशक इंजीनियरिंग का पद है यह तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत आता है तथा अनुदेशक स्टेनोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस का पद नान टेक्नीकल है। दोनों पदों के संवर्ग अलग-अलग हैं, अर्हता अलग-अलग है। जहां तक अनुदेशक इंजीनियरिंग का पद नाम सहायक प्रवक्ता/सह प्रवक्ता कर दिया गया था। इनके लिये इंजीनियरिंग में 65 प्रतिशत अंक डिप्लोमा एवं एक वर्ष का अनुभव रखा गया उसी तरह से अनुदेशक स्टेनोग्राफी के लिये किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक और सचिवालय पद्धति में डिप्लोमा अनुदेशक कामर्शियल प्रैक्टिस के लिये किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक 55 प्रतिशत अंक हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपि एवं टंकण में ज्ञान। इस तरह से मान्यवर, अलग-अलग संवर्ग हैं, इनके लिए अर्हताएं अलग-अलग हैं। एक उस वेतनमान के अन्तर्गत आते हैं दूसरे नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, इसमें कार्य का विवरण दिया गया है। दोनों के कार्य एक से हैं। स्टेनोग्राफी के लिए शिक्षा इण्टरमीडिएट है और अनुदेशक इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिये शिक्षा हाइस्कूल है। क्या जब समान कार्य हैं, तो वेतन समान दिया जायेगा?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जब समान कार्य है तो वेतन समान देंगे या नहीं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

दोनों के संवर्ग अलग हैं, अर्हताएं अलग-अलग हैं। एक पद टेक्नीकल और दूसरा नान टेक्नीकल है। वेतनमान के लिये जो समिति गठित की गई थी उसने भी एक के लिए कर दिया और दूसरे के लिए रिजेक्ट कर दिया था।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कक्षा 9 व 10 की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में देश के महान क्रान्तिकारियों को आतंकवादी बताये जाने का मामला

*3-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कक्षा 9 व 10 की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में देश के महान क्रान्तिकारियों को आतंकवादी बताया गया है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा0 नेपाल सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*4 डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जिला बस्ती, बभनान को "विद्या धर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला" के पूर्व प्रधानाचार्य की पेन्शन स्वीकृती का मामला

*5 डा0 अशोक वाजपेयी (अनुपस्थित)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को न्यूनतम कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? क्या सरकार बतायेगी कि "विद्या धर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला" बभनान बस्ती के पूर्व प्रधानाचार्य बस्ती को मात्र चवालिस रुपया प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत किये जाने का क्या आधार है? क्या सरकार उक्त पेंशन की धनराशि को संशोधित करने एवं नियमित पेंशन दिये जाने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

न्यूनतम पेंशन की धनराशि निर्धारित नहीं है।

शासनादेश-संख्या-98/1(4)/73, दिनांक 27-6-98 के अनुसार अधिकतम पेंशन 75/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जा सकती थी परन्तु उक्त प्रधानाचार्य को पूर्व

सेवा 24 वर्ष 3 माह की थी और वे 30 जून, 1989 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए, जिसके कारण शासनादेश संख्या-513/15-17-90-56(28)/87, दिनांक 22, 23 मार्च, 1990 का लाभ नहीं प्राप्त हुआ। अतः 27 जून, 1980 के शासनादेश के अधीन पेंशन 44/- रुपये प्रतिमाह निर्धारण किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था का भार अभिभावकों को नहीं बल्कि प्रबंध तन्त्र के निजी स्रोतों से वहन किये जाने की योजना

*6 श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9/4 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की वेतन व्यवस्था का भार केवल अभिभावकों को ही वहन करना पड़ेगा? क्या यह सही है कि इससे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा अत्यन्त मंहगी होगी? यदि हां, तो क्या सरकार के पास ग्रामीण अंचल के हाइ स्कूल तथा इण्टर के विद्यार्थियों के लिये सस्ती और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की कोई योजना है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

दिनांक 14-10-1986 के बाद अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के वेतनादि का व्ययभार प्रबंधतंत्र को अपने निजी स्रोतों से वहन किया जाना है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

* श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के प्रथम भाग में उत्तर दिया है कि दिनांक 14-10-1986 के बाद अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के वेतनादि का व्ययभार प्रबंधतंत्र को अपने निजी स्रोतों से वहन किया जाना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि किसी एक विद्यालय में जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक को सारी जिन्दगी हजार दो हजार की पेंशन पर रहना पड़ेगा जबकि सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनके अध्यापकों को दस हजार वेतन मिलेगा, इस प्रकार इससे असमानता उत्पन्न होती है। क्या मंत्री जी इस असमानता को दूर करने का प्रयास करेंगे।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया है जिसमें कहा गया है-जी नहीं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जब 9/4 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आप कोई अनुदान नहीं देते हैं जिससे प्रबन्धतंत्र को 100-200-500 रुपये फीस अभिभावकों से लेगा और दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में इण्टर और हाई स्कूल के विद्यार्थियों से 8-10 रुपये फीस ली जाती है, तो सरकार क्या इस असमानता को दूर करेगी?

डा0 नेपाल सिंह -

मान्यवर, जब भी वित्त विहीन मान्यता विद्यालय को दी जाती है तो सबसे पहले शर्त होती है कि वेतन का भाग प्रबन्धतंत्र उठायेगा। इस लिये इसमें सरकार से सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता है। देहातों में वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता दी गयी है जिसके संबंध में माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया है कि विद्यार्थियों से 100-200 रुपये फीस ली जाती है तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है और वहां केवल 10-20 रुपये फीस है।

श्री नरेन्द्र सिंह -

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा है कि हाई स्कूल और इण्टर में फीस 10-20 रुपये लीजाती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे किसी अध्यापक को 9/4 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो अध्यापकों की नियुक्ति होगी क्या उसको वेतन दिया जा सकता है?

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा में जो असमानता है बढ़ रही है उसे क्या मंत्री जी दूर करेंगे?

श्री अध्यक्ष -

यह तो आप विश्लेषण कर रहे हैं, आपने कोई प्रश्न तो पूछा नहीं इस लिये आप बैठ जायें।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब दिया है वह बहुत ही असंतोषजनक है। उन्होंने कहा है कि प्रबन्धतंत्र व्यवस्था करेगा, तो वह कहां से व्यवस्था करेगा? जैसा कि श्री नरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि प्रबन्धतंत्र को फीस बढ़ाना पड़ेगा, तो एक गरीब विद्यार्थी 100-200 रुपये फीस कहां से देगा? इसलिये क्या सरकार स्वीकार करेगी कि जिन विद्यालयों को 9/4 के अन्तर्गत मान्यता दिया है, सभी को सहायता अनुदान सूची में लेकर सहायता प्रदान करेंगे, यदि आप धन का अभाव बता रहे हैं, तो मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मैं चाहता हूं कि एजूकेशनल सेस लगा दिया जाये और जो गरीब विद्यार्थी देहातों के हैं जिन्हें शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है वह गरीबों को प्रदान कर सके। प्रबन्धतंत्र जो चाहे करे तो यह ठीक नहीं है। इसलिये प्रश्न है क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके 9/4 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं सभी को अनुदान सूची में लायेगी कि नहीं?

डा0 नेपाल सिंह -

मान्यवर ऐसा संभव नहीं है कि सेस लगाकर उनको सहायता दी जा सके।

श्री अध्यक्ष -

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शासन की ओर से वेतन अध्यापकों को देने के लिए एजूकेशन सेस लगाने का कोई प्राविधान करेंगे।

(व्यवधान)

डा0 नेपाल सिंह -

यह नीतिगत प्रश्न है इसका उत्तर यहां नहीं दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष -

यह आप कैसे कह सकते हैं यह आप नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह) -

इस तरह का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष -

एजूकशन सेस लगाने का कोई भी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह -

20 साल से अध्यापक 200 रुपया 100 रुपया में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तो क्या ऐसे अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि जो अनुदान सूची वाले स्कूल हैं उनको भी तनख्वाह मिल सके?

श्री कल्याण सिंह -

मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिसको पूरा न कर सकें। शिक्षकों का नया वेतनमान देने से 500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ा है। भत्तों से और वित्तीय भार बढ़ेगा। वित्तीय सीमितताये हमारी हैं आर्थिक सीमितताये हमारी है इस नाते जो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल -

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं पहले सहायता प्राप्त विद्यालयों की हर वर्ष सूची निर्गत होती थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी जिन विद्यालयों में 100-200 रुपये पर अध्यापक पढ़ाते हैं 9/4 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की वेतन व्यवस्था का भार केवल अभिभावकों को ही वहन करना पड़ता है तो क्या सरकार असहायता प्राप्त विद्यालयों की अनुदान सूची निर्गत करने की कृपा करेगी?

डा0 नेपाल सिंह -

14-10-86 के बाद सवित्त मान्यता थी। 1183 लोगों को वित्त विहीन मान्यता प्राप्त की गई है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, वित्त विहीन मान्यता प्रदान करना कोई निर्णय नहीं है । मेरा कहना यह है कि असहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनकी आप अनुदान सूची निर्गत करें । जो वित्त विहीन विद्यालयों को आपने मान्यता दी है वह मान लीजिए 1100 को दी है तो 50 विद्यालयों को ही ले लें । 100 रुपये में अध्यापक पढ़ा रहे हैं ज्यादा फीस ले नहीं सकते हैं शिक्षा देना आवश्यक है । ग्रामों में लोग फीस दे नहीं सकते हैं उन परिस्थितियों में विद्यालयों की अनुदान सूची निर्गत करने की कृपा करें और अल्पकालिक जो व्यवस्था है उसको समाप्त करने का कष्ट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न बहुत स्पष्ट है ।

डा0 नेपाल सिंह-

वर्ष 1986 से पूर्व 144 विद्यालय ऐसे थे जो सहायता पर नहीं थे उसमें से 72 सरकार ने ग्रेट देने के लिए कर लिए हैं । उनकी सूची तैयार कर ली गई है । 72 बचे हैं । वर्ष 1986 के बाद वित्तीय साधन को देखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस तरह के विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन दिया जा सके ।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 9 (4) के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों के जिन विद्यालयों को मान्यता दी जा रही है । जो पहले से अनुदान सूची पर हैं कोई किसी विषय में कोई किसी विषय में वहां जो विद्यालय के अन्दर असमानता है उसका समाधान कैसे करेंगे ?

डा0 नेपाल सिंह-

ऐसे विद्यालयों में जो एड पर हैं और नए विषयों के लिए 9 (4) के अन्तर्गत मान्यता दी जा रही है उनको सहायता देना सम्भव नहीं है । इसमें व्यवस्था भी नहीं है ।

जनपद अम्बेडकर नगर/फैजाबाद टाण्डा मया बाजार मार्ग के चौड़ीकरण की योजना

*7 श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा भाभा मार्ग जनपद अम्बेडकर नगर/फैजाबाद के चौड़ीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और क्या उक्त मार्ग चौड़ा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां, प्रश्नगत मार्ग का मया बाजार-टाण्डा के नाम से प्रस्ताव चौड़ीकरण हेतु विचाराधीन है ।

उक्त मार्ग के किमी 1 से 12 एवं किमी 13 से 33.50 तक लम्बाई को 5.50 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह मार्ग टाडा से लखनऊ को जोड़ने वाला मार्ग है इसी पर थर्मल प्राजक्ट पड़ता है वर्ष 1997 में 4 मई को मा0 मुख्यमंत्री मायावती द्वारा इसके चौड़ीकरण की घोषणा की गई है और उस घोषणा के प्रतिफल में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके चौड़ीकरण का शासनादेश जारी हो गया है? यदि वित्तीय संसाधन की कमी है तो इसमें से पाटेस में 33.50 कि0मी0 का मार्ग है इसमें से दो हिस्सा पड़ता है 1-12 कि0मी0 जनपद फैजाबाद में और 13-33.50 कि0मी0 जनपद अम्बेडकर नगर में पड़ता है। तो क्या इसके पाट्सवाइज चौड़ीकरण की व्यवस्था करने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री कलराज मिश्र-

इस मार्ग के लिए वहां के मुख्य अभियन्ता से आगणन मंगाया गया था जो 214 लाख रुपये का था। तो एक करोड़ से जब ऊपर का व्यय होता है तो वित्त और नियोजन के पास मामला जाता है तो यह शासकीय प्रक्रिया के कारण विलम्ब हुआ है। संसाधन अभी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक करोड़ से ऊपर व्यय होने पर वित्त और नियोजन के पास जाता है। तो इसको दो पाट्स में कर लें। अम्बेडकर नगर जनपद और फैजाबाद जनपद के पाट्स अलग-अलग बनाएं। तो दो हिस्सों में जब चौड़ीकरण होगा तो एक करोड़ की सीमा में भी रहेगा।

श्री कलराज मिश्र-

जो तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा थी वह पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड निधि के माध्यम से करने की थी। जो विलम्ब हुआ है उसका कारण यही है कि इसके लिए एक प्रक्रिया है। वित्त और नियोजन में जाने के पश्चात् उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है उसके बाद ही कार्य शुरू होता है। उसमें विलम्ब हुआ है। इसको करेंगे।

जनपद बाराबंकी में साक्षरता कार्यक्रम के धन के घोटाले की जांच शासन द्वारा कराये जाने की मांग

*8-श्री कृपा शंकर सिंह (अनुपस्थित)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी में साक्षरता कार्यक्रम के धन के घोटाले की जांच शासन द्वारा कराई गई है? क्या स्पेशल आडिट रिपोर्ट में

तत्कालीन जिला अधिकारी को पचास लाख रुपये दुरुपयोग का दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी जिला अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)-

जी हां ।

शासन स्तर से कोई स्पेशल आडिट नहीं करायी गयी थी । विभागीय आडिट रिपोर्ट में रु0 31,78,736.25 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी है ।

नियुक्ति विभाग में कार्यवाही विचाराधीन है ।

*9-श्री लाखी रामजोशी-

4थे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जिला महामाया नगर सिकन्दराराऊ में डिग्री कालेज खोलने की योजना की जानकारी

*10-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ जिला महामाया नगर में डिग्री कालेज खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक खोला जायेगा ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है । अस्थायी भवन की व्यवस्था होने पर शिक्षा सत्र 1998-99 में खोला जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि महाविद्यालय का निर्माण कब से शुरू हो जायेगा, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है, लेकिन अभी वहां पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, निर्माण कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 30 लाख रुपया भवन निर्माण हेतु स्वीकृत कर दिया गया है और शीघ्र ही भवन निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा ।

जनपद अम्बेडकर नगर की नवीन तहसील आलापुर में बने डिग्री कालेज के नाम को परिवर्तित किये जाने की मांग

*11-श्री अजय कुमार पांडेया-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अम्बेडकर नगर एवं जनपद फैजाबाद के सांसद निर्मल खत्री तथा अन्य द्वारा कोई ज्ञापन दिनांक 24-2-96

उत्तर प्रदेश सरकार को जनपद अम्बेडकर नगर की नवीन तहसील आलापुर में बने डिग्री कालेज का, जो एक ऐसे व्यक्ति के नाम किया गया जिसका कि कोई सामाजिक, राजनीतिक योगदान नहीं था, को बदल कर उक्त जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं वसुधा स्व0 मुंशी महादेव लाल के नाम करने को दिया गया था? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? जिस व्यक्ति के नाम संबंधित संस्था है, उसका शासन के रिकार्ड में क्या योगदान रहा है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं,

दिनांक 24-2-96 को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
एक स्थानीय व्यक्ति थे।

श्री अजय कुमार पोइया-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि दिनांक 24-2-96 को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक ज्ञापन पूर्व सांसद निर्मल खत्री द्वारा आलापुर तहसील में बने डिग्री कालेज का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के नाम करने के लिए दिया गया था, किन्हीं कारणवश तारीख में अन्तर हो सकता है लेकिन क्या सरकार ऐसे व्यक्ति के नाम जिसका कोई राजनीतिक, सामाजिक योगदान नहीं था, को बदलकर एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के नाम करने पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष-

आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए गलत तारीख से प्रश्न पूछेंगे तो कैसे उत्तर आयेगा?

उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुराने अध्यापकों की प्रोन्नति का मामला

*12-श्री राजधारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये-नये निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषकर विज्ञान एवं गणित को पढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुराने अध्यापकों की प्रोन्नति की नीति एवं परम्परा पर शासन विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक इस पर विचार कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति हेतु पर्याप्त प्रावधान एवं व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

* श्री राजधारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नित्यप्रति शासन के जो नये पाठ्यक्रम तय होते हैं, उनमें विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम बिल्कुल नये तरीके के हो जाते हैं और हमारे पुराने अध्यापक प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों के हैं और पाठ्यक्रम में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि हमारे पुराने अध्यापकों को कोई जानकारी नहीं है। क्या शासन कोई नीति बना रही है कि योग्य अध्यापक ऐसे विषयों के लिए उपलब्ध हों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली, 1981 के क्रमांक-5 पर यह दिया हुआ है कि सीनियर बेसिक स्कूल के अध्यापक नीचे से प्रमोट होकर जाते हैं। मान लीजिए विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं तो हम एक दिन में प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय का बन्धन नहीं है, कोई सीमायें नहीं हैं, हमें जितने भी अध्यापकों की आवश्यकता होगी हम, प्रमोट कर लेंगे। जितने भी पद रिक्त थे उनको हम भर रहे हैं, शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है कि बी0टी0सी0 प्रशिक्षित कोई बेरोजगार नहीं है, हम बी0एड0 को भी नौकरी देने जा रहे हैं।

श्री राजधारी-

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट सवाल किया था लेकिन मंत्री जी हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाये मैं योग्य अध्यापक की बात कर रहा हूं कि जो नये पाठ्यक्रम तय किये गये हैं, पुराने अध्यापक उसको पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, इसका प्रभाव विद्यालयों पर पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नये पाठ्यक्रम के तहत कोई ऐसी ट्रेनिंग पुराने अध्यापकों को देने का प्राविधान कर रही है जिससे बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो सके?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

अभी हमने कोई भी नया पाठ्यक्रम लागू नहीं किया है। दूसरी बात उस योग्यता के अनुरूप जितने भी अध्यापक हमारे नीचे आ रहे हैं उनको हम तत्काल प्रमोट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। 20 हजार लोग बी0 एड0 के आ रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी तो हम एक दिन में ऐसे लोगों को प्रमोट कर देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद गोण्डा में उत्तर व दक्षिण वन प्रभाग को वृक्षारोपण कार्य हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व प्लान से प्राप्त धनराशि का मामला एवं उसका सत्यापन

*13-श्री उबेदुरहमान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-96 से 15-4-98 तक के बीच में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा, दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग को वृक्षारोपण कार्य हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से तथा प्लान से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? कितनी संख्या में वृक्षारोपण का लक्ष्य था ? क्या लक्ष्य की पूर्ति हुई है ? वर्तमान समय में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण तथा नर्सरी सफल है ? किस-किस रेंज में 40 प्रतिशत से कम सफल है ? क्या सरकार भौतिक सत्यापन कराकर वन क्षेत्राधिकारियों को तथा उप प्रभागीय वनाधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)-

दिनांक 1-1-96 से 15-4-98 तक की अवधि में उत्तर गोण्डा तथा दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में वृक्षारोपण कार्य हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा 151.082 लाख रु0 तथा प्लान में 221.18 लाख रु0 निम्नानुसार प्राप्त हुई :-

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	धनराशि प्राप्त होने वाली मद का नाम	उपलब्ध कराई गई धनराशि (लाख रु0 में)
1	उत्तर गोण्डा	ग्राम्य विकास अभिकरण	124.939
2	दक्षिण गोण्डा	"	26.143
		योग	151.082
1	उत्तर गोण्डा	जिला प्लान	113.91
2	दक्षिण गोण्डा	"	107.27
		योग	221.18

वृक्षारोपण का लक्ष्य प्रभागवार निम्नानुसार था :-

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	लक्ष्य पौधों की संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)
1	उत्तर गोण्डा	11,94,000	1101.5 है0
2	दक्षिण गोण्डा	6,23,000	529 है0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी हां।

वर्तमान में उत्तर गोण्डा में औसतन 80% तथा दक्षिण गोण्डा में वृक्षारोपण औसतन 70% सफल है। दोनों वन प्रभागों के नर्सरियों में पौध पूर्ण रूप से सफल है।

प्रभागों में किसी भी रेंज में औसत सफलता प्रतिशत 40 से कम नहीं है।

विभाग द्वारा माह मई, 1998 में इन वृक्षारोपणों का नियमित सर्वेक्षण कराया गया है तथा वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद की रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारोपण की औसत सफलता तथा पौधालय का कार्य संतोषजनक है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों तथा उप प्रभागीय वनाधिकारियों को दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय कालोनी ऐशबाग,/लखनऊ के भवन सं0-ई0डी0 13, 79, 83, 85 तथा 93 व अन्य दर्जनों आवासों को आवंटियों द्वारा बढ़े दर पर किराये पर उठाये जाने का मामला

*14-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अवर अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड-3 के तथा मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ के भवन सं0-ई0डी0-13, 79, 83, 85 तथा 93 तथा अन्य दर्जनों आवासों को आवंटियों द्वारा बढ़े उच्च दर के किराये पर उठाया गया है? क्या यह भी सही है कि सभी सरकारी कालोनियों में आवंटियों द्वारा किराये पर सरकारी भवन दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार किराये पर उठाये गये मूल आवंटियों का आवंटन आदेश निरस्त कर उन्हें आर्थिक दण्ड देगी? क्या सरकार इसके जिम्मेदार राज्य सम्पत्ति अधिकारी को भी दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

अनुरक्षण खण्ड-3 के कतिपय आवासों तथा मोतीझील कालोनी के इंगित आवासों में आवास संख्या-79 के किराये पर उठाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

कतिपय कालोनियों में मूल अध्यासियों द्वारा अपने आवास किराये पर दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

किराये पर उठाये गये आवासों के मूल आवंटियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*15-श्री जगदम्बिका पाल-

(दिनांक 23-6-98 का अता0प्र0सं0 172 द्वारा उत्तरित)

लोक निर्माण विभाग, 39 वृत्त, लखनऊ में विद्युत अनुरक्षण खण्डों में कार्यरत अधिशासी अभियंताओं के स्थानान्तरण का मामला

*16-श्री अम्बरीष कुमार तथा डा0 राम सिंह सैनी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 39वां वृत्त लो0नि0वि0 लखनऊ में विद्युत अनुरक्षण खण्डों में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता पिछले 10 वर्षों से किस-किस खण्ड में कार्यरत हैं ? इनमें से किस-किस अधिशासी अभियन्ता को 5 वर्ष से अधिक का समय लखनऊ में स्थिति कार्यकारी खण्डों में हो गया है ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यकारी खण्डों में तैनात अधिशासी अभियन्ताओं को लखनऊ जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1 और 2 तथा अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई (विद्युत अनुरक्षण) खण्ड विद्यमान हैं, जिनमें कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं के पिछले दस वर्षों की तैनाती का विवरण संलग्न है ।

इनमें से केवल एक अधिशासी अभियंता श्री विनोद कुमार को लखनऊ स्थित कार्यकारी खण्डों में 5 वर्ष से अधिक का समय हुआ है ।

वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अनुसार श्रेणी "क" एवं "ख" के अधिकारियों के लिए प्रदेश के "कवाल" तथा अन्य बड़े नगरों में तैनाती की अवधि 7 वर्ष रखी गयी है । लखनऊ के लिए मुख्यालय के पदों की कार्यावधि को सम्मिलित करते हुए 12 वर्ष निर्धारित है ।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

39 वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में अनुरक्षण खण्डों में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं के पिछले दस वर्षों की तैनाती का विवरण

श्री उग्रसेन सिंह

1-दिनांक 21-6-88 से 20-7-88 तक	विद्युत/यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी ।
2-दिनांक 21-7-88 से 21-5-90 तक	वि0नि0इ0, लखनऊ ।
3-दिनांक 22-9-90 से 20-12-90 तक	मुख्य अभियंता कार्यालय, कुमाऊं अल्मोड़ा ।
4-दिनांक 21-12-90 से 24-3-94 तक	अ0वि0/यां0खण्ड-2, बरेली ।
5-दिनांक 25-3-94 से 22-8-95 तक	सम्बद्ध मुख्य अभियंता वि0/यां0 लखनऊ ।

6-दिनांक 23-8-95 से अब तक — अनुरक्षण खण्ड-1, लखनऊ।

श्री रनवीर सिंह

1-दिनांक 10-7-87 से 15-7-92 तक — अ0वि0नि0इ0वि0/यॉ0, देहरादून।

2-दिनांक 16-7-92 से 21-8-97 तक — वि0/यॉ0खण्ड, आगरा।

3-दिनांक 22-8-97 से 17-9-97 तक — वि0/यॉ0खण्ड, हल्द्वानी।

4-दिनांक 18-4-97 से 11-6-98 तक — सम्बद्ध प्रमुख अभियंता कार्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ।

5-दिनांक 12-6-98 से अब तक — वि0अनु0खण्ड-2, लखनऊ।

श्री विनोद कुमार

1-दिनांक 19-4-85 से 4-7-89 तक — वि0/यॉ0 खण्ड, फैजाबाद।

2-दिनांक 5-7-89 से 18-6-93 तक — यांत्रिक खण्ड-1, लखनऊ।

3-दिनांक 19-6-93 से 16-12-96 तक — वि0खण्ड-1, लखनऊ।

4-दिनांक 17-12-96 से अब तक — अ0वि0नि0ई0 (वि0अनु0) लखनऊ।

जनपद ललितपुर के विकास खण्ड, विरधा के धौरा क्षेत्र की 69 खदाने रमपुरा, मादौन कपासी आदि में खनन कार्य वर्ष 1998 में बन्द किये गये खनन कार्य को चालू किये जाने की मांग

*17-श्री हरदेव सिंह-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद ललितपुर के विकास खण्ड विरधा के धौरा क्षेत्र की 69 खदाने रमपुरा, मादौन, कपासी आदि में खनन कार्य वर्ष 1998 में बन्द कर दिया गया है जिससे पट्टा धारक व मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं? यदि हां, तो क्या बन्द खदानों को पुनः चलाने का आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जनपद ललितपुर में 76 खनन क्षेत्रों में खनन कार्य वन स्वरूप क्षेत्र में होने के कारण बन्द किया गया है, जिसमें 71 उपखनिज के तथा 5 मुख्य खनिजों के खनन पट्टे हैं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-1996 के परिप्रेक्ष्य में वन स्वरूप क्षेत्र की परिभाषा निर्धारित किये जाने के उपरांत ही इस विषय पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*18-श्री राम ललित चौधरी

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद लखनऊ के विधायक निवासों व राज्य सम्पत्ति विभाग के सरकारी कालोनियों के आस-पास अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने की मांग

*19 श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थिति विधायक निवासों और राज्य सम्पत्ति विभाग की सरकारी कालोनियों के आस-पास से अनधिकृत कब्जों को हटा दिया गया है और अनधिकृत अध्यासियों के आवासों को खाली करा लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक खाली करा लिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

लखनऊ स्थित विधायक निवासों और राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कालोनियों के परिसर से अनधिकृत कब्जों तथा अनधिकृत अध्यासनों को रिक्त कराने की कार्यवाही नियमानुसार तत्परता से की जा रही है।

*20-श्री समर पाल सिंह-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टी से लेकर लेपन स्तर तक सड़कों के निर्माण में की जा रही धांधली का मामला

1-श्री श्रीराम पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में विभाग द्वारा बनवाई जा रही मिट्टी से लेकर लेपन स्तर तक की सड़कों में प्रारम्भिक मिट्टी का कार्य मजदूरों के स्थान पर ट्रेक्टरों द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या औसतन 1 कि0मी0 सड़क बनाने में लोक निर्माण विभाग में जो आगणन स्टैन्डर्ड पूर्व से कायम है उसके स्थान पर आगणन के स्टैण्डर्ड की कोई नई नीति निर्धारित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि लेबर कम्पोनेन्ट की धनराशि का विभागीय अधिकारियों द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर अनियमितता की जा रही है ? यदि हां, तो इसमें क्या सुधार किये जा रहे हैं ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

जिला चम्पावत, लोहाघाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित एवं पर्यटन मानचित्र में लाये जाने की मांग

2-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लोहाघाट, जि0 चम्पावत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर प्रदेश स्तर पर पर्यटन मानचित्र में लाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

लोहा घाट (चम्पावत) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए पूर्व में ही लोहाघाट में 30 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया गया है तथा अतिरिक्त शैय्याओं के विस्तार हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त लोहाघाट एवं समीपवर्ती स्थलों के सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत लोहाघाट में पार्क निर्माण, बाणासुर व राजबुंग किले का सौन्दर्यीकरण, बालेश्वर मंदिर का सौन्दर्यीकरण, मार्गीय सुविधाओं के अन्तर्गत खेतीखान में रेस्ट्रा निर्माण, सुलभ शौचालय तथा सांस्कृतिक मंच निर्माण आदि कार्य सम्पन्न कराये गये हैं। समीपवर्ती स्थलों यथा श्यामलाताल, देवीधुरा, रीठासाहिब आदि स्थलों के विकास हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं। साथ ही लोहाघाट एवं समीपवर्ती स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन साहित्य का प्रकाशन भी कराया गया है तथा प्रमुख स्थलों पर सूचना पट लगाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश पनवाड़ी बिलसिया मार्ग के अन्तर्गत उरई से राठ तक की सड़क की सुधार हेतु धन आवंटन की मांग

3-श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पनवाड़ी-बिलसिया मार्ग के अन्तर्गत उरई से राठ तक सड़क की हालत अत्यन्त गम्भीर है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कोई धन इस मार्ग के लिये आवंटन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश भोगनीपुर-शिवपुरी मार्ग के निर्माण कार्य में अधिकारियों की लापरवाही की जांच

4-श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व वर्ष में भोगनीपुर-शिवपुरी मार्ग के किमी0 140 से 150 तक का निर्माण कार्य किया गया था? क्या अब सड़क पुनः क्षतिग्रस्त हो गयी है? क्या अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस सड़क का निर्माण सही नहीं हो पाया? यदि हां, तो उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सड़क कब तक पुनः ठीक कर दी जायेगी?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग के केवल 142 से 145 में राइडिंग क्वालिटी के सुधार हेतु निर्माण कार्य कराया गया था।

गत वर्ष माह नवम्बर 1997 की भीषण वर्षा के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया।

जांच के आदेश दिये जा रहें हैं।

जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक मरम्मत करा दी गई है। मार्ग सुलभ यातायात हेतु उपलब्ध है।

5-श्री छब्बू पटेल-

(चौथे मंगलवार के लिये स्थगित।

उत्तर प्रदेश सरकार के अशासकीय व शासकीय कालेजों के अध्यापकों का बोनस अंक निर्धारित करने की जानकारी

6-श्री छब्बू पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश संख्या इ-एम 91/15-7-1(102)/97, दिनांक 6 जून, 1997 एवं शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या सा (1) शिविर 3661-95/97-98 के निर्देशानुसार विज्ञापित रिक्तियों को अशासकीय विद्यालयों/इण्टर कालेजों में भी पूर्णतः मेरिट पर आधारित है? यदि हां, तो क्या सरकार सहायक अध्यापक पद के लिये स्नातकोत्तर डिग्री पर बोनस अंक प्रदान कर रही है? यदि हां, तो कितने अंक? क्या सरकार सहायक अध्यापक पद के लिये स्नातकोत्तर डिप्लोमा पर भी बोनस अंक दे रही है? यदि हां, तो कितने अंक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

पूर्णतः गुणवत्ता बिन्दु के आधार पर।

जी नहीं, बल्कि गुणवत्ता के आधार पर अंक दिये जा रहे है। गुणवत्ता अंक निम्नवत् है:-

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
स्नातकोत्तर	15	10	5

जी नहीं।

नियमावली में प्राविधान नहीं हैं।

यू0 पी0 स्टेट हार्टीकल्चर प्रोडक्ट्स् मारकेटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला एवं अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग

7-श्री अजय कुमार पांडेया-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन के सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1973/चौवालिस-2-123/91, दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 के अन्तर्गत यू0 पी0 स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोडक्ट्स मारकेटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कितने कर्मचारियों की छटनी की गयी है? इन छटनीशुदा कर्मचारियों की सूची में कितने कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में उक्त शासनादेश में निहित शर्तों के अधीन नियुक्ति दी गयी है?

श्री कलराज मिश्र-

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1973/चौवालिस-2-123/91, दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 के अन्तर्गत यू0पी0 स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मारकेटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के 330 कर्मचारियों की छटनी की गई थी।

उक्त शासनादेश, दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 में निहित शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में किसी भी कर्मचारी की नियमित नियुक्ति नहीं हुई है।

8-श्री अजय कुमार पांडेया-

क्या सरकार उक्त सन्दर्भ में यह भी बताने का कष्ट करेगी कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका नाम उक्त सूची में नहीं है परन्तु उनके द्वारा छटनीशुदा कर्मचारी होने का फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर, उनकी नियुक्ति अवैध ढंग से की गयी है? क्या सरकार ऐसी अवैध नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करते हुए उक्त निगम के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

निर्माण निगम में हार्टिकों के किसी छटनीशुदा कर्मचारी की नियमित नियुक्ति नहीं की गई है, अतः अवैध नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के बरनावां दाहा मार्ग के पुनर्निर्माण एवं चौड़ा करने की मांग

9-श्री समर पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बागपत जनपद के बरनावां दाहा मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चलने योग्य नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार के विचाराधीन इसके पुनर्निर्माण एवं चौड़ा करने की कोई योजना है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

अत्यधिक यातायात व आबादी वाले भागों में वर्षा ऋतु में जल-भराव के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होता रहता है जिसको सीमित संसाधनों से यथासंभव ठीक कर दिया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में सरधना-मुल्हेडा मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग

10-श्री समर पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मेरठ जनपद में सरधना-मुल्हेडा मार्ग खराब होने के कारण अवरुद्ध है और बस सेवा बन्द है? क्या सरकार के विचाराधीन उपरोक्त सड़क के पुनर्निर्माण की कोई योजना है? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

उल्लिखित सड़क पर मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम कुतुबपुर को अम्बेडकर ग्राम चयनित कर मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

11-डा0 धर्मेन्द्र मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम कुतुबपुर को अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् भी उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या शासन अब उक्त अम्बेडकर ग्राम को मुख्य सड़क

से जोड़ेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम रुपइया को अम्बेडकर ग्राम चयनित कर मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

12-डा0 धर्मेश मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम रुपइया को अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् भी उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या शासन उक्त अम्बेडकर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा इसे मार्च, 1999 तक पूरा किया जाना लक्षित है। उपरोक्तानुसार।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने की मांग

13-श्री राम पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत किन-किन तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 8 वर्ष की राजकीय सेवा मार्च, 1995 से मार्च, 1998 के मध्य पूरी हो चुकी है या हो जायेगी? किन-किन कर्मचारियों ने सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये जाने का प्रार्थना-पत्र लोक निर्माण अनुभाग-4 को अग्रसारित करवा कर प्रस्तुत किया है? शासनादेश संख्या-बे0आ0-1-166/दस-12एम/95, दिनांक 8 मार्च, 1995 के साथ पठित शासनादेश संख्या बे0आ0-1-84/दस-12-95, दिनांक 5-2-1997 के अनुसार 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले प्रत्येक अर्ह कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा क्या-क्या कार्यवाही अवशेष रह गयी है? सरकार कब तक प्रत्येक कर्मचारियों को देय सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति का आदेश निर्गत करवा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत

श्री मो0 अनीस, चालक की दिनांक मार्च, 95 में श्री सगीरउल्ला, वरिष्ठ अनुसेवक की दिनांक जून, 95 में एवं श्री अनिलकुमार निगम, वरिष्ठ सहायक तथा श्री सन्तराम वरिष्ठ लिपिक की दिनांक फरवरी, 98 में 08 वर्ष की राजकीय सेवा मार्च, 1995 से मार्च, 1998 के मध्य पूरी हो चुकी है।

उक्त सभी कर्मचारियों के सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये जाने के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं।

उक्त कर्मचारियों में मो0 अनीस, चालक को दिनांक 01-3-95 से 08 वर्षीय सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है। श्री सगीरउल्ला, वरिष्ठ अनुसेवक का आवेदन-पत्र दिनांक 10.6.98 को प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

शासनादेश संख्या-प0मा0नि0-356-दस-22(एम)/97, दिनांक 23-12-97 द्वारा दिनांक 01-01-96 के बाद उक्त सुविधा स्थगित कर दिये जाने के कारण श्री अनिल कुमार निगम तथा श्री सन्तराम जिनकी 08 वर्ष की सेवा फरवरी, 98 में पूरी हुयी है, को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के ग्राम डकोर में रा0उ0मा0वि0 के प्रारम्भ होने की जानकारी एवं उसके भवन निर्माण कराये जाने की मांग

14-श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के ग्राम डकोर में रा0उ0मा0वि0 कब से प्रारम्भ हुआ था? क्या उसका भवन निर्माण कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डकोर जनपद जालौन वर्ष 1973-74 में प्रारम्भ हुआ था।

जी नहीं।

जिला योजनान्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन के निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण योजना में जनपद जालौन के लिये परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग

15-श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कितने राजकीय विद्यालयों के भवन नहीं हैं? क्या सरकार की कोई योजना भवन

निर्माण कराये जाने के संबंध में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नेपाल सिंह -

127, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय इण्टर कालेजों के भवन नहीं है ।

जी हां, जिला योजनान्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय नामक योजना संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16-श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

(तीसरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में वनों के अवैध कटाई से हो रही सरकारी हानि एवं निरोधात्मक कार्यवाही की मांग

17-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में वनों के अवैध कटाई से पर्यावरण सरकार को करोड़ों की नुकसान होता है ? वर्ष 1995-96 तथा 1997 में अब तक कितने ऐसे मामले प्रकाश में आये और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जी हां ।

वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में अब तक अवैध कटान के जो मामले प्रकाश में आये हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	अवैध कटान के मामले	कटे वृक्षों का मूल्य (रूपये लाख में)	जब्त प्रकाष्ट का मूल्य (रूपये लाख में)	वसूल किया गया प्रतिकर (रूपये लाख में)
1995-96	17901	358.00	217.13	85.20
1996-97	20304	442.66	334.58	151.08
1997-98 अनन्तिम	11635	222.149	144.481	110.368

अवैध कटान की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुये शासन द्वारा वर्तमान में 27 जनपदों में स्थित 34 वन प्रभागों को संवेदनशील घोषित करते हुए इन वन प्रभागों में वन कर्मियों को आग्नेयास्त्र, वायरलेस सेट आवंटित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अवैध कटान में लिप्त वन माफियाओं को चिन्हित कर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है ।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ मेंलालगंज बाईपासमार्ग के निर्माण में खर्च हुए धन की जानकारी एवं निर्माण कार्य में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच तथा कार्यवाही की मांग

18-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज बाईपास मार्ग के निर्माण में विगत आठ वर्षों में अब तक कितना धन खर्च हुआ है? पर्याप्त धन खर्च हो जाने के बाद भी बाईपास मार्ग के अब तक चालू न हो पाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी लालगंज बाईपास मार्ग के निर्माण में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करके कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

रु0 4.00 लाख।

यातायात चालू है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम दृष्टया कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी प्रतीत नहीं होता है।

जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत कटघर लालगंज में स्थित बालिका जूनियर हाईस्कूल को उच्चीकृत कर हाई स्कूल बनाने की मांग

19-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में नगर पंचायत कटघर लालगंज में स्थित बालिका जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करके बालिका हाई स्कूल बनाने की योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो विद्यालय कब तक उच्चीकृत कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला प्लान के अन्तर्गत परिव्यय/प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण उच्चीकरण वर्तमान में सम्भव नहीं है। यह कार्यक्रम केवल जिला योजना में उपलब्ध है और यदि जिला प्लान में प्रस्ताव प्राप्त होता है तो तत्काल उच्चीकरण कराया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ में नगर पंचायत लालगंज के अन्दर बालिका विद्यालय के लिये आरक्षित भूमि के उपयोग का मामला

20-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में नगर पंचायत लालगंज के अन्दर बालिका विद्यालय के लिए आरक्षित पांच एकड़ भूमि

का उपयोग करते हुए राजकीय बालिका हाई स्कूल चलाने की योजना पूर्ण की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1998-99 हेतु जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव के प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों में पैच वर्क एवं नवीनीकरण की मांग तथा खर्च हुई धनराशि की जानकारी

21-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितनी सड़कों पर वर्ष 1997-98 में पैच वर्क कितने कि0मी0 किया गया एवं कितनी कि0मी0 सड़कों का नवीनीकरण किया गया है? इस पर कुल कितना धन व्यय हुआ?

श्री कलराज मिश्र-

(क) जनपद आजमगढ़ में कुल 100 सड़कों पर 155 कि0मी0 में पैच मरम्मत का कार्य किया गया।

(ख) कुल 179 कि0मी0 नवीनीकरण किया गया जिस पर कुल रु0 110.19 लाख का व्यय हुआ।

क्वांटीनेंटल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़, जिला छत्रपति शाहूजी महराजनगर का निर्माण कार्य एवं फैक्ट्री चालू कराने की मांग

22-श्री दद्दू प्रसाद-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्वांटीनेंटल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़, जिला छत्रपति शाहूजी महराजनगर का निर्माण कार्य रुका पड़ा है? यदि हां, तो क्यों? इसमें कितनी पूंजी लग चुकी है? सरकार इस फैक्ट्री को कब तक चालू करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

सम्प्रति परियोजना में सहप्रवर्तक का चयन न हो पाने के कारण परियोजना का कार्य वर्तमान में रूका हुआ है।

इस परियोजना में कुल रु0 193.00 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा फैक्ट्री के उपकरणों की नीलामी का प्रकरण

मा0 न्यायालय में लंबित है। सह-प्रवर्तक न होने के कारण तथा विषय मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण फैक्ट्री को चालू करना सम्प्रति संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी ग्रा0 व पो0 हरनादायर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में दायर रिट याचिका के निर्णय के अनुपालन हेतु प्रेषित प्रार्थना-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

23-श्री राम विशुन आजाद-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, ग्राम व पो0-हरनादायर द्वारा दिनांक 16-1-93 को प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, उ0प्र0 वन निगम गोण्डा को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ की रिट पिटीशन संख्या-1035 (53), दिनांक 2-2-93 के अनुपालन में प्रार्थना-पत्र दिया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में बेसिक शिक्षा विभागके अन्तर्गत क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय, गोखरई के पुनर्निर्माण की मांग

24-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-5-1997 जो क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय गोखरई, जनपद बांदा के पुनर्निर्माण के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां, संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम पियासीडेरा मजरा संबादा में स्कूल के शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग

25-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 5-6-97 का प्रश्नकर्ता का पत्र जो ग्राम पियासीडेरा मजरा संबादा विकास खण्ड जसपुरा बांदा में स्वीकृत स्कूल

के शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक भवन निर्माण न कराये जाने के कारण क्या हैं ? क्या विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हाँ।

भूमि उपलब्ध न हो पाने के फलस्वरूप भवन निर्माण में विलम्ब हुआ था। भूमि उपलब्ध होने पर, निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया। निर्माण कार्य 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहन लाल श्रीवास्तव हेल्पर से कनिष्ठ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को वर्कचार्ज में न लिये जाने की जांच एवं कार्यवाही की मांग

26-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रतन देवी का पुत्र श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दिनांक 5-3-98 जो श्री सोहन लाल श्रीवास्तव, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वर्कचार्ज के पद पर न लिए जाने एवं उनसे जूनियर लोगों को वर्कचार्ज के पद पर लिए जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

जांचोपरान्त यह पाया गया है कि श्री सोहन लाल श्रीवास्तव (हेल्पर) से कनिष्ठ किसी दैनिक वेतन भोगी हेल्पर को वर्कचार्ज में नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद वाराणसी के जंगमबाड़ी क्षेत्र में पुनः सड़क धंस जाने की जांच एवं पुनर्निर्माण की मांग

27-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 में वाराणसी के जंगमबाड़ी क्षेत्र में सड़क धंस जाने पर उसकी मरम्मत में कौन से कार्य कराये गये और उस पर कितनी लागत आयी ? क्या अप्रैल, 1998 में उक्त सड़क पुनः धंस गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री कलराज मिश्र-

वर्ष 1997 में मार्ग के बीच से गुजर रहे नगर निगम के नाले के क्षतिग्रस्त होने से लोक निर्माण विभाग की सड़क धंस गई थी, जिसकी मरम्मत में निम्नलिखित कार्य कराये गये थे :-

(1) बालू की भराई।

(2) स्टोन बैलास्ट की भराई। उक्त कार्य पर रु0 4,450.00 की लागत आयी।

जी हाँ।

नगर निगम के अधीन मार्ग के बीच से गुजर रहे नाले की आन्तरिक छत क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क पुनः धंस गई।

28-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद मेरठ महानगर में बीर मंगल पाण्डे के नाम पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

29-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर में बीर मंगल पाण्डे के नाम पर राजकीय डिग्री कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? उस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ, दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

राजकीय महाविद्यालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री के0 एन0 दीक्षित निर्माण खण्ड-1, पैलानी, जसपुरा सुमेरपुर मार्ग व फतेहपुर मार्ग की पुलिया की जांच एवं कार्यवाही की मांग

30-श्री दद्दू प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 एन0 दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, बांदा के विरूद्ध पैलानी जसपुरा सुमेरपुर मार्ग की पुलिया 6/1 तथा बांदा तिन्दवारी फतेहपुर मार्ग की पुलिया 296/2 की टी0ए0सी0

द्वारा जांच के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, बांदा-हमीरपुर वृत्त, बांदा के पत्रांक 2066/385/शिकायत-बांह/96, दिनांक 31-12-96 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त कराया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

अनुशासनिक जांच कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन और नाम निर्देशन

31-श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा समितियों में जनपदवाइज सरकार द्वारा सदस्यों को नामित करने की नीति क्या है और उसमें सामान्य, पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति के सदस्यों को नामित करने का क्या कोई प्रतिशत का आधार बनाया गया है? क्या यह सच है कि जनपद मैनपुरी में इस समिति में नामित किये गये सदस्यों का कोई मानक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मनोनयन समाप्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-10 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन और नाम निर्देशन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा समितियां (सदस्यों के चयन और नाम-निर्देशन की रीति) नियमावली, 1992 की धारा-3 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में ब्लाक सुल्तानगंज में ग्राम-महौली खेड़ा से गोविन्दपुर तक व ब्लाक बेवर में ग्राम कुशलपुर से बागपुर तक की सड़कें बनवाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

32-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में ब्लाक सुल्तानगंज में ग्राम महौली खेड़ा से गोविन्दपुर तक तथा ब्लाक बेवर में ग्राम कुशलपुर से बागपुर तक प्रश्नकर्ता का पक्की सड़कें बनवाये जाने के संबंध में पत्र संख्या-एम-3-8-32/मैनपुरी/96

दिनांक 18-12-96 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त दोनों सड़कें वित्तीय वर्ष 1997-98 में राज्य सेक्टर से बनवायेगी ?

श्री कलराज मिश्र-

अभिलेखों के अनुसार पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । वर्ष 1997-98 समाप्त हो चुका है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फतेहपुर के विद्यालयों के पुनर्निर्माण में हुई धाँधली की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

33-श्री मुरलीधर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फतेहपुर के पत्रांक 3166/जरोयो-लेखा/97-98, दिनांक 2/3 फरवरी, 1998 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर को भवनहीन प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु रु0 16.20 लाख दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग निदेशानुसार कराया गया है ? क्या यह सही है कि खण्ड विकास स्तर पर पंजीकृत मजदूरों से काम न कराकर ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया गया है ? क्या उक्त धन से किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं तो क्या भौतिक सत्यापन कराकर इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फतेहपुर ने संदर्भगत पत्र दिनांक 2/3 फरवरी, 1998 द्वारा भवनहीन 20 विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए रु0 16.20 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रु0 8.10 लाख, अभी तक अवमुक्त की है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

भौतिक सत्यापन कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फतेहपुर के कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि तथा उपभोग की जानकारी एवं जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

34-श्री मुरलीधर-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फतेहपुर के पत्रांक 3438/जरोयो-लेखा/97-98, दिनांक 30 मार्च, 1998 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, जनपद फतेहपुर को वृक्षारोपण हेतु रु0 24.164 लाख दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग निदेशानुसार कराया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त धन से किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन कराया गया? यदि नहीं, तो क्या भौतिक सत्यापन कराकर इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब?

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

जी हां।

जांच की जा रही है।

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से भौतिक सत्यापन कार्य प्रगति पर है।

सत्यापन की रिपोर्ट मिलने के बाद अनियमितता पाये जाने की स्थिति में दोषी के विरुद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर सामाजिक वानिकी कार्य हेतु स्वीकृति धनराशि में की गयी अनियमितता की जांच एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की मांग

35-श्री मुरलीधर-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फतेहपुर के पत्रांक 3455/जरोयो-लेखा/97-98, दिनांक 30 मार्च, 1998 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, जनपद फतेहपुर को सामाजिक वानिकी कार्य हेतु रुपया 14.936 लाख दिया गया है? यदि हां, तो क्या जवाहर रोजगार योजना के मार्ग निदेशानुसार कार्य कराया गया है? क्या यह सही है कि खण्ड विकास स्तर पर पंजीकृत मजदूरों से काम न कराकर ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया गया? क्या उक्त धन से किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन कराकर इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब?

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

जी हां।

जांच कराई जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से भौतिक सत्यापन कार्य प्रगति पर है। भौतिक सत्यापन कार्य प्रगति पर है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनियमितता पाये जाने की स्थिति में दोषी के विरूद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

36-श्री मुरलीधर-

[दूसरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

37-श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री नेतराम सिंह तथा श्री राम सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

बाराबंकी गोण्डा रोड पर मसौली चौराहा से ग्राम मसौली तक के डामर रोड की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

38-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बाराबंकी गोण्डा रोड पर मसौली चौराहा से ग्राम मसौली तक जो डामर रोड अभी कुछ महीने पहले बनी है वह क्षतिग्रस्त हो रही है तथा डामर व रोड़ी कम पड़ने के कारण उसमें गढ्ढे पड़ गये है? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। मसौली फीडर मार्ग के कुछ हिस्से में पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण सड़क के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहती है। इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है।

जनपद बाराबंकी में ब्लाक हरख के अन्तर्गत ग्राम तरिगांव से ग्राम टिकरा घाट तक लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी सड़क निर्माण की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

39-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में ब्लाक हरख के अन्तर्गत ग्राम तरिगांव से ग्राम टिकरा घाट तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण हुआ था? क्या यह सही है कि निर्माण के नाम पर केवल बजरी व पत्थर डाल दिया गया है जिसमें आवागमन और कठिन हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

यह सही है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण कार्य अपूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में गाड़ियों की हो रही चोरियों पर रोक लगाने के लिये सरकार से समुचित प्रबन्ध की मांग

40-श्री अजय कुमार पांडेया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में वर्षवार कितनी दो पहिया वाहन तथा साइकिलें सचिवालय परिसर के भीतर से चोरी हुई है? उनमें से अब तक कितनी बरामद हुई हैं? क्या इन चोरियों पर अंकुश लगाने के लिये सरकार समुचित प्रबन्ध कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

सचिवालय परिसर में विगत पांच वर्षों में चोरी हुए दो पहिया वाहनों/साइकिलों की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	मोटर साइकिल/स्कूटर	साइकिल
1994	01	06
1995	06	06
1996	04	02
1997	04	14
1998	07	01

उपलब्ध सूचनानुसार कोई मोटर साइकिल/स्कूटर बरामद नहीं हुई है केवल दो साइकिलें बरामद हुई हैं।

इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूटर/साइकिल स्टेण्ड पर होमगार्डों की भी दो पालियों में तैनाती की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आदर्श विद्यालय के दीक्षा विद्यालय के अध्यापकों की सी0 टी0 संवर्ग में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत की गयी पदोन्नति का मामला

41-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालय से संलग्न दीक्षा विद्यालय के अध्यापकों की सी0 टी0 संवर्ग में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत 50 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति की गई? क्या वर्ष 1989 में सी0टी0 संवर्ग समाप्त होने

पर गढ़वाल मण्डल के दीक्षा विद्यालयों से संबंधित अध्यापकों की 10 वर्ष की सेवा पर बी0 टी0 सी0 से एल0 टी0 में संविलीन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि कुमायूं मण्डल के राजकीय आदर्श विद्यालयों के समस्त अध्यापक सी0 टी0 से 10 वर्ष की नियमित व सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त एल0 टी0 में संविलीन हो गये हैं? यदि हां, तो गढ़वाल मण्डल में ऐसे पदधारी व इसी प्रकृति के शिक्षकों को उक्त लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया? उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा?

डा0 नेपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

42-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।)

43-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

(दिनांक 23-6-98 को अता0 प्र0 सं0-142 द्वारा उत्तरित।)

44-श्री राम पाल-

(दिनांक 26-6-98 को अता0 प्र0 सं0-182 द्वारा उत्तरित।)

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद जालौन को वर्ष 1996-97, 1997-98 में सड़कों की मरम्मत हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के गबन का मामला

45-श्री श्रीराम पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन को वर्ष 1996-97, 1997-98 में सड़कों की मरम्मत हेतु विभाग की जनपद में कार्यरत इकाइयों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी तथा उनके द्वारा क्या-क्या और कहां-कहां कार्य कराये गये हैं? क्या यह सच है कि मरम्मत की धनराशि का विभाग की इकाइयों द्वारा गबन किया गया है? यदि हां, तो क्या कार्यों का सत्यापन व मूल्यांकन कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

वर्ष 96-97 में कुल रु0 231.04 लाख एवं वर्ष 97-98 में 325.65 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है इस धनराशि से नवीनीकरण फेरी पैच रिपेयर सामान्य मरम्मत श्रमिकों का वेतन एवं विशेष मरम्मत के कार्य कराये गये हैं। विस्तृत विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

इस बिन्दु पर जांच कराने के आदेश दिये जा रहे हैं।

जी हां।

जांच आख्या की उपलब्धता एवं उसके परिणाम के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 246 पर]

जनपद झांसी और जालौन को जोड़ने हेतु बेतवा नदी पर पुल निर्माण की मांग

46-श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने कृपा करेंगे कि झांसी और जालौन जनपद को जोड़ने हेतु बेतवा नदी पर कितने अस्थाई एवं कच्चे पुलों का निर्माण किया जाना है? क्या सैदनगर घाट पर पक्का पुल/रपटा बनाने की सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

कोई नहीं।

जी नहीं।

राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

श्री रामजीत सिंह, ग्राम सम्भावा ब्लाक मोरीगंज, जिला सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 29.12.97 को प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

47-श्री तेजभान सिंह-

क्या अनौपचारिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनौपचारिक शिक्षाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री रामजीत सिंह, ग्राम सम्भावा, ब्लाक मोरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र, दिनांक 29-12-97 जिसमें मनमाने ढंग से अनौपचारिक अनुदेशकों को हटाने तथा नियुक्त करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी जांच कब और किसने की है तथा जांच परिणाम क्या है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

श्री रामजीत सिंह नहीं बल्कि श्री रफजीत सिंह ग्राम सम्भावा ब्लाक मोरीगंज, सुल्तानपुर का पत्र, दिनांक 29.12.97 प्राप्त हुआ है।

शिकायत की जांच दिनांक 21.3.98 को श्री राम अचल, परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा) अखण्डनगर द्वारा की गयी है।

शिकायत निराधार एवम् असत्य पायी गयी है।

जनपद बागपत व मेरठ में प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्तियों की मांग

48-श्री समरपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत व मेरठ जनपद में प्राइमरी पाठशालाओं में कितने अध्यापकों की कमी है? कब तक अध्यापकों की

नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

निर्धारित मानक के अनुसार जनपद मेरठ में 268 तथा बागपत में एक अध्यापक की कमी है।

नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज की सड़कों पर खड़ंजा एवं लेपन कार्य की मांग

49-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में कितनी सड़कें खड़ंजा एवं लेपन स्तर तक 1997-98 तथा 1998-99 में स्वीकृत हुई हैं और उन पर कार्य किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है? कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में खड़ंजा स्तर तक कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

वर्ष 1997-98 में निम्नलिखित मार्ग लेपन स्तर तक स्वीकृत हैं। इन मार्गों में से क्रमांक 1. पर उल्लिखित मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा क्रमांक-2, 3 तथा 4 पर अंकित मार्गों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रारम्भ कराया जायेगा।

1- पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत एनीहतैन्सी सम्पर्क मार्ग।

2- बहराइच-बाराबंकी बांदा मार्ग से उफ्थी सम्पर्क मार्ग।

3- बहराइच-बाराबंकी-बांदा मार्ग से मरौठी सम्पर्क मार्ग।

4- बहराइच-हुजूरपुर मार्ग से भगहा सम्पर्क मार्ग।

वर्ष 1998-99 का बजट पारित न होने के कारण सम्प्रति कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बहराइच में वर्तमान शिक्षा सत्र में नकल अध्यादेश के तहत पकड़े गये छात्र/छात्राओं के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी तथा नकल अध्यादेश वापस लेने की सरकार से मांग-

50-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जनपद में वर्तमान शिक्षा सत्र में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षा में कितने छात्र/छात्रायें नकल अध्यादेश के तहत जेल भेजे गये हैं? कितने निजी मुचलके पर छोड़े गये हैं? कितने अधिकारी एवं कर्मचारी इसमें दोषी पाये गये थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि हुकुम सिंह इण्टरमीडिएट कालेज, कैसरगंज व जय जवान जय किसान इण्टर कालेज, जरवल टाऊन और किसान इन्टर कालेज, जरवल रोड, किसान हाई स्कूल, हुजूरपुर व राजकीय विद्यालय, भगड़वा में कितने छात्र/छात्रायें नकल करते पकड़े गये तथा कितने जेल गये और क्या सरकार नकल अध्यादेश वापस लेने पर पुनः विचार करेगी?

डा0 नेपाल सिंह-

कोई नहीं।

उक्त जनपद में निजी मुचलके पर छोड़े गये परीक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :-

बालक	बालिका	योग
128	12	140

दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या शून्य है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षा केन्द्र का नाम	पकड़े गये परीक्षार्थी		जेल भेजे गये परीक्षार्थी
	बालक	बालिका	
1- हुकुम सिंह इ0का0 कैसरगंज, बहराइच	08	02	शून्य
2- जय जवान जय किसान इ0का0, जरवल टाउन	08	00	"
3- किसान इ0का0, जरवल रोड	10	01	"
4- किसान हाई स्कूल, हुजूरपुर	02	02	"
5- राजकीय हाई स्कूल, भगड़वा	परीक्षा केन्द्र नहीं था।		

जी नहीं।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2, सीतापुर के विरुद्ध श्री राम किशोर बघेल, महासचिव हिन्द किसान संगठन, उ0प्र0 के ज्ञापन-पत्र पर कृत कार्यवाही

51-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 सीतापुर के विरुद्ध श्री राम किशोर बघेल, महासचिव हिन्द किसान संगठन, उ0प्र0 के ज्ञापन दिनांक 20-11-96 शासन के आदेश संख्या 142/23-6/97-52 (1)इ0य0म0/97 द्वारा गठित जांच रिपोर्ट पर आख्या प्राप्त कर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

श्री राम किशोर बघेल, महासचिव हिन्द किसान संगठन, उ0प्र0 के ज्ञापन-पत्र दिनांक 20-11-96 तथा अन्य शिकायतों के आधार पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, सीतापुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी थी। परन्तु माननीय लोक सेवा अधिकरण द्वारा निदेश याचिका संख्या-1630/97 में पारित आदेश दिनांक 26-9-97 के अनुपालन में अनुशासनिक कार्यवाही निरस्त की जा चुकी है। उक्त ज्ञापन पर कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 9-5-97 के अनुसार शिकायतकर्ता से पुष्टि कराने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। शिकायतकर्ता से पुष्टि एवं साक्ष्य प्रतीक्षित है।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड, साउघाट में सिहारी तरेहा मार्ग की जांच का मामला

52-श्री राम ललित चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड, साउघाट में सिहारी तरेहा मार्ग के संबंध में माह मई, 1998 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

पाविधिक सम्परीक्षा काष्ठ, लो0 नि0 विभाग, उ0 प्र0 से जांच कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में बाईपास से मनोढ़ी राज मार्ग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53-श्री राम ललित चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह मई, 1998 के प्रथम सप्ताह में जनपद बस्ती में बाईपास से मनोढ़ी राज मार्ग के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से जांच कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड, सल्टौआ गोपालपुर में सल्टौआ रुदलापुर मार्ग तथा सल्टौआ-मानिक चन्द मार्ग पर विशुनपुरवा मार्ग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र तथा जांच आख्या की जानकारी

54-श्री राम ललित चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खंड, सल्टौआ, गोपालपुर में सल्टौआ रुदलापुर मार्ग तथा सल्टौआ-मानिक चन्द मार्ग पर विशुनपुरवा मार्ग के संबंध में माह मई, 1998 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लो0 नि0 विभाग, उत्तर प्रदेश से जांच कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 गणेश कृष्ण जेतली इण्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा प्रेषित पत्र एवं कार्यवाही की जानकारी

55-श्री अजय कुमार पाइया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 गणेश कृष्ण जेतली

इण्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा आयोजित केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा कोई पत्र पत्रांक परीक्षा 09/97-98, दिनांक 23-3-98 जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर को लिखा है जिसकी प्रति अपर सचिव मा0 शि0 प0, अदेली बाजार, वाराणसी को भी भेजी गयी है? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह -

जी हां।

संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुई है।

संबंधित अध्यापक के स्थान पर अन्य अध्यापक द्वारा परिषद परीक्षा के कार्य का सम्पादित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 गणेश कृष्ण जेतली, इण्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर व परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक द्वारा दिनांक 3-4-98 को प्रेषित-पत्र की जानकारी एवं उक्त संबंध में कार्यवाही की मांग

56-श्री अजय कुमार पाण्डेय -

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 गणेश कृष्ण जेतली, इण्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा कोई पत्र अचल सहायक अध्यापक पत्रांक 01/98-99, दिनांक 3-4-98 को लिखा गया है जिसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद अम्बेडकर नगर व अपर सचिव मा0 शि0 प0 अदेली बाजार, वाराणसी को भी भेजी गयी है? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह -

जी हां।

कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में संस्था प्रबन्धक को किया जाना है जिनसे सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में प्रधान द्वारा किये गये घोटाले की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

57-श्री राम औतार शाक्य -

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लक्ष्मनपुर मौजा सकल बेबर जनपद मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में प्रधान द्वारा किये गये

घाटाल के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, मनपुरी का दिया गया शिकायती-पत्र दिनांक 8-3-98 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त भवन निर्माण हेतु तीसरी किश्त प्रधान के अलावा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा लगवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड, बेवर एवं अधिशासी अभियन्ता आर0 ई0 एस0, मैनपुरी से शिकायत के बिन्दुओं पर जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु 1990 से अब तक प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई विदेशी सहायता, व्यय का विवरण एवं विकास कार्य की जानकारी

58-श्री राम औतार शाक्य-

क्या पर्यटन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 1990 से लेकर अब तक उ0 प्र0 में बौद्ध पर्यटकों स्थलों के विकास हेतु प्रतिवर्ष कितनी-कितनी विदेशी सहायता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई? क्या सरकार बतायेगी कि अब तक उक्त मद में से किन मदों पर धन खर्च किया गया है? संकिसा बौद्ध पर्यटक स्थल जनपद फर्रुखाबाद में इन विगत वर्षों में अब तक क्या-क्या विकास कार्य किये गये?

श्री कलराज मिश्र-

प्रदेश में बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के सृजन हेतु कार्यान्वित की गयी बौद्ध परिपथ परियोजना हेतु ओ0 ई0 सी0 एफ0 (जापान) से प्राप्त सहायता के रूप में वर्षवार निम्नवत् प्राप्ति हुई है:-

		धनराशि लाख रु0 में
1.	1991-92	223.61
2.	1992-93	शून्य
3.	1993-94	129.99
4.	1994-95	766.78
5.	1995-96	1703.73
6.	1996-97	3513.00
7.	1997-98	37.61
	योग	6374.72 लाख

2-उक्त मद में प्रदेश में बौद्ध परिपथ में पड़ने वाले राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण, कुशीनगर एवं सारनाथ में लैण्ड स्केपिंग/सौन्दर्यीकरण, कुशीनगर में जलापूर्ति एवं सफाई, विद्युतीकरण तथा दोहरीघाट एवं गाजीपुर में पर्यटकों हेतु मार्गीय सुविधा के कार्यों पर धनराशि व्यय की गयी है।

3-सकिसा, जनपद फर्रूखाबाद में इन विगत वर्षों में 50 शैय्यायुक्त एक पर्यटक आवास गृह, एक सुलभ प्रसाधन एवं पेयजल की व्यवस्था की गयी है।

जनपद बांदा के पं0 जवाहर लाल नेहरू अखण्ड इण्टर कालेज चंदवारा के प्रबन्धक से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराये जाने की मांग

59-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत पंडित जवाहर लाल नेहरू अखण्ड इण्टर कालेज चंदवारा के प्रबन्धक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी प्रधानाचार्य के पद पर कार्य भार ग्रहण व वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? क्या वेतन का शीघ्र भुगतान किया जायेगा? क्या मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

प्रश्नगत विद्यालय के प्रबन्ध संचालक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में प्रधानाचार्य के पद पर श्री बैजनाथ यादव को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है। निदेशालय के पत्र दिनांक 25.6.98 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा को श्री यादव को नियमानुसार शीघ्र वेतन भुगतान किये जाने की कार्यवाही करने के निदेश दे दिये गये हैं।

जनपद बांदा के ग्राम इछावर व जनपद फतेहपुर के ग्राम बिन्दौर के बीच यमुना नदी पर पैन्टून सेतु निर्माण की मांग

60-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ग्राम इछावर व जनपद फतेहपुर के ग्राम बिन्दौर के बीच यमुना नदी पर पैन्टून पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? क्या यह सही है कि पैन्टून पुल का प्राक्कलन मंगाया जा चुका है? यदि हां, तो कब तक धन आवंटित कर निर्माण शुरू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

जी हां।

पैन्टून सेतु की वृहद् लागत को दृष्टिगत रखते हुए इसे राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों से स्वीकृति किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बांदा के विकास खण्ड, जसपुरा अन्तर्गत तुर्रा नाला पैलानी लसड़ा - मार्ग में पुल निर्माण कराये जाने की मांग

61-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड, जसपुरा अन्तर्गत सिंधन कला के पास तुर्रा नाला पैलानी लसड़ा मार्ग में लगभग 90 मीटर पुल जिसका शिलान्यास तत्कालीन राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किया जा चुका है, का निर्माण प्रारम्भ न किये जाने के कारण क्या है ? पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

सीमित संसाधनों की स्थिति में स्वीकृति निरस्त कर दिये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

62-श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"

चौथे शुक्रवार में आ0 प्र0 सं0 154 पर स्थानान्तरित

राजकीय बालिका विद्यालय गहमर, गाजीपुर के प्रवक्ता अर्थशास्त्र के स्थानान्तरण की जानकारी

63-श्री छब्बू पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रवक्ता अर्थशास्त्र राजकीय बालिका विद्यालय गहमर, गाजीपुर का स्थानान्तरण गत वर्ष (1997) राजकीय इण्टर कालेज दिलदार नगर, गाजीपुर किया गया है ? यदि हां, तो रा0 बा0 इ0 कालेज दिलदार नगर, गाजीपुर में अर्थशास्त्र विषय में हाई स्कूल एवं इन्टर कक्षाओं में कितनी-कितनी छात्रायें अध्ययनरत हैं ? क्या यह विषय एवं पद उक्त विद्यालय में स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो उक्त प्रवक्ता का स्थानान्तरण रा0 बा0 इ0 कालेज, दिलदार नगर में तैनात करने का औचित्य क्या है ? क्या उक्त प्रवक्ता का स्थानान्तरण वहां किया जायेगा जहां यह पद स्वीकृत हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नेपाल सिंह-

जी नहीं।

छात्राओं की संख्या शून्य है। विद्यालय में प्रवक्ता अर्थशास्त्र का पद तथा यह विषय स्वीकृत नहीं है।

छात्राओं के हित का देखते हुए कुछ समय के लिये तैनात किया गया था।

प्रवक्ता का स्थानान्तरण, आदेश दिनांक 16-5-98 द्वारा राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गहमर कर दिया गया है।

जनपद गाजीपुर के राजकीय कन्या इण्टर कालेजों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं वेतन वृद्धि का मामला

64-श्री छब्बू पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में वर्ष 1996-97 में उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित कितने सहायक अध्यापिकाओं को नियुक्त किया गया ? इन नियुक्त सहायक अध्यापिकाओं में से किस-किस की सेवा पुस्तिका एवं वार्षिक वेतन वृद्धि अभी तक नहीं बनाई गई है और क्यों ?

डा0 नेपाल सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कुल सात सहायक अध्यापिकाओं को नियुक्ति किया गया।

दो अध्यापिकायें श्रीमती प्रतिमा एवं अनुपम मंजरी की न तो सेवा पुस्तिका बनाई गयी और न ही वार्षिक वेतन वृद्धि लगायी गयी है क्यों कि श्रीमती प्रतिमा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अवैतनिक चिकित्सा अवकाश पर चल रही हैं एवं अनुपम मंजरी कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त चिकित्सा अवकाश पर चली गयीं।

आदर्श कामिनी शिक्षा निकेतन गर्ल्स हाई स्कूल गोवर्धन मथुरा के संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1997 का प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

65-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श कामिनी शिक्षा निकेतन गर्ल्स हाई स्कूल, गोवर्धन, मथुरा के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1997 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा0 नेपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के माधोगंज बस अड्डे पर गति अवरोधक बनाये जाने की मांग

66-डा0 धर्मेन्द्र मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा दिनांक 9-2-98 को हरदोई जनपद के माधोगज बस अड्डे पर गति अवरोधक बनाये जाने हेतु प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया परन्तु अभी तक गति अवरोधकों का निर्माण नहीं कराया गया ? गति अवरोधकों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

ऐसा कोई निदेश नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि मा0 उच्च न्यायालय

द्वारा रिट याचिका संख्या-425/2/1992 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग के परिपत्र संख्या-104-पी0 डब्लू/1815-एम0टी0/52-104/93, दिनांक 1-5-93 के अनुसार राष्ट्रीय मार्ग/राज्य मार्ग एवं प्रमुख जिला मार्गों पर गति अवरोधक का निर्माण प्रतिबंधित है। प्रश्नगत मार्ग भी राज्य मार्ग है, अतएव गति अवरोधक लगाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में उन्नाव-हरदोई रोड पर मल्लावां कस्बा में चुंगी के पास स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने की मांग

67-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में उन्नाव हरदोई रोड पर कस्बा मल्लावां में चुंगी के पास स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने हेतु शासन द्वारा दिनांक 9.2.98 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया परन्तु अभी तक स्पीड ब्रेकरों का निर्माण नहीं कराया गया है ? स्पीड ब्रेकरों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

ऐसा कोई निर्देश नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-425/2/1992 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लो0 नि0 वि0 के परिपत्र सं0-104पी0डब्लू0/1815 एम0टी0/52-104/93 दि0 1-5-93 के अनुसार राष्ट्रीय मार्ग/राज्यमार्ग एवं प्रमुख जिला मार्गों पर गति अवरोधक का निर्माण प्रतिबन्धित है। प्रश्नगत मार्ग भी राज्य मार्ग है अतएव गति अवरोधक बनाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में हरदोई-कानपुर रोड पर ग्राम हैवतपुर में स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराये जाने की मांग

68-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में हरदोई कानपुर रोड पर ग्राम हैवतपुर में गति अवरोधक निर्माण कराये जाने के विषय में दिनांक 9-2-98 को प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को शासन द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद अभी तक गति अवरोधकों का निर्माण नहीं कराया गया है? गति अवरोधकों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत गति अवरोध का निर्माण नहीं कराया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-425/2/1992 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लो0नि0वि0 के परिपत्र सं0-104पी0डब्ल्0/1815 एम0टी0/52 एम0-104/93, दिनांक 1-5-93 के अनुसार राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग एवं प्रमुख जिला मार्गों पर गति अवरोधक का निर्माण प्रतिबन्धित है। चूंकि प्रश्नगत मार्ग भी राज्य मार्ग है, अतएव गति अवरोधक बनाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

भूमि संरक्षण अधिकारी/डी0पी0ए0पी0 प्रथम, पचपेड़वा जनपद बलरामपुर का स्थानान्तरण एवं सतर्कता विभाग से जांच की मांग

69-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या भूमि विकास एवं जन संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 दिसम्बर, 1997 से 25-4-98 के बीच माननीय राज्य मंत्री, होमगार्ड्स, उ0प्र0 ने माननीय मुख्य मंत्री को इस आशय का पत्र लिखा था कि भूमि संरक्षण अधिकारी/डी0पी0ए0पी0 प्रथम, पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर का स्थानान्तरण करके आरोपों की जांच, सतर्कता से करायी जाय? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)-

प्रश्नगत अवधि में मा0 राज्य मंत्री, होमगार्ड्स का मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित भूमि संरक्षण अधिकारी, डी0पी0ए0पी0 प्रथम, पचपेड़वा जनपद-बलरामपुर के स्थानान्तरण एवं आरोपों की सतर्कता जांच विषयक कोई पत्र क्षेत्रीय विकास विभाग (सम्प्रति भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग) में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आर0 बी0 एम0 माध्यमिक विद्यालय, कानपुर देहात के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

70-श्री तेजभान सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0प्र0सं0-108 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत कार्यवाही करने के लिये दिये गये आदेशों के तहत अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

ज्ञानभारती उ0 मा0 वि0 परसदेपुर रायबरेली के सहायक अध्यापक श्री बुद्धिराम एक ही समय में दो पदों पर कार्यरत रहते हुए दोनों स्थानों से वेतन प्राप्त करने के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की मांग

71-श्री तेजभान सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ज्ञानभारती उ0मा0वि0 परसदेपुर, रायबरेली में सहायक अध्यापक श्री बुद्धिराम की नियुक्ति किस तिथि को तथा किस पद की रिक्ति के विरुद्ध की गयी थी? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री बुद्धिराम यादव दिनांक 4-10-87 से अनवरत नलकूप खण्ड रायबरेली में राजकीय नलकूप चालक के रूप में जून, 1996 तक वेतन आहरित करते रहे हैं? यदि हां, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि एक ही व्यक्ति दो पदों पर कार्यरत रहते हुए दोनों स्थानों से वेतन प्राप्त कर सकता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 14-7-89 से सी0टी0 पद पर नियुक्ति की गयी है।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रकरण में जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को शासन से निर्देश दे दिये गये हैं कि एफ0आई0आर0 दर्ज करायें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार कुम्भ मेले की सड़कों के निर्माण में की गई धांधली की जांच

72-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार कुम्भ मेला, 1998 में लो0नि0वि0 द्वारा सड़कों के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं की कोई जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो जांच किस एजेन्सी द्वारा कराई जा रही है?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

उक्त जांच प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड एवं प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, लखनऊ के माध्यम से कराई जा रही है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत मार्गों के निर्माण में अन्तिम रूप निर्धारण हेतु क्षेत्रीय विधायकों से सुझाव माँगे जाने हेतु सरकार से मांग

73-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 के लिए पं0 दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत अभी तक कितने सम्पर्क मार्गो के निर्माण हेतु सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है ? क्या इस योजनान्तर्गत निर्माण किये जाने वाले मार्गों के निर्धारण हेतु क्षेत्रीय विधायकों से सुझाव मांगे जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं। वर्ष 1998-99 के लिये इस योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, की डिग्रियां एवं डिप्लोमा प्रमाण-पत्र संबंधित विद्यालयों को भेजे जाने की मांग

74-श्री छब्बू पटेल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की एम0एस-सी0 (वनस्पति शास्त्र) सत्र, 1989 एवं पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सत्र, 1991 की डिग्रियां अभी तक संबंधित महाविद्यालय (शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़) को नहीं दी गयी हैं ? यदि हां, तो छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उक्त डिग्रियों को संबंधित कॉलेज में भिजवाने का कष्ट करेगी ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की एम0एस-सी0 (वनस्पति शास्त्र) सत्र, 1989 की डिग्री शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ को भेजी जा चुकी हैं।

पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सत्र, 1991 का प्रमाण-पत्र अभी नहीं भेजा गया है।

पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सत्र, 1991 का प्रमाण-पत्र शीघ्र ही महाविद्यालय को भेजा जा रहा है।

अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों व इण्टर कालेजों में सहायक अध्यापक की भर्ती के समय डिप्लोमा धारकों को बोनस अंक देने का मामला

75-श्री छब्बू पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों/इण्टर कालेजों में सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान/प्रवक्ता जीव विज्ञान) के पद हेतु भती करते समय पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों को निर्धारित बोनस अंक प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कितने अंक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

मोहनलालगंज-गोसाईगंज मार्ग से इन्द्रा नहर की पूर्वी पट्टी के किनारे होते हुए रा0मा0 तक सड़क बनाये जाने का मामला व जांच

76-श्री आर0 के0 चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-5887 (इ)-23 लो0नि0-11-100 (इ) 26 (इ)/97, दिनांक 8 अक्टूबर, 1997 द्वारा मोहनलालगंज-गोसाईगंज मार्ग से इन्द्रा नहर की पूर्वी पट्टी के किनारे होते हुए रा0मा0 तक 7.00 कि0मी0 सड़क बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान हुई थी? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण जनहित में कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सड़क निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि अब तक अवमुक्त की जा चुकी है? शेष धनराशि कब तक अवमुक्त की जायेगी?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

कार्य को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

इस मार्ग के निर्माण हेतु अब तक कुल रु0 22.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई एवं नवीनीकरण तथा पैच कार्य पर व्यय हुई धनराशि की जानकारी

77-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं? अप्रैल, 1997 से

30 अप्रैल, 1998 तक उक्त सड़कों में से कुल कितने किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया एवं कितने कि0मी0 सड़क पर पैच कार्य किया गया तथा उस पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री कलराज मिश्र-

1686 कि0मी0 लंबित ।

203.00 कि0मी0

1189 कि0मी0 ।

रु0 212.10 लाख ।

जनपद बस्ती डुमरियागंज तथा बस्ती बांसी मार्ग के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही की मांग

78-श्री राम ललित चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, 1998 के प्रथम सप्ताह में बस्ती डुमरियागंज तथा बस्ती बांसी मार्ग के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ ।

शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी, बस्ती से जांच किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में मेहरावां से राजेपुर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण व राजेपुर में पार्क निर्माण कराये जाने की मांग

79-श्री अफजाल अहमद-

क्या लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के वि0क्षेत्र शाहगंज के ग्राम राजेपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहरांवा से राजेपुर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तथा राजेपुर में पार्क निर्माण हेतु 22-12-97 को विधायक श्री बांके लाल सोनकर ने उन्हें पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो आगे कब तक कार्यवाही होगी ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ ।

क्षेत्र से आख्या मांगी गई है।

क्षेत्र से आख्या प्राप्त होने पर प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

सांसद, जनपद हरिद्वार के पत्र में उल्लिखित आरोपों की जानकारी तथा दोषी व्यक्तियों को तामील कराये जाने की मांग

80-डा0राम सिंह सैनी तथा श्री अम्बरीष कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सांसद, हरिद्वार का पत्रांक 415/लो0नि0वि0/98-99, दिनांक 15-4-98 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित आरोप क्या है? क्या अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सहारनपुर द्वारा अपने कार्यकाल में बिना परिवहन आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त किये ही गैर मान्यता प्राप्त गैराजों में प्रत्येक वर्ष में वार्षिक मरम्मत 10,000 रु0 से अधिक लागत की जीप की मरम्मत कराई गई है? यदि हां, तो क्या उक्त बिन्दु को आरोप-पत्र में सम्मिलित करते हुए आरोपित अधिशासी अभियन्ता को तामील कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

उक्त पत्र में श्री रवीन्द्र मोहन ऐरन, अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, सहारनपुर द्वारा अपने कार्यकाल में जीप की मरम्मत पर मात्र तीन वर्षों में 1,76,552.92 पैसे खर्च किया जाना, तकनीकी कोष्ठ द्वारा कराई गई जांच के परिप्रेक्ष्य में अभी तक मुख्य अभियन्ता द्वारा आरोप-पत्र गठित न किया जाना, जनपद सहारनपुर में डेढ़ करोड़ की भूमि पर भूमि माफियाओं द्वारा कब्जा के मामले में कोर्ट में पैरवी न करना आदि के आरोप हैं।

जी हाँ।

प्रकरण विचाराधीन है।

81-श्री राम सिंह सैनी-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जिला मैनुपरी में श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम पोस्ट उसनीधा, के अध्यापकों का वेतन रोके जाने का मामला

82-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम पोस्ट उसनीधा, जिला मैनपुरी के अध्यापकों का वेतन वर्ष 1981-82 से अवरुद्ध है? क्या विद्यालय को दिया जाने वाला अनुदान वर्ष 1981-82 से रोक दिया

गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या यह सही है कि विद्यालय के प्रबन्धक श्री जयवीर सिंह चौहान के पत्र पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 16-7-97 को उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को कार्यवाही के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

डा0 नैपाल सिंह -

जी हाँ।

प्रश्नगत विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद एवं प्रबन्ध समिति का गठन न होने के कारण अध्यापकों का आय-व्ययक भेजना बन्द कर दिया गया था।

जी हाँ।

इस संबंध में कार्यवाही के निदेश उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) को दिनांक 16-7-97 को नहीं बल्कि दिनांक 16-6-97 को दिये गये है।

उक्त पत्र के संदर्भ में उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) से आख्या प्राप्त हो गयी है। परीक्षणोपरान्त शीघ्र नियमान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा।

जिला मैनपुरी के श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम पोस्ट उसनीधा प्रकरण का निस्तारण कर भुगतान की मांग

83-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी -

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम पोस्ट उसनीधा, जिला मैनपुरी के प्रकरण में जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 4-3-94 में मांगी गयी 10/11 बिन्दुओं की आख्या उपलब्ध करा दी गयी है ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी द्वारा दिनांक 20-10-97 को उपरोक्त प्रकरण में संस्तुति-पत्र उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है ? क्या सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, आगरा क्षेत्र, आगरा द्वारा दिनांक 7-2-89 में अपनी संस्तुति प्रतिलिपिकों के साथ मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा को संस्कृत निरीक्षक पाठशालायें, इलाहाबाद को प्रेषित कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) इलाहाबाद द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण कर भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

डा0 नैपाल सिंह -

जी हाँ।

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी में अपने पत्र, दिनांक 26-5-98 द्वारा शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आख्या उपलब्ध करायी है।

जी नहीं।

उप शिक्षा निदेशक, प्रश्नगत प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त हो गई है एवं परीक्षणोपरान्त नियमानुसार यथोचित निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

जनपद मैनपुरी में मैनपुरी बेवर वाया मोटा मार्ग को व्यवस्थित करने की मांग एवं जांच

84-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में मैनपुरी से बेवर वाया मोटा मार्ग पर वित्तीय वर्ष 1996-97 में कितना धन मरम्मत में खर्च हुआ? क्या यह सच है कि इस मार्ग पर इस वित्तीय वर्ष में कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ और सारे धन का आहरण कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर धन का दुरूपयोग/आहरण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी तथा सड़क पर पानी भरे रहने के स्थानों पर मार्ग व्यवस्थित करने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्ग पर वित्तीय वर्ष 1996-97 में रु0 34,500/- का धन खर्च हुआ है।

जांच कराई जा रही है।

जांच आख्या की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग की मरम्मत करके ठीक करा दिया गया है। अब किसी भी स्थान पर पानी नहीं भरता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में स्वीकृत माध्यमिक विद्यालय भड़ायना को नगर चन्द्र में खोले जाने की मांग

85-श्री विजय पाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहाबाद क्षेत्र जनपद आगरा में वर्ष 1996-97 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भड़ायना स्वीकृत किया गया था? क्या जिला शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा 2 जनवरी, 1997 की बैठक में उक्त विद्यालय

को नगर चन्द्र में खोले जाने हेतु प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उसे स्वीकृत कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां।

जी हां।

धन की उपलब्धता पर निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ति की दशा में नगर चन्द्र में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना संभव हो सकेगा।

86-श्री विजय पाल सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद आगरा के विकास खण्ड, शमसाबाद के ग्राम डोकी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को भवन निर्माण के आरोप में निलम्बन,उसकी पुनः बहाली एवं धनराशि वसूल कर भवन निर्माण किये जाने का मामला

87-श्री विजय पाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड शमसाबाद के ग्राम डोकी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के आरोप में विद्यालय के एक अध्यापक को 17 मई, 97 को निलम्बित किया गया था और पुनः 1 अगस्त, 1997 को उसे बहाल कर दिया गया है ? क्या उक्त विद्यालय हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गयी थी उसका उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां-

संबंधित अध्यापक से वसूल की जा रही धनराशि से भवन निर्माण पूर्ण कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

88-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

दिनांक 23-6-98 को अता0 प्र0 सं0-119 द्वारा उत्तरित।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय की विशेष आडिट रिपोर्ट में भयंकर अनियमितता एवं प्रकाश में आये वित्तीय घोटाले के खिलाफ जांच तथा कार्यवाही की मांग

89-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की विशेष आडिट रिपोर्ट 1395/1682 में भयंकर अनियमितता तथा आर्थिक घपले किये जाने के

मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार के और कितने वित्तीय घोटाले किये गये ? सरकार ने अब तक कौन से कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अन्य विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों की विशेष जांच कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पूर्वांचल विश्वविद्यालय की विशेष आडिट रिपोर्ट 1395/1682 में वित्तीय अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं किन्तु कोई आर्थिक घपला स्थापित नहीं हुआ है । शासन की बिना स्वीकृति के 233 पदों पर (124 पदों पर निर्धारित वेतनक्रम में और 109 पदों पर दैनिक वेतन पर) नियुक्तियां करके अननुमोदित व्यय किया गया है । इसके अतिरिक्त अनियमित रूप से कतिपय कर्मचारियों को उच्च वेतनमान भी दिये गये हैं । इसी प्रकार से अननुमोदित मदों में भी अनियमित व्यय किया गया है । इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अनुपालन आख्या मांगी गयी है । लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद और जौनपुर विश्वविद्यालय की विशेष आडिट कराई गई है । अन्य विश्वविद्यालयों का भी विशेष आडिट कराया जाना प्रस्तावित है ।

लखनऊ के प्राइवेट स्कूल, कालोनी की अपेक्षा में माध्यमिक सरकारी स्कूलों कालेजों के गिरते हुए स्तर के सुधार हेतु समुचित कार्यवाही की मांग

90-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राइवेट स्कूल कालेजों की तुलना में माध्यमिक सरकारी स्कूलों, कालेजों में शिक्षा का स्तर गिरा है ? क्या इसका मुख्य कारण अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा सुचारू रूप से कक्षायें अटेण्ड न करना है ? क्या मंत्री जी शिक्षा के गिरते हुए स्तर के सुधार हेतु लखनऊ के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी बालक/बालिकाओं के माध्यमिक स्कूल/कालेजों में समुचित कार्यवाही के साथ प्रधानाचार्यों आदि को नियमित कक्षायें लेने (अटेण्ड) हेतु निर्देशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नेपाल सिंह-

जी नहीं ।

अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा नियमित रूप से कक्षायें ली जाती हैं ।

पठन पाठन के स्तरोन्नयन तथा शैक्षिक गुणवत्ता के विकास हेतु तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के नियमित रूप से अध्यापन करने हेतु शैक्षिक पंचांग के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं ।

लखनऊ के समस्त सरकारी एवं सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में स्वच्छ जल एवं शौचगृह की पर्याप्त व्यवस्था की मांग

91-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के समस्त सरकारी एवं सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में स्वच्छ पानी एवं टॉयलेट की व्यवस्था पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इसके लिए सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जनपद लखनऊ में कोई भी सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं है।

मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल गैर सहायता प्राप्त है। इनमें पेयजल एवं शौचालय की सुविधा प्रबंध-तंत्र द्वारा की जाती है।

जनपद में एक राजकीय आदर्श स्कूल संचालित है जिसमें पेयजल/शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 1193 प्राथमिक स्कूलों में से 1048 स्कूलों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा 163 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। सम्प्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण की कोई योजना नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए धन उपलब्ध होने पर शेष 145 विद्यालयों में हैण्डपम्प की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

जनपद गोण्डा के प्राइमरी पाठशालाओं में इण्डिया माका हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

92-श्री राम विशुन आजाद-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने ऐसी प्राइमरी पाठशालायें हैं, जिनमें इण्डिया माका हैण्ड पम्प अभी तक नहीं लगाया गया है ? उक्त पाठशालाओं में कब तक हैण्ड पम्प लगा दिये जायेंगे ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जनपद गोण्डा की बेसिक शिक्षा परिषदीय 2251 प्राथमिक पाठशालाओं में से 1113 प्राथमिक पाठशालाओं में हैण्ड पम्प स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 907 हैण्ड पम्प की स्थापना की जा चुकी है।

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए धन की उपलब्धता होने पर अतिरिक्त हैण्ड पम्पों की स्थापना की जा सकेगी।

जनपद सहारनपुर कन्या पाठशाला सं0 2 सरसावां को बढ़े हुये किराये के भुगतान की मांग

93-श्री संजय गर्ग-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या पाठशाला सं0-2 सरसावां जनपद सहारनपुर का परगना अधिकारी/किराया नियंत्रण अधिकारी नकुड़ जनपद सहारनपुर के निर्णयानुसार, दिनांक 1.6.89 से बढ़े हुये किराये का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के स्थानान्तरण नीति की घोषणा एवं उसके अनुपालन हेतु योजना बनाये जाने की मांग

94-श्री महेन्द्र कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशोदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के वर्ष 1998-99 के स्थानान्तरण नीति की घोषणा कर दी गई है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कोई योजना बनाई गई? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

दिनांक 14 अप्रैल, 1998 को जारी स्थानान्तरण नीति की प्रति संलग्न है।

स्थानान्तरण नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त सुसंगत प्राविधान स्थानान्तरण नीति में ही कर दिए गये हैं। अतः पृथक से कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 251 पर)

जनपद आजमगढ़ के लालगंज में स्थित बालिका जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर, बालिका हाई स्कूल बनाने की मांग

95-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में नगर पंचायत कटघर लालगंज में स्थित बालिका जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करके बालिका हाई स्कूल बनाने की योजना स्वीकार हो गयी है? यदि हां, तो इस विद्यालय में हाई स्कूल की पढ़ाई कब से प्रारम्भ हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह -

चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला प्लान के अन्तर्गत परिव्यय/प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण उच्चीकरण वर्तमान में सम्भव नहीं है। यह कार्यक्रम केवल जिला योजना में उपलब्ध है और यदि जिला प्लान में प्रस्ताव प्राप्त होता है तो तत्काल उच्चीकरण कराया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों के नवीन अध्यापकों व कर्मचारियों के अनुमोदन व वेतन भुगतान के आदेशों में हुए भ्रष्टाचार की सरकार से जांच एवं दोषियों को दण्डित करने का मामला

96-श्री नरेन्द्र सिंह -

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1997 से 30 अप्रैल, 1998 तक जनपद आजमगढ़ में माध्यमिक विद्यालयों के कुल कितने नवीन अध्यापकों तथा नवीन कर्मचारियों के अनुमोदन तथा वेतन भुगतान के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिये गये? क्या इन अनुमोदनों तथा वेतन भुगतान के आदेशों में हुए भ्रष्टाचार की सरकार जांच कराकर शिक्षा विभाग के दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह -

प्रश्नगत अवधि में जनपद आजमगढ़ में 28 शिक्षकों तथा 21 कर्मचारियों (कुल 49) के अनुमोदन तथा वेतन भुगतान के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिये गये।

इन अनुमोदनों तथा वेतन भुगतान में कोई अनियमितता नहीं की गयी है। अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम में विभिन्न इकाइयों पर पांच वर्षों से लेखा कार्य करने वाले सहायक लेखाकारों को स्थानापन्न वेतन न दिये जाने के कारणों की जानकारी

97-श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री भारत सिंह रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम की विभिन्न इकाइयों पर पिछले पांच वर्षों में किस-किस सहायक लेखाकार ने कब से कब तक स्वतंत्र रूप से लेखा कार्य किया है? इकाई लेखाकार के रूप में लेखाकार्य करने वाले सहायक लेखाकारों को अब तक स्थानापन्न वेतन/वित्तीय लाभ क्यों नहीं दिया गया? वरिष्ठ सहायक लेखाकारों की उपेक्षा करके कनिष्ठ सहायक लेखाकारों से स्वतंत्र रूप से लेखाकार्य कराने के मामले में दोषी वित्तीय सलाहकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही

क्यों नहीं की गयी ? इस संबंध में निगम मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या-4021/पी0एफ0/स0ले0/167/रा0नि0वि0/93, दिनांक 11.10.93 के उल्लंघन हेतु क्या किसी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

पिछले पांच वर्षो में निगम की विभिन्न इकाइयों पर निम्नलिखित 13 सहायक लेखाकारों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया/कर रहे हैं:-

नाम	अवधि
1-श्री प्रतिम बोस	9-5-93 से 27-5-93
2-श्री राजेन्द्र कुमार	18-11-87 से 11/93
3-श्री पी0 एस0 वर्मा	19-8-97 से 8-9-97
4-श्री एस0 एल0 यादव	15-10-94 से 20-2-95
5-श्री पवन सिंह	27-1-97 से 4/98
6-श्री जी0 सी0 खण्डेलवाल	1-4-97 से 10-6-97
7-श्री राजकुमार श्रीवास्तव	27-10-93 से 20-4-94 एवं 22-9-94 से अब तक
8-श्री करूणा शंकर शुक्ला	3/98 से अब तक
9-श्री ज्ञान प्रकाश	7/95 से अब तक
10-श्री ओ0 पी0 गुप्ता	1-11-96 से अब तक
11-श्री बी0 पी0 दुबे	1/97 से अब तक
12-श्री आलेख कुमार श्रीवास्तव	7-7-88 से 28-1-94
13-श्री एस0 पी0 चौबे	20-2-92 से 10-1-94

इकाई लेखाकार के रूप में कार्य करने वाले सहायक लेखाकारों को निगम के मैनुअल के प्रस्तर 248 (बी) के अनुसार स्थानापन्न वेतन/वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं है।

इकाई लेखाकारों की अनुपस्थिति/स्थानान्तरणोपरान्त रिक्तता को पूर्ण करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत तत्समय संबंधित इकाई पर कार्यरत सहायक लेखाकारों को इकाई प्रभारी/अंचलीय महाप्रबन्धकों की संस्तुति के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। अतः वित्तीय सलाहकार के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उक्त प्रकरणों पर प्रश्नगत कार्यालय आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल के प्रस्तर-862 बी के अन्तर्गत प्रतिबंधित इकाइयों में तैनात किये गये सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी की तैनाती का मामला

98-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल, के प्रस्तर-862 बी के अनुसार किसी सहायक लेखाधिकारी को केवल उन बड़ी इकाइयों पर तैनात किया जा सकता है, जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा संचालित हों तथा जिनका वार्षिक कारोबार 1984 की मूल्य दरों के अनुसार दो करोड़ से अधिक हो? यदि हां, तो निगम की कितनी इकाइयों पर उक्त प्रतिबन्ध का उल्लघन करके सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी तैनात किये गये हैं? इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जुलाई, 1994 में स्वीकृत जनशक्ति नियोजन के पश्चात् निगम में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्तमान में कोई पद स्वीकृत नहीं है अतः पैरा 862 (बी) में उल्लिखित शर्त किसी इकाई पर लागू नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान निदेशक लखनऊ चिड़ियाघर द्वारा वन्य जीव बाड़ों के निर्माण में व्यय किये गये धनराशि की जांच तथा हाथी घर व गैंडा घर की दीवार में पीले ईंटों के प्रयोग की शिकायत एवं कार्यवाही की मांग

99-श्री राम सिंह तथा श्री तेजभान सिंह-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिड़ियाघर लखनऊ के वर्तमान निदेशक द्वारा कराये गये जानवरों के बाड़ों के निर्माण में अब तक कितने लाख रुपये व्यय किये गये हैं? क्या हाथी घर की दीवाल व "गैंडा घर" की दीवाल में पीले ईंटों का प्रयोग किया गया है? क्या मंत्री जी बाड़ों के निर्माण की जांच किसी तकनीकी या प्रयोगशाला विशेषज्ञ से कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जी हां। लखनऊ चिड़ियाघर में वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक वन्य जीव बाड़ों के निर्माण पर लगभग रु0 77,14,835-73 व्यय किया गया है।

हाथी घर व गैंडा घर की दीवार में पीले ईंटों के प्रयोग की शिकायत प्राप्त हुई है और उस पर प्रारम्भिक विभागीय जांच की गयी है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट शासन में प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार यथोचित अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय इण्टर कालेज, सिलोगी, जिला पौड़ी गढ़वाल के प्रवक्ता के मरणोपरान्त उनकी विधवा को जी0पी0एफ0 एवं पेंशन भुगतान की मांग

100-श्री राजधारी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री हरि प्रसाद कुकरेती, प्रवक्ता-हिन्दी राजकीय इण्टर कालेज, सिलोगी, जिला पौड़ी गढ़वाल की दिनांक 18 अप्रैल, 1997 को मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो मृतक की विधवा को जी0पी0एफ0 की 90 प्रतिशत धनराशि एवं पेंशन का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस प्रकरण में विलम्ब के लिये दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

डा0 नपाल सिंह-

जी हां।

जी0पी0एफ0 के भुगतान हेतु आदेश दिया जा चुका है। पेंशन प्रकरण लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में विलम्ब हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। धनराशि का भुगतान अतिशीघ्र करा दिया जायेगा।

जिला आजमगढ़ के राजमार्गों की जानकारी तथा लेपन कार्य की मांग

101-श्री रामजग-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने राजमार्ग हैं? क्या तरवा ब्लाक में रासपुर तितिरा मार्ग राजमार्ग है? यदि हां, तो रासपुर-तितरा मार्ग के शेष भाग का लेपन कार्य क्यों नहीं किया गया? क्या वर्ष 1998-99 में इस मार्ग के शेष भाग का लेपन कार्य किया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भवन निर्माण में की गई गड़बड़ी की जांच एवं दोषी प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

102-श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 21-3-98 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा ग्राम लक्ष्मनपुर मौजा सकत बेवर विकास खण्ड-बेवर जनपद मैनपुरी के प्राथमिक पाठशाला के भवन निर्माण में की गई गड़बड़ी की जांच हेतु पत्रांक 10452, 10453 एवं 10454 में अब तक क्या हुआ? क्या उक्त विद्यालय के निर्माण के लिए तीसरी किश्त का उपयोग जांच को देखते हुए रोक दिया गया है? क्या उक्त विद्यालय के भवन निर्माण में कोई गड़बड़ी पाई गयी? यदि हां, तो दोषी प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

प्रकरण की जांच करायी गयी।

जी हाँ।

जी हाँ।

कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

वन प्रभाग जनपद देवरिया भूतल भवन कार्यालय का निर्माण कराने वाले व्यक्ति की जानकारी तथा निर्माणकर्ता के बकाया धन के भुगतान की मांग

103-श्री रामतेज यादव, एडवोकेट-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन प्रभाग देवरिया के कार्यालय भूतल भवन का निर्माण वर्ष 1995-96 में किसके द्वारा कराया गया था? क्या यह सही है कि निर्माणकर्ता का धन विभाग पर बकाया है? यदि हां, तो कितना और उक्त धन का भुगतान कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

वन प्रभाग, देवरिया के कार्यालय भूतल-भवन का निर्माण वर्ष 1995-96 में मेसर्स यादव एवं चौहान ब्रदर्स तरछापार विल्थरा रोड, बलिया द्वारा कराया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 मिहिर कुमार भट्टाचार्य, प्रवक्ता कृषि, बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया का वेतन निर्धारण विषयक प्रकरण के निस्तारण की मांग

104-श्री श्यामादेव राय चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-12-97 उनके कार्यालय द्वारा पंजीकृत संख्या-131 वी0आई0पी0/30 प्रा0शिक्षा/98 दिनांक 16-1-98 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

डा0 मिहिर कुमार भट्टाचार्य प्रवक्ता कृषि, बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया का वेतन निर्धारण विषयक प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा लखनऊ में पत्रकारों को दिये गये भूखण्डों एवं भवनों पर दी गयी रियायती धन की जानकारी

105-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी की लखनऊ में पत्रकारों को जो भूखण्ड अथवा फ्लैट्स दिये गये उन पर किसी विभाग ने रियायत दिये जाने हेतु कोई धन उपलब्ध कराया है? यदि हां, तो किस विभाग ने और कितना? उक्त धन से प्रत्येक पत्रकार को कितनी रियायत प्राप्त हुई? क्या वाराणसी में चुप्पेपुर में पत्रकारपुरम् के लिये भी उक्त विभाग द्वारा रियायत प्रदान करने हेतु कोई धन उपलब्ध कराया है? यदि हां, तो कितना और उससे प्रत्येक पत्रकार को कितनी रियायत प्राप्त होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

लखनऊ में पत्रकारों को दिये गये भूखण्ड/भवन पर आवास विभाग द्वारा वर्ष 1974-75 में रु0 2.10 लाख 84-85 में रु0 5 लाख धनराशि अनुदान के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया गया है?

उपरोक्त (क) अनुसार।

अधिकतम 40 प्रतिशत की रियायत दी गई है।

रियायत दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

106-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

एच0 एन0 बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के परिसरों में भूमिधारकों के आश्रितों को नियुक्तियां प्रदान किये जाने का मामला

107-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एच0 एन0 बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के तीनों परिसरों में भूमि धारकों के आश्रितों को शासनादेशों के अनुरूप नियुक्तियां प्रदान की गई हैं ? क्या चौरास में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) द्वारा ली गयी भूमि के भूमि धारकों के आश्रितों को नियुक्तियां दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भूमि धारकों के आश्रितों को उक्त प्राविधान के अनुसार नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी थी । यद्यपि बहुत से व्यक्ति सीधी भर्ती के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं ।

चौरास परिसर में भूमि धारकों के सात आश्रितों को नियत वेतन में वर्ष 1997-98 में नियुक्तियां प्रदान की गई हैं ।

वर्ष 1991 में जनगणना कार्य में लगे छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन की मांग

108-श्री रामतेज यादव, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1991 के जनगणना कार्य हेतु उ0प्र0 सरकार, सामान्य प्रशासन अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4575/तीन-15(2)/87-सा0प्र0अनु0, दिनांक 26 दिसम्बर, 1989 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 378 कनिष्ठ लिपिक और 63 चपरासी के पदों की स्वीकृति प्रदान करके, जिलाधिकारी के अधिष्ठान से सम्बद्ध किया गया था ? क्या जनपद-बहराइच में उक्त आदेश के अन्तर्गत 5 लिपिक व 1 चपरासी की नियुक्ति की गयी थी ? क्या उनकी 31 मई, 1991 को छंटनी कर दी गयी थी ? क्या वर्ष 1991 की जनगणना के उक्त छंटनीशुदा कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो क्या जनपद-बहराइच के उक्त छंटनीशुदा लिपिकों/चपरासियों को जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ । शासनादेश दिनांक 26-12-89 द्वारा अन्य पदों के अतिरिक्त कनिष्ठ लिपिक के 378 पद तथा चपरासी के 63 पद सृजित कर जिलाधिकारियों के अधिष्ठान से सम्बद्ध किये गये थे । जनपद बहराइच में 5 कनिष्ठ लिपिक व एक चपरासी की नियुक्ति जनगणना 1991 के कार्य हेतु एक निश्चित अवधि के लिए

अस्थायी रूप से की गई थी। चूंकि 31-5-91 को उक्त सृजित पदों का अस्तित्व समाप्त हो गया था, जिसके कारण इन पदों के सापेक्ष नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो गई। जनगणना 1991 में अस्थायी तौर पर लगाये गये उक्त कर्मचारियों को मानवीय आधार पर कुछ रियायतें प्रदान की गई थी, जिनकी अवधि दिनांक 11-11-94 को समाप्त हो चुकी है। अतः इन्हें सेवायोजित करने में विवशता है।

जनपद बांदा के पं0 जवाहर लाल नेहरू अखण्ड इण्टर कालेज, चांदवारा की विवादास्पद दो प्रबन्ध समिति के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न एवं साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की मांग

109-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के अन्तर्गत पण्डित जवाहर लाल नेहरू अखण्ड इण्टर कालेज चांदवारा की प्रबन्ध समिति दो प्रबन्धकों के चलते विवादास्पद हो गयी है? क्या सत्तारूढ़ प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों का मनमानी ढंग से उत्पीड़न किया जा रहा है? क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक व उप शिक्षा निदेशक, झांसी की संस्तुति के बावजूद भी अभी तक विद्यालय में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति नहीं की गयी है? क्या सरकार शीघ्र ही साधिकार नियंत्रक नियुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

प्रबन्ध समिति से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर जांचोपरान्त कार्यवाही निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा से की जा रही है।

जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुतियों पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

जनपद बांदा के पंडित जवाहर लाल नेहरू अखण्ड इण्टर कालेज, चांदवारा के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, को समयमान वेतनमान दिये जाने की मांग

110-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत पण्डित जवाहर लाल नेहरू अखण्ड इण्टर कालेज, चंदवारा में कुल कितने शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं? कितने कर्मचारियों की सेवायें दस वर्ष से ज्यादा होने के बावजूद भी समयमान वेतनमान नहीं लगाया गया है? समयमान वेतनमान दिये जाने के कारण क्या हैं? क्या सरकार समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चयन वेतनमान प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

प्रश्नगत विद्यालय में कुल 11 शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं। किसी भी कर्मचारी का समयमान वेतनमान नहीं लगाया गया है क्योंकि समयमान वेतनमान देने का प्राविधान नहीं है। उक्त सभी 11 कर्मचारियों का चयन वेतनमान पूर्व में ही अनुमन्य किया जा चुका है।

आदर्श प्रोद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज फैजाबाद एवं श्री शंकर जी पूर्व0 मा0 संस्कृत विद्यालय, खारिकाभारी, अम्बेडकर नगर के प्रधानाचार्यों द्वारा उम्र व शैक्षिक अर्हता का जाली प्रमाण-पत्र लगा कर अवैधानिक तरीक से विद्यालय के प्रधानाचार्य के पदों पर हुई नियुक्ति एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

111-श्री विश्वनाथ तथा डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श प्रोद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज, फैजाबाद एवं श्री शंकर जी पू0मा0 संस्कृत विद्यालय, खरिकाभारी, अम्बेडकर नगर, के प्रधानाचार्यों द्वारा अपनी उम्र और शैक्षिक अर्हता का जाली प्रमाण-पत्र लगाकर क्या विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद अवैधानिक तरीके से प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच शासन स्तर से करते हुए क्या उन्हें उनके पद से पृथक कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

प्रश्नगत प्रधानाचार्यों के उम्र एवं शैक्षिक अर्हता के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाइस्कूल शिक्षक संघ पौड़ी के शिष्ट मण्डल एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के मध्य तीन बिन्दुओं पर की गई बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के संबंध में हुए निर्णय एवं समझौते पर हुई कार्यवाही की जानकारी

112-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 30-9-97 को जूनियर हाइस्कूल शिक्षक संघ पौड़ी के शिष्ट मण्डल एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी के मध्य तीन बिन्दुओं पर बी0टी0सी प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों की नई नियुक्तियों के संबंध में निर्णय हुए थे? क्या उक्त समझौते पर कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जनपद पौड़ी के जूनियर बेसिक शिक्षक संघ द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु दिये गये ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 323 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के पदों पर की गयी है?

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्र राष्ट्रीय इण्टर कालेज गोसाईगंज, सुल्तानपुर की संदान निधि में पूर्व एवं वर्तमान में उपलब्ध भूमि की जानकारी

113-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र राष्ट्रीय इण्टर कालेज, गोसाईगंज, सुल्तानपुर की संदान निधि में कितनी भूमि वर्ष 1985-86 में थी और अब वर्तमान समय में कितनी भूमि है? क्या यह सही है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 1995-96 में संदान की भूमि की कमी के बारे में कोई आपत्ति की गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आपत्तियों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह -

वर्ष 1985-86 में 27 बीघा 17 विस्वा 2 धूर थी वर्तमान में 19 बीघा 7 विस्वा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के पुवांया क्षेत्र में अम्बेडकर विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण की मांग

114-श्री चेतराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत अम्बेडकर विकास योजना अन्तर्गत कौन-कौन सड़कें स्वीकृत हुई? उन पर वर्तमान समय में किस स्तर तक निर्माण कार्य हो चुका है? कितनी सड़कें अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण होने के क्या कारण हैं? अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण करा दी जायेगी?

श्री कलराज मिश्र-

वर्ष 1997-98 में निर्वाचन क्षेत्र पुवायां में निम्नांकित 11 मार्ग राज्य सेक्टर में स्वीकृत हुए हैं :-

1-पुवायां नाहिल मार्ग से मरेना मार्ग।

2-रायपुर जोगराजपुर से पटेहन मार्ग।

3-खुटार मैलानी मार्ग से धनीसिंहपुर मार्ग।

4-खुटार पुवायां मार्ग से पकडिहा हकीम।

5-शाहजहांपुर पुवायां से कोटावारी मार्ग।

6-बीसलपुर पुवायां से जमुनियां खानपुर मार्ग।

7-बलरामपुर ज0रनमस्तपुरमार्ग।

8-पुवायां शाहजहांपुर से वितौनी करनापुर मार्ग।

9-महादेवा लिंक मार्ग का अवशेष भाग।

10-टकेली सम्पर्क मार्ग।

11-सेदापुर देवघत सम्पर्क मार्ग।

क्रमांक 1 से 5 तक की सड़कों में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है। मध्य सतह एवं ऊपरी सतह हेतु पत्थर का एकत्रीकरण पूर्ण है तथा कुटाई का कार्य आरम्भ कराया जा रहा है।

क्रमांक 6 से 11 तक के मार्गों पर धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो पाया।

स्वीकृत मार्गों में क्रमांक 1 से 5 तक का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा क्रमांक 6 से 11 तक मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद शाहजहाँपुर के पुवायां क्षेत्र के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

115-श्री चेतराम-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत कितने बेसिक प्राइमरी स्कूल अध्यापकविहीन हैं? उनमें कब तक अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

तीन विद्यालय अध्यापक विहीन थे। 1 जुलाई, 1998 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षा सत्र से शिक्षण कार्य हेतु अध्यापकों की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

116-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(4 थे शुक्रवार में अता0प्र0सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला चम्पावत के लोहाघाट में बी0टी0सी0 (डाइट) प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ कराये जाने की मांग

117-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिला चम्पावत में लोहाघाट में बी0टी0सी0 (डाइट) प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से प्रशिक्षण कार्य आरम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 31-3-1997 तक सृजित जनपदों में ही जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जायेगी।

118-श्री अम्बरीष कुमार-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जिला सहारनपुर अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड के विरुद्ध शासनादेश दिनांक 17-7-97 एवं 16-3-98 द्वारा कार्यवाही का मामला

119-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर के विरुद्ध शासनादेश संख्या-369(1)/23-6-97 (ई0एम0) 93, दिनांक 17-7-97 एवं 300/23-6-98-22ए-क्यू/97, दिनांक 16-3-97 के द्वारा आरोप पत्र/कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियन्ता, मेरठ को भेजे गये हैं? यदि हां, तो क्या दोनों आरोप-पत्र बनाकर आरोपित अधिशासी अभियन्ता को तामील करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि उक्त कार्यवाही में विलम्ब का मुख्य कारण आरोपित अधिकारी की भविष्य में होने वाली पदोन्नति (जुलाई, 98) है? क्या इसे दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उक्त दोनों आरोप-पत्र पदोन्नति से पूर्व ही तामील करा दिये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ। शासनादेश दिनांक 17-7-97 तथा दिनांक 16-3-98 (न कि 16-3-97) प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता, मेरठ को भेजे गये हैं, जिनमें क्रमशः टी0ए0सी0 जांच के संदर्भ में कार्यवाही एवं आरोप-पत्र उपलब्ध कराने के निदेश दिये गये हैं।

शासनादेश दिनांक 17-3-98 में की गयी अपेक्षानुसार आरोप पत्र प्राप्त हो गये हैं और परीक्षणाधीन हैं।

जी नहीं।

प्रकरण विचाराधीन है।

जिला आजमगढ़ में हायर सेकेण्ड्री व इण्टरमीडिएट कालेजों की जानकारी तथा क्लर्क, चपरासी व अध्यापक के पदों पर अनु0जाति, अनु0 जनजाति का आरक्षण पूर्ण किये जाने की मांग

120-श्री रामजग-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने हायर सेकेण्ड्री तथा इण्टरमीडिएट कालेज हैं? क्या सभी कालेजों में अध्यापकों, क्लर्क, चपरासी के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा

पूर्ण है ? यदि नहीं, तो आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ?

डा0 नेपाल सिंह -

सहायता प्राप्त हाईस्कूल - 32

सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट - 66

जी नहीं।

रिक्त पदों पर भविष्य में जो भी नियुक्तियां की जायेगी उसमें नियमानुसार आरक्षण कोटा पूरा किया जायेगा।

121 - श्री हरदेव सिंह -

[2रे बुधवार में अता0प्र0सं0 - 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

122 - डा0 वकार अहमद शाह -

[2रे गुरूवार में अता0प्र0सं0 - 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ में मेरठ कालेज में वित्तीय घोटालों के संबंध में सरकार से उच्चस्तरीय जांच एवं कार्यवाही की मांग

123 - श्री अजय कुमार पोइया -

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 अक्टूबर, 1997 को मेरठ कालेज, मेरठ में किए गये वित्तीय घोटालों के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार व्याप्त घोटालों की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर -

जी हाँ।

मेरठ कालेज, मेरठ की गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में विधिवत् जांच आदेशित हो चुकी है और जांच कार्य प्रगति पर है। जांच सौंपी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1997 में बी0टी0सी0 परीक्षा निरस्त होने के कारण छात्रों की फीस व अन्य खर्च सरकार से वापस करने की मांग

124 - श्री समरपाल सिंह -

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1997 में हुई बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या उस पर लगी

छात्रों की फीस व अन्य खर्च सरकार वापस कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग, मनकापुर मसकनवां-बभनान मार्ग, मनकापुर नवाबगंज मार्ग को चौड़ा किये जाने की मांग

125-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग, मनकापुर मसकनवां बभनान मार्ग, मनकापुर नवाबगंज मार्ग पर दोनों तरफ ईंट की सोलिंग करके सड़क चौड़ा करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार मार्ग को चौड़ा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदूषण से बचाव हेतु औद्योगिक इकाइयों को बन्द किये जाने के निर्देश के उपरान्त उनमें कार्यरत मजदूरों को कहीं अन्यत्र औद्योगिक इकाइयां लगाकर कार्य दिलाने की मांग

126-श्री विजय पाल सिंह-

क्या राष्ट्रीय एकीकरण एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री को जानकारी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण से बचाव हेतु आगरा नगर से सभी औद्योगिक इकाइयां कहीं अन्यत्र लगाने हेतु आदेश पारित किया गया है? यदि हां, तो क्या उनमें कार्यरत मजदूरों को कार्य दिलाये जाने हेतु क्या आगरा में इलेक्ट्रानिक इकाईयां लगाये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-(राष्ट्रीय एकीकरण एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री)-

आगरा में "ताज ट्रेपेजियम जोन" में लगी कोल एवं कोक पर आधारित औद्योगिक इकाईयों को बन्द किए जाने के निर्देश मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। उक्त सभी औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत मजदूरों को कार्य दिलाने हेतु आगरा में इलेक्ट्रानिक्स इकाईयां लगाये जाने की कोई योजना सम्प्रति शासन के विचारधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्यों कि इलेक्ट्रानिक्स विभाग का उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को बढ़ावा देना है न कि अन्य औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत मजदूरों को कार्य दिलाने हेतु इलेक्ट्रानिक्स इकाईयां लगाना।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये जाने का विवरण तथा आधार व मानक की जानकारी

127-श्री विजय पाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये थे तदोपरान्त 14 प्राथमिक विद्यालय पुनः स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो उक्त 14 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये जाने पर आधार व मानक क्या था?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां।

18 विद्यालय स्वीकृत किए गये थे।

300 की आबादी व 1.5 कि0 मी0 की दूरी के निर्धारित मानक के आधार पर असेवित क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्राविधान है।

विन्ध्यांचल आब्रेशिव लि0 मानिकपुर, फैक्ट्री के बन्द किये जाने के उपरान्त, कार्यरत वेतन भोगी कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान की मांग

128-श्री दद्दू प्रसाद-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विन्ध्याचल आब्रेशिव लि0 मानिकपुर, जिला-छत्रपति शाहू जी महाराज नगर जो उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम

द्वारा संचालित थी, को सरकार ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इस फैक्ट्री में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं ।

विन्ध्याचल एक्सिव्स लि0 मानिकपुर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बल्कि निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के तहत बाइडिंग-अप की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जी नहीं ।

कम्पनी के बाइडिंग-अप होने एवं संयंत्र के बिकने की कार्यवाही प्रगति पर है । अतः वर्तमान में सम्भव नहीं है ।

जनपर शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र के अन्तर्गत सेहरामऊ उत्तरी से नरोठा-हंसराम मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

129-श्री चेतराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत सेहरामऊ उत्तरी से नरोठा-हंसराम मार्ग काफी खराब हो गया है जिसके कारण आवागमन में जनता को असुविधा हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग में 4 कि0 मी0 लम्बाई में साल के घने जंगल हैं, जिसके कारण वृक्षों की छाया होने से वर्षा एवं ओस का पानी लम्बी अवधि तक लेपित सतह पर रुका रहता है एवं तटबन्ध की मिट्टी में नमी रहती है जिसके फलस्वरूप इसमें कुछ पेच एवं दरारें उत्पन्न हो गई हैं ।

उपलब्ध संसाधनों से मार्ग सामान्य यातायात हेतु संतोषजनक स्थिति में रखने का प्रयास किया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

130-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

131-श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

(दिनांक 23.6.98 को अता0 प्र0 सं0-43 द्वारा उत्तरित।)

जनपद आगरा एवं इलाहाबाद से सी0 टी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापिकाओं के पद पर हुई नियुक्ति की जानकारी

132-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा व इलाहाबाद से सी0टी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिकाओं के पद पर विगत 1997 में नियुक्तियां हुई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी हां-

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आशलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुल्तानपुर की प्राप्त आडिट रिपोर्ट की जांच कराकर सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

133-श्री तेजभान सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-111 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत आडिट आपत्ति के क्रमांक-6 की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी?

डा0 नेपाल सिंह-

जी हां।

जांच आख्या एवं संलग्नक माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

आजाद गांधी इण्टर कालेज, कासगंज (एटा) के अध्यापकों के वेतन भुगतान विषयक आदेश के अनुपालन की जानकारी एवं दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कृत कार्यवाही

134-श्री नेतराम सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक (एटा) अपने पत्र संख्या-24-9-97 को प्रबन्धक/प्रधानाचार्य आजाद गांधी इण्टर कालेज, कासगंज (एटा) को अध्यापकों के वेतन भुगतान के आदेश दिये थे? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करने का कौन दोषी है? दोषी व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

डा0 नेपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा के दक्षिण वन प्रभाग के टिकरी रेन्ज में वन पार्क बनाये जाने की मांग

135-श्री राम विशुन आजाद-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के दक्षिण वन प्रभाग के टिकरी रेंज में वन पार्क बनाने का प्रस्ताव शासन में विचारधीन है? यदि हां, तो क्या इस वित्तीय वर्ष में कार्य आरम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र में लकड़ी के पुलों की जानकारी व क्षतिग्रस्त पुलों के मरम्मत की मांग

136-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत कितने लकड़ी के पुल हैं? कितने लकड़ी के पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है? क्या पुलों के निर्माण हेतु शासन में कोई प्रस्ताव विचारधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में लकड़ी के कुल 8 पुल है। इनमें से दो पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

जी नहीं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में उतरौला- फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग पर कि0मी0 46 चम्दही नाला पर तथा मसकनवा गोरा चौकी के कि0 मी0 06 विशुही नदी पर क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत का कार्य जारी है जिन्हें यथाशीघ्र आवागमन हेतु खोल दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि0 में कार्यरत 843 कर्मचारियों/अधिकारियों का अन्य विभाग में समायोजन

137-श्री राम विशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 में कार्यरत 843 कर्मचारियों/अधिकारियों के समायोजन हेतु शासन ने कोई नीति अपनायी है? यदि हां, तो उनके समायोजन हेतु उनकी आयु में शिथिलता का महत्वपूर्ण तथ्य रखा है? यदि हां, तो शासनादेश क्या है? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि

खनिज निगम के छटीनशुदा, छटनी योग्य, छटनी प्रस्तावित के कर्मचारियों को अब तक कितने कर्मचारियों को अन्य विभाग में समायोजित किया है एवं कब तक सम्पूर्ण कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित कर लिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

केवल उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम लि0 मे तीन कर्मचारियों को अस्थायी नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है। कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड सुल्तानपुर एवं बेवर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण में प्राप्त अनुमति के अनुसार कार्य कराया जाना

138-श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड सुल्तानगंज एवं बेवर में कौन व कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में बिना शिक्षा समिति मैनपुरी के अनुमोदन के बनवाये गये हैं? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-3-98 ग्राम अपूरपुर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में सेवित होने के कारण प्राथमिक विद्यालय न बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव शिक्षा तथा जिलाधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ? क्या यह सत्य है कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेवर, मैनपुरी ने उक्त ग्राम से 300 मीटर की दूरी पर ग्राम दुर्गापुर में प्राथमिक विद्यालय होने की रिपोर्ट बी0एस0ए0 को दिनांक 16-3-98 को दी थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

समस्त विद्यालय भवनों के निर्माण को जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

जी हाँ।

जी हाँ।

भवन निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

प्रदेश में वन्य ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य पशुओं द्वारा व्यक्तियों को मारने व घायल किये जाने की दशा में आर्थिक अनुग्रह राशि दिये जाने विषयक जानकारी

139-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या वन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी व घास का कार्य करने वाले लोगों को हिंसक जानवरों द्वारा मार दिये जाने से उनके सम्बन्धियों को विभाग द्वारा किसी प्रकार की सहायता अथवा मुआवजा दिया जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर सहायता राशि मृतक आश्रित को दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में वन्य पशुओं यथा शेर, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेडिया, जंगली हाथी, मगरमच्छ एवं घडियाल द्वारा व्यक्तियों को मारने अथवा घायल किये जाने की दशा में निम्नानुसार आर्थिक अनुग्रह राशि दी जाती है :-

(1) व्यस्क व्यक्ति की मृत्यु होने पर	रु0 50,000.00
(2) अवयस्क की मृत्यु होने पर	रु0 25,000.00
(3) पूर्ण रूप से अपंग (इन्वेलिड) होने पर	रु0 50,000.00
(4) आंशिक रूप से अपंग (विकलांग) होने पर	रु0 10,000.00
(5) गम्भीर रूप से घायल होने पर	रु0 5,000.00

उक्त अनुग्रह राशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तो पर किया जाता है :-

(1) वन विभाग के उप वन संरक्षक अथवा उच्चतर स्तर के अधिकारी संबंधित व्यक्ति के उक्त वन्य पशुओं द्वारा मारे जाने/अपंग/घायल कर दिये जाने की पुष्टि करें एवं राजकीय चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(2) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप वन संरक्षक को अधिकार होगा कि वे किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरोक्त वन्य पशुओं के द्वारा होने पर अन्त्येष्टि आदि क्रिया के लिए वह उसके परिवार स्वजन को रु0 3,000.00 की धनराशि का भुगतान तत्काल करेंगे जो बाद में स्वीकृत अनुग्रह सहायता से कटौती कर ली जायेगी।

(3) अनुग्रह सहायता की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अन्तिम जांच रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) को प्रस्तुत की जायेगी जो ऐसे मामले में निर्णय लेने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।

(4) अनुग्रह राशि का भुगतान करने से पूर्व मृतक/पूर्णतः अपंग होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर के अवसर पर प्राणी उद्यान, लखनऊ के मांसाहारी पशुओं को मांस न दिये जाने पर संबंधित ठेकेदार व निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

140-श्री ओम प्रकाश-

क्या माननीय वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती 2 अक्टूबर पर प्राणी उद्यान, लखनऊ में वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में भैंसा गोश्त की आपूर्ति ली गयी थी? यदि हां, तो कहां से? क्या संबंधित ठेकेदार द्वारा उक्त आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करने पर ठेकेदार के ऊपर अर्थदण्ड पर्ची संख्या-461 तथा 207 द्वारा लगाया गया? क्या यह सही है कि वहां मांसाहारी पशुओं को सप्ताह में एक दिन मांस नहीं दिया जाता है? गांधी जयन्ती के अवसर पर किये गये इस अनैतिक कार्य के लिए प्राणि उद्यान के निदेशक के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जी हाँ।

वर्ष 1995-96 में तत्कालीन ठेकेदार (मो0 इस्लाम) द्वारा भैंसा गोश्त की आपूर्ति की गई थी।

वर्ष 1996-97 में दिनांक 2-10-96 को ठेकेदार द्वारा भैंसा गोश्त की आपूर्ति न करने पर ठेके की शर्तों के अनुसार पर्ची संख्या-461 के द्वारा दण्ड लगाया गया। पर्ची संख्या-207 के द्वारा अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया।

मांसाहारी वन्य जीवों को प्रत्येक शुक्रवार को मांस नहीं दिया जाता है। लेकिन उन्हें नियमित रूप से मांस देना आवश्यक होता है। जानवरों की जीवन रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक द्वारा कार्यवाही की गई। अतएव निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1989 में डिप्लोमाधारी कर्मचारियों की पदोन्नति एवं स्थायीकरण

141-श्री अजय कुमार पाइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में डिप्लोमाधारी कर्मचारियों की पदोन्नति अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के पदों पर की गयी थी? यदि हां, तो क्या 8 साल सेवा पूर्ण होने के बाद अभी तक इनको विनियमित एवं स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-15/18/86-का-1(1), दिनांक 7-8-1989 में निहित शर्तों को पूरा न करने के कारण इन्हें विनियमित एवं स्थायी नहीं किया गया है।

श्री हुबलाल इण्टर कालेज, आगरा में श्री विष्णु कुमार रावत श्री प्रदीप कुमार के वेतन भुगतान न किये जाने के कारणों तथा उक्त संबंध में मा0उच्च न्यायालयके निर्णय के अनुपालन की जानकारी-

142-श्री राम औतार शाक्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री हुबलाल इण्टर कालेज, आगरा में श्री विष्णु कुमार रावत, श्री प्रदीप कुमार पुत्र बैजनाथ गुप्ता व श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद की एल0टी0ग्रेड0 में सहायक अध्यापकों के पदों पर दिनांक 11-9-1995 को नियुक्तियां की गई थी? क्या उनके वेतन का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सच है कि उक्त अध्यापकों को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने याचिका नं0 5571/96 श्री प्रदीप कुमार आदि बनाम निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद आदि में दिनांक 9-5-97 को नियुक्ति के दि0 से वेतन भुगतान का निर्णय दिया था? यदि हां, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय का अनुपालन करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं। क्योंकि प्रश्नगत अध्यापकों की नियुक्तियां अनियमित ढंग से की गई थी।

जी नहीं। प्रश्नगत रिट याचिका में दिनांक 9-5-97 को जिला विद्यालय निरीक्षक को नियमों के अन्तर्गत वेतन भुगतान की पात्रता के बारे में याची के मामले पर विचार करने के निदेश मा0 उच्च न्यायालय ने दिये थे।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा याची के मामले पर विचार करके निर्णय किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड व निर्माण खण्ड व राष्ट्रीय मार्ग फतेहपुर में हुई अनियमितता की तकनीकी जांच हेतु संसद सदस्य का पत्र एवं कृत कार्यवाही की मांग

143-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड व निर्माण खण्ड व राष्ट्रीय मार्ग फतेहपुर का अलग-अलग वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कराये जाने वाले कार्यों संबंधी संसद सदस्य (लोक सभा) फतेहपुर का पत्र दिनांक 7-6-1996 प्राप्त

हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

अभिलेखों के अनुसार मा0 सांसद जी का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

मा0 सांसद सदस्य (लोक सभा) फतेहपुर का पत्र दि0 7-6-1996 तथा उसमें उल्लिखित कार्यों का विवरण न प्राप्त होने के कारण कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के खेरी रेपुरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु जिलाधिकारी को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

144-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खेरी रेपुरा सम्पर्क मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-98 जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद रामपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

145-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-98 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां । चौडगरा से रामपुर मार्ग से संबंधित पत्र दिनांक 7-4-98 प्राप्त हुआ है ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (टी0ए0सी0) से जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में विकास खण्ड तिन्दवारी के अन्तर्गत पलरा सहूरपुर से बंशीखेड़ा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1996-97 व 1997-98 में प्रदान की गयी धनराशि का मानक के आधार पर कार्य न कराकर अनियमित रूप से खर्च किया जाना तथा तकनीकी जांच की मांग

146-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत पलरा सहूरपुर से बंशीखेड़ा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी? क्या यह सही है कि अनियमित तरीके से पैसा निकाल कर खर्च किया गया और मानक के आधार पर कार्य नहीं कराया गया? क्या उक्त मार्ग की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत नहीं है।

अतः धनराशि प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव रेंज नवाबगंज सेक्शन असोहा में दैनिक श्रमिकों की नियुक्ति तथा ज्येष्ठ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर कनिष्ठ कर्मचारियों की सेवायें जारी करने सम्बन्धी अनियमितता के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

147-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन प्रभाग उन्नाव रेंज नवाबगंज, सेक्शन असोहा में दैनिक वेतन पर कितने माली वाचर कब से कार्यरत हैं? उनका ज्येष्ठता क्रम क्या है? क्या यह सही है कि ज्येष्ठ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर कनिष्ठ कर्मचारियों की सेवायें जारी रखी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी? क्या सरकार ज्येष्ठता क्रमानुसार कर्मचारियों को सेवा में पुनः लेने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है, अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

शासन की नीति के अनुसार वर्तमान में दैनिक श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लागू है।

वर्तमान में वन प्रभाग उन्नाव के नवाबगंज रेंज के असोहा सेक्शन में 14 माली वाचर विभिन्न तिथियों से दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत हैं।

दैनिक श्रमिकों की ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनी है, अतः ज्येष्ठताक्रम निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

जुबली गर्ल्स इण्टर कालेज, चारबाग लखनऊ में छात्राओं को पीने के पानी की टंकी की समुचित व्यवस्था कराये जाने की मांग

148-श्री शिव सिंह चक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जुबली गर्ल्स इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ में छात्राओं को पानी पीने हेतु जो टंकी बनाई गई है वह खुली है जिसके कारण उसमें केंचुए, कीड़े-मकोड़े आदि गन्दगी से जल दूषित रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर स्वच्छ जल पीने की समुचित व्यवस्था कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ से जांच करा ली गई है। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जुबली गर्ल्स इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ के आस-पास लड़कें-लड़कियों के स्कूलों की संख्या एवं एक ही समय में स्कूल/कालेज छूटने से बढ़ती हुई छेड़खानी की समस्या के निवारण की मांग

149-श्री शिव सिंह चक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुबली गर्ल्स इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ के आस-पास लड़के-लड़कियों के कितने स्कूल/कालेज हैं? क्या जुबली गर्ल्स कालेज तथा लड़कों के स्कूल/कालेज की छुट्टी लगभग एक ही समय पर होने के कारण प्रायः छेड़छाड़ की घटनायें दिन-प्रतिदिन हुआ करती हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जुबली गर्ल्स कालेज के गेट से मेन रोड पर आने के स्थान तक स्कूल/कालेज से एक घण्टा पूर्व तथा छूटने के एक घण्टा बाद तक पुलिस व्यवस्था करने हेतु अधिकारियों को आदेशित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

जुबली गर्ल्स कालेज के पास लड़कों के चार तथा लड़कियों के दो कालेज हैं।

ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

स्कूल/कालेज से एक घण्टा पूर्व तथा छूटने के एक घण्टा बाद तक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु गृह विभाग से अनुरोध किया गया है।

जनपद लखनऊ, सरोजनीनगर क्षेत्र तेलीबाग के आस-पास बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

150-श्री शिव सिंह चक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के तेलीबाग, लखनऊ के आस-पास के क्षेत्रों में कोई बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण बालिकाओं को चारबाग, लालबाग क्षेत्र के बालिका विद्यालयों में आना पड़ता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तेलीबाग में एक बालिका इण्टर कालेज खोलने हेतु आदेश जारी करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

जी हाँ।

[illegible] इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना केवल जिला प्लान में है और जैसे ही जिला योजना में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी तत्काल राजकीय कन्या विद्यालय खुलवाया जायेगा।

जनपद लखनऊ में सरकारी एवं सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टर कालेजों में स्वच्छ पानी एवं ट्वायलेट की समुचित व्यवस्था की जानकारी

151-श्री शिव सिंह चक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में सरकारी एवं सहायता प्राप्त हाई स्कूल/इण्टर कालेजों में स्वच्छ पानी पीने की एवं ट्वायलेट की व्यवस्था पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार समस्त हाई स्कूल व इण्टर कालेजों में स्वच्छ जल एवं ट्वायलेट हेतु समुचित व्यवस्था करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नेपाल सिंह-

पीने के पानी तथा ट्वायलेट की व्यवस्था है किन्तु छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं है।

जी हाँ, विद्यालय स्तर पर समस्त उपलब्ध संसाधनों से सभी छात्रों के लिये स्वच्छ पीने के पानी तथा ट्वायलेट की व्यवस्था करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के धुधली व सिसवा के मध्य लोक निमार्ण की सड़क पर हिरना नाले पर 20 वर्ष से निर्मित पक्के पुल का वाहनों से पथकर वसूली की जानकारी तथा इसको समाप्त किये जाने की मांग

152-श्री दीप लाल भारती-

क्या लोक निमाण मंत्री को जानकारी है कि महराजगंज जनपद के धुधली व सिसवा के मध्य लोक निमाण विभाग की सड़क पर हिरना नाले पर 20 वर्ष पहले से निमित पक्के पुल पर आज भी वाहनों से निरन्तर वसूली जारी है? आज तक कितना धन वसूल किया जा चुका है? उसे कब तक समाप्त कर दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

मई 1998 तक रु0 13,95,070.00 वसूल किया जा चुका है।

नियमानुसार ब्याज व अनुरक्षण व्यय सहित पुल की कुल लागत वसूल हो जाने अथवा वसूली के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही पथकर वसूली समाप्त की जाती है।

जनपद शाहजहांपुर कोलाघाट पुल के रुके हुए निमाण कार्य को प्रारम्भ कराये जाने की मांग

153-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 25-3-91 को जनपद शाहजहांपुर में कोलाघाट पुल का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था? यदि हां, तो क्या सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक पुल का निमाण कार्य प्रारम्भ हो जाने के बाद भी अभी तक पुल का निमाण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया? यदि हां, तो क्यों? उपरोक्त पुल का निमाण सरकार कब से प्रारम्भ करा रही है?

श्री कलराज मिश्र-

कोलाघाट पुल का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 25-3-91 को किया गया था।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जिला एटा के भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता द्वारा वनमंत्री को प्रेषित शिकायती पत्र में संदभित आरोपों की जांच तथा कार्यवाही की मांग

154-श्री नेतराम सिंह-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के भा0ज0पा0 के जिला अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता का दिनांक 10-10-97 का शिकायती-पत्र माननीय विधायक

श्री ओंकार सिंह की संस्तुति सहित माह नवम्बर, 97 के तीसरे सप्ताह में माननीय मंत्री जी को मिला था ? यदि हां, तो डी0एफ0ओ0, एटा के भ्रष्टाचार अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग आदि के कौन-कौन और कितने आरोप थे ? जांचकर्ता कौन अधिकारी थे ? जांच के परिणाम क्या हैं ? बाद जांच किस-किस अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जी हाँ।

शिकायती पत्र में राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने, पद के दुरुपयोग, कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन न करने, अवैध कटान एवं निकासी में लिप्त वन कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने, आरा मिल मालिकों को अनुचित लाभ पहुंचाने, मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, वन नियमों का अनुपालन न करने तथा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली के प्राविधानों का उल्लघंन करने आदि के आरोप लगाये गये हैं।

मामले में जांच वन संरक्षक, बरेली क्षेत्र बरेली से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन उ0प्र0 बरेली के पत्र के संदर्भ में जनपद एटा में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बन्द कराई गई तथा चालू आरा मशीनों के विवरण की जानकारी

155-श्री नेतराम सिंह-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन उ0प्र0 बरेली का पत्र संख्या 282/22-1 ई दिनांक 3-8-97 के संदर्भ में जनपद एटा में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कितनी अवैध आरा मशीनें बन्द करायी गयी ? कितनी आरा मशीनें वैधानिक रूप से चालू है ? कितनी आरा मशीनें ऐसी हैं जिनका सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद शुल्क वसूल कर नवीनीकरण/पंजीकरण किया गया तथा कितनी आरा मशीनें ऐसी हैं जिनका बिना लाइसेन्स के ही शुल्क वसूला गया है ? मुख्य वन संरक्षक बरेली का पत्र क्या था ? क्या आरा मशीन नियमावली 1978 व मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

174 अवैध आरा मशीनें बन्द करायी गयी।
95 आरा मशीनें वैधानिक रूप से चालू हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 4-3-1997 के पश्चात् 31 आरा मशीनों से शुल्क वसूल कर लाइसेन्स/नवीनीकरण किया गया तथा 6 आरा मशीनों से बिना लाइसेन्स के शुल्क वसूला गया है।

मुख्य वन संरक्षक, बरेली का पत्र, एटा वन प्रभाग में आरा मिल नियमावली-1978 प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ तथा मुख्य वन संरक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) बरेली के आदेशों की अवहेलना एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से संबंधित है, जिसमें प्रभागीय निदेशक, एटा को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगने एवं संस्तुति तथा आरोप पत्र भेजने के आदेश दिये गये हैं और दिनांक 4-3-1997 के पश्चात् वसूल किये गये नवीनीकरण शुल्क के आधार पर चलने वाली आरा मशीनों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें शीघ्र बन्द कराने तथा उत्तर दिनांक 15-8-97 तक प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

इस संबंध में शासन द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी जांच में प्रभागीय वनाधिकारी, एटा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता में किसी अधीनस्थ कर्मचारी की अन्तर्ग्रस्तता हो तो उनके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निदेश दे दिये गये हैं।

156-श्री मुरलीधर-

[3रे शुक्रवार में अता0प्र0सं0 200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

157-श्री मुरलीधर-

[3रे शुक्रवार में अता0प्र0सं0 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फतेहपुर में संस्कृत विद्यालयों, छात्र एवं सेवारत शिक्षकों की संख्या की जानकारी तथा विद्यालयों से फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की जांच और कार्यवाही की मांग

158-श्री मुरलीधर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितने संस्कृत विद्यालय हैं? उनमें कितने छात्र अध्ययन करते हैं? कितने शिक्षक सेवारत हैं? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं? क्या इन संस्थाओं की जांच सरकार करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जनपद फतेहपुर में 17 संस्कृत विद्यालय हैं जिनमें कुल मिलाकर 1030 छात्र अध्ययन करते हैं तथा 74 शिक्षक सेवारत हैं।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिलाधिकारी आगरा द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनवाये जाने की जानकारी

159-श्री विजय पाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 में ग्राम पंचायतों के आधार पर स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर जिलाधिकारी आगरा द्वारा एक स्वीकृत भवन के स्थान पर 2-2 भवनों के निर्माण करा दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त जिलाधिकारी को जांचोपरान्त दण्डित किया जायेगा?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी नहीं। विभागीय मानक के अनुसार स्वीकृत किये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

160-श्री विजय पाल सिंह-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

161-श्री महेन्द्र कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशोदिया-

(दिनांक 26-6-98 को अता0प्र0सं0 181 द्वारा उत्तरित)

162-श्री श्रीराम पाल-

(2रे बुधवार में अता0प्र0सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

163-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

(2रे बुधवार में अता0प्र0सं0 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

164-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

(2रे बुधवार में अता0प्र0सं0 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

165-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

(2रे बुधवार में अता0प्र0सं0 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

166-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

(2रे बुधवार में अता0प्र0सं0 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद चन्दौली के राजकीय महाविद्यालय चकिया में विज्ञान व स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन किये जाने की मांग

167-श्री सत्य प्रकाश सोनकर-

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय महाविद्यालय चकिया

चन्दौली में विज्ञान की कक्षायें एवं स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित न होने के कारण अ0जा0एवं पिछड़े वर्ग तथा आदिवासी बाहुल्य इस अति पिछड़े क्षेत्र के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें एवं विज्ञान की कक्षायें चलाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नेपाल सिंह -

यह कहना तथ्यपरक नहीं है कि राजकीय महाविद्यालय चकिया, चन्दौली में विज्ञान की कक्षायें एवं स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित न होने के कारण अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग तथा आदिवासी बाहुल्य इस अति पिछड़े क्षेत्र के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों तथा वचनबद्धताओं के कारण वर्ष 1998-99 में राजकीय महाविद्यालय चकिया, चन्दौली में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नये संकाय खोला जाना विचाराधीन नहीं है । निजी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्परता से विचार किया जायगा ।

जनपद रायबरेली के मान्यता विहीन महर्षि विद्यामंदिर नामक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की सी0बी0एस0ई0 के शिक्षण कार्य विषयक प्रकरण की जांच एवं प्रभावी कार्यवाही की मांग

168-श्री चेतराम-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रायबरेली शहर में पुराना मुंशीगंज रोड निकट पुरानी चुंगी चौकी के समीप स्थित महर्षि विद्या मंदिर नामक विद्यालय को हाइस्कूल की मान्यता प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में कक्षा 9-10 अंग्रेजी माध्यम की सी0बी0एस0ई0 की पढ़ाई हो रही है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी प्रशासनिक अधिकारी से करवाकर नियम विरुद्ध कार्य करने के लिये संबंधित व्यक्तियों/प्रधानाचार्य को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नेपाल सिंह -

जी हां, । जनपद रायबरेली में महर्षि विद्या मंदिर नामक किसी विद्यालय को परिषद् द्वारा कोई मान्यता नहीं प्रदान की गई है ।

रायबरेली जनपद में उक्त नाम से किसी विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में 1997-98 में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण सत्र निरस्त होने का मामला

169-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 का बी0टी0सी0 प्रशिक्षण सत्र को निरस्त कर दिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण को निरस्त कराने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में जांच गतिमान है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

170-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(दिनांक 26.6.98 को अता0 प्र0 सं0 180 द्वारा अन्तरित)

प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राचार्यों, विभिन्न विषयों के लेक्चरार एवं प्रोफेसर तथा रीडर के पदों पर नियुक्ति का मामला

171-श्री राम औतार शाक्य-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 मार्च, 1997 के बाद अब तक प्रदेश के महाविद्यालयों में कितने प्राचार्यों एवं विभिन्न विषय के लेक्चरार, प्रोफेसर एवं रीडर के पद पर नियुक्तियां की गयी हैं? उनमें से कितनी नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा की गयी और कितनी नियुक्तियां उक्त आयोग के अनुमोदन के बिना हुई हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बिना अनुमोदन की नियुक्तियों का विधिक आधार क्या है? क्या सरकार उक्त पदों पर आयोग के माध्यम से पुनः नियुक्तियां करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में केवल प्राचार्य एवं प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होती है। पूर्व संस्तुतियों के आधार पर 21 मार्च, 1997 के बाद प्राचार्य के पांच पदों पर एवं प्रवक्ता के आठ पदों पर नियुक्तियां हुयी हैं। ये सभी नियुक्तियां उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद, कोरांव देवघाट रोड निर्वाचन क्षेत्र मेजा पर 45 वर्ष पुराने बने पुल पर टोल टैक्स की वसूली माफ कराये जाने की मांग

172-श्री राम कृपाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कोरांव देवघाट रोड निर्वाचन क्षेत्र मेजा, इलाहाबाद पर पुल का निर्माण हुए लगभग 45 वर्ष हो गया है? क्या यह सही है कि अभी तक पुल का टैक्स वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस टोल टैक्स की वसूली माफ करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं। लगभग 29 वर्ष पूर्व पुल का निर्माण हुआ था।

जी हां।

व्याज एवं अनुरक्षण व्यय सहित सेतु की कुल लागत अभी तक वसूल नहीं हो सकी है।

जी नहीं।

क्योंकि सेतु की मूल लागत के साथ व्याज एवं अनुरक्षण व्यय सहित वर्तमान में रु0-169.09 लाख की धनराशि की वसूली अवशेष है।

जनपद जौनपुर में गोमती नदी पर सदभावना पुल के निर्माण कराये जाने की मांग

173-श्री अफजाल अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में गोमदी नदी पर सद्भावना पुल निर्माण विषयक प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो स्थानीय जनता की असुविधा को देखते हुए उक्त नदी पर पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण अधिकारी डी0 पी0 ए0 पी0 प्रथम पचपेड़वा जनपद बलरामपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र एंव कृत कार्यवाही की जानकारी

174-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, डी0 पी0 ए0 पी0, प्रथम पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर के विरुद्ध 1 जुलाई,

1994 से 25.4.98 के बीच में प्रश्नकर्ता तथा अन्य जन प्रतिनिधियों का कोई शिकायती पत्र प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग तथा निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान को प्राप्त हुआ है ? वर्तमान समय में सतर्कता अधिष्ठान से जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह -

जी हां । एक शिकायती पत्र दिनांक 24.7.97 निदेशक, उत्तर प्रदेश, सतर्कता अधिष्ठान को एवं प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 26.3.98 शासन के सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं । प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में जनहित में अवगत कराया जाना उचित नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

175-श्री लाखी राय जोशी-

(4 थे शुक्रवार में अता0प्र0स0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला टिहरी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों में रिक्त अभियन्ता/ सहायक अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्तियां कराये जाने की मांग

176-श्री लाखीराय जोशी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों में कितने अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं ? उन पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केलराज मिश्र -

(क) जनपद टिहरी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों में अवर अभियन्ता के 39 तथा सहायक अभियन्ता के 13 पद रिक्त हैं ।

(ख) उपलब्धता के आधार पर सहायक अभियन्ताओं की तैनाती शीघ्र की जायेगी । अवर अभियन्ताओं के चयन हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी में प्राइमरी पाठशाला रामपुर मिलन्ट में पंजिका में अंकित छात्र/छात्राओं को बाल पोषाहार वितरण

177-श्री धर्मराज निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी में प्राइमरी पाठशाला रामपुर मिलन्ट में कुल कितने छात्र-छात्रायें पंजिका में अंकित हैं तथा कितने छात्रों एवं छात्राओं को बाल पोषाहार वितरण किया गया है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल -

प्राथमिक पाठशाला रामपुर में 125 छात्र-छात्रायें उपस्थित पंजिका में अंकित

हैं तथा वर्ष 1997-98 में विद्यालय के किसी छात्र एवं छात्राओं को खाद्यान्न वितरण कांटेदार द्वारा नहीं किया गया है जिसके लिए कांटेदार के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलापति अधिकारी को पत्र लिखा गया है एवं खाद्यान्न वितरण में उदासीनता हेतु प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है।

जनपद महराजगंज के लाल बहादुर शास्त्री स्मारक महाविद्यालय आनन्द नगर श्री राम नगीना सिंह लिपिक को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी रूटीन ग्रेड क्लर्क का वेतन न देकर कार्यालय अधीक्षक-2 का वेतन दिया जाना

178-श्री विनोद मणि-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद महराजगंज के लाल बहादुर शास्त्री स्मारक महाविद्यालय आनन्द नगर में नियुक्त लिपिक श्री राम नगीना सिंह को माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के बाद भी रूटीन ग्रेड क्लर्क का वेतन न देकर उन्हें कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2 का वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो किसके आदेश से? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों से शासन रिकवरी करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

तत्कालीन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के आदेश से। श्री राम नगीना सिंह अभी सेवारत हैं। अतः उनसे उनको अधिक भुगतानिक धनराशि की रिकवरी किये जाने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। श्री सिंह की सेवा निवृत्ति के पूर्व उन्हें अधिक भुगतानित धनराशि की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बैसार लिंक मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

179-श्री विनोद मणि-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजना वर्ष 1990-91 में स्वीकृत बैसार लिंक मार्ग 9.35 किमी0 कुल लागत 37.01 लाख में 32.15 लाख अवमुक्त होने के बाद आज तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है? अवशेष कार्य 8 वर्षों से रुका हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या विभाग की इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा?

श्री कलराज मिश्र-

जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रश्नगत मार्ग 9.35 कि0मी0 में से 5 कि0मी0 लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है, इसके अतिरिक्त 3.35 कि0मी0 लम्बाई में टाप कोट तक कुटाई हो चुकी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में दीन दयाल योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 में स्वीकृत छितही बुजरुग, मैनहवां नेनसर, सिकन्द्राजीतपुर मार्ग पर कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग

180-श्री विनोद मणि-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में पं0 दीनदयाल योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 में स्वीकृत छितही बुजरुग, मैनहवां, नेनसर, सिकन्द्राजीतपुर लिंक दो-दो कि0मी0 मार्ग पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

पूर्व में निविदाओं का प्राप्त न होने तथा निगोसियेशन व चयनित अनुबन्ध के प्रयास सफल न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब निविदायें प्राप्त हो गई हैं।

कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

प्रदेश में पी0सी0एस0 परीक्षा हेतु समुचित परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की मांग

181-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पी0सी0एस0 परीक्षा हेतु कुल कितने परीक्षा केन्द्र हैं? क्या कोई परीक्षा केन्द्र निरस्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्या छात्रों की सुविधा को देखते हुए सरकार परीक्षा केन्द्र बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

सम्प्रति पी0सी0एस0 (प्रारम्भिक) परीक्षा हेतु 20 परीक्षा केन्द्र एवं पी0सी0एस0 (मुख्य) परीक्षा हेतु 2 (दो) परीक्षा केन्द्र हैं।

जी हाँ, वर्ष 1996 से पूर्व लखनऊ एवं इलाहाबाद के साथ-साथ मेरठ नगर में भी मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जाता था, किन्तु अभ्यर्थियों की संख्या, परीक्षा की स्वच्छता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से लोक सेवा आयोग द्वारा केवल इलाहाबाद एवं लखनऊ में ही मुख्य परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

182-श्री राम कृपाल-

(3रे बुधवार में अता0प्र0सं0 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

निर्माण निगम 1/3 लोक निर्माण विभाग गोण्डा/बलरामपुर में दीनदयाल योजना के अन्तर्गत बनायी जा रही नहर की पटरियों के कार्य में हुई अनियमितता की टी0ए0सी0 जांच की मांग

183-श्री उबेदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में निर्माण खण्ड-1/3 लोक नि0वि0, गोण्डा/बलरामपुर में कौन-कौन नहर की पटरी और कौन-कौन मार्ग पं0 दीन दयाल योजना के अन्तर्गत मिट्टी से लेपन कार्य कराया जा रहा है? क्या कार्य ठेके पर हो रहा है अथवा वर्क-आर्डर पर कराया जा रहा है? क्या यह सही है कि कुछ ऐसे भी मार्ग हैं जिन पर मिट्टी एवं खड़ंजा का कार्य पहले से हो चुका है और उन्हीं मार्गों पर फर्जी कार्य दिखाकर भुगतान ले लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार टी0ए0सी0 से निर्माणाधीन मार्गों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनपद बलरामपुर में नहर की पटरी को पक्का करने का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। पंडित दीनदयाल योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित सम्पर्क मार्गो पर मिट्टी से लेपन का कार्य कराया जा रहा है।

कार्य ठेके पर कराया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 256 पर)

जनपद गोण्डा/बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में स्वीकृत जिला योजना के अन्तर्गत धन के बटवारेमें अनुपातकी जानकारी

184-श्री उबेदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा/बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98 जिला योजनाओं में दोनों जनपदों के 11 विधान सभा क्षेत्रों में धन का आवंटन बराबर अनुपात में किया गया है? यदि बराबर अनुपात में नहीं किया गया है तो उसका कारण क्या है?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

जिला योजना के अन्तर्गत जनपदों/विधान सभा क्षेत्रों में धनाबंटन उनकी भौगोलिक/सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा बनाई गई सड़कों तथा कुम्भ मेला हरिद्वार 1998 में निर्मित सड़कों की गारण्टी की जानकारी

185-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाट मिक्स प्लांट द्वारा बनाई गई सड़कों की न टूटने की गारन्टी कितने वर्ष की सामान्यतया निर्धारित की गयी है? कुम्भ मेला 1998 हरिद्वार में निर्मित मार्गों की गारंटी विभाग द्वारा कितने वर्ष की दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

हाट मिक्स प्लान्ट से बनाई गई सड़कों की न टूटने की गारंटी निर्धारित करने का प्राविधान नहीं है।

कुम्भ मेला, 1998 हरिद्वार में निर्मित मार्गों के स्वीकृत प्राक्कलनों में इस प्रकार की गारंटी का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद जौनपुर की जर्जर सड़कों के सुधार हेतु सरकार से मांग

186-श्री अफजाल अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर नगर की सभी सड़कें जर्जर हो गयी है? क्या सरकार गड्ढा मुक्त कराने हेतु कोई विशेष योजना जनपद जौनपुर के लिये बनाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं। जौनपुर नगर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कें संतोषजनक स्थिति में है।

जी नहीं। जनपद जौनपुर भी शासन की सामान्य गड्ढामुक्त नीति से अच्छादित हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति की जांच की जानकारी

187-श्री अफजाल अहमद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में वर्ष 1996-97 में कुछ अध्यापकों की नियुक्ति फर्जी तौर पर किये जाने की जांच चल रही है? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी?

डा0 नेपाल सिंह-

जी हाँ।

जनपद जौनपुर में प्रश्नगत अवधि में हुई कथित फर्जी नियुक्तियों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय की आडिट टीम से विशेष आडिट कराया गया है। जांच पूर्ण हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

188-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

[चौथे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में ग्राम ककराली स्थित वन भूमि के गाटा सं0 1815 रकबा 2.216 हे0 में से 0.15 हे0 पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

189-श्री लाखीराम जोशी-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम ककराली स्थित वन भूमि गाटा संख्या 1815 रकबा 2.216 हेक्टे0 पर गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा करके भवन निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वहां के निवासियों ने ग्राम प्रधान द्वारा अग्रसरित कई रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र माह मार्च, 1998 से अब तक प्रमुख सचिव, वन, डी0एफ0ओ0 अवध रेंज, हरदोई तथा जिलाधिकारी, हरदोई को भेजे हैं? यदि हां, तो इस प्रकरण पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार वन सम्पत्ति को सुरक्षित रखने हेतु इसमें कठोर कार्यवाही करने व दोषी को दण्डित करने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जी हाँ। जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में ग्राम ककराली स्थित वनभूमि के गाटा सं0-1815, रकबा 2.216 हे0 में से 0.15 हे0 पर कुछ ग्रामवासियों द्वारा कच्ची दीवार बनाकर छप्पर डालने का प्रयास किया गया था।

ग्राम प्रधान द्वारा अग्रसारित एक प्रार्थना-पत्र रेंज में दिनांक 1-5-1998 को प्राप्त हुआ था, जिसके पूर्व ही राजि अधिकारी द्वारा दिनांक 25-4-1998 को अतिक्रमण को खाली कराते हुए अभियुक्तों के खिलाफ वन अपराध कायम कराया गया था।

कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जा चुकी है।

विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही ससमय कर दी गयी है तथा अभियुक्तों के खिलाफ भी विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

190-श्री अजय कुमार पोइया-

[3रे गुरुवार में अता0प्र0सं0 124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

191-श्री अजय कुमार पोइया-

[3रे गुरुवार में अता0प्र0सं0 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

192-श्री राम औतार शाक्य-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

193-श्री अफजाल अहमद-

[3रे गुरुवार में अता0प्र0सं0 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

194-श्री फरीद महफूज किदवई-

[2रे बुध के अता0प्र0सं0 109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

195-श्री दद्दू प्रसाद-

[दिनांक 23-6-98 के अता0प्रसं0 115 के द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी में "महाकवि देव स्मारक समिति कुसमरा" द्वारा महाकवि देव स्मारक के भवन तथा पुस्तकालय आदि के रख-रखाव की व्यवस्था की जानकारी

196-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को ज्ञात है कि हिन्दी के महाकवि देव की स्मृति में "महाकवि देव स्मारक समिति कुसमरा, जनपद मैनपुरी" के तत्वाधान में "महाकवि देव स्मारक" का विशाल भवन कुसमरा बनवाया गया था ? क्या यह सच है कि श्री देव कवि की कृतियों की पाण्डुलिपियां भी मौजूद रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था की है ? क्या उक्त संस्था का जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष है ? यदि हां, तो उक्त भवन के रख-रखाव, पुस्तकालय की व्यवस्था एवं समिति के रजिस्ट्रेशन आदि के विषय में जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ने विगत तीन वर्षों में व उससे पूर्व क्या कारगर कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नेपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

प्रश्नों के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । नियमावली के अनुसार प्रश्नों का उत्तर उपवेशन के एक दिन पहले मिल जाना चाहिये मेरा तारांकित प्रश्न संख्या-16 पर लगा था लेकिन लिखित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

क्या आपने लिखकर सूचना दी थी यदि दी होती तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को भेज देता ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण डा0 जय गोपाल तथा श्री सुक्खनलाल के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन् मुझे अत्यन्त दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस माननीय सदन के दो माननीय सदस्य अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दोनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लिया था और अनेक सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े रहे थे। इनमें से एक स्वर्गीय डा0 जयगोपाल जी, इनका निधन 22 अप्रैल, 1998 को हो गया। इनका जन्म 14 नवम्बर, 1914 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। डा0 जयगोपाल जी 1957, 1962 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे तथा 1974 से 1980 तक विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता संग्राम में वह चार बार जेल गये थे। कांग्रेस कमेटी में वह कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और बड़ी सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। सहकारिता तथा इंटक से भी वह जुड़े रहे। मजदूर संगठनों में उनकी सक्रियता से मजदूरों को भी लाभ मिला। उनके निधन से हमने एक समाजसेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को खो दिया। मैं उनके प्रति सम्पूर्ण सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन् एक और भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री सुक्खन लाल जी नहीं रहे हैं। उनका निधन 25-26 मई, 1998 को हो गया। उनका जन्म 1918 में ज्योतिबा फूले नगर में वहां के फोदापुर ग्राम में हुआ था। 1957, 1962 तथा 1967 में लगातार वह तीन बार सदस्य निर्वाचित हुए, यह उनकी लोकप्रियता का ही प्रतीक है कि वह लगातार एक ही क्षेत्र से निर्वाचित होकर इस विधान सभा में आये। योग्य और कर्मठ नेता थे। जनपद में उन्होंने जाटव सभा की स्थापना की थी, मंडल कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी रहे, उनके शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े रहे और उन्होंने हमेशा गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ी। उनके निधन से बहुत अच्छे राजनेता, निस्वार्थ समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके प्रति सम्पूर्ण सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रीमन् आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य डा0 जयगोपाल जी का 22 अप्रैल, 1998 को निधन हो गया। वह इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम में जिन नौजवानों ने अपना जीवन संकल्पित कर दिया था, उसमें अगली श्रेणी के वह नेता थे। कई बार उन्होंने जेल यात्रायें की। दलितों के उत्थान के लिये उन्होंने काफी काम किया और सहकारिता तथा श्रमिक मंचों से भी जुड़े रहकर उन्होंने समाजसेवा करने का काम किया। सहारनपुर जनपद में शुगर मिल, कपड़ा मिल, पेपर मिल और सिगरेट फैक्टरी के श्रमिकों की लड़ाई उन्होंने जीवनपर्यन्त लड़ी। उनके निधन से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है ....

मान्यवर, मैं अपना और अपने दल की ओर से शोक व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, एक दूसरे सदस्य श्री सुक्खन लाल जी का 25 मई, 1998 को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्योतिबाफुले नगर में निधन हो गया। उनका जन्म ज्योतिबाफुले नगर में हुआ था। वह 1957, 1962 और 1967 में तीन बार लगातार इस माननीय सदन के सदस्य चुनकर आये उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। उठापटक की ऐसी स्थिति में लगातार इस सदन में तीन बार उनको अवसर मिला। वह मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अपने जिले में जाटवों और दलित वर्ग संघ की उन्होंने स्थापना की थी वह जिला दलित वर्ग संघ तथा जाटव सभा के प्रधान भी थे। शिक्षा जगत से भी उनका जुड़ाव था। वह शिव हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रेसीडेंट तथा आर्य समाज के सदस्य थे। कला व्यायाम तथा अध्ययन में उनकी बड़ी रुचि थी। श्री सुक्खन लाल जी के निधन से जनपद ज्योतिबाफुले नगर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी खो दिया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल के लोगों की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सम्मानित डा0 जयगोपाल जी का निधन 20 अप्रैल, 1998 को हो गया। उनके निधन से हमारे बीच एक सामाजिक एवं राजनीतिक साथी नहीं रहा है। उनके अभाव में हम सभी लोग शोकमग्न हैं। इसके साथ ही साथ एक ऐसे वरिष्ठ साथी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इस माननीय सदन के दो बार सदस्य रहे हैं और विधान परिषद् के भी माननीय सदस्य रह चुके हैं ऐसे कर्मठ जुझारु सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेता जिन्होंने सामाजिक सम्मान के लिए गरीबों के बीच में सदैव कार्य किया, नहीं रहे हैं। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्यों की ओर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि मान्यवर, हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे वरिष्ठ एवं बुजुर्ग साथी श्री सुक्खन लाल जी जो इस माननीय सदन के सदस्य तीन बार क्रमशः 1957, 1962 एवं 1967 में चुनकर आये, 25-26 मई, 1998 को उनका निधन हो गया। हमारे बीच में नहीं रहे श्री सुक्खन लाल जी एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुए और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन से ही लड़ाई प्रारम्भ की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। वे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। कला, व्यायाम एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि रही तथा समाज कल्याण के लिए की गयी उनकी लड़ाई हमेशा यादगार के रूप में बनी रहेगी। मान्यवर, हमारे ऐसे वरिष्ठ साथी, जो हमारी पुरानी पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कड़ी थे हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनके निधन पर अपनी ओर से एवं दल के माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं एवं आपसे निवेदन करते हैं कि हम सबकी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)-

मान्यवर इस सदन के पूर्व सदस्य डा0 जय गोपाल जी के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेता एवं नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो शोक संवेदना व्यक्त की मैं उससे अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, डा0 जय गोपाल जी इस सदन के दो बार और विधान परिषद् के एक बार सम्मानित सदस्य रह चुके हैं। यह सहारनपुर जनपद के एक अग्रणी पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे इन्होंने विभिन्न आन्दोलनों में बढ़चढ़ कर भाग लिया, चार बार जेल जाना पड़ा। उनके निधन पर सहारनपुर में एक अद्वितीय योद्धा खो दिया। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से तथा अपने दल के ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनाएं उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, दूसरे पूर्व सदस्य श्री सुक्खन लाल जी, जो इस सदन के तीन बार सदस्य रह चुके हैं, उनका निधन 26 मई, 1998 को हो गया उनके निधन पर माननीय नेता सदन और माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एवं नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो शोक संवेदना व्यक्त की हैं उससे मैं भी अपने दल को सम्बद्ध करता हूं एवं आपसे निवदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, पूर्व सदस्य जो भी हमारे बीच में नही रहे, डा0 जय गोपाल जी तथा श्री सुक्खन लाल जी के संबंध में जो शोक संवेदना माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की है उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

श्री जय गोपाल जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मैं कई बार जब सहारनपुर गया उनका सानिध्य प्राप्त किया उनके विचार जो थे क्रान्तिकारी थे। उन्होंने इस प्रदेश को दिशा दी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते उन्होंने एक आन्दोलन के रूप में इस प्रदेश को एक दिशा दी वह अपने आप में एक यादगार रहेगी और इस देश और प्रदेश के लोग उस दिशा का पालन करते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे। श्री सुक्खन लाल जी अनुसूचित जाति के परिवार में पैदा हुए थे। इस सदन के सदस्य भी रहे लेकिन अनुसूचित जाति में जन्म लेने के बावजूद भी उनकी विचारधारा क्रान्तिकारी थी। वे सदैव एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में अपने को प्रदर्शित करते रहे। उन्होंने केवल बिजनौर को ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश को नई दिशा दिखायी। आज ये दोनों लोग हमारे बीच नहीं हैं। इन लोगों के न रहने से हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है परन्तु जो रास्ता उन्होंने प्रदेश को दिखाया, वह इस प्रदेश के लोगों को एक नई दिशा देगा। मैं और मेरा दल उनके निधन पर शोक व्यक्त करता है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे और हमारे दल की ये संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 जयगोपाल तथा श्री सुक्खन लाल जी इस आदरणीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के भूतपूर्व सदस्य थे। इनके निधन पर जो शोकाकुल विचार माननीय नेता सदन तथा अन्य दल के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। ये दोनों सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप मे इस आदरणीय सदन को गौरवान्वित कर चुके हैं। जहां तक डा0 जय गोपाल जी का सवाल है, वह अपने जनपद के, अपने अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ही नहीं जाने जाते थे अपितु कुशल समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते थे। मजदूरों के हित के लिए वह अन्तिम क्षण तक लड़ाई लड़ते रहे। विशेष रूप से चीनी मिल मजदूरों पेपर मिल मजदूरों तथा सिगरेट फैक्ट्री के मजदूरों के संगठन का नेतृत्व करते हुए मजदूरों को उनके वाजिब हक दिलाने के लिए वह अन्तिम क्षण तक संघर्ष करते रहे। श्री सुक्खन लाल जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस आदरणीय सदन के लिए चुने गये थे। 1957, 62 तथा 67 में आपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। शिक्षा जगत में आपकी विशेष रुचि होने के कारण आपने उसका प्रचार-प्रसार किया। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से इन दोनों सम्मानित सदस्यों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी ये भावनायें पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, डा0 जय गोपाल जी दो बार विधान सभा के तथा एक बार विधान परिषद् के सदस्य रहे। उनकी एक क्रान्तिकारी शख्सीयत थ। सहकारी आन्दोलन से भी वह जुड़े रहे। उन्होंने सहारनपुर की सिगरेट फैक्ट्री, कपड़ा मिल, चीनी मिल के मजदूरों को संगठित किया और उनके हितों की लड़ाई वह लड़ते रहे, उनका यह योगदान हमेशा याद किया जायेगा। श्री सुक्खन लाल जी भी इस आदरणीय सदन के तीन बार सदस्य रहे। उनका योगदान भी हमेशा याद किया जायेगा। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से शोक-संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे शोक संवेदना के ये भाव इनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों 22-4-98 को इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे डा0 जय गोपाल जी का निधन हो गया। वह सहारनपुर से इस सम्मानित सदन के दो बार तथा एक बार विधान परिषद् के सदस्य रहे। डा0 जय गोपाल जी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा था। उत्तर प्रदेश में मजदूरों को संगठित करने का सबसे बड़ा काम उन्होंने अपने जीवन में किया। आज उनके निधन से हम सभी शोक-संतप्त हैं। डा0 जय गोपाल जी के निधन के संबंध में माननीय नेता सदन, माननीय विपक्ष के अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे दल की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शोक-संवेदनायें उनके परिवारजन तक पहुंचाने की कृपा करें।

इसी क्रम में आदरणीय श्री सुक्खन लाल जी जिनकी मृत्यु 25/26-5-98 को हो गयी वह ज्योतिबा फूले नगर से तीन बार इस विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आये थे। श्री सुक्खन लाल जी अपने जीवन में समाज, दलितों के उत्थान के लिए उनकी सामाजिक शैक्षिणिक उत्थान के लिए योगदान देते रहे। उनके निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के नेताओं ने रखे हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

* श्री रामजग-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के पूर्व सदस्य डा0 जय गोपाल जी जो राष्ट्रीय आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे और ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में उन्होंने सेवा की, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया वह सदैव हमें याद रहेगा। मान्यवर, राष्ट्रीय आजादी के एक साथी ने अपनी कुर्बानी दी है। हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनका जो सपना था, उनका जो उद्देश्य था वह महत्वपूर्ण था। मान्यवर, आज हमारा राष्ट्र गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो आज साम्राज्यवादी ताकतें हमारे देश में निगाह रखी हुई हैं और हम आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, नयी आर्थिक नीति जो हमारी सरकार लगा रही है, तो जो उनका सपना है उसको याद करते हुए हम संकल्प लें कि हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सुक्खन लाल जी जो इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य थे। उन्होंने इस देश की सेवा की उन्होंने समाज के लिए अपने जिले में और उत्तर प्रदेश में महान कार्य किया। इन दोनों के निधन से जो उन्होंने याद छोड़ी है, जो संकल्प छोड़ा है, जो विचार छोड़े हैं उनको याद करते हुए संकल्प लें कि हम उनके कार्य को पूरा करेंगे। मान्यवर, इस संबंध में जो माननीय नेता सदन, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता लोकतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता, लोकतांत्रिक कांग्रेस, माननीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता, जनता दल, माननीय नेता भारतीय किसान कामगार पार्टी ने जो विचार रखे हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

(श्री राजा राम पांडे जी का नाम पुकारे जाने पर उपस्थित नहीं थे)

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)-

मान्यवर, माननीय डा0 जय गोपाल जी और माननीय श्री सुक्खन लाल जी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे उनके निधन के विषय में जो विचार नेता सदन, नेता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिपक्ष तथा अन्य नेताओं ने रखे हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, डा0 जय गोपाल जी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सामाजिक और राजनीति चेतनाओं से जिस प्रकार से इस देश और प्रदेश की सेवा की जो क्रांतिकारी मोड़ दिया उससे यह देश और प्रदेश लाभान्वित हुआ। मान्यवर, सहारनपुर में श्रमिकों की समस्या के लिए अपने जीवन काल में आंदोलन करके उनकी समस्याओं का निदान किया। एक अच्छे सुयोग्य स्वतत्रता संग्राम सेनानी के नाते उन्होंने इस देश और प्रदेश की सेवा की। श्री सुक्खन लाल जी दलित समाज में पैदा होने के बाद उनके जीवन में आर्य समाज का बहुत बड़ा महत्व था उन्होंने इस नाते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा के स्तर पर अद्वितीय सेवा की और प्रदेश को एक नया रास्ता दिखाया। उन दोनों के निधन पर हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

उन दोनों के निधन पर हमारी शोक-संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र सिंह -

माननीय अध्यक्ष महोदय, डा0 जयगोपाल तथा श्री सुक्खन लाल के निधन पर माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। आज हमारे बीच जय गोपाल जी नहीं रहे, इससे हमें बहुत बड़ा कष्ट है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी और हमारे दल की शोक-संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। मान्यवर, दूसरे सदस्य श्री सुक्खन लाल जी हमारे बीच में नहीं हैं वह सहारनपुर के थे। मेरे दिल में उनके प्रति ममाहत है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, डा0 जय गोपाल जी सहारनपुर के थे, वह बड़े गांधी वादी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मान्यवर, गांधीवादी होने के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद् के अध्यक्ष रहे और उसके साथ ही जनपद के नौजवानों को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित परम्पराओं मूल्यों के वाहक बनकर जो मार्गदर्शन दिया वह किसी से छिपा नहीं है। मैं उस क्षेत्र के समस्त नौजवानों की ओर से, जिन्होंने उनसे मार्गदर्शन लिया, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों की ओर से शोक-संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य डा0 जय गोपाल और श्री सुक्खन लाल का निधन 2 माह के अन्दर हो गया है। माननीय नेता सदन तथा इस सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण ने जो शोकोद्गार इन दो माननीय सदस्यों के संबंध में व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। डा0 जय गोपाल का निधन 22 अप्रैल को हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। वह इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य रहे और विधान परिषद् में भी एक बार उन्हें सेवा का अवसर मिला था। वह सहकारिता आन्दोलन से भी जुड़े रहे और श्रमिकों के हित के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से सेवा की। मजदूर आन्दोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनके निधन पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो शोकोद्गार उनके प्रति व्यक्त किये गये है उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। श्री सुक्खन लाल का निधन 25 और 26 मई, 1998 की रात्रि में हो गया। उनकी 80 वर्ष की अवस्था थी और वह तीन बार इस सदन के सदस्य रहे। वह दलितोद्धार से जुड़े रहे। उनके उत्थान के लिये उन्होंने जाटव सभा तथा दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। वे शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े रहे। वे मण्डल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और दलित संघ की स्थापना की। ऐसे समाज सेवी के निधन पर हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो शोकोद्गार उनके प्रति व्यक्त किये गये हैं उन्हें मैं उनके परिवारजन तक पहुंचा दूंगा।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि उनके सम्मान में दो मिनट का मौन धारण करें।

(दो मिनट का मौन धारण किया गया)

अब आप आसन ग्रहण करें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 जून, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अंतर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी।

(निम्नलिखित 6 सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी और 7वीं सूचना श्री मुरलीधर द्वारा पढ़ी गयी।)

जनपद हरदोई में जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्री धर्मेन्द्र मिश्र-

मान्यवर, गेहूं के समर्थन मूल्य पर किसानों का गेहूं रुपया 510 प्रति कुन्तल के हिसाब से न खरीद कर पूरे प्रदेश के गेहूं उत्पादक कृषकों के ऊपर सीधा प्रहार किया गया है। सरकार की लचर व्यवस्था के कारण आज प्रदेश के किसानों का शोषण हुआ है। जिससे कृषकों को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है, इसके तहत मैं अपने जनपद हरदोई के कृषकों के साथ किये गये विश्वासघात के प्रति ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

जनपद हरदोई में जिला खरीद अधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी वर्ष 1998 में जिले के 19 विकास खण्डों में कुल 149 गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाने की सूची के अनुसार सभी केन्द्र संचालित नहीं किए गये, जिससे किसानों ने अपने क्रय केन्द्रों पर गेहूं बिक्री नहीं कर सके और उन्हें मजबूर होकर बाजार में गेहूं बेचना पड़ा और जो केन्द्र स्थापित करके चालू भी किये गये उन केन्द्रों पर भी किसानों का गेहूं खरीद करने वाले केन्द्र प्रभारियों ने नहीं खरीदा और तरह-तरह की मजबूरियां बताते हुए किसानों का गेहूं वापस कर दिया और बिचौलियों का गेहूं लेकर लाखों रुपया कमाया। किसानों के नाम पर फर्जी चेक काटकर बैंक से बिचौलियों द्वारा पैसा निकाला जाता रहा, जब किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया, तब मजबूर होकर इस शोषण के विरुद्ध किसानों ने दिनांक 19 मई, 1998 को मेरे नेतृत्व में माधोगंज चौराहे पर चक्का जाम रखा उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय व क्षेत्राधिकारी बिलग्राम मौके पर आये और किसानों को आश्वासन दिया कि गेहूं की खरीद विधिवत् तरीके से की जायेगी, और किसानों का गेहूं खरीदा जायेगा इसी के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी हरदोई द्वारा दिनांक 21 मई, 1998 को आदेश जारी किया गया। जिसमें समस्त विकास खण्ड अधिकारी व जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी तहसीलदार क्रय केन्द्रों का सघन निरीक्षण जांच दल लेकर जांच करेंगे और कृषकों का गेहूं रुपया 510 प्रति कुन्तल खरीद कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी, परन्तु जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी व्यापारियों का गेहूं खरीदा जाता रहा। शासन उन कृषकों की सूची प्रकाशित करायेगी। जिनका फर्जी चेक बनवाकर पैसा बिचौलियों द्वारा प्राप्त कर लिया गया साथ ही 149 केन्द्रों की सूची को प्रकाशित कर दी गयी थी कि इन पर किसानों का गेहूं खरीदा जायेगा परन्तु 149 केन्द्र संचालित नहीं किये गये। कृषकों के साथ विश्वासघात किया गया। जिससे कृषकों को करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि हुई शासन की लापरवाही के कारण एक वर्ग को लाभ पहुंचाने की सुनियोजित व्यवस्था की गयी जिससे किसानों को आघात पहुंचा और अहित हुआ।

अतः यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है तथा कृषकों के साथ विश्वासघात किया गया है इसलिए सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है अतएव

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसानों के हित में सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर इस गम्भीर विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।)

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के जमतड़गांव में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विशन सिंह चुफाल-

(मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ तहसील डीडीहाट के जमतड़गांव में 20 जून, 98 को हुई अतिवृष्टि के कारण 8 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये 15 जानवर ध्वस्त मकानों के मलवे में दबकर मर गये, 20 मकानों में दरारें पड़ने से जानमाल का खतरा बना हुआ है जिस कारण ग्रामवासियों में भय व्याप्त हैं, ग्राम वासियों कि आटा चक्की (पन चक्की) पूजा स्थल मंदिर आवागमन हेतु नदी में बने दो पुल व रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बह गये है वर्षा का मौसम होने के कारण अभी भी भूस्खलन होने से जानमाल की क्षति होने की पूरी संभावना है ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने व प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की तत्काल व्यवस्था की जाय, साथ ही भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके विकास कार्यों का पुननिर्माण कराया जाय।)

हापुड़ डिपो में राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों व निजी बस मालिकों की मिली भगत से सरकारी राजस्व को हो रही क्षति की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गजेन्द्र सिंह मुन्ना-

(मान्यवर, हापुड़ डिपो उत्तर प्रदेश रा0स0 परिवहन निगम के कर्मचारियों एवं निजी बस मालिकों की मिली भगत से जनता को भारी परेशानी होती है उ0प्र0रा0 स0प0 निगम की बसे सुबह अड्डे पर आकर खड़ी हो जाती है और खड़ी की खड़ी ही रहती है तथा सरकारी अड्डे से निजी बसों द्वारा सवारियां ले जाई जाती है क्योंकि निजी बस मालिक इस बात का उ0प्र0रा0स0प0 निगम के अधिकारियों को महीना देते हैं, जिसके कारण वहां की जनता को भारी परेशानी होती है, लोगों को अपनी-अपनी नौकरियों पर जाने हेतु काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि निजी बसों के चलने का कोई निश्चित समय नहीं है।

अतः मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए उपरोक्त बस डिपों के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।)

जनपद बहराइच में गेस्ट्रो इन्ट्राईटिस/कालरा के त्वरित निदान के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*डा0 वकार अहमद शाह-

(मान्यवर, जनपद बहराइच में इस समय गेस्ट्रो इन्ट्राईटिस कालरा बुरी तरह से फैला हुआ है जिसमें नगरीय क्षेत्र वक्सीपुरा, काजीपुरा, नाजिरपुरा वसीरगंज चोवरा ब्लाक

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ग्राम इटौजा, तुरी एवं बहुत अधिक ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्र प्रभावित है काफी बच्चों की मौत हो चुकी है इस संबंध में मैंने सी0एम0ओ0, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव नगरीय विकास को पत्र लिखे हैं और संपर्क भी किया है। नगरीय क्षेत्र में गन्दगी चरम सीमा पर है। महीनों तक सफाई नहीं होती है और न कूड़ा उठाया जाता है। पेयजल के जो नमूने लिये गये थे, वह भी पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। भयंकर महामारी की आशंका है। नाले साफ न होने के कारण बारिस में बहुत ही विषम स्थितियां पैदा हो जायेंगी।

अतः सरकार से अनुरोध है कि तत्काल जिला अस्पताल में एक वार्ड खोला जाये। लखनऊ मुख्यालय से एक महामारी टीम तत्काल भेजी जाय, और सफाई कराने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा निर्देशन में कराया जाय।}

जनपद गोण्डा के मानकापुर क्षेत्रान्तर्गत श्रवण पाकर तीर्थ स्थल का सौन्दर्यीकरण करने एवं पर्यटन केन्द्र घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद-

{मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनिकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया में श्रवण पाकर तीर्थ स्थल है, जहां पर प्रति वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, पुराणों में भी इसकी मान्यता है कि आयोध्या के महाराजा दशरथ ने शिकार के बहाने श्रवण कुमार को अपना लक्ष्य बनाया था और इसी स्थान पर इनके अन्धे माता पिता ने अपना शरीर त्याग दिया था। यहां पर जो मन्दिर बना है वह कई सौ वर्ष पूर्व पुराना है परन्तु यहां पर मेले में श्रद्धालुओं के लिये शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती है। मसकनवा बभनान मार्ग से श्रवण पाकर मंदिर को सम्पर्क करने वाला मार्ग कच्चा है, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक इस मार्ग का लेपन एवं विद्युत व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था शासन द्वारा नहीं किया गया है, क्षेत्रीय जनता की बराबर मांग रही है परन्तु अभी मांग को पूरा नहीं किया गया, यहां तक की मेरे द्वारा भी श्रवण पाकर मंदिर को सौन्दर्यकरण करने और पर्यटन केन्द्र बनाने के संबंध में शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आप के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि श्रवण पाकर तीर्थ स्थल का सौन्दर्यीकरण करने और पर्यटन केन्द्र घोषित करने आदेश देने का कष्ट करें।}

नोटः- { } यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ स्थित आर0 ए0 एल0 सी0 के निदेशक द्वारा की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया-

(मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित आर0 ए0 एल0 सी0 के निदेशक प्रोफेसर डा0 आशोक कुमार गुप्ता के तानाशाही रवैया, अवैधानिक रूप से पद पर बने रहने लाखों की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के करने एवं उन्हें नौकरशाही का संरक्षण रहने की गम्भीर अनियमितता है।

उक्त परिपेक्ष्य में मुझे कहना है कि डा0 आशोक कुमार गुप्ता निदेशक प्रोफेसर आर0ए0एल0सी0 लखनऊ को अपर निदेशक श्री बी0पी0 जाजू के पत्रांक एम0इ0-2/362 दिनांक 25 फरवरी, 1994 द्वारा उक्त पद की अर्हताएं पूर्ण न करने पर आयोग्य घोषित किया गया था किन्तु नौकरशाही के चलते उपर निदेशक श्री बी0पी0 जाजू का उक्त पत्रांक शासन की पत्रावली से गायब कर दिया गया है। प्रमाण स्वरूप उक्त पत्र की फोटो प्रति मेरे पास उपलब्ध है। जांच के दौरान मैं उसे साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकता हूं।

मैं यहां यह भी कहना समीचीन समझता हूं कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, की खण्डपीठ लखनऊ द्वारा भी दिनांक 16 जुलाई, 1997 को निदेशक प्रोफेसर. पद पर तैनात डा0 अशोक कुमार गुप्ता को निर्धारित अर्हताएं पूर्ण न करने पर अयोग्य एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए अपना निर्णय निष्पादित किया है।

अस्तु मैं मा0 अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि कृपया उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए, व्याप्त नौकरशाही को समाप्त करने, अनियमित कार्यों को प्रतिबन्धित करने हेतु संबंधित मंत्री से स्पष्टीकरण दिलवाने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण में व्याप्त भ्रष्ट नौकरशाही एवं उसके संरक्षण में पल रहे निदेशक प्रोफेसर जैसा अन्य कृत्यों पर प्रतिबन्ध लगाने पर कार्यवाही हो सके और अन्य कोई भी ऐसा कार्य न हो सके।)

जनपद फतेहपुर के ग्राम लोधौरा में बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति को पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुरलीधर-

मान्यवर, मैं आपकी कृपापूर्ण अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 282 किशुनपुर थाना किशुनपुर में ग्राम लोधौरा स्थित है। दिनांक 2-6-98 समय लगभग 4.30 शाम को मेरे साथी श्री परमेश्वर चमार की दबंग व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गयी है जिसका मुकदमा हल्का

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थाना किशुनपुर में पंजीकृत है। ग्राम लोधौरा एवं मजरों के तामाम लोगों ने मिलकर ग्राम सभा की भूमि में बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा फरवरी 1998 में स्थापित कर दी थी एवं भक्तिभाव से पूजा अर्चना करने लगे थे, लेकिन पूरे गांव के लोग खुश थे, लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान एवं उनके सरकस गुण्डों ने जबरन मूर्ति उठा ले गये, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर से की गयी, फलस्वरूप शान्तिभंग का मुकदमा पंजीकृत हुआ एवं तत्कालीन थाना अध्यक्ष किशुनपुर ने मूर्ति प्रदान श्री शिव सेवक सिंह के मकान से बरामद कर लिये एवं थाना किशनपुर में सुरक्षित रख दिया तभी से शिव सेवक सिंह रंजिस मानने लगे थे बाबा साहब के मानने वाले तमाम ग्रामों के लोगों ने थानाध्यक्ष किशुनपुर से मूर्ति वापस मांगते रहे, लेकिन मूर्ति प्रदान की गयी फलस्वरूप तत्कालीन थानाध्यक्ष किशुनपुर चौकी इंचाज विजयीपुर एवं कान्सटेबिल पाण्डेय से मिलकर दिनांक 2-6-98 को प्रधान व भाई सुरेश सिंह ने मिलकर अगुवाई कर रहे बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता परमेश्वर चमार की हत्या कर दिया, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में भय एवं दहशत एवं भय व्याप्त है एवं कई परिवार गांव छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं।

अस्तु मैं चाहूंगा कि थाना किशुनपुर में पुलिस संरक्षण में रखी हुई बाबा साहब की मूर्ति को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए वापस दिलाया जाय जिससे बाबा साहब के अनुवाइयों के दिलों को किसी प्रकार की ठेस न महसूस हो सके।

श्री अध्यक्ष-

प्रतीक्षा सूची की श्री हरदेव सिंह श्री बिन्दु लाल के अतिरिक्त श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री हरवंश कपूर, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, डा0 ज्ञानवती सिंह, श्री लालजी वर्मा, श्री अजय भट्ट, श्री समरपाल सिंह, श्री राम ललित चौधरी, श्री अकबर हुसैन, श्री श्रीराम पाल एवं श्री परवेज हलीम खाँ की सूचनायें अस्वीकार हुई।

नियम 300 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 जून, 1998 को नियम 300 के अंतर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवस्तव एवं श्री जगदम्बिका पाल जी की है।

सरकारी विभागों से सम्बन्धित बजट साहित्य को चार दिन पूर्व उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा

जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 158 (1) में यह प्राविधान है कि सरकारी विभागों से संबंधित बजट साहित्य कम से कम 4 दिन पूर्व अवश्य मिल जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय मैं बहुत तकलीफ और पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा आज से प्रारम्भ होने जा रही है। लेकिन विभागीय परफारमेंस बजट का साहित्य माननीय विधायकों को समय से प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष पीठ से जारी किये गये निदेश संख्या 158 (1) की यह खुली अवहेलना है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के लिये गंभीर नहीं है कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिये प्रदेश की जनता के लिये जो प्रबंध किये गये हैं उसकी समयक चर्चा सदन करें। इसलिये पीठ से जारी किये गये निदेशों की खुली अवहेलना सरकार करती है और अपेक्षित सूचना देने के मामले में सरकार गंभीर नहीं है। जिन अनुदानों की मांगों पर चर्चा आज से प्रारम्भ हो रही है और आज जो विभाग लगा हुआ है उससे संबंधित जो परफारमेंस बजट है वह कम से कम 4 दिवस पूर्व माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो जाना चाहिये। आज जिन विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा होनी है, उसका बजट साहित्य कल ही उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आचरण यह प्रदर्शित करता है कि उसकी आस्था संसदीय लोकतंत्र में नहीं है। वह यह नहीं चाहती है कि जो वित्तीय प्रबंध करने जा रहे हैं उसकी समालोचना हो और उस पर सम्यक चर्चा हो सके, विवेचना हो सके। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों वह सहमत होंगे कि पूरी तरह से सच्चाई उजागर न हो सके और अपने प्रबंध पर परदा डालने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम समय देना चाहती है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी कुछ कहना चाहते हैं।

* श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो औचित्य का प्रश्न है इस पर एक रटा रटाया उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी दे देंगे। आप इस बात से सहमत होंगे कि आज उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस सत्र में सरकार से ज्यादा गंभीर विपक्ष के लोग हैं और मैं इसलिये इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है कितने ज्वलन्त सवाल हों, कितने महत्वपूर्ण सवाल हों, कितने माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल हो फिर भी इस सदन के सत्र की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के चलाने का प्रयास प्रतिपक्ष कर रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्वेश्चन आवर हो, जीरो आवर हो या औचित्य के प्रश्न जो हम उठाते हैं उसमें हम चाहते हैं कि सरकार प्रश्नों का उत्तर गम्भीरता से दे।

मान्यवर, इस पीठ से स्पष्ट रूप से निदेश दिये गये थे कि बजट पर विभागवार चर्चा हो तो उसका साहित्य माननीय सदस्यों को 4 दिन पूर्व हस्तगत कर देना चाहिए। मान्यवर, आज बजट है और कल शाम को यहां हमें मिला। इस तरह से किसी भी विभाग के बजट पर आलोचना करने की नीयत से नहीं कह रहा हूं लेकिन नीयत यह होती है कि समय से साहित्य उपलब्ध हो जाये तो उस पर अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकें। हम सभी सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, जनता से सीधा सम्बन्ध है। मान्यवर, यह इस पीठ की अवहेलना है। इस सरकार को बार-बार स्पष्ट निदेश दिये जाने के बाद भी बजट साहित्य समय से पूर्व नहीं मिल रहा है। यह गम्भीर बात है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निवहेन करना चाहिए।

*पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने को वस्तुस्थिति तक सीमित रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मद संख्या-10 पर खाद्य एवं रसद विभाग का बजट रखा है। इससे संबंधित बजट साहित्य विधान सभा सचिवालय में 26 जून को ही उपलब्ध करा दिया गया और विधान सभा सचिवालय की रसीद संलग्न है कि सारी की सारी संबंधित सामग्री (लिटरेचर) दिनांक 26-6-98 को यानि आज से 5 दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय में प्रस्तुत कर दिया था। मान्यवर, जहां तक यह औचित्य का प्रश्न है उसके बारे में अपवादस्वरूप कभी सरकार की ओर से कमी आई भी है तो चूंकि माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिये गये निदेश इससे पूर्व में हैं कि साहित्य कम से कम एक दिन पूर्व मिल जाना चाहिए क्योंकि यदि उसी दिन मिलेगा तो माननीय सदस्य उसका उपयोग नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, प्रयास होना चाहिए कि 4 दिन पहले ही मिल जाये लेकिन जो कभी-कभी ऐसी स्थिति आती भी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिये गये निदेश कि एक दिन पूर्व मिल जाना चाहिए, का संरक्षण नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

निदेश के अनुसार बजट का साहित्य 4 दिन पहले मिल जाना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे प्रयास करेंगे कि समय से उपलब्ध हो जाय। प्रक्रिया संबंधी निदेश 158 (1) इस मामले में बहुत स्पष्ट है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने इसका संज्ञान ले लिया है। इसी के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण कर रहा हूं।

प्रश्नों का उत्तर सदन में सही रूप से न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-38 (1) की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से ससंगत होगें और अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेगें। मान्यवर, यह तृतीय सत्र 1998 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्न सं0-179 के बारे में कह रहा हूं। प्रश्न था कि क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक रामनगर जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में तेल कम्पनी के थोक विक्रेता के होते हुए भी केरोसीन तेल का ब्लाक वितरक एक साधारण व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। शासनादेश संख्या-1646/29-33(के0ओ0)/90, दिनांक 19-5-90 खाद्य एवं रसद अनुभाग-7 के पैरा 3-1 का उल्लंघन किया गया है। यदि हां, तो नियम विरूद्ध नियुक्ति किये गये वर्तमान ब्लाक वितरक को खारिज करके थोक विक्रेता को ब्लाक वितरक नियुक्त करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों?

मान्यवर, जो उत्तर आया है उसमें कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सूचना तो जिलाधिकारी से आ चुकी है। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नियम विरूद्ध शासनादेश का उल्लंघन करके ब्लाक वितरक नियुक्त किया गया है चूंकि वह भाजपा का कार्यकर्ता है। उसे पहले एक बार जिलाधिकारी ने हटा दिया था लेकिन पुनः यह सरकार आयी है तो फिर उसे नियुक्त कर दिया गया है। जबकि ब्लाक वितरक नियमानुसार शासनादेश के पैरा 3-1 के अनुसार होना चाहिए लेकिन खाद्य मंत्री जी ने इसमें भ्रामक और गुमराह करने वाला उत्तर दिया है। इसलिए इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

मान्यवर, इसी प्रकार तृतीय सत्र 1998 के दूसरे सोमवार की नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या-113 जो माननीय सदस्य विजय कुमार द्वारा पूछा गया है में भ्रामक उत्तर दिया गया है। इस प्रकारण में क्या गृह मंत्री बताएगें कि थाना रेपुरा में धारा 120 बी के मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है, और धारा 120 बी के नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? मान्यवर, यह स्पष्ट मर्डर का मामला है और इसमें दिनदहाड़े दौड़ाकर मारा गया है। इसमें एफ0आई0 आर0 में उसका नाम आया है। लेकिन 302 के मुल्जिम को तो गिरफ्तार किया गया है किन्तु धारा 120 बी0 के मुल्जिम जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, मां0 मंत्री जी का आना चाहिये आश्वासन कि मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन धारा 302 के मुजिल्म कल्लू, मुन्ना आदि को तो गिरफ्तार किया गया किन्तु धारा 120 के जो मुल्जिम है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

मान्यवर, आप सरकार को निदेश दें कि वह प्रश्नों के उत्तर सदन में घुमा फिराकर न दें। इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यदि किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं होता है और नियमानुसार वह प्रश्न स्थगित माना जाता है और 15 दिन में कार्य सूची पर स्वतः आ जाता है।

माननीय सदस्य ने दूसरे प्रश्न में जो कहा है कि भ्रामक उत्तर दिया गया है तो उसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन तथा नियमावली में 165 और 166 निदेश दिये हैं। यदि उत्तर से आप असंतुष्ट नहीं हैं तो उन निदेशों के अन्तर्गत आप सूचना दे सकते हैं और फिर विधिवत् कार्यवाही की जायेगी। इसलिए नियम 300 के अन्तर्गत आपकी यह सूचना नहीं आती है इस लिए इसे मैं निरस्त करता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का अनुपालन छः माह बाद भी न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बाबू राम यादव-

माननीय अध्यक्ष, महोदय इस विधान सभा का गठन, इसका संचालन और सत्रों का आहूत करना, अधिवेशन बुलाना, संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत आता है। उसमें जो निर्णय होता है इसमें जो संकल्प होते हैं अथवा अध्यक्ष द्वारा जो निदेश दिये जाते हैं उनका पालन करना सरकार और माननीय सदस्यों का दायित्व होता है।

मान्यवर, मैंने दिनांक 12-8-97 को नियम 301 में जनपद मैनपुरी में जो सड़कें ध्वस्त हो गयी थी उन्हें बनवाने के संबंध में सूचना दिया था और उसे आपने नियम 301 में स्वीकार किया था और सरकार को निदेश दिया था, लोक निर्माण मंत्री जी को यह आदेश दिनांक 12-8-97 को दिया था कि 6 माह में मंत्री जी ने मुझे पत्र लिखा कि हमने कार्यवाही करने के निदेश दे दिये हैं और अब उसके बाद 6 महिने हो गये हैं किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

आज तक कार्यवाही नहीं हुई है मान्यवर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। कोई समय-सीमा है आपके निदेश के बाद 6 महीने के बाद पत्र लिखा गया। जनवरी में जाकर पत्र लिखा गया है जनवरी से 6 महीने पूरे हो गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है मान्यवर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्पष्ट निदेश दें आपके निदेश का पालन होना चाहिए उसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

जहां तक 301 के पालन का प्रश्न है विभागीय मंत्री हैं जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है और जहां तक सड़क की मरम्मत का प्रश्न है विधान सभा के नियमों से संबंध सड़क निर्माण से नहीं है मैं विभागीय मंत्री जी से आग्रह कर लूंगा और यह भी आग्रह कर लूंगा कि प्रयास करके जो व्यवस्था सम्भव हो वह करें।

श्री बाबूराम यादव-

पहली बात तो यह है कि मान्यवर मैंने आपसे आपके कक्ष में निवेदन किया था कि ध्वनि-व्यवस्था सदन की इतनी खराब है कि माननीय मंत्री जी धीरे से कोई बात कहते हैं तो किसी की समझ में नहीं आता है। लाबी में तो आवाज साफ आती है लेकिन जो माननीय मंत्री जी यहां बोलते हैं वह स्पष्ट सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाबूराम जी का कहना है कि यह आपके उत्तर को सुन नहीं पाए।

श्री हुकुम सिंह-

हमारे बाबूराम जी से उत्तर प्रतिउत्तर चलते रहते हैं आज यह नहीं सुन पाए मैं फिर सुना देता हूं। जहां तक सड़क की मरम्मत का प्रश्न है मैं विभागीय मंत्री से आग्रह करूंगा इस प्रकरण को गम्भीरता से देख लें जो व्यवस्था संभव हो वह करा दें।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, 6 महीने पहले निदेश दिए जा चुके हैं तो क्या कोई समय सीमा है कि इन निदेशों का पालन कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष जी के निदेश के 6 महीने बाद पत्र लिखा गया और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या आप लोक निर्माण मंत्री जी को निदेश देने की कृपा करेंगे कि इसमें कितना समय लगेगा? इसमें कार्यवाही कितने समय में होगी, यह मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

निदेश देने की स्थिति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अध्यक्ष पीठ से निदेश दिए जाते हैं तो यह अपेक्षा की जाती है कि उन निदेशों का यथोचित पालन हो जाएगा। निदेशों का पालन करने में कठिनाई होगी तो माननीय मंत्री जी सूचित कर देंगे कि पालन नहीं कर पा रहे हैं। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आ रही है इसलिए इसको निरस्त करता हूं।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, निदेशों का पालन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

विभिन्न प्रकार के निदेश होते हैं, कुछ निदेश ऐसे होते हैं जिनके अनुपालन में समय लगता है कुछ निदेश ऐसे होते हैं जिनका पालन तुरन्त करना होता है। तो निदेश भी विषय के अनुरूप दिए जाते हैं। मैंने इसीलिए यथोचित कह दिया है।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, आपने कहा कि नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है यह सवाल निमय 300 में पूरी तरह से आता है। यह सदन के संविधान की धारा 174 के तहत संचालित होता है। अगर आपके निदेशों का सरकार पालन नहीं करती है तो संविधान की अवहेलना होती है। अगर यह सवाल नियम 300 में नहीं आएगा तो फिर किसमें आएगा हमारा यहां बैठने का मतलब क्या है? सरकार का मतलब क्या है?

श्री अध्यक्ष-

301 की सूचना का आशय क्या होता है? नियम-301 की सूचना का आशय यह होता है कि सदन के संज्ञान में कोई बात लाई जाएगी सूचना लाई जाएगी उसके अनुसार निर्देशित किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, यह सरकार निदेशों का पालन नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा, तो सदन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके निदेशों का पालन न हो, यह परम्परा पड़ती गई, या परिपाटी हो गई तो यह सदन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। वैसे भी बेकार है। सब गलत बयानी हो रही है। कल मुख्यमंत्री जी सब गलत-बयानी कर रहे थे, आपने कल मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिलवाया। मैं मजबूर तो नहीं कर सकता, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप इतने विद्वान हैं आपकी बात को कोई इधर-उधर नहीं कर सकता है। मैं चाहता था कि कोई समय सीमा तय हो जाए, इसके बारे में कोई निदेश हो जाए लेकिन इस तरह का आपने निदेश नहीं दिया जो निदेश किया जाए उसका पालन हो यह मैं चाहता था। मैं चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से यह आना चाहिए कि इतने दिनों बाद आपके निदेशों का पालन होगा। यह होता तो ठीक है, नहीं तो सदन का कोई मतलब नहीं। मेरा प्रश्न 300 का बनता है, यह औचित्य का प्रश्न बनता है मेरी प्रार्थना है कि इसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष-

नियम 301 की सूचना के बारे में केवल इतना संगत है जो सदस्य सदन के अन्दर कोई ऐसा विषय लाना चाहता है जो औचित्य का प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप से सूचना देंगे। आपने सूचना दे दी। नियम 300 की इस सूचना में संक्षेप में उस विषय को बताएगें जिसे वह सदन में उठाना चाहते हैं। संक्षेप में उसका कारण बताएगें, क्यों उठाना चाहते हैं। उन्हें इस प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा दे दी जायेगी साथ ही अध्यक्ष समय और तिथि भी तय करेंगे। जब नियम 301 में सूचना आती है और स्वीकार हो जाती है उसको फिर शासन को भेज दिया

जाता है। जो सूचना स्वीकार की जाती है वह पढ़ी हुई मानी जाती है। इसका अर्थ हुआ कि यह विषय सदन के संज्ञान में आ गया। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि पीठ की ओर से मैंने कौन सा निदेश दिया है जिसका अनुपालन नहीं हुआ है?

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, विधान सभा सचिवालय का अर्थ है मा0 अध्यक्ष जी का सचिवालय। मैं विधान सभा सचिवालय के पत्र संख्या 1433/14.8.97 का विषय इटावा-मैनपुरी, किशनी, सिरतागंज के क्षतिग्रस्त मार्ग को मरम्मत करने के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो विषय हो गया।

श्री बाबूराम यादव-

इसमें लिखा है सदन के प्रश्नों के घंटे के बाद माननीय सदस्यों के द्वारा लोक महत्व के प्रश्नों को सदन के संज्ञान में लाने को विनियमित करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 विधान सभा के द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 के अनुसार मेरे द्वारा दिनांक 12.8.97 को दी गई संलग्न सूचना जिसको मा0 अध्यक्ष विधान सभा ने नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में स्वीकार किया है। आपकी सेवा में इस निवेदन के साथ भेजा जा रहा है कि आप कृपया इस सम्बन्ध में सारी जांच कराकर अन्तिम उत्तर एक माह के भीतर सम्बंधित सदस्य को तथा सदस्य को भेजे गए उत्तर की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भेजने का कष्ट करें। एक महीने का निदेश दिया गया था लेकिन उस निदेश का पालन नहीं हुआ और मुझे 6 महीने बाद पत्र लिखा गया। जब सदन में मंत्रियों द्वारा गलत बयानी की जायेगी तो सदन की कार्यवाही चलने का कोई मतलब नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना का उत्तर विलम्ब से आया। क्या उत्तर देंगे क्या उत्तर नहीं देंगे। इसके लिए मैं बाध्य नहीं कर सकता। निदेश 14 के अन्तर्गत उत्तर समयबद्ध सीमा के अन्दर आना चाहिए।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री बाबूराम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, 300 की सूचना स्वीकार करने का मतलब है, अध्यक्ष जी ने निदेश दे दिया है और जिस कार्यवाही की मांग की गयी है वह कार्य सम्पन्न करा दिया जाये, आमतौर पर यही इसका अर्थ है। मान्यवर, आपने निदेश दे दिया।

आपके कहने पर पत्र नहीं लिखा गया, 6 महीने बाद लिखा जायेगा। आपने एक महीने में सूचना देने का लिखित आदेश दिया था। आप सरकार का संरक्षण कर रहे हैं, जबकि संरक्षण हमारा करना चाहिए। मान्यवर, सड़क निर्माण की बात छोड़ दीजिए, इस राज्य में सड़क नहीं बननी है, इन परम्पराओं को तोड़ने से बचाइये, यह बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन परम्पराओं को टूटने, विघटित होने से बचाइये।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह अपेक्षा करता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कि जो नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें आयें उसके संबंध में नियम और निर्देश स्पष्ट हैं, कृपया निदेश-14 का अनुपालन करा लें तो बहुत सी बात हो जायेगी। प्रायः यह देखा गया है कि सूचना के संबंध में जो उत्तर आना चाहिए वह समय से नहीं आता इसके कारण माननीय सदस्यों में असन्तोष भी उत्पन्न होता है। सभी माननीय मंत्रियों को निदेश दें कि इसका समय से पालन करें।

श्री बाबूराम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई समय-सीमा निर्धारित करायेंगे?

श्री अध्यक्ष-

निदेश दे दिया है, माननीय मंत्रियों से कलम पकड़कर हम लिखायेंगे नहीं।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, समय सीमा बांधने का निदेश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप यह बतायें कि अगर यह निदेश दे दूंगा कि माननीय मंत्री जी इतने दिन के अन्दर सड़क बनवा दें तो यह नहीं बनवा पायेंगे। हम एक दूसरे की सीमा और अधिकार क्षेत्र का ध्यान रखेंगे तभी हो पायेगा।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, आपके अधिकार क्षेत्र और शक्ति की जानकारी मुझे है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप इस प्रकरण को समाप्त करें। 4 सूचनायें नियम 300 की और हैं वह है श्री भोला शंकर मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री चन्द्र नाथ सिंह एवं डा0 धर्मेन्द्र मिश्र की हैं जो किसी प्रकार से नियम 300 में नहीं आती हैं अतः मैं इनको निरस्त करता हूं।

श्री चन्द्र नाथ सिंह -

मान्यवर, आप हर एक को सुन लेते हैं और मेरी सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपा कर एक-एक मिनट में सुन लें।

श्री अध्यक्ष -

अच्छा ठीक है, मैं सुन लेता हूं लेकिन संक्षेप में अपनी-अपनी बात कहें। श्री भोला शंकर मौर्य जी अपनी बात कहें।

श्री भोला शंकर मौर्य -

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। शासन के आदेश का उल्लघंन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष -

शासन के आदेश का उल्लंघन नियम 300 के अन्तर्गत कैसे आयगा?

श्री भोला शंकर मौर्य -

मान्यवर, स्थापित परम्पराओं का उल्लंघन हो रहा है। यह सूचना नियमों में नहीं आयेगी तो किस में आयेगी?

श्री बी0 आर0 वर्मा -

मान्यवर, भोला शंकर मौर्य जी ने जो सूचना दी है जब वह उसकी ग्राह्यता पर बोलेंगे तभी आप समझ पायेंगे। आप 1 मिनट ग्राह्यता पर उसको सुन लें।

खण्ड विकास अधिकारी सहसवान बदायूँ द्वारा पंचायत भवन मैनी का उद्घाटन पूर्व विधायक से कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष -

भोला शंकर मौर्य जी आप ग्राह्यता पर अपनी बात कहें।

श्री भोला शंकर मौर्य -

मान्यवर, इसमें शासन को निदेश जारी कर दें कि आगे यह परम्परा न पड़ जाये। दिनांक 30-5-98 को खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बदायूँ में एक पराजित विधायक के द्वारा न्याय पंचायतों का उद्घाटन कराया गया। जबकि शासनादेश है कि डी0एम0 और एस0पी0 कमिश्नर द्वारा भी उद्घाटन नहीं कराया जायेगा, पराजित विधायक द्वारा उद्घाटन कराना कहां तक न्यायसंगत है। यह शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं, यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष -

आपके विचार आ गये। आपको सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती। शासनादेश जिसके अन्तर्गत,

स्कूल, भवन, मार्गों का शिलान्यास, उद्घाटन कौन करे, दिया हुआ है। यह विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली से सम्बद्ध नहीं है इसलिये इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री राम ललित चौधरी की है।

परिवहन राज्य मंत्री द्वारा परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, 28 तारीख को सहारनपुर में परिवहन राज्य मंत्री ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स करके परिवहन विभाग में एक उच्च अधिकारी पर आरोप लगाया कि मेरे नाम पर 2 लाख रुपया ए0आर0टी0ओ0 कानपुर से घूस ले लिया इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया कि विभाग के 7 दलाल, जिसमें उसके 4 सगे भाई भी शामिल हैं तथा 3 विभाग के अधिकारी शामिल हैं के माध्यम से 4 करोड़ रुपया एकत्र किया है। इस तरह के गम्भीर आरोपों का लगाया जाना बड़ा ही दुखदाई है। यह इस तरह का एक विभाग का मामला है तो और विभागों का क्या होगा? यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का जो नारा दिया गया है, वह एकदम खोखला है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो क्योंकि माननीय राज्य मंत्री ने इस तरह का आरोप लगाया है, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं। इस समय ट्रांसफर-पोस्टिंग का सीजन चल रहा है और खूब भ्रष्टाचार चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः मैं इसको निरस्त करता हूं।

वर्ष 1996-97 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के बारे में जनपद जालौन के विधायकों से प्रस्ताव पुनः मांगे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-170 के आधार पर इस विधान सभा का गठन और संरचना की गई है और हम सब विधान सभा सदस्यगण अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये प्रस्ताव करते हैं। जनपद जालौन में वर्ष 1996-97 में बुन्देलखण्ड विकास निधि का 179 लाख रुपया इस वर्ष पी0एल0ए0 से निर्गत किया गया। जनपद जालौन में 4 विधान सभा क्षेत्र हैं। उसमें जिलाधिकारी, जालौन ने हर विधायक से 45-45 लाख के कार्यों हेतु प्रस्ताव मांगे, गत माह हम लोगों ने प्रस्तुत भी कर दिये। अभी इसी 28 जून को स्थानीय निकाय की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अब 18-18 लाख के प्रस्ताव दीजिये। बुन्देलखण्ड विकास निधि, जिसमें माननीय विधायकों के सुझावों पर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें न तो माननीय मुख्यमंत्री जी का झांसी, ललितपुर, जालौन आदि का दौरा हुआ, न कोई किसी प्रकार की घोषणा हुई कि कटौती कर दी गई है। यह पक्षपात करके कुछ विधान सभाओं में पैसा ज्यादा दिया जा रहा है और प्रतिपक्ष के जहां सदस्य हैं, वहां कम दिया जा रहा है, यह अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्रीराम पाल जी को सुनने के पश्चात्, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिए इसको निरस्त करता हूं। परन्तु फिर भी आपको स्मरण होगा कि पिछले दिनों मैंने ग्राम्य विकास मंत्री जी को निदेश दिया था कि नेतागणों की बैठक बुलाकर सभी विधायकों की भागीदारी तथा संतुलित व्यय को सुनिश्चित करें।

दिनांक 30 जून, 1998 को नगरपालिका द्वारा प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिये बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री चन्द्र नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सूचना दी है वह नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न बनता है इसलिए कि विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर उठाये जा रहे हैं। आपकी पीठ से कई बार निदेश भी हुआ है कि जिस समय विधान सभा का सत्र चल रहा हो, जिले में कोई भी बैठक कार्य दिवस में आयोजित नहीं की जा सकती है लेकिन नगरपालिका में चुनाव हो रहा है प्रतापगढ़ में। जब मैंने कल नगरपालिका को फोन करके कहा, कि बैठक आहूत हो रही है, मैं नहीं आ सकता हूं तो उन्होंने कहा कि विधान सभा से मेरा क्या मतलब है, बैठक हमने बुलाई है। तो आप ऐसी स्थिति में जो निदेश यहां पर दिये गये हैं उसका पालन करायें।

नगर पालिका इस विधान सभा से ऊपर नहीं है। यह विधान सभा पूरे 16 करोड़ जनता की यहां पर रक्षा के लिये है, उसके हितों की रक्षा के लिये है। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 24 तारीख को टाउन एरिया में उपाध्यक्ष पद का चुनाव कर लिया गया मैं यहां पर विधान सभा में हूं यहां पर इस बात की व्यवस्था हो जानी चाहिए कि क्या बैठक बुलाई जा सकती है या नहीं? मान्यवर, आज वहां इसीलिए चुनाव कराया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नगरपालिका में फूट पैदा हो गयी है, मैं पहुंचूगा तो गड़बड़ हो जायेगा। मेरा यहां प्रश्न भी लगा था मैं विधान सभा का सत्र छोड़ भी नहीं सकता था। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने दिया तो मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था दी गयी है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसी नगरपालिका को बर्खास्त किया जाय। मैंने इसकी सूचना जिलाधिकारी को दे दी थी, कल मैंने लिखित रूप से आपको सूचना दे दी थी। मेरा प्रश्न औचित्य का बनता है क्योंकि मैं पदेन नगरपालिका का सदस्य हूं और इस सदन का सदस्य हूं। प्रतापगढ़ में पहुंच नहीं सकता क्योंकि वह 200 कि0मी0 है यहां से वहां पहुचने में साढ़े तीन घंटे लगेंगे।

श्री प्रमोद कुमार -

श्रीमन् माननीय सदस्य ने बताया कि उनके वहां पर रहने से वहां का स्वरूप परिवर्तित हो सकता था तो मेरा आपसे आग्रह है कि यह बैठक किसी और दिन बुलाई जाये जिस दिन विधान सभा की बैठक न हो।

श्री चन्द्र नाथ सिंह -

मान्यवर, यह पूर्ण रूप से सदन की कार्यवाही से संबंधित है इसलिए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह) -

मान्यवर इससे पूर्व भी कई बार ऐसे प्रश्न उठाये गये और माननीय पीठ से निदेश भी दिये गये हैं लेकिन जो निदेश दिया गया था यह उन बैठकों के बारे में था जैसे डी0आर0डी0ए0 की बैठक, जिला योजना की बैठक, इसमें माननीय सदस्य अपने अधिकारों से वंचित न किये जायें।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन या तो वह बिना जानकारी के बोल रहे हैं कि नगरपालिकाओं की बैठक के लिए ऐसे निदेश नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष -

अभी तो उनकी आधी बात ही हुई है, अभी तो उन्होंने डी0आर0डी0ए0 का उल्लेख किया है।

श्री प्रमोद कुमार -

नगरपालिका के लिए ऐसे निदेश नही हैं, यह कहा है।

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, कार्यवाही दिखवा लीजिए।

श्री प्रमोद कुमार -

सुन लीजिए, यह सुनना नहीं चाहते हैं, हत्थे से उखड़ जाते हैं।

मान्यवर, वाराणसी नगर महापालिका की बैठक आहूत थी और इसी पीठ से मान्यवर, 1990 में श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने प्रश्न उठाया था। उस पर मैं उनके साथ खड़ा हुआ था यह निदेश हुए थे कि कोई भी बैठक नगरपालिका या पंचायत तथा टाउन एरिया की जिसके माननीय सदस्य पदेन सदस्य हैं वह नहीं बुलाई जा

सकती है। यह कहना अनुचित है कि डी0आर0डी0ए0 की बैठक के लिए निदेश थे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो वस्तुस्थिति है, अब संविधान में संशोधन के बाद में, चाहे नगर-पालिका परिषद् हो, चाहे टाउन एरिया हो नगर पंचायत जिसे कहते हैं, जिला पंचायत हो, प्रबल अधिकार इन संस्थाओं को दिये गये हैं। यह जिलाधिकारी बैठक नहीं बुलाते हैं उनके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष बैठक बुलाते हैं। मान्यवर, हमें सोचना पड़ेगा कि जो सम्मान विधान सभा का है, अपने स्तर पर चुनी हुई संस्थाओं का सम्मान है, हम चुनी हुई संस्थाओं के पदेन सदस्य हैं वहां पर निर्वाचित सदस्य हैं क्या हम प्रतिबंध लगायेंगे कि दो महीने तक सत्र चलेगा तो क्या दो महीने तक इन तमाम संस्थाओं को उनका सामान्य काम करने से वंचित रखेंगे? मान्यवर, वह एक विशेष कार्य के लिए चुनी हुई संस्थाएं हैं हम तो केवल वहां पर पदेन सदस्य के रूप में उपस्थित रहते हैं यह चिंतन का विषय है कि क्या इस कारण से, वहां के हम पदेन सदस्य हैं और किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उनकी बैठक न बुलाई जाये। आज बैठक (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात आ जाने दें।

श्री हुकुम सिंह-

दूसरा पक्ष यह है कि जो बैठकें जिलाधिकारी द्वारा या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बुलाई जाती हैं उनकी स्थिति बिल्कुल भिन्न है वे सरकार के सीधे-सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं लेकिन इन संस्थाओं के अध्यक्ष हमारे प्रशासनिक नियन्त्रण में नहीं हैं। वे स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनका अपना ऐक्ट है उनके अपने नियम हैं जिलाधिकारी को कौन सा अधिकार है कि उस अधिकार के तहत वे जिला पंचायत की बैठक को या नगरपालिका परिषद् की बैठक को स्थगित कर सकते हैं। मान्यवर, 1990 का जो उदाहरण दिया यह सब था जब संशोधन नहीं हुआ था संविधान में। संविधान में अधिकार मिलने के बाद आपने बजट भी दे दिया सीधे-सीधे वे हमारी ग्रांट पर मुनासिर नहीं हैं। मैं इस मत का हूं कि इन संस्थाओं को काम करने दें अगर आपको मतदान करना था, केवल इस वजह से इन संस्था को भंग करने की मांग कर सकते हैं हमारा आशय स्पष्ट हो जाता है क्योंकि हम नहीं जा पाये, नगरपालिका परिषद् को भंग कर दिया जाए। यह मंतव्य को स्पष्ट करता है। मान्यवर, जैसा निदेश होगा, उसका पालन होगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जानबूझकर मंत्री जी सदन को गुमराह करने वाली और सदन की गरिमा को कम करने वाली बात कर रहे हैं इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है।

*श्री अरबिन्द गिरि-

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी को निर्देशित नहीं कर सकते कि बैठक की तिथि का परिवर्तन करें। मान्यवर, 4-4 बार इसी पिछले महीने में माननीय मंत्री जी से आदेश पर हमारी पालिका के चुनाव को निरस्त किया गया और आगे की तारीखों को भी बदला गया। मान्यवर, 31 तारीख को निदेश दिया गया कि संसद चल रही है सांसद महोदय नहीं आ सकते हैं इसलिए बैठक स्थगित कर दी जाए तो मान्यवर, जहां एक तरफ जिलाधिकारी के निदेश चल रहे हैं वहीं यह बात है कि जिलाधिकारी को निदेश नहीं दे सकते। मान्यवर, हमारे ऊपर भी यह परिस्थिति आने वाली है। जहां भाजपा के अध्यक्ष हैं वहां तो दूसरी तारीखें लगाई जा रही हैं। जहां दूसरी दीगर पार्टियों के लोग अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं, उनको ये बर्खास्त करना चाहते हैं। यह कैसे चलेगा? इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह एक ऐसा प्रश्न उठ गया है। इस पर बहस नहीं हो रही है। चूंकि माननीय विधायकों से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं सुन रहा हूं।

*श्री रिफाकत हुसैन चौधरी-

मान्यवर, अभी हमारे यहां 12 तारीख को धनारा नगर परिषद्, जनपद ज्योतिबा फूले नगर की बैठक सुनिश्चित थी। यहां से मंत्री जी ने आदेश दिया कि चूंकि माननीय सांसद सत्र के कारण इस बैठक में नहीं आ सकते हैं, इसलिए इस बैठक की तिथि को अगले दिन रख दिया जाय। अब वह मीटिंग 20 तारीख को रखी गई है। क्या माननीय मंत्री जी जिस जिलाधिकारी ने यह बैठक रखी है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह केवल एक सदस्य का सवाल नहीं है और न ही सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्य का प्रश्न है। यह पूरे सदन का सवाल है। जैसा कि आपको स्मरण होगा और श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा भी कि श्री शतरुद्र प्रकाश जी के एक इसी प्रकार के प्रस्ताव पर इस पीठ से स्पष्ट निदेश दिये गये थे कि भविष्य में जब कभी सदन का सत्र चल रहा हो, उस दिन पंचायत नगर महापालिका का उपवेशन नहीं होगा। इसकी बैठकें उस दिन रखी जायें, जिस दिन विधान सभा का सत्र न चल रहा हो। माननीय मंत्री जी हमको भी थोड़ी बहुत जानकारी है। जिला पंचायत के अध्यक्ष को आपने अधिकार दिया है सी0डी0ओ0 का करेक्टर रोल रखने का, ब्लाक प्रमुख को बी0डी0ओ0 का करेक्टर रोल रखने का। आप यह बतला रहे हैं कि ये स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, जिलाधिकारी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मान्यवर, पूरा हस्तक्षेप है। इसलिए इस संबंध में आपका पीठ से स्पष्ट निदेश जाना चाहिए। माननीय सांसद के लिए तो माननीय मंत्री जी के निदेश चले जाते हैं परन्तु माननीय सदस्य, विधान सभा के लिए नहीं। इसमें हमें आपका संरक्षण चाहिये। जो प्रकरण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य ने उठाया है, इसकी बैठक शनिवार में भी रख सकते थे, रविवार को रख सकते थे। इसलिए आज आपके निदेश जाने चाहिये कि जिस दिन विधान सभा का सत्र चल रहा हो उस दिन न तो पंचायत की बैठक होगी, न नगर महापालिका की बैठक होगी और न ही टाउन एरिया की और न उस दिन कोई वोटिंग होगी।

श्री जगदम्बिका पाल -

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो आप निर्णय लेंगे वह भविष्य के लिये एक परम्परा तथा दृष्टान्त होगा। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि नगर पालिका, टाउन एरिया व पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, वह चुने हुए होते हैं और इस सदन के सदस्य, केवल पदेन सदस्य होते हैं। मान्यवर, अगर सत्र के दिन इन संस्थाओं की बैठक होगी तो इस सदन के माननीय सदस्य अपने अधिकार से वंचित हो जायेंगे। पिछले दिनों चुनाव हुए जबकि यहां पर सत्र चल रहा था, हम अपने अधिकार से वंचित हो गये। इसमें कोई टकराव की बात नहीं है।

इस सदन के सदस्य की उपस्थिति की बात है। यह स्पष्ट तौर पर श्री प्रमोद तिवारी और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई भी बैठक चाहे वह जिला पंचायत की हो, ब्लाक की हो, डी0आर0डी0ए0 की हो, कलेक्टर की बात नहीं है, एक निर्णय लेना है, वह निर्णय हो जाय और भविष्य में इसका लाभ ही मिलेगा। यह तो हो नहीं सकता कि एक सदस्य यहां भी उपस्थित हो और वहां भी उपस्थित हो एक ही समय में तो एक निर्णय ले लें।

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह -

मान्यवर, किसी विशिष्ट नगरपालिका का उल्लेख, किसी संस्था का उल्लेख नहीं है। आज पूरे प्रदेश की नगरपालिकाओं में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन होना है और यह 20 जून से 30 जून के मध्य होना है इसके लिए सचिव नगर विकास ने निदेश भी दे दिये हैं। जब उन्होंने यह निदेश दिये थे तो उन्हें निश्चित रूप से यह जानकारी में होगा कि 18 जून से विधान सभा का सत्र चल रहा है। मान्यवर, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत में तो हम सदस्य होते हैं लेकिन हमें राइट टू वोट नहीं है लेकिन नगरपालिकाओं में हमें राइट टू वोट है। तो इससे निश्चित रूप से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और इससे विधायक का सम्मान भी प्रभावित होगा। इसलिए हम अपने मत का प्रयोग कर सकें इस हेतु नगर विकास सचिव को निदेश दे दिये जायें कि वे सत्र चलने के उपरान्त ही इसका चुनाव करें।

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, एक नयी बात यहां पर आयी कि 20 जून से 30 जून के मध्य के आदेश यहां से गये हैं। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि उसे संशोधित करा दिया जायेगा और सत्र के उपरांत कोई तारीख तय की जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, यह स्वागत योग्य कदम है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तत्काल जायें और रेडियोग्राम या फैक्स हेतु निदेशित कर दें। क्योंकि आज 30 तारीख हो गयी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। एक बार यदि प्रक्रिया आरम्भ हो गयी और बहुत से लोग निर्विरोध भी हो जाते हैं तो वह न्यायालय में चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख रहा हूं। वैसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि भारत का संविधान के अनुसार नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, टाउन एरिया और जिला पंचायत से संबंधित अधिनियमों को देखकर उनमें जो पदेन विधायक सदस्य हैं उनके अधिकारों का हनन न हो इस हेतु एक सुविचारित निर्णय दे दूंगा। आज मैं इस व्यवस्था को सुरक्षित रखता हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक विद्वान सदस्य हैं और वह पहले भी संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। उन्हें शायद यह जानकारी नहीं है कि प्रतापगढ़ में श्री वेद प्रकाश वेदान्ती जो कि भाजपा के सांसद हैं उन्होंने दिल्ली से फैक्स किया तो चुनाव निरस्त करा दिया। ऐसी स्थिति में जब पार्लियामेंट में उपस्थित रहने से चुनाव निरस्त हो सकता है तो यह विधान सभा का सत्र चल रहा है और नगरपालिकाओं के चुनाव हो रहें हैं तो इसे निरस्त किया जाय।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप संगत नियमों में सूचना दे दें, सुन लिया जायेगा। अभी मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। संगत नियमों में दे दें, आप की बात को सुन लूंगा।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मैं अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहता हूं। नियम 304 में यह व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मान हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं, तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

मान्यवर, 26 तारीख को बजट भाषण के समय माननीय नेता सदन यहां पर बैठे हुये थे।

श्री अध्यक्ष-

आप इसके लिये लिखकर दे दें। कौन सा शब्द निकाला जाना है? यदि तात्कालिक हो, तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 29 जून, 1998 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 30 जून, 1998 से 23 जुलाई, 1998 तक के सदन द्वारा अनुमोदित उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(1) दिनांक 8 जुलाई, 1998 को सदन की बैठक न रखी जाय।

(2) दिनांक 7 जुलाई, 1998 को सदन की बैठक रखी जाय।

(3) दिनांक 6 जुलाई, 1998 के लिये पूर्व निर्धारित लोक निर्माण विभाग नागरिक उड्डयन विभाग तथा सूचना विभाग के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान संबंधी मदों को दिनांक 7 जुलाई, 1998 को रखा जाय एवं दिनांक 8 जुलाई, 1998 को पूर्व निर्धारित कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान संबंधी मदों को दिनांक 6 जुलाई, 1998 को रखा जाय।

(4) सदन की दिनांक 30 जून, 1998 से 23 जुलाई, 1998 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :-

जून, 1998	
30 मंगलवार	(1) निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त)
	(2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
	(3) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।
जुलाई, 1998	
1 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
	(2) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

2 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3 शुक्रवार — 1-असरकारी दिवस (आधा दिन) (असरकारी संकल्प)।

1-वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3-(1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिन्ह "विधि" रख दिये जाये।

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन, जतीपुरा तथा राधाकुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार के 'आवागमन कर' तत्काल समाप्त किये जायें।"

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर, प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधारने के लिये पीपल व नीम के वृक्षों का, ऐसे राजमार्गों के दोनों ओर वृहद् रूप से वृक्षारोपण किया जाय।"

4 शनिवार — बैठक नहीं होगी।

5 रविवार

6 सोमवार — (1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

---

(2). 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

7 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
8 बुधवार	(ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
9 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
10 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (आधा दिन)
11 शनिवार	
12 रविवार	बैठक नहीं होगी।
13 सोमवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

14 मंगलवार	
15 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों
16 गुरुवार	पर विचार एवं मतदान।
17 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
18 शनिवार	
19 रविवार	बैठक नहीं होगी।
20 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर
21 मंगलवार	विचार एवं मतदान।
22 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

23 गुरुवार (1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (4.00 बजे अपराह्न तक)

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा सदन में दी गई है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम औतार शाक्य सदस्य द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर पर शोधन वक्तव्य

(दिनांक 21 जुलाई, 1997 को श्री राम औतार शाक्य, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर पर शोधन वक्तव्य)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

दिनांक 21 जुलाई, 1997 को श्री राम औतार शाक्य, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के संबंध में श्री राम औतार शाक्य, सदस्य विधान सभा ने, अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कमिशन समिति की रिपोर्ट आ गई है या नहीं" उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "जी नहीं" उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :- "जी हां" मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियां संलग्न हैं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं स्थगित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30-6-1998 को नियम-311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल

23 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्न सूचनायें चयनित की गई। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। पहली सूचना श्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीश कुमार, श्री मुन्ना चौहान इसी विषय पर श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री अखिलेश सिंह की सूचना इलाहाबाद स्थित त्रिवेणी ग्लास फैक्ट्री की अवैधानिक बंदी तथा प्रबन्ध तंत्र की हठवादिता के कारण सैकड़ों श्रमिकों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(श्री रेवती रमण सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री राम नक्षत्र -

मान्यवर, एक गम्भीर प्रकरण है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों नौजवान जो भूख से मर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। हमें भी भूख लगी है लेकिन यह एक गम्भीर प्रकरण है इस पर जरा हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष -

यह तो डा0 लोग भी कहते हैं कि कभी-कभी उपवास करना चाहिए।

श्री जगदंबिका पाल -

मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य प्रश्नकाल से एक गंभीर प्रश्न उठाना चाहते हैं। आप उनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष -

विशेषाधिकार की सूचनायें हो जायेंगे उसके बाद सुन लूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, यह सरकार बराबर कानून की दुहाई देती है कि कानून का राज्य होगा, भयमुक्त समाज होगा। मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि न कहीं कानून का राज्य है और न कहीं भयमुक्त समाज है। यह सरकार खुद कानून का पालन नहीं कर रही है। और कानून का पालन कराने में पूरी तरह अक्षम है। मान्यवर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, नैनी, इलाहाबाद में स्थित है। 1962 में यह कारखाना खुला था। इस कारखाने में टरबाइन, ब्वायलर बनाते हैं जिनकी शुगर प्लांट में डिमांड है। यह विदेश को भी एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है 27-11-97 को इस कारखाने में तालाबंदी कर दी गयी और एक नोटिस लगाकर रातों-रात तालाबंदी कर दी गई। न धारा 25 में 60 दिन का नोटिस दिया गया और न तालाबंदी करने के लिए सरकार से परमीशन ली गयी। सभी नियमों को ताक पर रखकर तालाबंदी की गयी। मान्यवर, 30 तारीख को जिलाधिकारी ने ताला खुलवा दिया और कारखाना चालू करवा दिया लेकिन पहली तारीख को इसके मालिक श्री ध्रुवलाल साहनी ने दिल्ली के किसी मंत्री के इशारे पर फिर कारखाना बंद कर दिया न सरकार से परमीशन ली गयी, न धारा 25 के अंतर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया,

कारखाना बंद कर दिया गया जबकि कारखाना फायदे में चल रहा था और करोड़ों रुपयों का फायदा हो रहा था। मान्यवर, श्रमायुक्त, श्रम सचिव का आदेश है, कलेक्टर का आदेश है, श्रम मंत्री का आदेश है लेकिन किसी के भी आदेशों का पालन करने के लिये ध्रुवलाल सहनी तैयार नहीं है। इस कारखाने के 50 फीसदी लोगों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति ले ली है। इसी कारखाने की सब्सिडियरी बंगलौर में चल रही है और ओखला में काम करवाया जा रहा है। मेरा आरोप है कि जब कारखाना फायदे में चल रहा था तो नियमों को ताक पर रखकर कारखाने को बंद कर दिया और कानून का राज्य चलाने वाले यह नहीं चाहते हैं कि इसके मालिक के खिलाफ कार्यवाही हो। मेरी मांग है कि इसके मालिक को जेल भेजा जाय, कारखाना तत्काल खुलवाया जाय और श्रमिकों को पुनः काम पर लगाया जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक अत्यंत गम्भीर प्रकरण है। इस पर हजारों मजदूरों के भविष्य का प्रश्न जहां जुड़ा है वहीं उनके परिवारों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। इलाहाबाद औद्योगिक नगरी में जिस तरह से कानून का उल्लंघन किया है यह गंभीर अपराध है। कारखाना मालिकों ने श्रम कानूनों का पालन नहीं किया और लाकआउट कर दिया यह पूरी तरह से हठवादिता का प्रतीक है। सरकार और फैक्ट्री मालिक की मिलीभगत से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। 60 दिन का नोटिस भी नहीं दिया गया है। यह स्थिति बड़ी शर्मनाक है। शासन इस मामले पर गंभीर नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि लाकआउट तुरंत हटाया जाय और किन परिस्थितियों में बंद किया गया है उनको बताया जाय। और इसके मालिक के खिलाफ श्रम कानूनों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जानी चाहिये तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का भी यह उल्लंघन है। इसके अंतर्गत मुकदमा कायम करके श्रमिकों को उनका जायज हक दिलाया जाय और फैक्ट्री चलायी जाय यह मैं मांग करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में मैं जो बातें कहीं गयी हैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं 2 बिंदुओं के बारे में कहना चाहता हूं। यह मामला कंसीलियेशन अफसर के सामने प्रस्तुत हुआ था और मान्यवर, इण्डस्ट्रियल एक्ट में यह लिखा है कि :-

दि स्टेट गवर्नमेन्ट मे सब्जेक्ट टू दि प्राविजन्स आफ क्लाज (।।) आफ सेक्सन 7

इन्फोर्स बाई एन आर्डर इन फार्म ।।। ए एनी सेटलमेन्ट एराइब्ड एट बिफोर ए

कन्सीलिएशन आफिसर इन कोर्स आफ प्रोसिडिंग्स।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

तो मान्यवर, इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार धारा 7 (।।) के अन्तर्गत रहते हुए ।।। ए के माध्यम से संराधन अधिकारी के सम्मुख हुए समझौते को लागू करायेगी। मान्यवर मेरा निवेदन यह है कि सरकार को शक्ति है कि जो फैसला हुआ है उसको लागू कराये। सेक्शन 7 में जो दूसरी शक्ति है उसके अन्तर्गत लिखा है कि फार्म 3ए में दिया है कि उस फार्म में जो आर्डर है। वह स्पेसिफाई किया गया है उसको इन्फोर्स करायें। अभी तक यह समझौता होने के बाद लोगों को मजदूरों का वेतन नहीं मिला है। इस आर्डर का पालन करायें। जैसा कुंवर साहब ने कहा कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग रिट्रेंचमेन्ट का काम कर रही है, उसको लाभ हो रहा है उसके बावजूद भी वह मजदूरों की छटनी कर रही है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं। आपका ध्यान चाहता हूं अधिष्ठाता जी। जो रिट्रेंचमेन्ट की बात है उसमें भी कहा गया है कि -

व्हेयर अण्डर दि गुइस आफ रिट्रेन्चमेन्ट दि इम्पलायर विक्टिमाइजेज इट इज नाट

ए केस आफ रिट्रेन्चमेन्ट 'दि एक्सप्रेशन' एनी रीजन डज नाट रूल आउट इनवेस्टिगेशन

आफ एन एलीगेशन दैट रिट्रेन्चमेन्ट वाज़ मेलाफाइड।

इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई रिट्रेन्चमेन्ट करना चाहता हूं इस आधार पर झूठ के आधार पर कि उसकी फैक्ट्री के लिये काम नहीं है। फैक्ट्री नहीं चल रही है। यदि करता है तो यह ऐसा अधिकार नहीं है जिसकी जांच नहीं की जा सकती हो इसलिए मान्यवर, यह जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग के लोग रिट्रेन्चमेंट कर रहे हैं उसकी जांच करायें। यह कोई युक्तियुक्त आधार हो या नहीं यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इन मजदूर लोगों की तनख्वाह दिलवा दें। जो रूल्स में प्राविजन है कि कान्सीलियन आफिसर के सामने प्रासीडिंग हुई है उसको इन्फोर्स करने का काम सरकार करे जिससे मजदूरों में अशांति न फैले।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप स्वयं अवगत हैं कि एक सूचना माननीय अध्यक्ष जी अपने विवेक से लेते हैं उसके बाद में शलाका में 3।। और 56 में से पांच सूचनाएं होती हैं जो कि सुनने के लिये होती हैं। मैं क्रम में चल रहा हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, आज जैसे ही विधान सभा उपवेशन शुरू हुआ उस समय माननीय सदस्य और हमारे दल के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने माननीय अध्यक्ष जी से यह आग्रह किया कि नियम-3।। में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है। जिस

समय नियम-56 लिया जायगा पहली सूचना के रूप में उसे ले लिया जायेगा। लेकिन इसके बाद भी पहले एक सूचना ले ली गई। मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सिद्धार्थनगर में 40 अनुसूचित जाति के लोगों को बी0जे0पी0 के एक नेता के इशारे पर जलाया गया है। इस सूचना को मान्यवर, लेने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री मुन्ना चौहान जी आप बोलें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, किन-किन माननीय सदस्यों का नाम है, वह हम लोग जानना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

जो सूचना चल रही है वह नम्बर एक की थी इसके बाद की सूचना श्री प्रमोद तिवारी और अखिलेश सिंह जी की है। उसके अलावा दूसरी सूचना श्री अफजाल अहमद की है। तीसरी सूचना श्री रामजग, श्री राम स्वरूप सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव और श्री समर पाल सिंह जी की है। नियम 311 में पांच माननीय सदस्यों ने एक ही सूचना दिया है। चौथी सूचना श्री इकबाल महमूद की है यह भी नियम 311 में है उसके बाद पांचवें नम्बर पर मेरा नाम था।

छठे नम्बर पर श्री ददद प्रसाद, श्री मुरलीधर, श्री आर0के0 सिंह पटेल की एक ही सूचना है। तो श्री ददद प्रसाद की सूचना मेरे क्रम पर हो जायेगी।

श्री बी0आर0 वर्मा जी ने अभी जो उल्लेख किया था उसके संबंध में यदि माननीय अध्यक्ष ने कुछ कहा है तो इस सूचना के तत्काल बाद, जिसका उल्लेख वर्मा जी ने किया है यदि उन्हें माननीय अध्यक्ष ने आश्वस्त किया तो उसे मैं दिखवा लूंगा।

(व्यवधान) (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, चालीस-पचास दलित वर्ग के घरों को जलाने के संबंध में कहना है। मेरी प्रथम सूचना जो लिया है उसके स्थान पर श्री बी0 आर0 वर्मा जी को कह लेने दें। (व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, शलाका के आधार पर माननीय सदस्यों की सूचनाओं का चयन हुआ है, तो अब बी0 आर0 वर्मा जी को कैसे समय देंगे? चूंकि श्री प्रमोद तिवारी तो बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप कपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मन्ना चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय त्रिवेणी इंजीनियरिंग के अन्दर जिस तरह से फैक्ट्री मालिकान द्वारा गलत तरीके से फैक्ट्रियों को बन्द करके श्रमिकों को बेसहारा छोड़ने का काम किया गया है वह सही नहीं है पहले जो फैक्ट्रियों के संबंध में एक्ट था वह फैक्ट्री एक्ट, 1948 है यू0पी0 इंडस्ट्री डिसप्यूट एक्ट है इसका घोर उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यू0पी0 इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन सात के क्लाज-2 में इस बात का प्राविधान है कि आपक डिप्टी लेबर कमिश्नर से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, कमिश्नर होते हैं वह जिस समझौते को करायेंगे उसे एफोर्स करने की प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में एक समझौता डिप्टी कमिश्नर के साथ होता है उसका अनुपालन प्रदेश सरकार ने नहीं किया। यही नहीं जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया जो आदेश उसके खिलाफ दिए गए उसको भी ताक पर रख दिया गया। मैं कहना चाहता हूं यह श्रमिकों का मामला है। इसमें कान पकड़कर अपनी मर्जी से श्रमिकों को हटाया नहीं जा सकता है।

फैक्ट्री एक्ट, 1948 में लिखा है फैक्ट्री एक्ट इज ए सोशल एनएक्टमेन्ट टू एचीव सोशल रिफाम्स, इसका मकसद भी सामाजिक परिवर्तन सामाजिक सुधार का उद्देश्य है। फैक्ट्री मालिकों को छूट दे दी गई है जिनकी इकाइयां बंगलोर के अन्दर और दूसरे प्रदेशों में भी चल रही हैं। यहां की फैक्ट्रियों में ताला लगाकर श्रमिकों को निकाल दिया जाए यह सही नहीं है अगर कोई निर्धारित योजना थी तो 15 दिन का नोटिस देकर ताला लगाया जाता। जो एफ0 ए0 की धारा 25 है उसके अनुसार 60 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए यह नोटिस नहीं दिया गया। श्रमिकों को अधिकार था फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत। इसका उल्लघंन हो रहा है। इस सरकार की कोई इच्छाशक्ति नहीं है पूंजीपतियों पर लगाम लगाकर श्रमिकों को उनको वेतन का भुगतान कराया जाए। उनको जबदस्ती रिटायर किया जा रहा है। इस असंवैधानिक कार्य को रोका जाए। इस सदन की कार्यवाही को रोककर व्यापक चर्चा कराई जाए। इस प्रदेश में फैक्ट्रियों की तालाबन्दी की जा रही है मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रदेश के अन्दर उद्योगों का निवेश होने जा रहा है तो क्या इसकी यही तस्वीर है? श्रमिकों के हक को मारने के लिए ताला जबदस्ती डाला जा रहा है और उसका बेनिफिट दूसरे प्रदेशों को दिया जा रहा है।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री हुकुम सिंह-(पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री)-

इस प्रकरण में जहां तक सरकार का प्रश्न है। सरकार ने इसको शुरू से

ही गम्भीरता से निभाया है जो श्रमायुक्त और जिलाधिकारी हैं यह दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं उन्हीं के माध्यम से सरकार कार्य करती है। प्रदेश सरकार यदि गम्भीर न होती तो उस अधिष्ठान का ताला ही न खुला होता इस समय सारा प्रकरण उच्च न्यायालय में लम्बित है, दोनों ही अपनी-अपनी मांगों पर अडिग हैं। श्रमायुक्त के प्रयास के बावजूद समझौता नहीं हो सका। इसलिए समस्त प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। दोनों ने ही यह कहा है कि जो मा0 उच्च न्यायालय का फैसला होगा उसको मानेंगे। इसमें सरकार के हाथ बंधे हैं हम यह प्रयास जरूर करेंगे कि उच्च न्यायालय में इस मामले का शीघ्र निस्तारण हो जाए।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक नया उत्तर दे दिया, मैं जानना चाहता हूं कि हाइ कोर्ट ने कोई स्टे आडर दिया है।

वहां पर 50 फीसदी लोगों ने स्वैच्छिक रिटायरमेन्ट ले लिया है उनके बैलेंश सीट का करोड़ों रुपया पड़ा है। फैक्ट्री घाटे में नहीं चल रही है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि वह करोड़पति आदमी है और मजदूर बेचारे छोटे लोग हैं। दूसरे एक केन्द्रीय बिजली मंत्री का भी इसमें हाथ है। उन्हीं के हाथ की वजह से सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री हुकुम सिंह -

जो मुझे जानकारी मिली है जिले से उसके अनुसार पहले जिला स्तर से प्रयास किया गया और उसके बाद हर एक स्तर से प्रयास किया गया जब दोनों अपनी-अपनी मांगों पर अडिग रहे और दोनों ने ही यह कहा कि जो मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसको मानेंगे। इसमें स्टे आडर का प्रश्न नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

यूनियन वालों ने कहीं नहीं कहा है कि जो हाइ कोर्ट का निर्णय होगा वह मानेंगे। जो आपको सूचना मिली है वह सूचना सही नहीं है मुझे यूनियन वालों का पत्र मिला है मेरी सूचना को सही मानकर इस पर कार्यवाही की जाए। चूंकि यह एक अरबपति का मामला है और इसमें एक केन्द्रीय मंत्री का हाथ है इसलिए सरकार टालमटोल कर रही है। सरकार को हस्तक्षेप करने में कोई दिक्कत नहीं है। श्रमिक कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, बड़ा गम्भीर विषय है। इन्होंने कहा कि चूंकि मामला न्यायालय में लम्बित है। पहली बात साफ हो गयी कि न्यायालय में लम्बित है। दूसरी बात स्पष्ट हो गयी कि कर्मचारियों ने कहीं नहीं कहा कि जो न्यायालय का निर्णय होगा वह बात मानेंगे। सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि वह हाइकोर्ट के निर्णय को सदन में रख सके, वह समझौता भी सरकार नहीं दिखा सकती है जिसमें कर्मचारियों ने यह कहा है कि न्यायालय की बात को मानेंगे, दोनों बातें निराधार हो

गयीं। माननीय मंत्री जी न्यायालय का निर्णय दिखा नहीं पा रहे हैं, स्थगनादेश दिखा नहीं पा रहे हैं, समझौते को दिखा नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ एक उद्योगपति करोड़ों रुपया मुनाफा कमा रहा है और लाक-अप कर रहा है ताकि मजदूरों का शोषण कर सके। अगर यह मजदूरों के साथ हैं, प्रदेश के हित के साथ हैं तो लाक-अप खुलवायेंगे लेकिन अगर यह सरकार बिक गयी है तो जो चाहें जबाव दे दें।

श्री हुकुम सिंह-

आपने दो-तीन प्रश्न कर दिये। यह सरकार किसी अरबपति, खरबपति के नाम नहीं बिकी है, न बिकेगी। सरकार के सामने श्रमिकों का हित सर्वोच्च है। जो श्रमिकों के हित की सुरक्षा नहीं करेगा, बेईमानी करेगा, उसके ऊपर सरकार कठोरतम कार्यवाही करेगी, जहां तक समस्या का प्रश्न है माननीय प्रमोद जी ने एक बात कही है कि मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मामला लम्बित है। मा0 मणि जी ने एक प्रतिवाद किया लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो सूचना है उसमें दोनों पक्ष न्यायालय के निर्णय को मानेंगे। मान्यवर इसको दिखवाकर जो कार्यवाही अपेक्षित है हम नियमानुसार करेंगे और कार्यवाही से पीछे नहीं हटेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इसका कहीं कोई हल तो निकला नहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम दिखवा लेंगे। माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि कल, परसों, तरसों जिस दिन कहें यूनियन के लोगों को यहीं बुलावा देते हैं, आप उनकी बात सुन लें और तत्काल कार्यवाही कर लॉक-अप हटाकर फैक्ट्री चालू करवा दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

जब भी आपको समय हो, जब आप उचित समझें आप बुलवा लें मैं यहां उपस्थित रहूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मजदूरों को हम लोग बुलावा लेते हैं फैक्ट्री मालिक को आप बुलवा लें।

श्री हुकुम सिंह-

साहनी साहब की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वह प्रमोद जी की पहुंच से बाहर हों। आप मजदूरों को बुलवा लीजिए, बात करके निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यद्यपि यह सूचना नियम 56 की ग्राह्यता की पूर्ति में नहीं आती है तथापि यह जनहित में बहुत आवश्यक है कि ऐसे में कोई मार्ग निर्देश दिया जाये। यद्यपि माननीय रेवती रमण सिंह जी और दूसरे माननीय सदस्यगण संसदीय कार्यमंत्री जी से

परामर्श करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी तिथि में बातें कर लेंगे जिससे समस्या का समाधान हो सकेगा। दूसरी सूचना अफजाल अहमद की है।

श्री बी0 आर0 वर्मा जी के खड़े होने तथा अपनी सूचना पर सुनने का आग्रह करने पर।

श्री अधिष्ठाता-

हम दिखवा ले रहे हैं और अगर माननीय अध्यक्ष जी ने इस तरह की कोई बात कही है तो इस सूचना के तत्काल बाद आपकी सूचना ले ली जायेगी।

दूसरी सूचना श्री अफजाल अहमद की है। जो माननीय अध्यक्ष जी ने निदेश दिया है, उसके अनुरूप मैं आपको समय दूंगा। अगर कहा है इसको सुना जायेगा तो अवश्य सुना जायेगा। आप तो इस पीठ की शोभा बढ़ा चुके हैं, आप कृपया हमारा सहयोग करें।

यदि आपने माननीय अध्यक्ष जी की बात का सन्दर्भ न दिया होता तो मैं अपने विवेक से निर्णय ले लेता। यदि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा होगा, तत्काल सुनी जायेगी तो हम उसका पालन करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं है या हम समय नहीं देना चाहते, आप हमारी कठिनाई को समझें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, नियम-311 में सूचना दी गई। इसका मतलब होता है कि सदन के सारे कार्य रोककर, पूरी कार्यवाही को स्थगित करके वरीयता पर इसको सुनने की बात है. इसके लिये कोई समय नहीं होता कि यह इस सीरीज में आयेगी।

श्री अधिष्ठाता-

आप अवगत हैं कि नियम 311 की जो भी सूचनायें होती हैं, वह नियम 56 में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद शलाका में आती हैं, शलाका में जो सूचनायें आई हैं, उसके हिसाब से आपकी सातवें नं0 पर है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी सूचना दूसरे नं0 पर है, इनकी सूचना सातवें नं0 पर है तो मेरे बजाय आप इनकी पहले सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री प्रमोद तिवारी और श्री अखिलेश सिंह की त्रिवेणी इंजी0 वर्क्स के बारे में है। क्या त्रिवेणी ग्लास फैक्टरी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, दोनों का प्रबन्धतंत्र एक नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक इलाहाबाद के दक्षिण में है और एक उत्तर में है। एक किसी साहनी की है और एक अग्रवाल की है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, इजाजत है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने उल्लेख किया है कि 311 को नियम 56 में कनवर्ट कर दिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अफजाल अहमद का दूसरे नम्बर पर था तो उनकी जगह इनको पहले सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, मा0 अफजाल अहमद जी ने सहमति व्यक्त कर दी है, इसलिए बी0 आर0 वर्मा जी बोलें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

अपने विभाग का भ्रष्टाचार नहीं देख रहे हैं और दूसरे की बात कर रहें हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया सहयोग करें।

(कई मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सत्ता दल गुण्डई पर अमादा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि चलता रहेगा तो सब कार्य का निष्पादन हो जायेगा। मैं सत्ता पक्ष से अनुरोध करूंगा और खास तौर से मंत्रीगणों से कि सहयोग करें, यह हम सब का दायित्व बनता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, श्री अफजाल अहमद का निरस्त हो गया क्या?

श्री अधिष्ठाता-

श्री अफजाल अहमद की सहमति से श्री बी0 आर0 वर्मा को दूसरे नम्बर पर सुन रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आप मेरी बात को कृपया सुन लें। उनका निरस्त हो गया हो तो मैं जाऊं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान गृहण करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, आपने बड़ी कृपा करके मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, सिद्धार्थनगर जनपद में एक गांव सिकटा है जहां पर 2 जून को शिड्यूल कास्ट के घरों में लूटपाट की गयी उनकी महिलाओं के साथ बुरा सलूक किया गया और इसके बाद उनके घरों को आग लगा दी गयी 4 दिन तक यह आग जलती रही, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने में लगी रहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा लोक महत्व का प्रश्न, ऐसा अविलम्बनीय प्रश्न जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता के इशारे पर यह घटना की गयी है।

(× × × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आपसे यह अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप पीठ पर आक्षेप करें। यह शलाका में आया है। पहली सूचना कौन हो यह माननीय अध्यक्ष जी का विवेक है। इस तरह का आक्षेप कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष जी के विवेक पर कुछ नहीं कहता। यह घटना अविलम्बनीय है इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं।

41 घर जले हुए हैं उनके पास रहने का स्थान नहीं है जो कपड़े पहने हुए थे उसके अतिरिक्त कपड़े नहीं है अन्न नहीं बचा है ऐसे लोगों के बारे में सदन में विचार होगा कि नहीं। सरकार तो बहरी-गूंगी है। मान्यवर, यह सदन है आपकी कुर्सी है जिससे हम फरियाद कर सकते हैं जो निर्देश होता है उससे संतोष करते हैं। मान्यवर, 2 तारीख को सिकटा गांव में, क्या गुनाह किया था अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति प्रधान है वहां के सांसद हैं (× × × ×)।

श्री अधिष्ठाता-

ऐसे व्यक्ति का नाम न लें जो इस सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, यह कहने में कौन गुनाह हो रहा है। भारत [illegible] का व्यक्ति प्रधान निर्वाचित हो गया है यही तकलीफ है उसको लेकर उसके सगे भाई शोभाराम

नोट - (× × × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

को, जो एम0पी0 साहब हैं उनके घर के पट्टीदार लोग यह 6-7 लड़के बुरी तरह से पीटे और यह उसे मरा समझकर छोड़ दिये, वे संयोग से नहीं मरे। इसमें रपट हुई है 147, 149, 388, 323, 304 एससी0 एसटी0 एक्ट अपराध संख्या 56/98 इसमें बात यह हुई कि उनकी हिम्मत कैसे ले ली और रपट कैसे करने चले गये। इस बात को लेकर वहां के करीब 40-45 क्षत्रीय बिरादरी के लोग जो एम0पी0 साहब के सगे संबंधी हैं ऐसे लोग गांव में लूट-पाट किए महिलाओं के साथ अत्याचार किया और पूरे गांव में आग लगा ली। आग लगने से चार दिन तक गांव धधकता रहा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुझाने में लगी रहीं। इन 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दाखिल हैं अपराध संख्या-56 ए।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

395/397, 436, 429 (3)(1), 310 एससी0 एसटी0 ऐक्ट।

इस तरह से उन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए। वहां की पुलिस सक्रिय हुई। वहां पर डी0 एम0 पहुंचे, कमीश्नर पहुंचे, डी0 आई0 जी0 पहुंचे और एस0 पी0 पहुंचे। 41 घरों को जला दिया गया। जिन आतताइयों ने इन घरों को जलाया, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया। ये आतताई गिरफ्तार न होने पायें. इस सरकार ने यहां से तुरन्त एक फरमान जारी कर दिया और कहा कि इस मामले की विवेचना अब स्थानीय पुलिस नहीं करेगी बल्कि सी0बी0सी0आई0डी0 करेगी ताकि वे लोग गिरफ्तार न हो सकें। जब तक चार्जशीट नहीं बनेगी तब तक वे लोग गिरफ्तार न हो सकें। जब तक चार्जशीट नहीं बनेगी तब तक वे लोग बचे रहेगें। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जो गवाही देना चाहते हैं और जो अपनी पैरवी कर रहे हैं, वह पैरवी न कर पायें और गवाही न दे सकें और उनके खिलाफ मुकदमा सिद्ध न हो सके इसलिये इस सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया। यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि इसमें सरकार इन्वाल्व है। सरकार के इशारे पर वे लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और सरकार के इशारे पर कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिये इस मामले को सी0बी0सी0 आई0डी0 को सौंपा गया। वहां के सांसद के सगे-सम्बन्धी उसमें इन्वाल्व हैं। यदि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहती है तो मेरा सबसे पहले यह आग्रह है कि आप इस पर चर्चा करा दें ताकि दोनों पक्षों की बात इस आदरणीय सदन में आ जाये। दूसरा, अगर आप चर्चा कराना नहीं चाहते हैं तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जब उत्तर भाषण देने के लिए खड़े हों तो सरकार जो पारदर्शिता की बात करती है, भय मुक्त समाज की बात करती है क्योंकि आज वहां पर बहुजन समाज के लोग भयमुक्त हैं, सदन की एक

कमेटी बना दी जाय, जो इसकी जांच करे। उसकी जो रिपोर्ट आयेगी, उसी के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। अगर इस पर भी सरकार सहमत नहीं है तो आप इस मामले पर जुडीशियल इन्क्वायरी कराने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें ताकि सरकार का पर्दा भी साफ हो जायेगा और इसकी पारदर्शिता का भी पता लग जायेगा और वहां के एम0 पी0 के कारनामों का भी पता लग जायेगा। इस लिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण की आप जुडीशियल इन्क्वायरी कराने हेतु आप निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बहुजन समाज पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

इस सूचना पर माननीय रामललित चौधरी तथा श्री लाल मणि प्रसाद जी के हस्ताक्षर हैं। पार्टी ने अग्रह किया था कि श्री बी0 आर0 वर्मा जी इस पर बोलेंगे। अब आपका सहयोग अपेक्षित है। मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी को बुलावा लिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसमें श्री रामललित चौधरी तथा श्री लालमणि प्रसाद जी के हस्ताक्षर हैं। वह उसी जिले के रहने वाले हैं। मैंने इस घटना की जानकारी के लिये उन्हें वहां भेजा भी था।

श्री अधिष्ठाता-

तो फिर आपने श्री बी0 आर0 वर्मा जी के नाम को प्रेस करने का आग्रह क्यों किया। हमें तो आपका सहयोग चाहिये।

उनका नाम भी नहीं था। यह तो आपके सहयोग करने की बात नहीं रही। ठीक है आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री रामललित चौधरी-

मान्यवर, सिद्धार्थनगर जिले में गांव है सिकटा वहां पर इनावर नाम का एक तालाब है, पहले वहां पर उस तालाब में सवर्ण जाति के लोगों का कब्जा था क्योंकि वहां पर पहले सवर्ण जाति के लोग ही प्रधान हुआ करते थे। फिर दलित वर्ग के एक व्यक्ति को वहां का प्रधान बना दिया गया। तो वहां पर जितने भी पिछड़ी जाति के लोग और दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने यह समझा कि वह तालाब अब गांव सभा की सम्पत्ति है और इसमें हमको भी मछली मारने का अधिकार होगा। मान्यवर, 21 तारीख की घटना है। तालाब के किनारे दलित वर्ग के लड़के मछली मारने गये तो बड़े घरानों के लोगों ने उन्हें पकड़कर मारा पीटा, उसकी एफ0 आई0

आर0 दर्ज हुई क्योंकि सांसद भाजपा के थे और उनका गांव है इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अधिष्ठाता-

अब सारे तथ्य आ गये हैं अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैं इससे पहले की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप ग्राह्यता पर बोलिये। पहले की घटना का जिक्र मत करिये।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, पार्लियामेन्ट पोल के दिन शोभाराम की पत्नी के ऊपर गुड्डू सिंह ने मोटर साईकिल चला दी जिससे कि उसकी टांग टूट गयी। उसकी भी एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, 2 जून को शोभा राम जो कि भरत के भाई हैं चिताही और शिकरा चौराहे पर बैठे थे कि जो ललन सिंह और कपिल देव जी के साथ चितावल चौराहे पर थे कि सवर्ण जाति के लोगों ने शोभाराम को मारना शुरू कर दिया और मारते-मारते बेदम कर दिया। कुछ लोगों ने इसकी रिपोर्ट लिखायी। बड़े घराने के लोगों ने कहा कि इन चमार जाति के लोगों की इतनी हिम्मत कि एफ0 आई0 आर0 लिखायी, आज हम इनका किस्सा खत्म करते हैं। तो माननीय सांसद के घर के लोगों ने 43 दलित वर्ग के लोगों को मारा पीटा और ललकार कर उनके घर को जलाने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैं यह मांग करता हूं कि इसमें सदन की एक समिति बना दी जाय जो कि इसकी निष्पक्ष जांच करें दूसरा पचास-पचास हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, सिकटा गांव अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित हुआ था लेकिन सांसद महोदय ने उसे चयनित गांव से निकाल दिया तो इसको दिखवा लिया जाय।

श्री लालमणि प्रसाद-

मान्यवर, आजादी के पचास साल के बाद जो वर्तमान सरकार है वह कहती है कि हम ईमानदारी के साथ भयमुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं यह किस तरह का भयमुक्त समाज बनाना चाहती है जो सिकटा गांव है वह डुमरियागंज से 12, 13 किलोमीटर दूर है। 2 जून की घटना के कारण आज जो वहां का माहौल है वह दहशत से भरा माहौल है। आज वहां के दलित वर्ग के जो लोग हैं वह गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गये हैं। मान्यवर, जो घटना घटित हुई है उसकी

सी0बी0सी0आई0डी0 जांच के आदेश दिये गये हैं। इससे जो अपराधी लोग हैं जिन्होंने 43 दलितों को मारा-पीटा, उनकी बस्ती को जला दिया लूट खसोट की और इसमें 14 घायल हुए दहशत पैदा करने के लिये बंदूकों से फायरिंग किया महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, इस सी0बी0सी0आई0डी0 जांच से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मैं और श्री राम ललित चौधरी जी वहां पर मौके पर गये थे वहां की स्थिति बड़ी ददेनाक है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो सी0बी0सी0आई0डी0 जांच के आदेश दिये गये हैं उसकी जगह ज्युडिशियल जांच करायी जाय। मान्यवर, यह बड़ी ही गम्भीर घटना है इसके महत्व को देखते हुए इस पर चर्चा कराई जाय मान्यवर, साथ ही साथ तत्काल अपराधियों को गिरफ्तारी किया जाय बंदूकों का लाइसेन्स निरस्त किया जाय 43 परिवारों को इन्दिरा आवास दिया जाय प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये अनुदान दिये जाय अनु0जातियों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा कायम किया गया है वापस लिया जाय, अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये हथियारों के लाइसेन्स दिये जाये। जो भी काण्ड हुआ है, उसकी जांच करायी जाये।

श्री हुकुम सिंह -

घटना कितनी अविलम्बीय है, 2 जून की घटना है और आज 30 जून है। 19 तारीख से सत्र चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार यह शलाका में नहीं थी, श्री राम ललित चौधरी और श्री लाल मणी प्रसाद ने इसकी जानकारी दी, इस पर मैंने जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार ग्राम सिकटा थाना त्रिलोकपुर में झगड़ा हुआ और दोनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज हुई। स्थानीय पुलिस पर पक्षपात का आरोप न लगे इसलिये इस मामले को सी0बी0सी0आई0डी0 को दे दिया गया है। सरकार की सदाशयता और ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लगायें तो कुछ तथ्यों के आधार पर लगायें। दो गुटों में मारपीट हुई है। सबसे बड़ी एजेन्सी सी0बी0सी0आई0डी0 को जांच दी गयी है। जांच होने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और जो लोग दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जलाने का आरोप है, मैं कब मना करता हूं कि घर नहीं जलाये गये, क्रास केस है। दोनों के बर्जन अलग-अलग हैं और जांच हो रही है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट

इनकी सरकार द्वारा दलितों पर अत्याचार कराया जा रहा है, सवर्णो द्वारा उन पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस मामले को दबाया जा रहा है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्य बहिष्कार कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य -

मान्यवर, सरकार गलत बयानी कर रही है। इस घटना की जांच जुडीशियल

होनी चाहिये। सी0आई0डी0 की जांच से लीपापोती होगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया बिराजें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, 41 घर जलायें गये हैं। उसकी जानकारी तो प्रशासन ने दी होगी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कौन घर जलाये हैं, लेकिन घर जले हैं या नहीं?

श्री हुकुम सिंह-

जो जानकारी है मैं उसी के आधार पर उत्तर दे रहा हूं। मान्यवर, दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज हैं। क्रास जांच चल रही है। जब मैं घटना के दिन पढ़ रहा था। आपने कहा दो तारीख लेकिन शासन को जो दिया है उसमें उन्होंने इस घटना की तिथि का 3 ता0 उल्लेख किया है। वर्मा जी जब बोले तो 2 जून का ज़िक्र कर रहे हैं। यह 2 जून का वास्तव में महत्व है। मैं आश्वस्थ करता हूं कि आपकी भावना का ध्यान में रखते हुए, और माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सारी जांच निष्पक्षतापूर्ण होगी। जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से नहीं न्यायिक जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) कई माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे, यह सरकार दलित विरोधी है, यह सरकार नहीं चलेगी।

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना ग्राह्यता की परिधि में नहीं आती है इसलिए इसे आग्राह्य किया जाता है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, 48 लोगों के घर जला दिये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप सहयोग करें आपकी पूरी बात आ गई। (व्यवधान)

(श्री राम ललित चौधरी, श्री लाल मणि प्रसाद, श्री दद्दू प्रसाद, श्री श्रीराम पाल आदि कई माननीय सदस्य सदन के मध्य रिपोर्टर टेबिल पर आकर नारे लगाने लगे।)

अब दूसरी सूचना हमें लेने दें, आप कृपया स्थान ग्रहण करें अन्यथा आगे जिनकी सूचनायें हैं उनके साथ अन्याय होगा। आगे माननीय अफजाल अहमद की सूचना है। (व्यवधान) आप पीठ का सहयोग करें, वेल में आने से पहले जरा शान्ति से बात सुन लें। क्या आप चाहते हैं कि दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर न मिले?

श्री लालमणि प्रसाद-

मान्यवर, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग अपने स्थान पर चलें।

(माननीय सदस्यगण वेल से अपने स्थान पर चले गये)

श्री अधिष्ठाता-

आप इस बात से सहमत होंगे कि दूसरे क्रम पर यह सूचना थी। माननीय सदस्य के आग्रह पर मैंने इसको पहले सुन लिया। दूसरे माननीय सदस्य की सूचना भी महत्वपूर्ण है। आपको कृपा करके सहयोग करना चाहिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के निवेदन से संतुष्ट नहीं हैं तो एक-एक करके अपनी बात कह सकते हैं न कि उत्तेजित होकर वेल में आ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह मामला संवेदनशील है। 40-41 घर जलाये गये हैं। बहनों-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया है। जिन लोगों के घर जलाये गये हैं उनके रहने का इंतजाम नहीं है। ऐसी स्थिति में त्वरित न्याय चाहिये जिससे कि उनके मन में यह महसूस हो सके कि अब उनके ऊपर कोई और आपदा नहीं है, भय नहीं है। सरकार इतनी संवेदनहीन न होती तो हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता न पड़ती। इसमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। हम बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। हम न्याय पाने के लिये चाहते हैं कि सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच न कराकर न्यायिक जांच करायी जाय। आप न्यायिक जांच कराने के लिये क्यों तैयार नहीं है? सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच की जगह न्यायिक जांच कराने के लिये क्यों तैयार नहीं है, इस पर व्यवस्था दें?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम तो आभारी होंगे अगर वह अपने मुंह से घोषणा करें कि न्यायिक जांच की जायेगी। हम स्वागत करेंगे।

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

इनकी आवाज नहीं सुनायी दे रही है तेज बोल रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

बहरे लोगों को सुनायी नहीं पड़ता। सरकार बहरी हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

यह प्रश्न माननीय बरखू राम वर्मा जी ने, श्री राम ललित चौधरी जी ने भी उठाया था। सारी बात सुनने के बाद मैंने उत्तर दिया था। मान्यवर, यह न्यायिक जांच की बात करते हैं। हमको यह भी सोचना है कि न्यायिक जांच कराई जाती है तो तीन साल के लिये वह प्रकरण वहां चला जाता है। उसमें फाइनडिंग्स आती हैं तो उसके बाद पुलिस में जायेगा। हमने कहा है कि इसकी जांच करा लेंगे जो दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

बहुत समय हो गया है। इस पर सबको सुन लिया गया है। इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार संवेदनशील नहीं है। जिनके घर जले हैं। उसको यह सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, हम इस सूचना को अग्राह्य कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य इस बात से बहुत चिन्तित हैं और काफी संवेदनशील हैं और चाहते हैं कि इसकी जांच जल्दी हो जाय। इसके लिये हमने संवेदनीय कमेटी बनाकर जांच कराने के लिये कहा था जो जाकर जांच कर ले और अपने तथ्य इस सदन में लाकर रख दे। इसी तरह से जल्दी से जल्दी इस प्रकरण पर जांच हो सकती है और मैंने इसकी मांग सबसे पहले की थी संवेदनीय समिति बना दें वह इसके पक्ष और विपक्ष को रख दे इस सदन में उस पर सदन जो निर्णय देगा वह शिरोधार्य होगा।

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, संवेदनीय समिति की बात कर रहे हैं। इसका आभास तो तब होता है कि यह इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील है जब आप स्वयं कमेटी बनाकर वहां जाते और जांच करके लाते। आप उत्तेजित हैं दुःखी मैं भी हूं। अगर आपके सामने इस घटना का इतना महत्व था तो आप इतनी बड़ी संख्या में यहां बैठे हैं कोई समिति बनाते और इसकी जांच करते। दो तारीख की घटना के बाद वहां नहीं गये।

श्री बी0 आर0 वर्मा -

मान्यवर, श्री रामललित चौधरी और श्री लाल मणि प्रसाद यहां बैठे हैं, यह लोग गये थे।

श्री हुकुम सिंह -

यह तो क्षेत्रीय विधायक हैं। वहां जाकर देखना चाहिए था आज यह प्रकरण यहां सदन में उठाया गया है और सारा का सारा महत्व उसे दिया जा रहा है। हमारी नीयत किसी भी दोषी आदमी को बचाने की नहीं है। जांच कराई जायेगी, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री बी0 आर0 वर्मा -

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आप संवेदनशील होते तो वहां जाते। मान्यवर, हमारे दो सदस्य गये थे जो तथ्य थे वह सामने रख गये। सी0बी0सी0आई0डी0 आप जानते हैं माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे यह इसलिए की जाती है ताकि मुजरिम गिरफ्तार न हो सके। इसीलिए यह जांच की बात कही है। मैंने संवेदनीय समिति बनाकर जांच कराने की बात कही है वह जो तथ्य सदन में देगी और सदन उस पर जो निर्णय देगा वह हमें मंजूर होगा। अपराधी को बचाने के लिए यह संवेदनीय समिति नहीं बनायेंगे। एक एम0पी0 और उसके घर वाले इस केस में शामिल हैं।

श्री अधिष्ठाता -

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसमें जांच हो रही है और जांच के तथ्यों के बाद ही इस पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। माननीय सदस्य कृपया सहयोग करें और सदस्यों की सूचना लेनी है। माननीय सदस्य बैठ जायें चूंकि मंत्री जी ने सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करने के लिए कह दिया है। आप लोग बैठ जायें।

(बहुजन समाज पार्टी के कई मा0 सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे-पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुण्डागर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिससे घोर व्यवधान हो गया।)

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहें। (व्यवधान) इस पर सदन की समिति जांच के लिए नहीं बनायी जा सकती है। इन्क्वायरी सी0बी0सी0आई0डी0 से हो रही है। समय काफी हो गया है। इसलिए आप लोग सहयोग करें और अपने-अपने स्थान पर जाएं। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारे लगाते रहे। अनुसूचित जाति पर जो मुकदमें दायर किए गये हैं वह वापस लिए जाय। श्री लालमणि प्रसाद, श्री लाल जी वर्मा, श्री राम ललित चौधरी, श्री मुराद लारी, श्री धर्म राज आदि कई मा0 सदस्य नारे लगाते रहे।)

माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दद्दू प्रसाद-

एक तो घर जलाए गए मारपीट की गई।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य नारे लगा रहे थे)।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोगों ने अपनी बात रख ली, वेल में भी आ गए अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री मुराद लारी-

यहां (× × ×) नहीं हो रही इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इतना संवेदनशील मामला है इतनी विनम्रता से माननीय सदस्यों ने मामले को रखा है....

(घोर व्यवधान)

इस मामले में पीठ से संरक्षण नहीं मिलेगा तो जो प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम संरक्षण मांगने कहां जायेंगे? मेरा अनुरोध है अगर अपराधियों को जान-बूझकर छिपाना चाहते हैं तो ऐसे आग्रह का परित्याग करें।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इस सूचना को सुनने के बाद अग्राह्य घोषित कर दिया है आप अपने स्थान पर जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी-

कोई माननीय सदस्य अपनी इच्छा से वेल में नहीं आते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन को 3.45 तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

(3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पुनः पीठासीन हुए।)

(श्री बी0 आर0 वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी आपके व्यक्तित्व की धमक हमारे सबके मस्तिष्क में है इसलिए उस व्यक्तित्व का आदर करते हुए माननीय प्रमोद तिवारी और श्री अम्बिका चौधरी जी के विशेष आग्रह पर और माननीय सदस्य श्री अफजाल अहमद की सहमति से सातवें नम्बर की सूचना को दूसरे नम्बर पर सुन लिया गया। दूसरे माननीय सदस्यगण की सूचनायें भी हैं, माननीय रामजग और श्री अफजाल अहमद जी बैठे हैं, इसलिए कृपा करके सहयोग करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

कृपा पूर्वक मेरी बात को सुनें इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपके माध्यम से यह जो गूंगी-बहरी सरकार है, उस तक आवाज पहुंचाने के लिए कोशिश की और आपकी अनुमति पाने पर ही बोला हूं यह सरकार सी0बी0सी0आई0डी0 से इनक्वायरी करा रही है ताकि अपराधी गिरफ्तार न हो सके, अपराधी बच सके। मान्यवर, लोग बेघर हो गये हैं, खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं। इस पर 4-5 माननीय सदस्यगण

बोले हैं। अब आप अन्य माननीय सदस्यगणों को सुनिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस प्रकरण में सरकार की तरफ से स्वयं सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच का एक आदेश किया गया, इसलिए किया गया कि वह निष्पक्षता बरतना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण की जो मांग है वह न्यायिक जांच कराने की है, सरकार इसका स्वीकार कर ले तो इसका पटाक्षेप हो सकता है। सी0बी0सी0आई0डी0 के बजाय न्यायिक जांच हो जाय, सरकार की भी मंशा है कि स्थानीय प्रभाव न पड़े।

श्री राम जग-

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि इस घटना की न्यायिक जांच करा ली जाय।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना की ग्राह्यता पर सुनने की कृपा की और आपकी अनुमति से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। ग्राह्यता पर सुनने के बाद चर्चा कराना स्वीकार नहीं करते हैं तो यह आपका विवेक है लेकिन यह मामला जितना गम्भीर है और इस मामले में यह सरकार अपनी ओर से आगे बढ़ करके अपराधियों को दण्डित करवाने की दिशा में कुछ भी नहीं करना चाहती है तो इतनी लचर और बेबश स्थिति में यहां आकर बैठेंगे और सिर्फ कार्यवाहियों में दर्ज हो जाये और अपने-आप कह लें, किसी की रिलीफ के लिए कुछ न कुछ कह सके। मान्यवर, इस सदन के सबसे अनुभवी सदस्यों में से आप एक हैं और सर्वोच्च पीठ पर विद्यमान हैं जनता का कोई संरक्षण इस सदन के माध्यम से नहीं हो सकेगा तो क्या हम अपनी बात कार्यवाहियों में दर्ज कराने के लिए आये हुए हैं? ये सदस्य मुझसे नाराज होंगे जिसकी सूचना को अग्राह्य कर दिया उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन तीन आप्शन हैं। आप निदेश दे दीजिए कि इसकी जांच या तो इस सदन की एक कमेटी करे या सी0बी0सी0आई0डी0 या न्यायिक जांच करायें। मैंने अपनी बात आपसे कह दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करने की कृपा करें कि तीनों में से जो आप्शन पसन्द हो वह बता दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं जो भी बात रख रहा हूं, वह आपकी मदद के लिये रख रहा हूं। इस विषय की गम्भीरता से आप भी सहमत हैं और सरकार भी सहमत है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जो तथ्य आये हैं, उसी के हिसाब से सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच के आदेश दिये हैं और यह सिविल पुलिस के जांच का विषय नहीं है और यदि सिविल पुलिस की जांच का विषय होता तो सी0बी0सी0आई0डी0 को जांच का आदेश नहीं दिया जाता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। श्री अम्बिका चौधरी जी ने अपना सुझाव रखा है, नेता बी0एस0पी0 ने भी अपना सुझाव रखा है, श्री जगदम्बिका पाल जी ने

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी अपना सुझाव रखा है, चौथी बात सरकार की ओर से आई है अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि पांचवा सुझाव स्वयं आप दे दें। मान्यवर, इन लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी न होने पाये, इसलिये सी0बी0सी0आई0डी0 को जांच सौंपी गई है। आप चाहें तो हाउस की सर्वदलीय समिति बना दें, उसमें सदस्य संख्या सत्ता पक्ष की ही ज्यादा होगी, हमें संसदीय कार्यमंत्री जी पर विश्वास है, उन्हीं की अध्यक्षता में कर दें। या फिर आप अपनी अध्यक्षता में समिति बना दें, आपका नाम अमर हो जायेगा हम लोग आपके नेतृत्व में चलने के लिये तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता-

इस सूचना पर माननीय सदस्यगणों को पूरे तथ्यों के साथ सुना गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी पूरी बातों का उल्लेख करते हुए अपनी बात कह ली है। मैंने सूचना को अग्राह्य कर दिया है क्योंकि नियम-56 के अन्तर्गत जो निर्धारित मानक है, उसमें वह नहीं आती। होता यह है कि जब कहीं कोई घटना होती है तो लोकल पुलिस की विश्वसनीयता पर शंका की जाती है और कहा जाता है कि अन्य एजेन्सी से जांच करा लें। सरकार ने लोकल पुलिस को न देकर सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने का आदेश दिया है। अब आप व्यक्ति विशेष की बात कह रहे हैं, जब जांच का परिणाम आयेगा, यदि इसके विपरीत होगा, तब इस बात को आप कहियेगा। पहले परिणाम तो सामने आने दीजिये।

श्री बाबू राम यादव-

सारे विपक्षी सदस्य आपमें विश्वास करके, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सरकार की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, इस सरकार की हालत तो वैसे ही खराब है।

श्री अधिष्ठाता-

आप तो बहुत वरिष्ठ सहयोगी हैं, आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा मिलती रहे, इसलिये आपकी तरफ देखता हूं। आप तो सिंचाई मंत्री रहे हैं, इसलिए भी आपकी तरफ देखता हूं कि ठंडक मिलती रहे।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं कोई आरोप नहीं लगा है। वह इतने वरिष्ठ सदस्य है कि उनसे हम न तो कोई आक्षेप की और न ही कोई आरोप की अपेक्षा करते हैं। ठीक से शब्द विन्यास न जुटा पाने के कारण कोई ऐसी बात माननीय सदस्य को लग रही हो तो उस भ्रान्ति से बचें।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मेरी न आरोप लगाने की कोई मंशा है और न कोई विचार है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, माननीय सदस्य उसको अन्यथा न लें। वह भी हमारे साथी हैं। मान्यवर, सारा विपक्ष इस मामले में एक है। सारे माननीय नेतागण सभी दलों के बैठे हैं सबने आपसे प्रार्थना कर ली है कि क्या चाहते हैं। सरकार की मंशा इसलिए जाहिर होती है क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों का नाम उसमें आ रहा है। उनको बचाने के लिए, उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए यह जांच सी0बी0सी0आई0डी0 को दी गयी है। बड़े लोग यहां के चक्कर काटते हैं और यह कहते हैं कि हमारी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 को भिजवा दो। यह गिरफ्तारी से बचने के लिए है तो जो सुझाव माननीय नेताओं ने रखा है माननीय अधिष्ठाता जी, आपसे निवेदन है कि आप माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहें कि हम लोगों के अनुरोध पर विचार कर निर्णय दे दें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न्याय के हित में इस पर विचार करना चाहिए। जो सरकार ने कह दिया वही आप बराबर कहते रहते हैं आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिये, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये अपने विवेक का इस्तेमाल करें और न्याय के रास्ते पर चलें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहुत से सुझाव आये हैं आप मेरी बात को सुन लें। जबसे हम लोग बोल रहे हैं, तब से सी0बी0सी0आई0डी0 पर टिके हुए हैं। अगर सी0आई0डी0 जांच का मकसद था तो फिर थाने की जांच का क्या मतलब था? सी0आई0डी0 जांच इसलिए की गई की अपराधी लोगों को बचाया जा सके। मान्यवर, इस सदन में जब-जब समस्याएं आयीं हैं आपके हस्तक्षेप से व्यवस्था बन गयी है और सदन सुचारू रूप से चला है। मान्यवर, हम लोगों की भावनाओं को देखते हुए आपको निदेश देने हैं ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो उनकी पार्टी के लिए अपराध करते हैं, बचाने का काम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

तथ्यों की पुनरावृत्ति का कोई मतलब नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि उसकी जांच संसदीय कार्य मंत्री जी, मान्यवर आप संसदीय कमेटी द्वारा कराने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, दिन की घटना है सी0आई0डी0 जांच का औचित्य नहीं है।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

मान्यवर, अभी माननीय लाल जी वर्मा जी ने एक शब्द कहा कि इनकी

पार्टी के लोग जो अपराध करते हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। यह कथन उचित नहीं है इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव, एडवोकेट-

मान्यवर, जो शुक्ल जी मंत्री जी कह रहे हैं वह तो कोई माने नहीं रखता। मान्यवर, सारे विपक्ष की बातें इसमें आ गयी। मान्यवर, गवाह और मुद्दई किसी ने नहीं कहा कि स्थानीय, पुलिस पर भरोसा नहीं है और किसी ने सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच की मांग नहीं की। भाजपा सरकार अपने एम0पी0 को बचाने की कोशिश कर रही है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी तैयार हो जाए हम उनकी अध्यक्षता में वहां चलने को तैयार हैं। यह भाजपा उ0प्र0 सरकार अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछडो पर जुल्म कर रही है, जब न्यायिक जांच की बात आ रही है तो यह कतरा रहे हैं। मान्यवर, हम आपकी अध्यक्षता में चलकर मौके पर देखने के लिए तैयार हैं मान्यवर कोई तो व्यवस्था आप दें। न्याय दिलावें। कोई भी यादव (अहीर), वर्मा, मौर्या, मुसलमान व अनुसूचित जाति का पूरे प्रदेश में डी0एम0, थानाध्यक्ष, कोतवाल, सी0ओ0, एस0पी0, नहीं कायरत है, निष्प्रभावी जगह पर फेंक दिये गये हैं। इससे भी कानून व्यवस्था जर्जर हो गयी है यह अन्याय है। यह सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है, यहां से एक दल चला जाए या फिर आप इसकी जुडीशियल जांच करवा दें, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? ताकि अपराधियों की जो यह सरकार है उसका पर्दाफाश हो सके।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में अपराधियों को बचाने के लिए सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराई जा रही है। मान्यवर, मैं इसका शक्ति से विरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने किसी भी विधायक या एम0पी0 के दबाव में आकर और किसी के रिश्तेदार को बचाने के लिए सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने के लिए निर्देश नहीं दिये। पिछले दिनों दो-तीन मुख्यमंत्री रहे। प्रत्येक हत्या तथा घटना के लिए सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच होती रही है। मान्यवर, बनारस में विश्व हिन्दू परिषद् के एक बड़े नेता श्री नन्दकिशोर रूंगटा का अपहरण हुआ उस केस में अपने लोगों को बचाने के लिए सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करा दी गई। माननीय सदस्य ने कहा कि अपराधियों को बचाने के लिए सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराई जा रही है तो क्या पिछले दो-तीन मुख्यमंत्रियों ने सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच केवल इसलिए कराई कि वह अपनी पार्टी के लोगों को बचा सकें?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चाहे लंगटा का अपहरण हो जाय या हत्या हो जाय, चाहे रस्तोगी का अपहरण हो जाय या फिर यह सरकार अपने किसी बड़े नेता की हत्या करवा दे और किसी मामले को छिपाने की बात कही जाती है तो पूरा विपक्ष उसका विरोध करता है। गरीबों के घर जला दिये गये और उन्हें मारा गया। जितनी भी हत्यायें यह सरकार करवाना चाहती है करवा रही है। गरीबों के घर फूंक दिये गये हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए सदन की एक समिति भेजकर, मान्यवर, सदन की समिति तो केवल तथ्य लाने का काम करेगी, आपके अपराधी तो जिसे आप संरक्षण दे रहे हैं, उसे जेल में भेजने का काम तो नहीं करेगी। समिति तथ्य लायेगी और सी0आर0पी0सी0 में जांच करने का जो तरीका है वह किया जायेगा। इसलिए इस प्रकरण में जांच हो जाने दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, ज्वाइन्ट रिसपान्सविलिटी की बात है। उधर से माननीय मंत्री जी ने कहा कि आरोप लगाया गया। स्वयं एफ0आई0आर0 में लिखा हुआ है कि श्री शोभाराम उर्फ राम कुमार वर्तमान बी0जे0पी0 सांसद के संबंधी हैं तो इसमें क्या गलत बात कह दी। इसे आप कार्यवाही से कैसे निकाल देंगे?

श्री अधिष्ठाता-

आपस में अंताक्षरी नहीं होनी चाहिए।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, कल ही मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि यह पारदर्शी सरकार है और लोग कहीं भी जायें एफ0आई0आर0 लिखी जाएगी।

मान्यवर, जब मंत्री के खिलाफ एफ0आई0आर0 की बात आयी तो इस सरकार ने स्वीकार कर लिया। आप अपनी बात सोचे आप तो पूरा का पूरा साफ कर गये। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पारदर्शी है और खुली किताब की तरह है।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये कुछ माननीय सदस्य रिपोर्टेस की टेबिल पर बैठ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। आप लोग कृपया शांत रहें और अपने-अपने स्थानों पर जायें। मेरा दल के सम्मानित नेताओं से अनुरोध है कि आप कृपया अपने-अपने सदस्यों को अपने आसन की ओर ले जायें।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर जायें। माननीय अम्बिका चौधरी जी, आप मेरा सहयोग करें।

(नारे- पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी।)

(कई मा0 सदस्य नारे लगाते रहे)

हमें माननीय सदस्यों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में कठिनाई हो रही है, आप सभी का सहयोग न मिलने के कारण मैं सदन का स्थगन 4.30 बजे तक करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी)

(4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ही कहूंगा, बगैर अनुमति के कुछ भी नहीं कहूंगा। इतनी देर से सदन में विपक्ष के माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं उस पर सरकार की ओर से ग्राह्य करने की बात भी नहीं आई। हम पुनः मांग करते हैं इतने संवेदनशील मामले पर जिस पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपनी बात आपके सामने रखी कि वहां पर गरीब लोग जो उजड़ गये हैं, जिनके रहने के लिये छत नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, उनको कोई राहत देने की बात तो दूर रही अपराधियों को पकड़ने का काम भी सरकार नहीं कर रही है। जो व्यवस्था आपने की है उस पर आप पुनर्विचार करें अन्यथा अकारण सदन का समय बर्बाद हो यह उचित नहीं है।

श्री समर पाल सिंह-

मान्यवर, काफी देर से इस विषय पर यहां बात हो रही है। काफी विस्तार से माननीय वर्मा जी ने तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब पहली बार सदन का स्थगन हुआ, उसके बाद जब फिर आप पीठ पर आसीन हुए तो किसी को आपने अनुमति नहीं दी। बिना अनुमति के उधर से बोलते रहे। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कदाचित किसी अन्य विषय पर ध्यानमग्न रहे हों जिसके कारण वह मेरे शब्द नहीं सुन पाये। मैंने माननीय नेता समाजवादी पार्टी श्री अम्बिका चौधरी जी का नाम लिया।

श्री समर पाल सिंह-

मान्यवर, काफी विस्तार से माननीय सदस्यों ने इसकी ग्राह्यता के बारे में बताया। घटना बहुत ही संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है और लोकमहत्व की है। जो भी माननीय सदस्य वहां गये और पीड़ितों को सुना उसका विस्तार से यहां पर वर्णन किया। तो माननीय सदस्यों की बात को मानने से इंकार कर दिया। आमतौर पर जब कोई घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और मुकदमा चलता है लेकिन सरकार ने इस घटना का सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंपने की बात कर दी। जबकि उसकी मांग भी नहीं थी इससे साबित है कि दोषी को यह बचाना चाहते हैं। पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है क्योंकि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम है इसमें उनका इन्वालमेंट है। उन्हें तथा दूसरे अपराधियों को बचाने के लिए इसे सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंपा गया है। दो बार सदन का स्थगन इसी बात पर हुआ कि सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच न कराकर दूसरी एजेन्सी से जांच कराई जाय। सी0बी0आई0 से जांच करा लें अगर उससे नहीं तो न्यायिक जांच करा लें उसमें आपको क्या कठिनाई हो रही है। अगर आप इनसे जांच नहीं कराना चाहते हैं तो इस सदन की एक समिति बनाकर भेज दें जो इसकी जांच करे।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, इतनी देर से माननीय सदस्य आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहे हैं। यह गंभीर प्रकरण है आपने इसको अग्राह्य कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार कर लें और चर्चा के रूप में स्वीकार कर लें और चर्चा कराने की कृपा करें। दूसरी बात आज बरसात का समय है। घर जल जाने के कारण लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों को तत्काल राहत देने के लिये व्यवस्था की जाये उनके मकानों का इंतजाम किया जाय ताकि वह रह सकें। जहां तक जांच का सवाल है इस पर चर्चा करा लें इसमें सत्तापक्ष से भी तथ्य आ जायेंगे और हम लोगों की तरफ से आ जायेंगे और आपको सुगमता होगी उसके बाद इसकी जांच आप निर्देशित करें कि न्यायिक जांच की जाय या सी0 बी0 आई0 से जांच की जाय या सदन की संवेदनीय समिति जांच करे। पहले आप इस पर पुनर्विचार करके चर्चा करायें। दूसरे जो पीड़ित लोग हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं उनको शेल्टर दिया जाये और सहायता दी जाय जिससे इस समय वह सर छिपा सकें। सरकार उनके लिये घोषणा करें कि उनको खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़ेगा सरकार शेल्टर देगी।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, भयमुक्त समाज का यह सरकार नारा देती है लेकिन आये दिन आप देखिये कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और दलितों के घर जलाये जा

रहें हैं और यह सरकार दलितों के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह दलित विरोधी सरकार है मजदूर विरोधी सरकार है। इस सरकार ने इस संबंध में अभी तक न्यायिक जांच का आदेश नहीं किया है। इनकी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लिप्त हैं इसलिये उनको बचाने के लिये सी0बी0सी0आई0डी0 की बात कही गयी है यह एक साजिश है। मेरा निवेदन है कि विधायकों की एक कमेटी बनायी जाय जो मौके पर जाय और आप भी उसमें जाय और आंखों से देखकर आयें ताकि न्याय मिल सके। जिन दलितों के मकान जले हैं उनको 5-5 लाख रुपये दिये जांय, उनके मकान बनवाये जांय। यह सरकार आये दिन दलितों पर अत्याचार कर रही है अन्याय कर रही है। यह सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है लेकिन आये दिन डकैतियां पड़ रही हैं। मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों के घर जले हैं उनको 5-5 लाख रुपये दिये जांय और इसकी न्यायिक जांच करायी जाय।

सिंचाई, राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)-

मान्यवर, यह मेरे जिले का मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

आप क्या काम रोको प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सभी सदस्यों की राय है, मंत्रीगण भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा स्वीकार कर लीजिये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

इन्होंने अखबारों पर चर्चा की बात कही है। मंत्री जी उसी जिले के रहने वाले हैं। घटना से अवगत हैं सारी भ्रांतियां जो हैं वह सभी मिट जायेंगी। दूसरे भारतीय जनता पार्टी पर जो दलित विरोधी होने की बात कही जाती है मैं कहना चाहता हूं कि शायद इस विधान सभा में सबसे अधिक दलित किसी के पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और किसी के पास नहीं हैं और दलितों के मसीहा यह बनते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह विषय नियम-56 के अन्तर्गत स्वयं बाधित है लेकिन यदि आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो चूंकि बड़ी मुश्किल से हाउस धीरे-धीरे ठंडा हुआ है काफी गर्मी थी और अब जब हम एक अंतिम निर्णय की स्थिति में आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आपका कृपापूर्वक सहयोग चाहते हैं हम निर्णय की अंतिम स्थिति में पहुंचने वाले हैं तो हमारे मुंह से ऐसा न निकल

जाये कि जिससे हाउस फिर उद्वेलित हो जाये और हम फिर उसी स्थिति में पहुंच जायें।

श्री धनराज यादव-

मान्यवर, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे यहां पर कुछ गलत माहोल बने। मैं वहां गया था।

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता जी, हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने दो बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। एक तो यह कहा है कि उसमें सी0बी0सी0आई0डी0 जांच की क्या जरूरत है। दूसरी बात कही गयी है कि उनको बसाने का उपक्रम होना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मैं वहां गया था। सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच तो इसलिये शुरू की गई कि यदि पुलिस जांच करती तो विपक्ष और ज्यादा बात कह सकता था कि हमारे दबाव से वहां काम हो रहा है। दूसरी बात जो उनको बसाने की है, जिस दिन यह घटना हुई है उसके दूसरे दिन ही उन्हें अनुमन्य सुविधा किसी को पांच, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20 हजार रूपये स्वीकृति की गई है मकान बनाने के लिये जिसका 1/4 दे दिया गया है।

(इस समय 4 बज कर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने सारे प्रकरण को सुना है। यह ऐसा विषय है जिसमें माननीय सदस्यों की भावनाएं जुड़ी हैं इधर से भी और उधर से भी। कहीं भी किसी के प्रति अत्याचार होता है तो यह शासन के लिये भी संज्ञान लेने की बात है। यद्यपि कार्यस्थगन की सूचना को अस्वीकार कर दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए मैं अगले मंगलवार को इस विषय पर चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं इस बीच में माननीय संसदीय कार्य मंत्री पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि जांच किससे हो रही है किससे होनी चाहिए। जो लोग गृहविहीन हो गये हैं क्या उनको इंदिरा आवास दिये जा सकते हैं कि वे पक्के मकान में रह सकें।

श्री अम्बिका चौधरी-

बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री अफजाल अहमद की है। कृपया एक दो मिनट में अपनी बात कह दें।

(श्री अफजाल अहमद के उपस्थित न रहने पर माननीय श्री रामजग की सूचना पुकारी गई।)

काफी समय हो गया है। संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, काफी समय हो गया है। अभी बजट भी बाकी है। मैं समझता हूं कि इन सूचनाओं को कल ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

काफी समय हो गया है। आज के लिये कार्य स्थगन की जितनी सूचनाएं हैं आज के लिये निरस्त कर देते हैं। कल ले लेंगे।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मेरी भी सूचना है, इसको कल लेंगे तो जो कल के लिये लगी होगी। आप लेंगे तो एक ही।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा निवेदन है कि मंहगाई के संबंध में कल ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मंहगाई पर कल दे दें।

श्री हुकुम सिंह-

मंहगाई पर मद संख्या-10 खाद्य विभाग का आज ही बजट है और जितने विषय उठाये हैं मंहगाई के संबंध में उसमें उन पर चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य मंहगाई के संबंध में बजट पर बोलते समय अपनी बात कह लेंगे। यदि कुछ शेष रह जायेगा तो कल देख लेंगे।

* श्री इकबाल महमूद-

अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है प्रदेश के अन्दर जगह-जगह अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस का दुराचार चल रहा है। मान्यवर, मुरादाबाद में मोहरम के दिन अल्पसंख्यक के लोग मोहरम का जुलूस शान्तिपूर्वक निकाल रहे थे और वहां 20-25 हजार लोग इकट्ठा थे। इस बीच में ऐसे व्यक्ति जो हमारी एकता को देखना नहीं चाहते थे उन लोगों ने पत्थर और गरम पानी मुसलमानों के जुलूस पर फेंककर मारा और जुलूस में व्यवधान पैदा किया। मुसलमानों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की बल्कि ताजिये को वहीं रख दिया और उस दिन एवं रात भर ताजियां वहीं रखे रहे। पुलिस प्रशासन कह रहा था कि आप लोग ताजिये ले जायें और हम गारन्टी देते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा। हमारे मुसलमान भाई उनकी बातों में आ गये। उन्हें नहीं मालूम था कि हमारे साथ क्या होगा?

मान्यवर, दुबारा रेवीस्ट्रीट मुरादाबाद में जैसे ही मोहरम का जुलूस पुनः

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निकालना शुरू किया तो फिर पत्थर जुलूस पर फेंके गये। और व्यवधान पैदा किया गया तथा जुलूस को निकलने नहीं दिया। इस बीच पुलिस ने उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया जिससे मुसलमानों के छोटे-छोटे बच्चों को पुलिस ने घरों में घुसकर मारा। पुलिस ने वहां गोली चलाई जिससे 4 आदमी मारे गये। मुझे अफसोस है कि श्री कल्याण सिंह सरकार के कोई भी मंत्री इस घटना को देखने मुरादाबाद नहीं गया और न स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गये कि वहां के लोगों की क्या हालत है मान्यवर, पुलिस ने धारा-452, 406 और अनेक धारायें लगाकर वहां के 1100 मुसलमानों को जेलों में बन्द कर दिया। यही नहीं उन लोगों से मिलने तक नहीं दिया गया और हम लोगों को कर्फ्यू में पास तक नहीं दिये गये जबकि भाजपा के लोगों को वहां घूमने की इजाजत थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिसमें पूरे प्रदेश के अन्दर मुसलमानों में रोष पैदा हो गया है। वह सोचने लगा है कि पुलिस जो है यह सरकार की पुलिस है यह मुसलमानों के ऊपर ज्यादती करवा रही है। मुसलमानों के घरों के अन्दर घुसकर माल को लूट रहे हैं घरों में घुसकर जेवरों को लूट लिया गया और हमारी पार्टी की तरफ से कोई एफ0आई0आर0 भी नहीं लिखी गई। यही नहीं मान्यवर मुरादाबाद के सांसद के साथ एक और व्यक्ति जा रहा था उसको रोका गया और वहीं बीच में रोककर उसे पीटा गया। वह अगर दोषी होता तो उसको जेल भेजते, लेकिन उसको शाम को छोड़ दिया गया। क्यों पकड़ा, क्यों मारा, क्यों छोड़ा यह ज्यादती हुई है। यह प्रकरण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। यह ज्यादती है इस प्रदेश के अन्दर मुसलमान न रहें हम त्योहार न मनाएं हमारे त्योहार को मनाने की इजाजत इस सरकार ने नहीं दी, इस मामले पर मान्यवर, चर्चा कराई जाए।

मेजर जगत पाल सिंह -

हम भी मुरादाबाद के विषय में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सौलत अली-

मान्यवर, मैं दो तीन बातें जो रह गयी हैं वह कहना चाहता हूं। मान्यवर सात तारीख को मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। शाम के वक्त जुलूस निकाला जा रहा था एक स्थान पर कहीं से एक बोतल आ गिरी और वह जुलूस रोक दिया गया। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। रात हो गई जुलूस निकाला नहीं जा सका। अगले दिन आठ तारीख को शहर इमाम वहां के मेयर और अधिकारी शामिल हुए और यह तय हुआ कि शाम को जुलूस निकलवाया जाएगा। दूसरे दिन शाम को दुबारा जुलूस निकलना शुरू हुआ, फिर उसी जगह पथराव हुआ

फिर उसी स्थान पर तेजाब की बोतल फेंकी गई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि असमाजिक तत्वों और पुलिस प्रशासन के सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया जुलूस के निकलने का रूट फिक्स था वहीं पर इस तरह से दोबारा बोतल फेंकना, इससे लगता है कि पुलिस उसमें शामिल थी। क्यों कि जहां एक दिन पहले घटना हुयी उसी एक जगह अगले दिन घटना घटी भीड़ इकट्ठी हुई पुलिस ने आसू गैस छोड़ी और गोलियां चलाई। पुलिस के वक्तव्य के अनुसार 15 लोग घायल हुए चार मारे गए नौ दुकानें गोल मार्केट में जलाई गई दो दुकान सम्भली गेट पर जला दी गई और वहां का प्रशासन मूक बना रहा। इस घटना से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। रात भी यह घटनायें घटी,

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उन बातों पर दिलाना चाहता हूं जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से संदिग्धता स्पष्ट होती है। किसी पक्ष ने एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखाई न हिन्दू भाई की तरफ से न मुसलमान भाई की तरफ से लिखी गई। कोतवाल की तरफ से एफ0आई0आर0 दर्ज की गई जिसमें 74 लोगों को नामजद किया गया। दूसरी चीज एफ0आई0आर0 राजनीतिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर लिखी गयी एक विशेष पार्टी के ही लोगों को मुलजिम बना दिया। पहला नाम मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। श्री भूरा कुंजी आंखों वाला सिंह समाजवादी नेता को मुलजिम बनाया गया है। तलाशी ली गई मान्यवर, पुलिस ने घरों में सीढ़ियां लगाकर तलाशी ली कर्फ्यू के बारे में कहा गया चार दिन मान्यवर कर्फ्यू रहा।

जिसमें वहां के मेयर को कर्फ्यू पास नहीं दिया गया। वहां के सांसद को कर्फ्यू पास नहीं दिया गया वहां के विधायक को कर्फ्यू पास नहीं दिया गया, मुझे भी कर्फ्यू पास नहीं दिया गया। जब कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिना कर्फ्यू पास के अपने साथ पूरी टीम लेकर शहर में भ्रमण करते रहें। जगह-जगह उल्टे सीधे वक्तव्य देते रहे। जिससे 4 दिन माहौल बिगड़ा रहा। जो लोग घायल हुए उनमें से 15 लोग पुलिस की गोली से घायल हैं। 6 लोग अस्पताल में भरती हुए उन्हीं पर एन0एस0ए0 लगाई गई। पुलिस ने जिन लोगों को गोली मारी उनमें से 4 लोगों को पीछे से गोली मारी गई। पुलिस ने लोगों को फसाने के लिए झूठे मुकदमें लगाए और उन पर एन0एस0ए0 लगाया। वहां के माहौल को बिगाड़ने में पुलिस, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपसे मांग करता हूं कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें।

मेजर जगतपाल सिंह -

अध्यक्ष महोदय, मैं भी मुरादाबाद क्षेत्र से चुनकर आता हूं। इसलिए मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं चूंकि हमारे साथियों ने लिखित नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने आपका नाम नहीं लिया आप क्यों अपने को चिन्हित कर रहे हैं।

मेजर जगतपाल सिंह-

जनपद मुरादाबाद नगर अल्प संख्यक है। (× × × ×)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जाय मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। यह लिखा नहीं जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

कार्यस्थगन के रूप में यह प्रश्न उठाया गया। यह तत्काल की घटना नहीं है। यह बहुत पुरानी घटना है। अभी इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया, प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया गया लेकिन हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे जानकारी है अगर मैं लीक से हटकर कोई बात वास्तविकता से कहना चाहूंगा तो आप सहन नहीं कर पायेंगे, कल यह प्रश्न उठाने का प्रयास किया गया था तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सरल तरीके से आपको आगाह किया था कि जांच चल रही है और वास्तविकता सामने आ रही है। अभी तक जो वास्तविकता सामने आई है उससे न जाने कितनों के दामन पर दाग पाया जाएगा।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)
(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी, पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, संसदीय कार्यमंत्री जी कोई जांच अगर चल रही है और वह पूर्ण नहीं हुई है तो उसका उल्लेख कैसे करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

इसमें कोई वयवस्था का प्रश्न नहीं है। बिना जांच के पूरे हुए सारे आरोप यहां पर लगाये गये तब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया गया, मैं अगर उस बात को

नोट- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं तो व्यवस्था का प्रश्न आता है। यह बात स्वयं माननीय सदस्यों ने कही कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी, पुलिस प्रशासन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी, अगर किसी वर्ग विशेष ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी होती तो यह कहते कि झूठा फसाने के लिए दर्ज करायी गयी है। जो प्रशासनिक अधिकारी वहां थे वहां उन्होंने देखा कि शान्ति भंग करने का प्रयास किया गया, झगड़ा कराया गया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी, उन्होंने हमारे दबाव में रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी। जो शांतिपूर्ण ढंग से मोहर्रम का जुलूस निकालने वाला था तो क्या झगड़ा हमने कराया। शिया-सुन्नी का जुलूस जो पिछले 21 वर्षों से प्रतिबंधित था, उसे निकालने का काम इस सरकार ने किया। मुहर्रम का जुलूस इस सरकार ने निकलवाया। ऐसा नहीं है कि हम मुरादाबाद में मोहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से नहीं निकालना चाहते हैं। वहां दो गुटों में झगड़ा था और दोनों ने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। एक दूसरे को बदनाम करने की नीयत से झगड़ा कराया गया। जांच चल रही है सारी स्थिति आपके सामने आ जायेगी। इसको हिन्दु-मुस्लिम का रंग मत दो।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने किसी पर दोषारोपण नहीं किया है, केवल इतना कहा है कि दो गुटों का झगड़ा था। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की जो जानकारी है, उन्होंने उसके आधार पर अपनी बात कह दी। यह भी कहा है कि जांच चल रही है। जो आप कह रहे हैं कि यह हिन्दू-मुस्लिम का मामला नहीं था और न इसमें हिन्दू ने रिपोर्ट दर्ज करायी न मुसलमान ने दर्ज करायी, वही बात संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही है। अगर किसी दो वर्ग का जिक्र होता तो कोई एक वर्ग रिपोर्ट दर्ज कराता। मेरा भी यही कहना है कि यह हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। आपने अपनी बात कह ली है, कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बड़ी वेदना की बात है कि मुरादाबाद शहर जो पीतल नगरी के रूप में सारी दुनिया में जाना जाता है, बहुत बार दंगों एवं आग की लपेट में जल चुका है। मेरा आग्रह है कि दोबारा ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश न की जाय कि पुनः बीभत्स काण्ड देखने का मौका मिले। मुरादाबाद में जब माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो इस सरकार ने कुछ ही घण्टों में स्थिति पर नियंत्रण कर लिया, यह इस सरकार की दक्षता और उसकी क्षमता का द्योतक है। कर्फ्यू लगाया गया ताकि लोग अपने इरादों में सफल न हो सकें। श्री कल्याण सिंह सरकार शांति और अमन-चैन के लिए प्रतिबद्ध है। हमने चन्द घंटों में सारी स्थिति पर

नियंत्रण किया है और वह लोग चाहे वह बाहर से आये हों, या वहीं के रहने वाले हों, जिन्होंने शान्ति के साथ खिलवाड़ किया है, को एन0 एस0 ए0 में भी बंद किया जायेगा, जेल में भी भेजा जायेगा और गैंगस्टर में भी जायेगा। हिन्दू और मुसलमान, चाहे जो भी हो, सभी की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जायेगा। आप जन-प्रतिनिधि हैं, आप हमारा सहयोग करें और मुरादाबाद उस नक्शे पर आये, जिस नक्शे पर इसे आना चाहिये।

श्री इकबाल महमूद-

मुझे तो खुद पुलिस ने मारा। वहां हमारे हिन्दू और मुसलमान भाइयों का मेल-मिलाप चल ही रहा है लेकिन पुलिस ने गोली चलवाई। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कौन सी एजेन्सी से जांच करवा रहे हैं, अगर उसी पुलिस से जांच करा रहे हैं, जिसने लोगों को मारा तो वह क्या जांच करेगी?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया में जांच चल रही है और मुकदमा कायम है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जांच एजेन्सी का नाम आप बताना नहीं चाहते कि वह कौन है?

श्री अध्यक्ष-

जहां रिपोर्ट होती है, वहां विवेचनाधिकारी भी होता है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, पुलिस ने हमारे ऊपर गोली मारी, इनके लोग वहां पूछने भी नहीं गये और ऊपर से पुलिस से इन्क्वायरी करा रहे हैं। आप सी0बी0आई0 से इन्क्वायरी करा दें।

श्री अध्यक्ष-

सौलत अली, इकबाल महमूद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं। शेष सूचनायें कल ले लूंगा। जिन माननीय सदस्यों की नियम-56 के अन्तर्गत सूचनायें चयनित नहीं हुयी हैं और अस्वीकार की गई हैं, वह दुबारा दे देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

इस सरकार का मुसलमानों के बारे में जो दृष्टिकोण है, साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्री ने हम लोगों के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। सरकार के इस दृष्टिकोण के विरोध में और इस सरकार की संवेदनहीनता देखते हुये, मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से चले गये)

श्री राम नक्षत्र -

माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 जून को आयुवेद और यूनानी फार्मासिस्टों के सवालों को लेकर हमने घेराव किया, लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के ऊपर भी हुआ। मेरे ऊपर भी हुआ, मुझे भी चोटें आईं, आप चाहें तो देख सकते हैं। मान्यवर, 24 जून के बाद से इतना बड़ा धरना और शांतिपूर्वक घेराव का कोई हल नहीं निकला। उसके बाद से फार्मासिस्ट के नौजवानों ने अपनी जिन्दगी दांव पर लगा दी विधान सभा की छाती पर आकर। मान्यवर, आज हाउस चल रहा है, सभी मंत्री लखनऊ में हैं परन्तु दुर्भाग्य है कि उनकी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं गया है। उनके कितने ही साथी बुरी तरह से मौत से जूझ रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि यह गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है, जान क्यों दे रहे हो, क्यों अनशन कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने आभूषण बेचकर, खेत बेचकर हमें फार्मासिस्ट बनाया है, बीबी भी हैरान होकर चली गयी है, अब इससे बढ़िया है कि यहीं मरूं, घर में मरूंगा तो हमारे बाप भी जेल चले जायेंगे। तो वह लोग निश्चित रूप से मन बना लिये हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गयी तो निश्चित रूप से अपने प्राण दे देंगे। इस सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि एलोपैथिक फार्मासिस्टों के क्रम में यूनानी और आयुवेदिक फार्मासिस्टों को भी रखा जाय।

मान्यवर, वर्ष 1989 में इन लोगों की नियुक्ति हुई थी उसके बाद से एक भी आयुवेद और यूनानी फार्मासिस्टों की नियुक्तियां नहीं हुई। जब कि एलोपैथ के डाक्टर के यहां, आयुवेद के डाक्टर के यहां एलोपैथ के फार्मासिस्ट हैं और ये आयुवेद और यूनानी के फार्मासिस्ट सड़क पर घूम रहे हैं। उनकी पीड़ा और दर्द को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं इसी विश्वास के साथ कि गम्भीरता से इनके सवालों को मद्देनजर रखते हुए हल करने का काम करेंगे। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष -

आपकी बात का संज्ञान सदन ने ले लिया, अब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भोजन करें क्योंकि सुबह से आपने भोजन नहीं ग्रहण किया है।

श्री समर पाल सिंह -

मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर मामला है और बहुत ही संवेदनशील है और संवेदनशील इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि इस सदन के माननीय सदस्य भी इसमें शामिल हैं।

मान्यवर, आगरा में रजबहा के अन्दर 4 महीने से पानी नहीं आ रहा था और उस मांग को लेकर मीठापुर के किसान धरना दे रहे थे। किसानों का शांतिपूर्वक धरना चल रहा था अपनी मांगों को लेकर कि नहर और रजबहे में पानी नहीं आ रहा है। उसमें पानी आना चाहिए। निहत्थे किसान थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे न कोई हथियार लाये थे। अचानक एस0एस0पी0 एस0पी0देहात, एस0डी0एम, डी0एम0 पूरे फोर्स के साथ पहुंचे और उन किसानों पर लाठी चार्ज करा दिया। विधायक श्री बाबू लाल जी ने अनुरोध किया और कहा कि निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज क्यों करा रहे हैं? इनका इतना कहना था कि माननीय विधायक पर लाठी से प्रहार करना शुरू क

दिया और जीप के अन्दर लाद दिया और इतना ही नही वहां पर गोली चलाई, बूढ़े किसान थे, निहत्थे किसान थे। मान्यवर, 3 किसान गोली से घायल हुए हैं और लगभग 50 किसान गम्भीर रूप से घायल हुए। मैं स्वयं गया था मैं देखकर आया हूं। उनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाकर 25 लोगों का चालान कर दिया गया। मान्यवर, माननीय विधायक जी ने अनुरोध किया था कि निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज न करें वह प्रशासन को अवगत करा रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया, रासुका के अन्दर बन्द कर दिया। उस समय लोक सभा के चुनाव चल रहे थे, जो माननीय विधायक जी हैं उनके पुत्र वहां से लोक सभा का चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय के रूप में उनके जीतने की संभावना थी इसी के मद्देनजर इन्हें रासुका में निरुद्ध किया गया ताकि प्रचार न कर सकें और भाजपा का प्रत्याशी जीत जाये। मा0 उच्च न्यायालय से इनको रिलीफ मिली रासुका की सजा जो अधिकारियों को मिलनी चाहिए थी इनको दी जा रही है और निरीह किसानों को दी जा रही है। इस मामले की न्यायिक जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने का काम किया जाय।

श्री बाबू लाल (आगरा)-

मान्यवर, 7 फरवरी को मैं आगरा से किरावली विधान सभा क्षेत्र में जा रहा था। मेरा लड़का निर्दलीय प्रत्याशी लोक सभा के रूप में चुनाव लड़ रहा था। वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। आगरा रजबहे में चार महीने से पानी नहीं आ रहा था जब मैं वहां से निकल रहा था तो किसानों ने मुझे रोक लिया। मैं उनकी बात सुन रहा था तभी वहां पर डी0एम0 डी0एस0 मिश्रा, एस0एस0पी0 के0 एल0 मीना, एस0पी0 (आर) सुरेश नाथ पाण्डे आ गये मुझसे बिना बात किये किसानों से बिना बात किये, किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया गया, उन पर गोली चलवा दी। मैंने जब उनसे कहा कि यह कौन सा तरीका है लोकतंत्र में इस तरह से किसानों पर गोली चलायी जा रही है लाठी चार्ज किया जा रहा है तो मुझे बुरी तरह से मारा पीटा, पूरा आध घंटे तक पुलिस अधिकारियों ने डी0एम, एस0एस0पी, एस0पी0 (आर) ने खुद पीटा, मेरे कस्बे के लोगों को मारा पीटा। पुलिस की गोलियों से तीन घायल हुए सैकड़ों आदमियों को हिरासत में बंद किया गया उनका मेडिकल मेरे पास है। आपको इसमें मैं संरक्षण चाहता हूं, डी0एम0 आगरा, एस0एस0पी0 आगरा ने वहां के भाजपा सांसद (× × ×) के इशारे पर यह घटना कराई है।

श्री अध्यक्ष-

नाम हटा देंगे।

श्री बाबू लाल (आगरा)-

इसमें मैं सी0बी0आई से न्यायिक जांच करायी जाय। मुझे रासुका में बंद किया गया माननीय हाईकोर्ट ने मुझे छोड़ा, अगर मैं दोषी होता तो हाईकोर्ट मुझे नहीं छोड़ती। जो घायल हुए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल -

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि उसके ऊपर प्रशासन ने लाठियों से वर्षा की। आप मान्यवर सम्पूर्ण घटना की जांच किसी एजेन्सी से कराने के लिए कह दें। इनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिली है। मान्यवर, अगर कोई समस्याओं पर आवाज उठाते हैं तो प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाता है। जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। आप जो निर्णय लेना चाहें इस प्रकरण की जांच के लिए आप मान्यवर पीठ से निदेश देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष -

सदन के संज्ञान में, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में बात आ गयी है, मुझे विश्वास है कि जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी होगी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री करेंगे।

(मद संख्या 10 पुकारे जाने पर)

श्री समरपाल सिंह -

मान्यवर, सम्मानित सदस्य को खुले आम डी0एम0, एस0एस0पी0 पीट रहे हैं तब अगर कार्यवाही नहीं होगी, तब कैसे न्याय होगा?

श्री अध्यक्ष -

मैंने कहा था कि विधिवत् सूचना दे दीजियेगा कल सुन लूंगा लेकिन आपने आज ही बात कहनी चाही।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष -

मैं अब मद संख्या-10 ले रहा हूं।

(खाद्य मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री समर पाल सिंह व श्री बाबू लाल यादव जी के साथ कुछ और माननीय सदस्य सदन के पटल पर आ गये-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष -

आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। आपकी बात आ गई है और वह सरकार के संज्ञान में भी आ गई है दूसरी सूचना के माध्यम से आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। आप दूसरी सूचना लिखकर दे दें।

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-21-खाद्य एवं रसद विभाग

श्री एजाज रिज़वी-(खाद्य एवं रसद मंत्री)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21-खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,16,60,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(व्यवधान के मध्य माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखे, जिससे स्पष्ट नहीं सुनाई दिया)

(श्री समरपाल सिंह व श्री बाबू लाल जी अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग एक जन उपयोगी विभाग है, जिसके द्वारा जहां एक ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश की जनता को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है वहीं मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाया जाता है। आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर सुलभ कराना होता है, गेहूं और चावल की खरीद कराना है, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से खाद्यान्न क्रय कराना है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण करना है, कालाबाजारी की रोकथाम कराना है, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना है, भवनों के किराये का नियंत्रण करना है, बांट तथा माप प्रणाली के क्रियान्वयन एवं अवैध बांटों तथा मापों के प्रचलन को रोकना है, राज्य कर्मचारियों को उचित मूल्य पर दैनिक उपभोग की सामग्री का राज्य कर्मचारी कल्याण के माध्यम से उपलब्ध कराना है, उ0प्र0 राज्य एवं खाद्य आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर सुलभ कराना है, अनियमितता, जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि पर अंकुश लगाना है।

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस संबंध में कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को किया जाता है। संविधान कहता है कि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है। इसके मायने यह हुए कि हमारे देश में आदमी भूखा न रहे, वह परेशानी की हालत में न रहे। पहले इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते थे परन्तु अब इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह योजना पहली जून, 1997 से प्रारम्भ हुई।

(इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की जनता को दो भागों में बांट दिया गया है और यह योजना भी भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने लखड़वाला

कमीशन से सर्वे कराया तो उसने यह बताया कि उत्तर प्रदेश में 95 लाख 48 हजार ऐसे परिवार हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले हैं और ऐसे लोगों को आधे दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय। इनको बी0पी0एल0 अर्थात बिलो पावरटी लाइन कहा गया।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, यह बजट उत्तर प्रदेश का है भारत सरकार का नहीं है।

श्री ऐजाज रिजवी-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं, वह पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि खाद्यान्न विभाग की सारी व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से करायी जाती है। इनके मन में यह भ्रम है कि जो कुछ खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, वह उत्तर प्रदेश सरकार करती है। यह भारत सरकार के दिशा-निदेश पर होता है, तो मान्यवर, 95 लाख 48 हजार परिवारों को चिन्हित किया गया जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मान्यवर, इनको चिन्हित करने के लिए एक मानक बनाया गया और वह मानक यह था कि 9 हजार रुपया वार्षिक आय वाले गरीबी की रेखा से नीचे समझा जायेगा। यद्यपि इस प्रदेश की सरकार जो इससे पहले एक करोड़ 25 लाख परिवारों को ऐसा पाया था जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तो मान्यवर, ऐसे परिवारों को 10 किलोग्राम गेहूं और चावल देने की व्यवस्था की गयी। यह जो गेहूं और चावल हम देते हैं। यह उनको हम आधे दामों पर देते हैं। प्रदेश की जनता को बी0पी0एल0 के अन्तर्गत गेहूं मिलता है। वह तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है और जो दूसरा वर्ग है जो गरीबी की रेखा के ऊपर का वर्ग है। उसे हम ए0पी0एल0 अर्थात अब पावरटी लाइन कहते हैं, उस वर्ग को भी 10 किलो गेहूं और चावल देने की व्यवस्था है और इनको गेहूं 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है।

मान्यवर, जो खाद्यान्न वितरित करा रहे हैं, इसके लिये भारत सरकार के दिशा-निदेश पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोल रखी हैं, उनकी कुल संख्या 78 हजार है। मान्यवर, इस समय शहरी क्षेत्र में जो निजी दुकानें हैं उनकी संख्या 10,203 है, सहकारिता के माध्यम से जो दुकानें हैं उनकी संख्या 2,123 है। इस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में कुल 12,276 दुकानें हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 62,290 दुकानें हैं और सहकारिता के क्षेत्र में 2,103 दुकानें हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में 64,393 दुकानें हैं। पूरे प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो दुकानों का जाल बिछा हुआ है, उनकी टोटल संख्या 78 हजार है। इस तरह से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जनता को खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल उपलब्ध करा रहे हैं।

मान्यवर, राशन कार्ड के बारे में कहना चाहता हूं। नये राशन कार्डों की व्यवस्था की गयी है, नये राशन कार्ड हम लागू करने जा रहे हैं। इन नये राशन कार्डों का वितरण 15 जुलाई से प्रारम्भ किया जायेगा। राशन कार्ड दो प्रकार के होंगे-एक तो बी0पी0एल और दूसरे ए0पी0एल0 पीले रंग के जो कार्ड होंगे वह गरीबी की रेखा से नीचे वालों के लिये होंगे और सफेद जो हैं, वह गरीबी की रेखा से ऊपर वालों के लिये होंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो व्यवस्था थी, उसमें खाद्यान्न प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन नयी व्यवस्था के अनुसार जो भारत सरकार ने दी है, उसमें प्रति यूनिट न होकर प्रति परिवार रखा गया है। 10 किलोग्राम गेहूं लें या चावल लें। प्रदेश सरकार ने यह किया है कि 7 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल दिया जाये। इस प्रकार से हम बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 के लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने जा रहे हैं। मान्यवर, सदस्यों के मन में एक भ्रम होगा कि पूर्व में ज्यादा गेहूं और चावल मिलता था, इसका मैंने कई बार प्रश्नों के माध्यम से उत्तर दिया है और मैंने कहा है कि प्रदेश सरकार यह व्यवस्था नहीं करती है, भारत सरकार के दिशा निर्देश पर सब किया जाता है।

मान्यवर, जो खाद्यान्न भारत सरकार हमें प्रदेश की जनता के लिये उपलब्ध कराती है, उसके लिए आपूर्ति में भारत सरकार को लगभग 2 हजार करोड़ की सब्सीडी देनी पड़ी है और चूंकि पिछले दिनों खाद्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस हुई थी और जब मैंने वहां पर यह प्रश्न उठाया था कि प्रदेश की जनता को खाद्यान्न कम मिल रहा है और उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि इन्टरनेशनल मानीटरी फण्ड का उन पर बहुत प्रेशर है कि सब्सीडी कम की जाये। भारत सरकार के माध्यम से व्यवस्था है, जितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है वही अपने प्रदेश की जनता को देते हैं। मान्यवर, इसके अलावा भारत सरकार की एक और योजना है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल हैं, वहां बच्चे नहीं जाया करते थे, उनके प्रोत्साहन के लिये एक नयी योजना मिड-डे-मील की बनायी गयी है, इसके अन्तर्गत पुष्टाहार उपलब्ध करायेंगे। इस योजना के माध्यम से स्कूलों में 3 किलोग्राम चावल भी दिया जाता है और इस प्रकार से पूरे प्रदेश को लगभग 29,137.9 मीट्रिक टन गेहूं और 16,697.8 मीट्रिक टन चावल सप्लाई कर रहे हैं।

मान्यवर, जैसा मैंने माननीय सदन में बताया कि ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 सिस्टम में हम जनता को खाद्यान्न दे रहे हैं उसमें 64 हजार मीट्रिक टन हम बी0पी0एल0 के अंतर्गत प्रतिमाह गेहूं दे रहे हैं और इसी बी0पी0एल0 के अंतर्गत 31,500 एम0टी0 चावल उपलब्ध करा रहे हैं। गरीबी की रेखा से ऊपर जो जीवन यापन कर रहे हैं, ए0पी0एल0 में हैं, उनको 11,200 एम0टी0 चावल और 22,170 एम0टी0 गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश की जनता को हम खाद्यान्न लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दे रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को 3 रु0 प्रति क0जी0 गेहूं और 4 रु0 प्रति क0जी0 चावल दे रहे हैं

और ए0पी0एल0 को 5 रु0 प्रति के0जी0 गेहूं और 8 रु0 प्रति किलो ए क्वालिटी चावल सप्लाई कर रहे हैं।

माननीय सदन के सामने माननीय सदस्यों ने इस बात की आशंका व्यक्त की कि राशन की दुकानों से जो खाद्यान्न वितरित किया जाता है उसको डाइवर्ट करके ब्लैक में बेचा जाता है। इसको दृष्टि में रखते हुए सरकार ने एक योजना बनाई है। उसके अंतर्गत हमने पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। उसके लिये तीन तरीके से चैकिंग की व्यवस्था की है। जो सरकारी दुकानों से खाद्यान्न वितरित किया जाता है। उसके लिये सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। यह सतर्कता समितियां ग्राम सभा, ब्लाक, नगर वार्डे और जिला स्तर पर बनाई गई हैं। तीन स्तर पर चैकिंग उसकी होती है। जहां से गल्ला आता है वहां पर चैकिंग, जब गोदाम से गल्ला निकलता है। वहां पर चैकिंग की जाय, जब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ले का वितरण होता है तो वहां पर भी सतर्कता समिति द्वारा सत्यापन होता है। जब तक समिति का अध्यक्ष सत्यापन नहीं कर लेगा तब तक अगले महीने का गल्ला उसे सप्लाई नहीं कराया जायेगा। भारत सरकार ने एक सिटीजन चार्टर बनाया है जो फरवरी, 98 से लागू हो गया है। उसमें आम जनता को चेक करने का अधिकार दिया गया है, जो कोई भी चेक करना चाहे वह चेक कर सकता है। हर दुकान के ऊपर नोटिस बोर्ड लगाने की व्यवस्था कर दी गयी है उसमें पूरी स्थिति अंकित की जाती है। इस दुकान में कितने कार्ड हैं, कितने परिवार हैं, कितना खाद्यान्न दुकान में आया और किस हिसाब से कितना बिका और कितना शेष है। इस प्रकार कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है।

मान्यवर, इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी है कि सरकारी माध्यम से खाद्यान्न पहुंचेगा, इस योजना को डोर स्टेप डिलिवरी नाम दिया गया है। वर्तमान में यह 25 जिलों में लागू है जहां पर सरकारी माध्यम से गल्ला पहुंचाया जाता है। हम इसके लिये भारत सरकार से बात कर रहे हैं कि जितनी हमारी सरकारी गल्ले की दुकानें हैं, उन सबमें चाहे ग्रामीण अंचलों में हों या शहरी क्षेत्र में खाद्यान्न पहुंचाया जाय। हमारा यह विश्वास है कि ग्रामीण अंचल में हम सरकार के माध्यम से यदि खाद्यान्न, मिट्टी का तेल पहुंचा देंगे तो वहां की जनता को राहत मिलेगी। इसलिये भारत सरकार को यह योजना दे रखी है। इस योजना में ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, हमें विश्वास है कि भारत सरकार विचार करेगी और जल्दी ही निर्णय लेने के लिये कोई दिशा निर्देश करेगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है उसकी खरीदारी सेंट्रल पूल से होती है। भारत सरकार प्रदेश की सरकारों से गेहूं, चावल, जहां ज्यादा होता है, उन प्रदेशों से खरीदती है। हमारे प्रदेश में गेहूं और चावल की पैदावार अच्छी होती है। भारत सरकार हमसे अपेक्षा करती है कि हम गेहूं चावल खरीद कर सेंट्रल पूल में दें। भारत सरकार की मंशा है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले।

भारत सरकार मूल्य निर्धारण योजना के अंतर्गत कीमत तय करती है। पिछले वर्षों में केन्द्र सरकार की खरीदारी उत्तर प्रदेश से कम होती रही है। पिछले वर्ष में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से जो अपेक्षा की थी, वह 20 लाख

मी0टन थी। फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, भारतीय खाद्य निगम के लिये पिछले वर्ष मात्र 6 लाख 17 हजार मी0टन ही गेहूं की खरीदारी कर सके थे। उसके पहले के वर्षों अगर 56 साल के आंकड़े आप देखेंगे तो 2 लाख, 3 लाख मी0टन ही खरीद कर दे सके थे। इस वर्ष भारत सरकार ने 20 लाख मी0टन का लक्ष्य रखा था मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 21 लाख 7 हजार मी0टन का लक्ष्य रखा था मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 21 लाख 7 हजार मी0टन गेहूं की खरीदारी की है और लक्ष्य को पूरा किया है। इसमें लगभग 18 लाख मी0टन गेहूं किसानों से खरीदा है। जब यह योजना हम प्रदेश में लागू कर रहे थे तो हमारे मन में यह शंका थी कि गत वर्षों में लक्ष्य तक पहुंचने की बात दूर रही उससे काफी कम खरीदारी हुई थी तो कहीं ऐसा न हो कि यह लक्ष्य पूरा न हो पाये लेकिन यह लक्ष्य पूरा किया गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये इस योजना में किसानों के साथ कमीशन एजेंटों को शामिल कर लिया था। उनको 2 प्रतिशत प्रोत्साहन देकर लेकिन कुछ समय बाद शिकायतें आयी कि गेहूं की खरीददारी किसानों से न होकर केवल उन्हीं से की जा रही है, कमीशन एजेंटों के माध्यम से, इसलिए 9 मई, 1998 को कमीशन एजेंटों द्वारा जो खरीदारी की जा रही थी उसको बंद कर दिया गया और डायरेक्ट किसानों से लाभकारी मूल्य देकर, किसानों को फायदा हो किसानों से खरीद की है और मान्यवर, यह बता दूं कि 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद किसानों से ही हुई है।

मान्यवर, इस खरीदारी के लिये प्रदेश की सरकार ने 4,474 खाद्यान्न के सेन्टर खोले थे और इन सेन्टरों में 6 हमने एजेन्सियां लगाई थीं जो हमारे विभाग की विपणन शाखा है उसके माध्यम से, पी0सी0एफ0 के माध्यम से, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के यू0पी0 एग्रो के माध्यम से तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। मान्यवर, इन 6 एजेन्सियों ने काम किया लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जो विपणन शाखा है उसके माध्यम से हमने ज्यादा गेहूं की खरीदारी की है।

मान्यवर, बावजूद इसके सम्मानित माननीय विधायकगण समयसमय पर मुझसे मिलते रहे हैं और अपने क्षेत्र की शिकायतें करते रहे हैं कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है। जहां पर गड़बड़ियां हो रही थी। वहां पर माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हमने अपने विभाग में प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिये पूरी तरह से परिवर्तन का काम किया और माननीय सदन के सामने बताना चाहता हूं कि इस पूरी कार्यवाही में हमने 183 कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। इसी प्रकार से गेहूं के बाद लेवी चीनी की बात आती है। हम चीनी भी लेते हैं और पी0सी0एफ0 के माध्यम से लेकर वितरण करते हैं। भारत सरकार ने चीनी के वितरण की एक योजना बनाई और उस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की जनता को 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के आधार पर चीनी का वितरण सुनिश्चित करने की योजना है।

मान्यवर, प्रदेश की जनसंख्या 1991 में 13 करोड़ 91 लाख थी। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये 425 ग्राम चीनी का वितरण सुनिश्चित करने की योजना भारत सरकार ने बनाई थी। मान्यवर, माननीय सदन के सामने मैं यह बता देना चाहता हूं कि वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने यह व्यवस्था बनाई थी कि 425 ग्राम प्रति यूनिट के आधार पर भारत सरकार से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है तो चूंकि ग्रामीण जनता को चीनी का सब्सीडियट गुड़ और खाण्डसारी उपलब्ध रहता है और आसानी से मिल जाता है। ग्रामीण जनता को चीनी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके मुकाबले में नगरीय जनता को अधिक आवश्यकता होती है इसलिए तत्कालीन सरकार ने एक मानक यह बनाया था कि ग्रामीण जनता को मात्र 200 ग्राम प्रति यूनिट के आधार पर दिया जाय और शेष बची हुई को नगरीय जनता को 1 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से उपलब्ध करायी जाय।

वर्ष 1991 में मैं कह सकता हूं कि भाग्य से उस समय भी मैं खाद्य विभाग का काम देख रहा था उस समय जब हमारे सामने यह बात आई कि ग्रामीण जनता को 200 ग्राम प्रति यूनिट चीनी उपलब्ध करा रहे हैं और नगरीय क्षेत्र में 1 किलो के आधार पर दे रहे हैं तो उस वक्त हमारी सरकार ने यह फैसला लिया था कि यह उचित नहीं है कि उनको 200 ग्राम प्रति यूनिट चीनी दी जाय इसकी मात्रा बढ़ाई जाय तो हमने उस समय इसे 300 ग्राम कर दिया था।

मान्यवर, कुछ समय बाद उस मात्रा को 300 ग्राम से बढ़ाकर 330 ग्राम किया और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को 330 ग्राम चीनी प्रति यूनिट चीनी उपलब्ध करायी जा रही है। नगरीय जनता को एक किलो चीनी प्रति यूनिट के हिसाब से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। मान्यवर, 1991 की जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मात्र 13 करोड़ 91 लाख थी तो उस समय चीनी की यह व्यवस्था थी। लेकिन अब प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ पहुंच चुकी है। लेकिन भारत सरकार से चीनी की मात्रा को बढ़ाया नहीं है। इसलिए हम बढ़ी हुई जनसंख्या को चीनी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। मान्यवर, हमने केन्द्र सरकार के सामने कई बार यह बात रखी है कि प्रदेश की जनता को चीनी अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। इसलिए मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 59,122 मेट्रिक टन चीनी प्रति माह जो मिल रही है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत सरकार से 66 हजार मे0टन चीनी की हमने मांग किया है। मान्यवर, भारत सरकार ने पिछले दिनों खाद्य मंत्रियों का दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें हम वहां गये थे तो यह बात केन्द्र सरकार के सामने रखा था जो विचाराधीन है और आशा है कि इस पर वह विचार अवश्य करेंगे।

मान्यवर, अभी व्यवस्था थी कि त्योहारों जैसे होली, दीवाली, ईद के समय स्पेशल कोटा के अंतर्गत हमें 1,593 मे0टन चीनी भारत सरकार से मिलती थी किन्तु पिछले साल से यह व्यवस्था बंद कर दी गयी और 1997 में हमें त्योहारों के लिए

कोई चीनी उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्रयास करने के बावजूद नहीं मिली और इस समय भी नहीं मिल रही है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि अतिरिक्त चीनी त्यौहारों के लिए उपलब्ध करायी जाय।

(व्यवधान) (श्री राम तेज यादव के बीच में बिना अनुमति के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता

जब मंत्री जी अपना भाषण पूरा कर लें तो स्पष्टीकरण में बाद में आप पूछ सकते हैं। बीच में पूछने की परिपाटी नहीं है। इसलिए मा0 सदस्य आप बैठ जाएं।

श्री एजाज रिजवी

मान्यवर, मैंने सबसे पहले अपनी बात रखते हुए आदरणीय सदन से कहा था कि भारत सरकार को खाद्यान्न आपूर्ति में दो हजार करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी देना पड़ रहा है जो भारत सरकार के लिए कठिन कार्य हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसीलिए केन्द्रीय खाद्य मंत्री के सामने यह बात रखी है कि चीनी का कोटा बढ़ाया जाए।

मान्यवर, चीनी के बाद मिट्टी का तेल भी भारत सरकार द्वारा ही हमें उपलब्ध कराया जाता है।

मान्यवर, भारत सरकार ने एक मानक बनाया है इनके यहां नेशनल क्राइटेरिया है। उसके अनुसार दिया गया है जो मिट्टी का तेल दे रहे हैं यह उत्तर प्रदेश को 1 लाख 26 हजार 236 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है यह 1991 की जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। यह कम है उत्तर प्रदेश सरकार में जो मानक बनाए हैं। उसके अनुसार नगरीय क्षेत्र में जिन घरों में एल0पी0जी0 नहीं है। उन परिवारों को एक कार्ड के ऊपर दस लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराते हैं जिन परिवारों में एल0पी0जी0 है, वहां पांच लीटर मिट्टी का तेल देते हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, उत्तराचंल क्षेत्र हैं, उत्तराचंल में दस लीटर मिट्टी का तेल कार्डधारकों को देते हैं। 1 लाख 26 हजार 236 लीटर मिट्टी का तेल जो दिया जा रहा है। यह बहुत कम है। प्रदेश की जनसंख्या के लिए कम है। इस विषय पर भी केन्द्र सरकार से पत्राचार किया था।

मैं स्वयं गया था। मुझे खुशी है कि हमारी केन्द्र की सरकार ने अप्रैल के महीने में 18 परसेन्ट की आपूर्ति और बढ़ा दी है। इस तरह से 1 लाख 46 हजार 966 लीटर मिट्टी का तेल प्राप्त हो रहा है। यह भी कम है इसके लिए जो पर कैपिटा का मानक केन्द्र सरकार ने बनाया है 11.41 के0जी0 के आधार पर है। उत्तर प्रदेश के लिए 8.41 के0जी0 के आधार पर दिया जा रहा है। यह कम है। इस कमी को दूर किया जाए इसके लिए हमने 2 लाख 3 हजार 946 लीटर की मांग की है। मुझे आशा है मिट्टी का तेल हमें उपलब्ध कराया जायेगा। पिछले दिनों में सम्मानित

विधायकगण ने सदन में इस तरह का प्रश्न उठाया था कि मिट्टी का तेल जनता को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की सरकार ने एक व्यवस्था की है कि प्रदेश में सरकारी मिट्टी का तेल मिलता है, इसके अलावा सरकार प्राइवेट सेक्टर से मिट्टी का तेल फ्री सेल पर उपलब्ध करायेगी ऐसी व्यवस्था कर दी गई है।

पश्चिम में यह व्यवस्था लागू है। तीन कम्पनियां फ्री सेल में दे रही है। आठ रूपये के हिसाब से खुले बाजार में मिट्टी का तेल उपलब्ध हो रहा है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कार्डधारकों के मन में इच्छा है कि सब्सिडाइज रेट पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

घड़ी की सुईयां कुछ अपेक्षा कर रही हैं दूसरा भी विभाग है।

श्री ऐजाज़ रिज़वी-

मैंने 16 अरब 16 करोड़ का बजट रखा है यह ऐसा विभाग है जो आप जनता से जुड़ा है। पन्द्रह-सोलह काम हैं। कुछ कारपोरेशन हैं, आवश्यक वस्तु निगम हैं। उसके माध्यम से हम खाद्यान की आपूर्ति करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर भाषण में मंत्री जी बोलेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी इस प्रदेश का खाद्य और रसद यह खा गए अब मंत्री जी विपक्ष के माननीय सदस्यों का समय खा रहे हैं।

श्री ऐजाज़ रिज़वी-

मेरे विभाग ने कोशिश की है कि पारदर्शिता लाए कोई बात छिपाना नहीं है। इसी के पेशेनसर हमने दुकानों के ऊपर नोटिस बोर्ड लगा रखा है, जिससे आम जनता जान सके। सिटीजन चार्ट भी लगा दिया गया है। आवश्यक वस्तु निगम पिछले काफी समय से घाटे में चल रहा है। उसके पास काम की कमी रही है। अभी पिछले दिनों हमने डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से 25 जिलों में काम सौंपा है यह ठीक ढंग से काम कर रहा है। निकट भविष्य में आवश्यक वस्तु निगम के काम को और बढ़ाएगें। हमने आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से कोयले का काम भी शुरू किया है। वह काम बड़े सुचारू रूप से कर रहा है।

गत वर्षों में लगभग 4 करोड़ का घाटा हुआ करता था। सरकार ने प्रयास करके इसको एक करोड़ 35 लाख के करीब ला दिया है। गेहूं की खरीद में भी आवश्यक वस्तु निगम ने अच्छा काम किया है। इसके अतिरिक्त जो

राज्य कर्मचारी हैं। उनको रोजमर्रा की चीजें सुलभ हो जाएं, सस्ती दरों पर उपलब्ध हो इसके लिए राज्य कर्मचारी कल्याण निगम खाद्य निगम के अन्तर्गत काम कर रहा है। इस कर्मचारी कल्याण निगम में 1,611 कर्मचारी संवारत हैं इस कल्याण निगम में भी पिछले सालों घाटा हुआ करता था लेकिन पिछले साल से हम घाटे में नहीं मुनाफे में जा रहे हैं। हमारे इस कारपोरेशन की बैलेन्स सीट 1995 तक की आडिट हो चुकी है। खाद्य विभाग के माध्यम से कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने की दृष्टि से संचारण निगम के माध्यम से जिलाधिकारियों के द्वारा जितनी डिमाण्ड आती है। हम कोयला उपलब्ध करा देते हैं। यह काम भी काफी अच्छा चल रहा है। जितने भी ईंट भट्ठे हैं। उनमें काफी अच्छी तरह से कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है, प्रदेश में भण्डार कायदे से हो इसलिए भण्डार की व्यवस्था कराने के लिए 1997 से यह योजना बनाई कि भण्डार निगम होना चाहिए इस आधार पर 1996-97 में 20 भण्डार निगम और 1997-98 में 24 भण्डार निगम की तैयार कराने की योजना है। यह काम प्रगति की ओर है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, भण्डार निगम नहीं भण्डार है।

श्री ऐजाज़ रिज़वी-

मान्यवर, खाद्यान्न का वितरण कराते हैं इसके अलावा बाजार में खाद्यान सही दामों पर मिले, उसकी कीमतों पर नियंत्रण रहे, इसके लिए विभाग के जरिये से कार्यवाही की जाती है और कई कण्ट्रोल आर्डर्स हैं जिनकी जानकारी सदन के सम्मानित सदस्यों को है, उसके माध्यम से हम कण्ट्रोल का काम करते है, कीमतें बढ़ने पर रोक लगाते हैं। मान्यवर, मुनाफाखोरी और जमाखोरी, इस पर भी हम प्रवर्तन का काम करके रोक लगाते हैं।

मान्यवर, समय-समय पर छापे डालते हैं और इस तरह से जो केसेस होते हैं, उनको रजिस्टर्ड कराते हैं, मुकदमें कायम कराते हैं, गिरफ्तारी होती है और इस तरह से प्रदेश की जनता को खाद्यान्न सही तरीके से उपलब्ध कराते हैं। आम जनता को सही माल मिले इसके लिए वेट्स एवं मेजरमेंट डिपार्टमेंट है जिसका कंट्रोलर है, उनके माध्यम से पूरे प्रदेश के अन्दर सही माल पहुंचे इसको सुनिश्चित कराते हैं और इसके लिए बराबर छापे डालते हैं और प्रवर्तन का काम करते हैं। गत वर्ष 8,52,331 छापे हमारे विभाग के द्वारा डाले गये और लगभग 70,40,125 केस सत्यापित किये गये। 53,803 मामले पकड़े गये जिसमें कम्पाउडिंग की गयी और 85,65,590 रूपये की आय हुई है।

मान्यवर, आम जनता जो उपभोक्ता है, हमारे प्रदेश की, उसको सेहत मिले, उसको परेशानी न हो इसके लिए हमारा उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय हमारे विभाग के अंतर्गत काम कर रहा है। यद्यपि भारत सरकार के केन्द्रीय अधिनियम के

अन्तर्गत काम कर रहा है और जिला फोरम हर जगह स्थापित किये गये हैं, जहां पर उसका अध्यक्ष और एक पुरूष व एक महिला सदस्य की नियुक्ति भी कर दी गयी है। यह काम भी तेजी के साथ चल रहा है। मैं सम्मानित सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रदेश स्तर पर भी उपभोक्ता संरक्षण का काम है। वह भी अच्छी तरह से चल रहा है। जो राज्य आयोग है उसमें 31 मार्च, 1998 तक 19,102 मामले लम्बित थे। एक साल में 4341 मामले निष्पीत हुये इस तरह से 14,761 मामले राज्य आयोग के पास लम्बित हैं। जिला फोरम में पूरे प्रदेश के अन्दर 1,84,418 मुकदमें प्रदेश के विभिन्न फोरमों में दाखिल हुए जिसमें 1,30,434 मुकदमों के फैसले हुए, 53,956 मुकदमें लंबित हैं। इस फीगर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे उपभोक्ता के जो फोरम हैं, जिलों में वह बड़ी तत्परता के साथ काम कर रहें हैं और बड़े सुचारू रूप से काम चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, विचार तो आपके बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन आप गागर में सागर भरने का काम करें।

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्व में यह बात आती रही है और माननीय सदस्यगणों में यह जिज्ञासा रही है कि विभाग के अन्तर्गत काम गडबड़ चल रहा है, इसके लिये वह प्रश्न भी करते रहे हैं, चर्चा की मांग भी करते रहे हैं। आज बजट के रूप में मैं खुली बात रख रहा हूं, हर चीज सामने रख रहा हूं, इसीलिये मैंने यह साहस जुटाया है, ताकि कोई बात छिपी न रह जाय। अब हर चीज की पारदर्शिता के आधार पर सरकार ने व्यवस्था कर दी है।

मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे खाद्य विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया और कुछ बातें मैं कह सका। इस महत्वपूर्ण विभाग के संबंध में इस सम्मानित सदन के समक्ष और भी बहुत सी बात रखनी थी लेकिन चूंकि जैसा आपकी ओर से संकेत है कि घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अभी और भी बजट प्रस्तुत किये जाने हैं, इसलिये अपने सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी बजट प्रस्तुत किया गया है, उसको सहर्ष स्वीकार करते हुये अनुमोदन करने की कृपा करें, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठता महोदय, माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग पर मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, इस चर्चा को हमारे दल की ओर से हमारे साथी श्री राम आंतार शाक्य जी आगे बढ़ायेंगे, कृपया अनुमति देने का कष्ट करें।

श्री राम आंतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती के प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने के लिये आपने मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने 16,16,60,75,000 रूपये का बजट स्वीकृत कराने के लिये प्रस्तुत किया है। हमारी जानकारी है कि इनका अनुमानित खर्चा 25,35,12,11,000 का है, यह मुझे किसी सोर्स से पता चला है। यह जो अधिक राशि का खर्चा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी खुद ही बतायेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है, जब बजट का लिट्रेचर नहीं दिया गया है, केवल प्रगति विवरण दिया गया है। वैसे तो आपका बजट भाषण बहुत लम्बा-चौड़ा है खाद्य विभाग भी बहुत लम्बा-चौड़ा है और जितना लम्बा-चौड़ा खाद्य परिवार है, उतना ही, ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार है।

मैं अपने भाषण में विभाग में फैले करप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था गलत होने के संबंध में, आपके विभाग में जो एडलट्रेशन है, मिलावट है, एक्सप्लायटेशन है, चाहे कर्मचारियों का हो, उपभोक्ताओं का हो और लेस मेजरमेंट की जो बीमारी है, उसकी ओर ध्यान दिलाऊंगा आपके विभाग में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, हर ओर मिस मनेजमेंट है, इसके साथ विभाग में कोआर्डीनेशन की कमी है, चाहे वह मंत्री और राज्य मंत्रियों के बीच हो, चाहे वह मंत्रियों और अधिकारियों के बीच की बात हो। इसके अलावा जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, वह है आवश्क वस्तुओं की उपलब्धता और कंट्रोल आफ प्राइसेस, यद्यपि डाइरेक्ट सम्बन्ध कृषक बजट के कंट्रोल और प्राइस से नहीं है लेकिन जो आपूर्ति और सप्लाई है उसके सम्बन्ध में प्राइस कंट्रोल का इससे बहुत बडा सम्बन्ध है। वह इसलिए है कि जैसा आपने कहा गेहूं के बारे में, जो बजट भाषण है, वह पूरा-पूरा बजट भाषण ऐसा लग रहा था जैसे केन्द्रीय बजट हो, हर संदेश में केन्द्र सरकार की बात है, जो बजट प्रस्तुत किया है, इसमें कितना खर्चा केन्द्र सरकार का होगा यह कोई डिटेल्स नहीं दिया है। इसमें स्टेट पुलिंग की व्यवस्था करें।

अगर कोई दैवी आपदा आ जाय, कोई अकाल पड़ जाये तो आप केन्द्र सरकार से गेहूं मांगेंगे और जब वह देगा तब आप स्वतंत्र हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि केन्द्र सरकार और स्टेट में टकराव हो जाय तो अगर स्टेट पुलिंग की व्यवस्था होगी तो अच्छा होगा अभी आपने कहा कि भारत सरकार सब्सीडी दो हजार करोड़ रूपये की किया है तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ऐसे प्रदेश हैं वहां पर गेहूं का उत्पादन होता है और जो उत्पादनकर्ता किसान है उनको बिजली सिचाई की सुविधा

मुफ्त है लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं है । उत्तर प्रदेश का किसान जब गेहूं बेचता है तो आपने उसमें 55 रूपये सब्सिडी देने का प्राविधान किया है, पिछले वर्ष यह 60 रूपया थी ।

अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो आज आत्महत्या केसेज आ रहे हैं, अन्य प्रान्तों से आ रहे हैं । मान्यवर, जब बाजार में शुरू में गेहूं बेचा जाता है तो वह बहुत सस्ता होता है लेकिन जब किसान के घर से वह गेहूं निकल जाता है और व्यापारी के हाथ में आ जाता है तो उसके बाद उस गेहूं की कीमत ज्यादा हो जाती है तो अगर उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए आप स्टेट पुलिंग की व्यवस्था कर दें तो किसान को घाटा न हो । आपने लाभकारी मूल्य की बात कही है लेकिन कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे किसान को लाभकारी मूल्य मिले तो जब किसान की परचेसिंग कैपासिटी कम होती है तो गेहूं उसके हाथ से निकलकर व्यापारी के हाथ में जाता है और मार्केट में बिकता है तो उसका प्राइज बढ़ जाता है । पंजाब और हरियाणा के किसान को डेढ़ सौ से दो सौ रूपये तक सब्सिडी मिलती है लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान को 55 रूपये सब्सिडी दिलाने का काम किया और पिछले वर्ष 60 रूपये था तो जब माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण पढ़े तो यह बतायें कि यह कम क्यों किया है ।

दुसरी बात है करेप्शन की । आपने राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की कोई बात नहीं कही है जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करता है । मैं बता रहा हूं कि उसमें भ्रष्टाचार छपा है । मान्यवर, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की बेसिकली स्थापना इसलिए की गयी थी कि राज्य कर्मचारियों को सेल्स टेक्स से मुक्त करके उनको अच्छी क्वालिटी का सामान जैसे वनस्पति, साबुन चाय आदि उपलब्ध कराये लेकिन स्थिति क्या है कि आज स्टेण्डर्ड कम्पनी पर तो बिल्कुल पर्दा डाल दिया गया है और नई चीजें पैदा हो गयी हैं जैसे डमडम पाउडर है ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

कभी नाम नहीं सुना होगा, डमडम वाशिंग पाउडर, तरंग चाय । अब कांटेक्ट कर दिया गया घटिया चाय है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, राज क्या है किसी सीनियर आई0 ए0 एस0 इसमें इन्वाल्व हैं, वे उत्पादन करते हैं । अच्छे दामों पर बेचते हैं और अच्छा कमीशन लेते हैं । निगम की जो स्थापना की गयी उसका उद्देश्य था कि क्वालिटी बढ़िया हो और सही दर पर हो । "झला" वनस्पति का नाम आपने नहीं सुना होगा-इस तरह से तो आप राज्य कर्मचारियों के साथ जनता के साथ अहित कर रहे हैं । घटिया फर्में तो एडवांस में आपको माल दे देती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कं0 को तुरन्त भुगतान चाहिये होता है ।

इस तरह से आप स्टेण्डर्ड कं0 से न लेकर समस्यायें पैदा कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कं0 मानती है कि दो करोड़ रू0 का ट्रांसजेक्शन न सही, उसका तो अन्यत्र बड़ा व्यापार है। निगम में छोटा कर्मचारी सबसे ज्यादा शोषित हो रहा है। आप निगम को दो भागों में बांट दें- एक डिपो दूसरे कैन्टीन मुनाफे में जा रही है, डिपो घाटे में। घाटे के कारण डिपो से छोटे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। दोपहिया वाहनों की सप्लाई रोक दी गयी है, उसकी बिक्री अधिक होती थी, उसकी इनकम से कर्मचारियों की तनख्वाह निकलती थी। आज स्थिति यह है कि 6-7 महीने हो गये डिपो के छोटे कर्मचारी की तनख्वाह नहीं निकल रही है। निगम का अधिशासी निदेशक तो आपका आई0ए0एस0 होता है बाकी डिप्टी मैनेजर्स को व्यापार का कोई तजुर्बा नहीं होता, तब मिस-मैनेजमेंट होता है तो फयदा कैसे हो सकता है। जो कामर्स पढ़े हुए लोग हैं डिप्टी मैनेजर्स के पदों पर योग्य एक्सपर्ट लोगों को रखें तो जो कार्य संचालन और व्यापार की प्रक्रिया है, उसमें स्थिति अच्छी बनेगी।

दूसरी चीज है प्रशासन की। माननीय खाद्यमंत्री जी आपके जो आर0एफ0सी है या दूसरे अधिकारी हैं वह आई0ए0एस0 व पी0सी0एस0 हैं। उनकी ट्रांसफर व पोस्टिंग आप कर नहीं सकते हैं। आर0 एफ0 सी0 एक ऐसा पद है जो पर्टिकुलरली खाद्य विभाग से संबंधित है, उस पर कंट्रोल करने का अधिकार आपके पास होना चाहिये। परन्तु सीधे मुख्यमंत्री जी के लिए वह जबावदेह है। यही वजह है करप्सन की। अधिकारियों के बीच में टकराव की बात आ गई। सार्वजनिक तौर पर यह बात आ गई कि राज्य मंत्री और मंत्री के बीच में टकराव है। कार्य विभाजन नहीं हुआ है। ट्रांसफर-पोस्टिंग का सवाल है। कहने का मतलब यह है कि दोनों के बीच को-आर्डिनेशन नहीं है। एक बार तो यहां तक पता चला कि राज्य मंत्री अपनी खीज मिटाने के लिये अधिकारियों पर सवार हो गये और मारपीट हो गई। मंत्री जी ने उन्हें कोई अधिकार नहीं दिये हैं।

पहले राय सिंह जी सीनियर आई0 ए0 एस0 अधिकारी थे, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, फिर अंसारी जी आये, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद और भी अधिकारी आये, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जो खुद्दार अधिकारी हैं, उनका आप ट्रांसफर कर देते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी के दबाव में आकर आप करते हैं। आप तो एक मात्र अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्री थे, आपकी तो आइडेन्टी होनी चाहिये थी, आप तो दूसरे नम्बर के नागरिक हो गये। ऐसा तो नहीं कि मुख्य मंत्री जी आपसे नाराज हो गये या फिर आर0 एस0 एस0 या बी0 जे0 पी0 के दबाव में आकर मजबूरी में आपने ऐसा किया।

मान्यवर, नये राशनकार्ड की बात बताई गई। यह घोषणा तो आप डेढ़ महीने पहले कर चुके हैं परन्तु इसके लिये आपने बजट में कोई प्राविधान किया नहीं है। दो तरह के राशनकार्ड-नीला व सफेद बनाने की बात आपने कही, इस घोषणा से मेरी निश्चित जानकारी है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गये कि आपके राशन कार्ड उपलब्ध है नहीं और गरीब उपभोक्ता राशन कार्ड खो जाने के कारण दूर जाकर

राशन कार्ड बना नहीं सकता।

अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेई जी के संसदीय क्षेत्र में जो खाद्य निरीक्षक की संख्या होनी चाहिए वह नहीं है उससे कम की यहां पर तैनाती है। 12 रुपये मिट्टी का तेल बिक रहा है और आप आठ रूपये की बात कर रहे हैं। जब अटल बिहारी बाजपेई जी के क्षेत्र में राशन कार्ड नहीं बटेंगे जितने अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती होनी चाहिए वह पूरी नहीं होगी तो सारे प्रदेश की क्या हालत होगी। तो यह तो आपकी पारदर्शिता है यह हमारी समझ में नहीं आती है। मान्यवर, दुकानों की बातें कहीं गयीं। सस्ते गल्ले की दुकानों की। आपने कहा कि बड़ी संख्या में दुकानें खोली गयी हैं। तो मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं बड़े ही सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कोटा डीलर हैं उनकी दुकानें कैन्सिल की जा रही हैं और एक पटिकुलर पार्टी के लोगों को बांटने की गहरी साजिश की जा रही है। कोयले की बात कही गयी, आज आप देखें कि कोयले की सप्लाई नियमित नहीं की जा रही है और ऊंचे दामों पर कोयला बिक रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

श्री शाक्य जी अभी आपको और मौका मिलेगा।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, बांट और माप की बात कही गयी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार व्यापारियों की सरकार है। प्रत्येक वर्ष जो बांट और माप होते हैं वह घिस जाया करते हैं इसलिए प्रत्येक वर्ष उसको चिन्हित किया जाना चाहिए लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे उपभोक्ता का नुकसान हो रहा है। मिलावट की बात के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि चाहे वह डीजल हो, पेट्रोल हो आज हालत यह हो गयी है कि जो पेट्रोल टंकी है उसमें जितने लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा कि बहुत सारे पकड़े हैं। तो आप जरा यह बतायें कि आपके कार्यकाल में कितने लाइसेंस कैन्सिल करवाये गये। आपने यह स्वीकार किया कि आप त्यौहारों में चीनी नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं।

जो आवश्यक वस्तुयें हैं, वह जनता को उपलब्ध नहीं हैं, वह आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जो लोग गांव के रहने वाले हैं, वह इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बगैर रूपया दिये हुये, कोई डीलर चीनी नहीं उठा सकता है, गेहूं नहीं उठा सकता है, यह मेरी निश्चित जानकारी है कि अगर एक बोरे में एक कुन्तल चीनी होती है, तो उसे 95 किलोग्राम ही चीनी मिलती है। आपका जो मिस-मैनेजमेंट है, उससे उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। जब डीलर उस सामान को दूकान पर बेचेगा, तो घाटा उठाकर नहीं बेचेगा वह या तो कम देगा या दाम अधिक लेगा। इस तरह से जो आपकी व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है।

अब मैं राशन कार्ड के बारे में कहना चाहता हूं, जितने नम्बर हैं और जितने परिवारों को चीनी चाहिये उतनी संख्या में न तो राशन कार्ड हैं और उतनी मात्रा में न उसका वितरण होता है। मेरी निश्चित जानकारी है कि जो पहले व्यवस्था थी, वह सीमित थी और उससे जो उपभोक्ता की आवश्यकताएं थीं वह पूरी नहीं हो पाती थीं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होली और दीवाली पर चीनी की जरूरत होती है लेकिन उसको भी आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उपलब्ध करायें और जब उनके पास राशन कार्ड नहीं होंगे, तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पायेंगे। उनको राशन नहीं मिल पायेगा और वह वंचित रह जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

काफी माननीय सदस्य हैं। आप सहयोग करें। कटौती का प्रस्ताव माननीय अम्बिका जी ने रखा है, इसलिये वह उत्तर भाषण करेंगे। अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, जो बातें मैंने उठायी हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार की हों या मिस-मैनेजमेंट की हों, जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण करें, उनका जवाब अवश्य दें और सारी बातों पर प्रकाश अवश्य डालें।

* श्री राजधारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जनता के कल्याण के लिये बहुत सी घोषणायें की हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि गेहूं की खरीद का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे अधिक खरीदारी हुई है। मान्यवर, मैं बलिया जनपद से आता हूं और किसानों की समस्याओं के बारे में सब कुछ जानता हूं। यह जो योजना गेहूं खरीद की बनायी गयी थी, वह इसलिये बनायी गयी थी कि जो छोटे किसान हैं, जिनको तत्काल गेहूं बेचना पड़ता है, उसका गेहूं खरीदा जा सके, लेकिन सही समय पर गेहूं की खरीद न होने पर छोटे किसानों को गेहूं बिचौलिये मजबूरी में ले लेते हैं और जैसा आपने स्वयं महसूस किया कि कुछ कमीशन ऐजेंटों के माध्यम से गेहूं खरीदा गया। ऐसी स्थिति भविष्य में न आये इस पर रसद विभाग को ध्यान देना चाहिये। जो हमारे किसान हैं उनका गेहूं और धान सीधे खरीदा जाये जिससे किसानों को लाभ मिल सके।

वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिये आपने गांव स्तर पर, ब्लाक स्तर पर जिला स्तर पर कमेटियां बनाई हैं यह अच्छी बात है। आपने यह जो व्यवस्था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है जब तक ग्राम प्रधान प्रमाणित नहीं करेगा तब तक खाद्यान्न दुकानदार को नहीं दिया जायेगा यह बहुत अच्छी बात है इससे वितरण प्रणाली में सुधार होगा। वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरस्त बनाने के लिये हर दुकान में रेट बोर्ड लगाने की व्यवस्था की है जिसमें उल्लेख होगा कि कितना चावल देंगे, कितना मिट्टी तेल देंगे और किस दाम पर देंगे। यह बहुत अच्छी चीज है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका पालन ठीक से हो इस पर दृष्टि होनी चाहिये। हम गांवों से आते हैं और बार-बार शासन की नोटिस में यह बात आती है कि दुकानदार रेट बोर्ड नहीं लगाते हैं या फिर उसमें उल्लेख नहीं करते हैं कि कितना राशन वह देंगे जिससे गरीब लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।

प्राइमरी पाठशालाओं के बच्चों को सरकार की तरफ से मुफ्त चावल देने की योजना "मिड डे मील" के अंतर्गत चलाई जाती है लेकिन सब को चावल नहीं मिल पाता है। इसका वितरण चाहे अध्यापक के माध्यम से होता हो या दुकानदार के माध्यम से होता हो इसको ईमानदारी से लागू किया जाय। इस पुष्टाहार योजना का लाभ बच्चों को मिलना चाहिये।

यह जो ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 के माध्यम से लक्षित वितरण प्रणाली है बहुत अच्छी योजना है इसमें 95.48 लाख परिवारों को चुना गया है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1991 की जनगणना के आधार पर राशन कार्ड वितरित किये जाने हैं आज 98 में जनसंख्या काफी बढ़ गयी है, परिवारों में भी विभाजन हो गया है उसको भी ध्यान में रखते हुये कार्ड बनाये जांय। गरीब किसानों के कार्ड फट जाते हैं उसको भी ध्यान में रखा जाय। ताकि गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। पिछले वर्षों तक त्योहारों में चाहे वह हिन्दू का हो या मुसलमान का हो उसमें अतिरिक्त चीनी देने की व्यवस्था थी जिसे समाप्त कर दिया गया है। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार से कोटा नहीं मिलता है इसके लिये मैं चाहूंगा कि आप पुनः भारत सरकार से कहें और इस सदन की भावना से अवगत करायें ताकि त्योहारों में चीनी देने की जो परम्परा थी वह हर संप्रदाय के लोगों को अतिरिक्त चीनी दी जाय।

कल्याण निगम के बारे में यहां पर चर्चा आई माननीय शाक्य जी ने भी कहा मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो कदम उठाये हैं उसे कल्याण निगम का घाटा कम हुआ है और वह लाभ में परिवर्तित हो रहे हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि जो सामाजिक कल्याण का काम कल्याण निगम करता है वह कार्य करता रहेगा और हमारे कर्मचारी भाईयों को सस्ते दामों पर उपभोक्ता चीजें मिलेंगी और निगम लाभ में जायगा। इन शब्दों के साथ मैं खाद्य एवं रसद विभाग का जो यह बजट लाया गया है इसका समर्थन करता हूं।

श्री बाबू राम यादव-

माननीय अधिष्ठता जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने माननीय विभाकर शाक्य के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

कटौती के प्रस्ताव को अम्बिका चौधरी माननीय राम औतार शाक्य द्वारा उस पर बल दिया गया है।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी और माननीय राम औतार शाक्य के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, अभी हमारे माननीय सदस्य बलिया श्री राजधारी बोल रहे थे उन्होंने भी इंगित किया कि वितरण ठीक से नहीं चल रहा है। आज हम यह सोचते थे कि मंत्री जी कुछ ऐसी योजनायें प्रस्तुत करेंगे सदन के सामने जिससे कि वितरण व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होगी। वैसे तो पूरी सरकार कहती है कि पारदर्शी प्रणाली है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि खाद्य विभाग की वितरण व्यवस्था पूरी तरह से आज ध्वस्त है। मान्यवर, गेहूं खरीद की बात कही गयी। माननीय मंत्री जी ने गलती स्वीकार नहीं की।

गेहूं की खरीद पहले कमीशन एजेंटों से की गयी। माननीय सदस्यों ने भी यह स्वीकार किया है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया। कमीशन एजेंटों ने 480, 470 रुपये किसानों को दाम दिये। छोटे गरीब किसान ने पहले गेहूं बेच दिया जिससे उसको जबरदस्त घाटा हुआ। आपने 9 तारीख को आदेश दिया कि कमीशन एजेंटों द्वारा खरीद नहीं होगी सरकार के माध्यम से होगी। इससे जो पूंजी लगी थी वह जाम हो गयी और यह सिस्टम टूट गया। सरकारी एजेंसियों ने बड़े काश्तकारों से गेहूं खरीदा। जिससे छोटे किसानों को घाटा हुआ और कमीशन एजेंटों को लाभ। छोटे किसानों से गेहूं पहले बेच दिया था इसलिये गरीब किसान लुट गया आपकी व्यवस्था के कारण। आपने गेहूं के बारे में स्पष्ट कर दिया लेकिन चावल की लेवी के बारे में कुछ नहीं कहा। चावल में 60 फीसदी सरकार लेती है और 40 फीसदी फ्री होता है। आपने लेवी का 60 प्रतिशत चावल ले लिया लेकिन जो 40 प्रतिशत फ्री छोड़ा जाता है उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया। वह सारा चावल मिलों में पड़ा है फ्री नहीं छोड़ा गया है। आपको आज घोषणा करनी चाहिये थी कि जो चावल मिलों में पड़ा है उसको रिलीज किया जाता है तो मैं मानता कि भ्रष्टाचार नहीं है।

एक बहुत बड़ा घपला मैनपुरी में हुआ जिसमें कई करोड़ रुपये की रिश्वत दी गयी। मैं आरोप नहीं लगाता हूं लेकिन उसमें रिश्वत ली गयी है। मैनपुरी में 100 राइस मिलें हैं। इस विभाग के या तो बड़े अधिकारियों ने या बड़े नेताओं ने पंजाब के किसानों से साठ-गांठ की और मैनपुरी की मिलों को बंद करा दिया और गोदाम से चावल नहीं उठाया गया कह दिया गया कि चावल खराब है नहीं उठायेंगे। चावल नहीं उठा। मिल बन्द हैं। पूरे सीजन मिल बन्द रही हैं और 10 लाख क्विंटल धान पंजाब के व्यापारियों को बेच दिया गया। काश्तकारों को पूरा दाम नहीं मिला और मिल मालिकों को परेशानी हुई है। यह सबसे अधिक घपला हुआ है जो 10 लाख क्विंटल

पंजाब के व्यापारियों के हाथ बेचा है सरकार ने और सरकार के अधिकारियों ने 10 लाख क्विंटल के हिसाब से 10 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि वे आज घोषणा करें कि इस पूरे प्रकरण की, वैसे तो मैंने लिखकर दिया था माथुर साहब थे चीफ सेक्रेटरी को कि आप जांच करायें। फूड सेक्रेटरी ने रुपये लिये हैं या किसी बड़े नेता ने लिये हैं उन्होंने कहा कि हम समझते हैं और जांच करायेंगे लेकिन उन्होंने सी0आई0डी0 के इन्सपेक्टर को आदेश दिये। मैं नहीं बता सकता कि जांच होने लायक है या नहीं। मैं बता देना चाहता हूं आंकड़ों के द्वारा कि फरवरी, 97 में जो खरीद हुई थी धान की वह 1 लाख 27,948 टन थी और फरवरी 98 में यह 7,670 टन हुई। यह आंकड़े बताते हैं कि सारा का सारा धान सरकार की सहमति से पंजाब भेजा गया।

पंजाब भेजे जाने का मतलब हुआ कि वहां के व्यापारियों से मिल कर यहां के अधिकारियों और नेताओं ने, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता किसी पर लेकिन फूड सेक्रेटरी तो जिम्मेदार हैं ही। पूरे सीजन मैनपुरी की मिलें बन्द रहीं। मिल मालिक उनसे मिले लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की इसलिये भी वे जिम्मेदार हैं। मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए और अपने उत्तर भाषण में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसको पारदर्शी करें कि इतना बड़ा घपला क्यों हुआ। किसने किया? इसकी जांच 15/20 दिन या महीने के अन्दर करवायें। ऐसा न हो कि इसमें साल लग जाय। जो रिपोर्ट आये वह सदन में बताई जाय कि इसके लिये दोषी कौन था। चावल खरीदने की बात है। लेवी का चावल उठाने की बात है। मैं करहल की बात बता रहा हूं जो मेरा क्षेत्र है। फरवरी 97 में 6 हजार 595 टन खरीदा गया था और इस वर्ष 98 फरवरी में 63 टन खरीदा। जिस मिल मालिक ने दिया उसने 35 हजार रुपये रिश्वत दी तब चावल उठाया गया बाकी किसी मिल से नहीं उठा। पूरा पंजाब को धान चला गया जब मैं मिला तो मुझसे कहा गया कि 5-10 दिन के अन्दर उठा देंगे। यह अप्रैल मई में उठाया गया जब पूरा धान यहां से चला गया था।

यह 10 करोड़ का घपला है मेरा पूरा आरोप है, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि जब मंत्री जी बजट भाषण उत्तर दें तो घोषणा करें कि फलां एजेन्सी से जांच कराई जायेगी। दूसरा घपला है कर्मचारी कल्याण निगम की बात कही गई। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कर्मचारी कल्याण निगम कर्मचारियों को सुविधा देता है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी एक शासनादेश करके कर्मचारी कल्याण निगम से दोपहिया वाहन बेचे जाते थे उस पर रोक लगा दी। मैं सुन रहा था कि इसमें भ्रष्टाचार पनपता था इसलिए रोक लगा दी। कर्मचारी अगर कल्याण निगम से स्कूटर, मोटर साइकिल खरीदता था तो भ्रष्टाचार पनपता था। मान्यवर, एक वर्ष में 72 हजार वाहन कर्मचारी कल्याण निगम की दुकान से क्रय होते थे। जिस पर 6 हजार वाहन प्रति महीने बिकते थे। उस पर सेल्स टैक्स

की छूट थी कर्मचारी के लिये। मान्यवर, कानपुर में वेस्पा स्कूटर की कम्पनी है उसने तीन करोड़ रुपये देकर यह शासनादेश कराया है चूंकि उसका स्कूटर नहीं बिकता था, इसलिए अब यहां से स्कूटर बिकना बंद हो जायेंगे तो उसके स्कूटर बिकेंगे।

मान्यवर, कल्याण निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अब वेतन नहीं निकल रहा है और सरकार उनको राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वह कर्मचारी कहां जायेंगे? मान्यवर, एक सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस काल में 5 दुपहिया वाहन खरीद सकता है, तीन अपने लिए और दो अपने पुत्र और पुत्रियों की शादी में देने के लिए लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। इसलिए कल्याण निगम द्वारा जो यह कारोबार चलता था और कर्मचारियों को वेतन मिलता था तो अब इस शासनादेश से यह कारोबार ठप्प हो गया है जिससे उन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। तो मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायेंगे कि उन कर्मचारियों का क्या होगा?

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अब चेयरमैन की व्यवस्था की गयी है और उसकी नियुक्ति हो गयी है जिससे 70 हजार रुपये का कल्याण निगम का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कल्याण निगम में चेयरमैन का कोई काम नहीं है केवल उसे घूमने के लिये रखा गया है। चेयरमैन साहब जब कर्मचारी कल्याण निगम की दुकानों पर जाते हैं तो अपनी पसन्द की चीज उठा लेते हैं पैसा नहीं देते। एक दुकान से बच्चों की तीन पहियों की साइकिल उठा ले गये एक दुकान से अटेची उठा ले गये। छोटे कर्मचारी यह भुगतान कहां से करेंगे। क्योंकि चेयरमैन ने उसका भुगतान नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जो दुपहिया वाहनों की कल्याण निगम के माध्यम से बिक्री बंद करने का शासनादेश किया गया है उसे वापस लिया जाना चाहिए अन्यथा कल्याण निगम नहीं चल सकेगा और उसके कर्मचारी बेकार हो जायेंगे।

मान्यवर, जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है तो गांवों में जो दुकानें हैं उनको देखने हेतु कमेटी बना दी गयी है। तो हमने कहीं क्षेत्रों में कमेटी बनी हैं देखा नहीं है। मेरी जानकारी में कोई कमेटी काम नहीं कर रही है।

मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में होली त्योहार के बाद आज तक न तो मिट्टी तेल का और न चीनी का ही वितरण हुआ है। इसलिए मंत्री जी इस संबंध में देखें। मान्यवर, हमारे यहां दो ब्लाक आते हैं। करहल ब्लाक में लक्ष्मीपुर, नसीरपुर, शंकरपुर आदि गांव आते हैं, मैंने वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि न तो मिट्टी तेल और न चीनी ही बांटी जा रही है। इसी तरह बरनाल ब्लाक में शाहपुर, सुरजपुर, नवाखेड़ा, बलपुरा, हाजीपुर आदि गांवों में मैंने सम्पर्क किया तो पता चला कि कहीं भी मिट्टी तेल और चीनी आज तक होली के बाद नहीं बांटी गयी है। मंत्री जी

हमारी चुनौती को स्वीकार करें तो पता कर सकते हैं। मान्यवर, कुछ खास लोग ही होते हैं जिन्हें डीलर वाले मिट्टी का तेल और चीनी दे देते हैं किन्तु बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता है। मिट्टी का तेल बिकता नहीं, पूरा का पूरा चला जाता है फिरोजाबाद वर्मा जी के यहां।

श्री अधिष्ठाता-

बाबूराम जी 15 मिनट हो गये हैं कृपया सहयोग करें।

श्री बाबूराम यादव-

मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं वर्मा जी उसी शहर के हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं मंत्री जी घोषणा करते हैं कि "पारदर्शी वितरण व्यवस्था" होली के बाद कहीं चीनी नहीं पहुंची अब रक्षाबंधन में पहुंचेगी जो व्यापारी खुदरा चीनी लेते हैं उनको कम मिलती है। 6-7 किलो चीनी कम निकलती है। शिकायत करो तो दुकान मुअत्तल। जो कोटा डीलर हैं वह चीनी देना नहीं चाहते हैं। 6 किलो चीनी वह कम करते हैं आठ किलो यह कम कर देते हैं शाक्य जी कह रहे थे घटतौली है। डीलर अगर सौ किलो ले जायेगा तो सौ किलो पहुंचेगी 6 किलो निकाल ली जायेगी तो वह भी आठ किलो निकाल लेगा। दबंग लोगों के घर पर चीनी पहुंचा दी जाती है, पहुंचानी पड़ती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है खाद्य एवं रसद मंत्री जी से अनुरोध है वह इस व्यवस्था पर पूरी तरह से दृष्टिपात करें इसकी तह में जाएं। माननीय सदस्य ने जो सत्तापक्ष हैं उन्होंने इंगित किया, सब इंगित करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया कनक्लूड करें।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जिस प्रदेश की व्यवस्था की बात करते हैं धरातल पर बैठकर देखें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूराम यादव-

जो तकलीफ मुझे वह आपको है। चाहे सरकार में बैठकर न कहें उस पक्ष के लोगों को तकलीफ है मैं कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं। माननीय मंत्री जी से और खाद्य एवं रसद मंत्री जी से मैनपुरी घोटाले पर जांच करने के लिए माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि यदि आप में नैतिकता बची है, ईमानदारी है तो एक महीने के अन्दर इसकी जांच करायें। एक करोड़ का जो घोटाला हुआ है इसमें जांच करायें।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी भाषण दे चुके हैं दो सदस्य अब विपक्ष से और एक सदस्य उधर से बुलवा लें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

यह परम्परा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)- दो बजट हैं प्रतिपक्ष से बाबूराम जी ने रख दिया है अब जल्दी खत्म करें।

* श्री कैलाश सिंह राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खाद्य विभाग के बजट पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। जो देहात क्षेत्र का इलाका है कई वर्षों से पुराने राशन कार्ड जनता के पास मौजूद हैं जो बुरी तरह से फट गये हैं और कई वर्षों के असिसमेंट के आधार पर देहात में चीनी का कोटा फिक्स किया जाता है। वर्तमान में आबादी बढ़ चुकी है। मंत्री जी सर्वे कराकर ऐसा आदेश निर्गत करें कि दो तीन महीने में नये राशन कार्ड जारी हो जायें। और जनसंख्या के आधार पर जितनी आबादी है उस हिसाब से उसका कोटा फिक्स हो जाये। जिससे क्षेत्रिय जनता को लाभ मिल सके। दूसरा निवेदन है कि हमने देखा है कि 20 साल से लगभग एक ग्राम पंचायत में एक ही कोटेदार बनता चला जा रहा है जिससे उन्हें मनमानी करने में काफी सुविधा होती है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ऐसा कोई आदेश निर्गत करें कि एक वर्ष बाद ग्राम सभा की खुली बैठक हो उसमें सर्वसम्मति से कोटेदार का चयन हो जिससे जो कोटेदार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उन पर अंकुश लगे तीसरे मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल इनके भावों में जमीन और आसमान का अन्तर है जो जिले के मुख्य वितरक हैं मेरे संज्ञान में है कहीं-कहीं पूरा टैंकर ही बिक्री कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबसे बनी है इसको सुधारने की कोशिश की गई है और इसमें सुधार हुआ है। लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथियों यह खाद्य एवं रसद विभाग किसी से छिपा नहीं है। मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा अभी चार माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार रखे हैं। यह खुशी की बात है कि चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों एक जैसी बात सभी ने की है। राजधारी जी और माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं उनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जो सत्ता पक्ष में बैठने के बावजूद अपने सुझाव दबा नहीं सके। जो सच्चाई है उसको उन्होंने कहा है। मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग पूरे तरीके से कालाबाजारी का शिकार है, जो भी सामग्री उठती है, कोटेदार ऐसे नियुक्त हैं, ऐसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को दुकानें दी गयी है कि सारी की सारी खाद्य सामग्री ब्लैक कर देते हैं और जो समाज का अन्तिम व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है उस तक न तो चीनी पहुंचती है और न ही मिट्टी का तेल पहुंचता है। खाद्य एवं रसद विभाग में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे चलता है। कोटेदार बताते हैं कि हम क्या करें, हमसे कमीशन मांगा जाता है, लिहाजा हमें बेचना पड़ता है, बड़ी लचर व्यवस्था है।

माननीय मंत्री जी का अपने विभाग में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, श्रीराम के भरोसे तो यह सरकार है ही खाद्य एवं रसद विभाग भी भगवान के भरोसे है और जैसे-तैसे चल रही है। यह खाद्य एवं रसद विभाग एक मात्र ऐसा विभाग है जो दोहरी नागरिकता की बात को स्वीकार करता है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में यह भेदभाव करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को नम्बर-दो का नागरिक माना जाता है। उनको ऐसा माना जाता है कि यह चीनी कम खाते हैं, मिट्टी के तेल की खपत इनकी कम होती है। जो आपूर्ति है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम है और शहरी क्षेत्रों के लिए ज्यादा है। इस माननीय सदन में कई बार माननीय सदस्यों द्वारा मांग की जा चुकी है कि यह जो भेदभावजनक व्यवस्था है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर मौजूद हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े फक्र एवं गर्व के साथ यह कहते हैं कि यह ग्रामीण बाहुल्य प्रदेश है और यहां की 70 से 80 फीसदी जनता गांवों में निवास करती है, गांवों से सारे लोग चुनकर आते हैं, जो शहरी क्षेत्रों से चुनकर आते हैं उनमें भी कुछ न कुछ मतदाता गांवों के रहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरजोर मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव-जनक आपूर्ति व्यवस्था है उसको खत्म करें। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक भेदभाव और है वह है अनुसूचित जाति के दुकानदारों के चयन में आरक्षण कोटा शहरों में लागू है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण कोटा लागू नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों का गरीब व्यक्ति जिलाधिकारी एवं डी0एस0ओ0 के पास शिकायत करने नहीं पहुंच सकता है और वहां पर दबंग व सत्ता के दलाल कोटेदार के रूप में नियुक्त हैं, शहरों में हर कोई व्यक्ति अपनी बात कह लेता है इसलिए आपने शहरों में आरक्षण की व्यवस्था दुकानों के चयन में तो लागू की है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में दुकानों चयन में अनुसूचित जाति और कमजोर तबके के लिए, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण किया है उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करें। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी हमारे मंत्री जी ने यह बात कही है कि राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे।

राशन कार्ड फट गये हैं, राशन कार्डों का अभाव है और उसका फायदा बीच के कोटेदार उठा रहे हैं, क्योंकि गांव में आपूर्ति होती नहीं है और होती भी है तो कोटेदार कार्ड रख लेते हैं और बाद में ग्रामीणों को देते नहीं हैं और बेचारा ग्रामीण बिना राशन कार्ड के हो जाता है, गांव में राशन कार्डों की बहुत कमी है, इसकी आप व्यवस्था करायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने

उत्तर भाषण में इस बात का जरूर उल्लेख करेंगे कि पूर प्रदेश में जनता को राशन कार्ड कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

मान्यवर, छत्रपति शाहू जी महराज नगर नया जिला बना है, परन्तु खाद्य एवं रसद मंत्री जी के दिमाग में यह जिला नहीं है या उनके रिकार्ड में नहीं है क्योंकि वहां अभी तक जिला पूर्ति अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि मैंने पिछले वर्ष की मदें देखी हैं, उसमें इसके लिये धन का आवंटन किया गया था, परन्तु अभी तक वहां खाद्य और आपूर्ति विभाग का कार्यालय भी नहीं खोला गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि वहां इस विभाग का कार्यालय जल्दी ही खोल दिया जाय तथा जिलापूर्ति अधिकारी की नियुक्ति की जाय। मान्यवर मेरे जिले में मऊ तहसील है, वहां कर्मचारी कल्याण निगम की कोई दुकान नहीं है, अतः वहां दुकान खुलवाने की व्यवस्था कराई जाय. इसी के साथ मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री राम तेज यादव, एडवोकेट-

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव जो माननीय चौधरी साहब ने रखा है और माननीय शाक्य जी, बाबूराम जी तथा अन्य विपक्ष के लोगों ने जो बातें रखी हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जो गतिविवरण दिया गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, इसमें मुख पृष्ठ पर सीतापुर जनपद की कोई फोटो लगी है, जिसमें माननीय मंत्री जी भी मौजूद हैं, यह कहीं और देख रहे हैं, न इनका बोरों की तरफ ध्यान है, न तौल की तरफ ध्यान है यह कहीं और देख रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि यह तत्परता दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन आपके संज्ञान में कुछ बातें अवश्य लाना चाहता हूं।

जितनी भी वितरण की कोटे की दुकानें हैं, दिल्ली में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, उसने यह तय किया था कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को गेहूं और चावल आधे रेट पर दिया जायेगा, लेकिन माननीय मंत्री जी यह गेहूं और चावल आपकी राशन की दुकानों से सीधे क्रय केन्द्रों पर जा रहा है और वहां से चावल तो ब्लैक में चला जाता है और गेहूं उन्हीं क्रय केन्द्रों पर 300 रुपये क्विंटल की जगह 510 रुपये पर आपके अधिकारी आपके गोदामों पर रख रहे हैं।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, यह बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं आप जानकारी करिये, वहीं गेहूं वही बोरा, यह उद्दण्डता है और वहीं सब गेहूं फिर अगले दिन इश्यू होता है फिर वहीं बोरा लौटाल दिया जाता है। गरीब का गेहूं है और वह आपके क्रय केन्द्र पर ले लिया जाता है। मान्यवर, मैं बता रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र केसरगंज हुजूरपुर में एक विनोद सिंह जी ठेकेदार हैं उनके एक भाई पुलिस दलाल हैं और उनके घर में भी चन्द्रभान उर्फ सचित सिंह हैं कोटेदारों से। मान्यवर, 80 कोटेदार हैं हुजूरपुर ब्लाक में सरकार के गेहूं शक्कर ब्लैक करते हैं सफेदपोश नेता हैं। यह चन्द्रभान सिंह का कारनामा है। गेहूं शक्कर, मिट्टी के तेल की प्रयागपुर और

रात्रि में नेपाल को चोरी से निकासी करके जाती है।

विनोद कोटेदार करमुल्लापुर विधान सभा क्षेत्र केसरगंज के कोटेदार हैं उनके ब्लैक एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक उच्चस्तरीय जांच भेजिये, मैं तो चाहता हूं कि आप उच्चस्तरीय टीम भेजिये आप एस0डी0एम0, तहसीलदार, नायब तहसीलदार न भेजिये आप भेजिये यहां के अधिकारियों को जो चुपके से जाकर के वहां जाकर देखें कि गेहूं शक्कर ग्राम सभा में मिलता है कि नहीं मिलता है। गांव के किसान के पास बिजली नहीं है वह कम से कम मिट्टी के तेल से उजाला तो कर सके। मिट्टी का तेल ब्लैक हो रहा है। आज मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल सब में मिलावट हो रही है आपकी थोड़े दिन की सरकार है कभी देखेंगे तो देख लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि गांव का किसान किसी वर्ग जाति का हो उसको मिट्टी का तेल मिलना चाहिए। आज मिट्टी का तेल ब्लैक हो रहा है मिट्टी का तेल जो बार्डर के जिले हैं वहां सब टंकों से चला जाता है। नेपाल जा रहा है श्री चन्द्रभान उर्फ संचित सिंह ट्रक में लाद करके नेपाल में विनोद कुमार कोटेदार के साथ ब्लैक करता है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात है तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब भी उत्तर भाषण के लिए खड़े हों तो बतायें कि विनोद कुमार करमुल्लापुर के कोटेदार, 80 कोटेदार हैं ब्लाक में और अपने यहां ये सबका गल्ला लेता है, ट्रकों से ले जाकर प्रयागपुर में या नेपाल में ब्लैक कर रहा है।

मान्यवर, दूसरी बात घटतौली की आती है। हमारे साथी ने कहा कि एक बोरा में 100 किलो चीनी आती है जबकि आप नाप-तोल कीजिए तो 90 किलो से जयादा नहीं होगा। आपके क्रय केन्द्रों पर किसान घटतौली का शिकार होता है और मिट्टी के तेल के कोटेदार को तो 10-10, 20-20 लीटर कम दिया जाता है। यह इसलिए घट जाता है कि आपके जिले के जो अधिकारी हैं या जो अधिकारी सामने बैठे हैं वह ठंडे में बैठेंगे और कार से चलेंगे तो क्या होगा, कहां से आयेगा। तो आप यह घटतौली रोकिये। माननीय नेता सदन यहां बैठे हुए हैं। होली, ईद, बकरीद त्योहारों में आप शक्कर दे दीजिये लेकिन शादी में जरूर दीजिये आजकल गरीब के यहां भी रिवाज है कि कम से कम मिठाई और रसगुल्ला जरूर बनना चाहिये। माननीय मंत्री जी आप जिस क्षेत्र से हैं वह प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र है आप सीना तानकर कहिये कि हमें यह व्यवस्था करनी है, कोटा बढ़ाया जाये। अभी राजधारी जी ने और सत्तापक्ष के एक विधायक ने कहा कि सामान की वितरण प्रणाली ठीक नहीं है वे अपनी बातों में 90 प्रतिशत विपक्ष के साथ हो गये और 10 प्रतिशत सत्ता पक्ष के साथ। और भी सत्ता पक्ष के विधायक इसी राय के हैं कि रास्ते पर वितरण प्रणाली को लायें।

चोर-उचक्के जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसे ठीक करने की आवश्यकता है। कल्याण निगम की जो बात है, वह कं0 सप्लाई कर रही हैं जो कमीशन भारी मात्रा

में दे रही हैं। जो राशन कार्ड की बात, दो बार और आपकी सरकार आ जाये आप दे नहीं पायेंगे और न राशन कार्ड पर वितरण प्रणाली को सही कर पायेंगे। नीले रंग के साथ आपने समझौता कर लिया, आप सफेद रंग की भी बात कर रहे हैं आप कपोलशंकी बात मत करिये जो कर पायें वही बात करें। टिमटिमाते दिये को और रोशनी देने के लिए मिट्टी के तेल की और अच्छी व्यवस्था करायें। इसी के साथ मान्यवर आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं चूंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री भरत सिंह -

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार ने पुष्टाहार योजना में बच्चों के लिए प्रति छात्र तीन किलो चावल की जो व्यवस्था की है यह बहुत ही उचित कदम है, इसलिए इसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तीन किलो चावल बच्चों को मिलना चाहिये परन्तु कोटेदार तथा स्कूल मास्टर स्तर पर इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। गेहूं और धान के समर्थन मूल्य के बारे में सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं परन्तु इसमें यह देखना होगा कि किसान से कितने का गेहूं व धान खरीदा गया है। मैं अपने क्षेत्र जनपद बलिया के 14 विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां तहसील केन्द्र बैरिया में है, थाना सेन्ट्रल बैरिया में है परन्तु मार्केटिंग इन्सपेक्टर का दफ्तर व गोदाम है रानीगंज बाजार में है जिसके बगल में राम सिंह और विक्रम सिंह माफिया की गद्दी है। वहां से चीनी वितरण बाधित होती है। मैं साल भर से माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इसका स्थान बदलकर बैरिया कर दें इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा -

मान्यवर, मैं श्री शाक्य जी द्वारा तथा श्री चौधरी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं माननीय मंत्री जी ने अपने लम्बे चौड़े भाषण में अपनी उपलब्धियों को गिनाया परन्तु जब उन्होंने माननीय सदस्यों के विचार को सुना होगा तो उनको एहसास हुआ होगा कि उनके अधिकारियों ने उन्हें जो उपलब्धियां बतायी हैं, वह वास्तव में कितनी धरातल पर हैं। वितरण प्रणाली में आज जो कमजोरी है, उसका एक कारण यह है कि समस्त जगहों पर आपके जिलापूर्ति अधिकारी नियुक्त नहीं हैं और आपके पूर्ति निरीक्षक नहीं हैं। या फिर वह पूर्ति निरीक्षक अपने दफ्तरों में बैठते नहीं हैं। वह घूम-घूम कर कमीशन लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों में जो चावल दिया जाता था, उसमें धांधली हो रही है साथ ही जो आपके क्रय केन्द्र हैं माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत हम खरीद करते हैं।

मान्यवर, गेहूं/धान को सबसे पहले छोटा किसान पैदा करता है क्योंकि उसे बेचने की सबसे पहले जरूरत पड़ती है परन्तु तब तक आपका धान/गेहूं का क्रय केन्द्र खुल नहीं पाता है। गेहूं का क्रय केन्द्र खुलता है तो छोटे किसान नहीं बेच पाते हैं। तो

में आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और सीधे किसान से खरीद की व्यवस्था करें जिससे कम समय लगे। धान क्रय केन्द्र में किसानों का धान नहीं खरीदा जाता है। यह कहा जाता है कि धान की क्वालिटी में जो चावल का प्रतिशत होना चाहिए वह नहीं होता है। और इसी आधार पर जब धान किसान क्रय केन्द्र पर ले जाता है तो वह धान उसका वापस कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि धान क्रय केन्द्र पर विशेष नियंत्रण करने की जरुरत है। दूसरा यह कि किसान से सीधे चावल क्रय करने की व्यवस्था कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा जो निर्धारित मूल्य है उसी मूल्य पर लेवी चावल उनसे क्रय कर लें। अगर आप यह व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे तो किसानों के साथ बड़ा उपकार होगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में सोचने की जरुरत है जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री छोटे लाल गंगवार (मास्टर)-

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, खाद्य तथा रसद विभाग में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उतना किसी अन्य विभाग में नहीं है। जब किसानों से व्यापारी गेहूं खरीदता है तो कम से कम 25 से 30 रुपया कम पर भुगतान किया जाता है। जब सरकारी एजेन्सी द्वारा खरीदा गया, हमारे क्षेत्र के दो मंत्री यहां पर बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि आठ रुपया कुन्तल नकद पैसा देकर खरीदा गया। वही नहीं दो-दो, तीन-तीन दिन बैलगाड़ी लिये गेहूं क्रय केन्द्र पर किसान खड़े रहे और तब खरीदा गया। मान्यवर, गेहूं तो खरीद लिया गया और चेक भी मिल गया क्योंकि अधिकतर भुगतान जिला सहकारी बैंक से हुआ। उन्होंने कानून बना दिया कि दो रुपया प्रति कुन्तल के हिसाब से भुगतान करेंगे और जनपद बरेली में भुगतान हुआ। तो मैं समझता हूं कि जितना भ्रष्टाचार इसमें है उतना कहीं नहीं है। जो आपूर्ति की बात है हमारे जनपद बरेली में 48 रुपया प्रति बोरी चीनी सप्लाई पर डीलर से लिया जाता है।

50 रुपये प्रति ड्रम मिट्टी के तेल पर डीलर से लिया जाता है। माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, उनकी जानकारी में यह बात होगी। बताया गया है कि स्कूलों में ढाई किलो प्रति छात्र के हिसाब से गेहूं दिया जाता है। मुझे अपनी तहसील की जानकारी है कि गरीबी की रेखा से नीचे वालों को गेहूं आज तक नहीं दिया गया, चावल का वितरण आज तक नहीं किया गया है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं मिट्टी के तेल का डिपो बरेली में है और उस डिपो से बरेली के लिये सप्लाई किया जाता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरे स्थानों के लोग जब मिट्टी का तेल अपने यहां पर लेकर जाते हैं, तो वह बहुत नष्ट हो जाता है, जिससे उनको बहुत हानि होती है,

---

* वक्ता ने भाषण का पनवीक्षण नहीं किया।

तो इस तरह की व्यवस्था की जाये और ब्लाक स्तर पर थोक विक्रेताओं की नियुक्ति की जाये।

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

मान्यवर, यह सरकार हमेशा कहती है कि गरीबों को खुशियाली देगें, किसानों को खुशियाली देगें, लेकिन यह सरकार कुछ उनके लिये कर नहीं पा रही है मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत किसान प्रत्यक्ष रूप से खेती करता है और 45 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि चीनी और मिट्टी का तेल गरीबों को नहीं मिल पाता है, चीनी की कालाबाजारी हो जाती है, त्राहि-त्राहि मची है। मनकापुर मेरा क्षेत्र है, वहां पर मिट्टी का तेल और चीनी का वितरण नहीं हो पाया है। गांवों में जाये तो मालूम होगा कि न उनको राशन कार्ड मिला है और न चीनी का वितरण किया जाता है। मान्यवर, यह गेहूं खरीद की बात करते हैं। गेहूं क्रय केन्द्रों पर दलालों के माध्यम से गेहूं की खरीद की जाती है, किसानों से नहीं खरीदा जाता है। जो भी एजेन्सियां हैं, चाहे एग्रो हो या आवश्यक वस्तु निगम हो, जिनके क्रय केन्द्र खुले हैं, उनमें किसानों से गेहूं लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो उनके बोरे हैं, वह व्यापारियों को दे दिये जाते हैं और व्यापारी गेहूं खरीद कर उनको दे देते हैं, और वह किसान का गेहूं नहीं खरीदते हैं।

यह सरकार हमेशा कहती है कि गांवों में खुशियाली लायेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाल पुष्टाहार की योजना में जिस प्रकार से घपलाबाजी होती है, कोटेदारों के माध्यम से जिस तरह से दलाली होती है, उन बच्चों को राशन नहीं दिया जाता है, राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, जिससे उन गरीब बच्चों का शोषण होता है। गरीब किसानों और मजदूर लोगों को चीनी और मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है। जो राशन दिया जाता है वह 1991 की जनगणना के आधार पर दिया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब आबादी बहुत बढ़ गयी है, तो राशन की मात्रा को बढ़ायें। आज देखा जाये तो विभिन्न ग्राम पंचायतों की आबादी अधिक हो गयी है और जो यूनिट 1991 के आधार पर बनी थी, और उसी आधार पर राशन दिया जा रहा है और उनको चीनी और मिट्टी का तेल मुहैया नहीं हो पाता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में छतिया, मनकापुर दलपतपुर, अरना टायर, बीरेपुर, नगर पंचायत मनकापुर में चीनी का वितरण नहीं हुआ है। खुटियन, मस्कनवा, बभनान के आसपास के गांवों में चीनी का वितरण नहीं हो पाया है। यह सरकार कहती है कि गरीबों को चीनी उपलब्ध करायेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरूस्त करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चीनी और मिट्टी का तेल की जो कोटा व्यवस्था है, उसको समाप्त किया जाये और उसको फ्री कर दिया जाये और मैं कहना चाहता हूं कि इससे

कालाबाजारी नहीं होगी। मान्यवर, इसी तरह से सीमेंट की कालाबाजारी होती थी, उसको भी फ्री कर दिया गया, तो कालाबाजारी समाप्त हो गयी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मिट्टी तेल और चीनी के कोटे की व्यवस्था खत्म कर दें, इसे फ्री कर दें तो उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होगा और आसानी से मिलने लगेगी इससे प्रदेश का भी भला होगा। इन शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री संदीप अग्रवाल-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकारों द्वारा आज प्रदेश में 30 प्रतिशत राशन कार्ड जाली हैं। जो हमारे नये राशन कार्ड बन रहे हैं उसे वोटर लिस्ट के आधार पर विशेष अभियान चलाकर बनाया जाये (व्यवधान)।

श्री मुरलीधर-

यह अच्छी बात है यह कटौती प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

नये सदस्य हैं उनको अपनी बात कहने दें।

श्री संदीप अग्रवाल-

जो नये राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं उसके संबंध में मुझे कहना है कि वह वोटर लिस्ट के हिसाब से बनाये जांय, विशेष अभियान चला कर बनाये जांय। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप संक्षेप करें। आप यही कहना चाहते हैं कि बजट का समर्थन करता हूं ठीक है।

श्री संदीप अग्रवाल-

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूं। बजट का समर्थन करता हूं।

युवा कल्याण मंत्री (श्री अमर मणि)-

मान्यवर, कितने बजे तक सदन चलायेंगे, अभी दूसरा बजट है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

जितना समय इस प्रकार व्यवधान में व्यतीत करते हैं उसका आधा भी समय सुझाव देने में लगायें तो प्रदेश का भला हो जाय। (श्री ओम प्रकाश गुप्त के खड़े होने पर)

मैंने आपको कहां बुलाया। मेरे पास जो सचेतकों से सूची मिली है उसके अनुसार बुला रहा हूं।

* श्री ओम प्रकाश गुप्त-

मान्यवर, आपकी लिस्ट से मैं क्या करूं, हमें लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। हम अपनी बात जरूर कहेंगे। आपके बजट के कह देने से गरीबों का भला नहीं होने वाला है। उनकी बात को आपको जानना होगा।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर वहां पर चर्चा हुई उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद सीतापुर में ब्लैक वितरण की कोई व्यवस्था नहीं हैं। इसके परिणाम सवरूप राशन कार्ड धारकों को मिट्टी तेल या दूसरे सामान नहीं मिल पाते हैं। मिट्टी के तेल के एक ड्रम लाने के लिये दुकानदार को 70 रु0 देना पड़ता है। भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच हो रहा है। उस पर इस सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। जब 70 रु0 प्रति ड्रम किसी को देना पड़ेगा तो वह किस तरह से वितरण प्रणाली को सुचारू रुप से चलायेगा।

जितने कोटेदार सीतापुर में वह जनता के राशन कार्ड अपने पास रख लेते हैं। इसको सारा विभाग अच्छी तरह से जानता है लेकिन कोटेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश गुप्त-

ऐसे कैसे समाप्त कर दूं। मान्यवर, हमारे यहां ब्लाक पिसावा हैं, महोली है यहां पर मिट्टी का तेल ले जाने का खर्च 70 रुपये आता है। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे ले जाने का खर्च कम आये। जब तक कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होगी। खाद्य विभाग के अधिकारी जब तक सम्पूर्ण व्यवस्था पर अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक जनता को सस्ते दर पर चीजें नहीं मिल सकेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश गुप्त-

मान्यवर, 1991 की जनगणना के आधार पर राशन कोटेदारों को दिया जाता है। चीनी और मिट्टी का तेल दिया जाता है और जब उनसे कोई पूछता है तो कहते हैं कि हमको 60 फीसदी मिलता है 40 फीसदी नहीं मिलता है और हम जनता को कहां से दें। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उनको 60 प्रतिशत क्यों दिया जाता है 40 प्रतिशत क्यों नहीं दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय ओम प्रकाश जी अब आप कृपया आसन ग्रहण करिये। बाकी बातें आप लिखकर दे दें।

श्री ओम प्रकाश गुप्त-

मेरे बोलने से बहुत तकलीफ हो रही है इसलिये हम बैठ जाते हैं।

श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खाद्य विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सरकार की तरफ से बार-बार घोषणा की जाती है कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मेरे यहां पूरनपुर में गेहूं और धान का रिकार्ड उत्पादन होता है। मैं वहां के बारे में बताना चाहता हूं कि गेहूं के लिये वहां पर जो क्रय केन्द्र खोले गये वहां पर 15-17 रुपये प्रति क्विंटल किसानों से खुले आम लिया गया और यह कहा गया कि हम यह खर्चा भारतीय खाद्य निगम को देते हैं। हमारे यहां धान के क्रय केन्द्र केवल कागज पर खोले जाते हैं। खाली बैनर टांग देते हैं और धान लेते नहीं है कहते हैं कि म्वायस्चर है। हमारे क्षेत्र में धान और गेहूं का रिकार्ड उत्पादन होता है।

किसानों की खुली लूट होती है। अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वहां बाढ़ के समय आवागमन में बड़ी परेशानी होती है। आवागमन बन्द रहता है। वहां पर तो वैसे भी बन्द रहता है। सम्पूर्णानगर और खीरी होकर जाना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। किसानों को मिट्टी का तेल और शक्कर नहीं मिल पा रही है। पूरनपुर इतना बड़ा मुख्यालय है परन्तु वहां पर एक भी मिट्टी के तेल का डिपो नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब विराजें।

श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर, वहां पर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका जी इससे पहले कि मैं आपको पुकारूं। आप अपने समय में से दो मिनट कौशल जी को देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

अवश्य दे दें।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे जनपद में किसी भी काश्तकार का एक क्विंटल भी धान नहीं खरीदा गया है। मैंने मंत्री जी को एक पत्र भेजा तो यहां से जवाब पहुंचा कि आपके जनपद में सारा धान काश्तकारों से नहीं खरीदा गया है और लखीमपुर धान की खरीद में अव्वल आया है। मान्यवर, हमने एक मीटिंग की उसमें उन सम्मानित काश्तकारों को सम्मान देना चाहा जिनका धान सरकार ने खरीदा था आप ताज्जुब करेंगे कि वहां 10/15 काश्तकारों के अलावा कोई नहीं आया। मान्यवर, यह नौबत है भ्रष्टाचार की। यह भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते हैं। गेहूं की खरीद छोटे काश्तकारों से नहीं की गई पूरा गेहूं व्यापारियों से खरीदा गया जिन कृषकों से खरीदा भी गया है उनसे 10 रुपये क्विंटल ले लिया गया है। भ्रष्टाचार चल कहां से रहा है। जब ट्रक गेहूं गोदाम ले जाता है तो उसका बाबू पैसा लेता है, जब गेहूं खरीदा जाता है तो काश्तकार से वसूल लेता है। इसी तरह से जब कोटेदार का कोटा आता है तो वहां का जिला पूर्ति अधिकारी पैसा लेता है, उसके बाद जिला पूर्ति निरीक्षक पैसा लेता है। इस तरह से भ्रष्टाचार की कड़ी में सब लगे हुए हैं इसलिये कोटेदार को 4 महीने के बजाय एक महीने का कोटा जाता है तीन महीने का ही कोटा वही बच पाता है। इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। इसी तरह से धान भी काश्तकारों से न खरीदकर धान मिल ओनर से खरीदा गया है। मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप श्रम पर बोल लीजियेगा। आप जैसे व्यक्तित्व को एक मिनट का समय मुनासिब नहीं होगा। आप कृपया सहयोग करें।

* श्री सरवर अली खां-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने कृपापूर्वक मुझे बोलने की अनुमति दी उसके लिये आपका धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूं कि बाराबंकी और पूरे प्रदेश में आज वितरण प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। मेरे कई साथी इस बारे में प्रकाश डाल चुके हैं मैं अधिक समय न लेकर केवल अपने जनपद की ज्वलन्त समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गेहूं की खरीद के बारे में मैंने जिलाधिकारी को तीन पत्र लिखे कि पूरे जनपद में गेहूं की खरीद किसानों से न लेकर व्यापारियों से की जा रही है परन्तु खेद का विषय है कि आज तक इस सम्बन्ध में न कोई जांच हुई न कोई कार्यवाही हुई।

मान्यवर, दूसरी बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विशेष रूप से आपूर्ति निरीक्षकों को दोषी मानते हैं चूंकि वे 10-10 वर्षों से एक ही जगह पर तैनात हैं और यदि उनको हटाया जाता है तो फिर वह पुनः एक साल बाद उसी तहसील में अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बाराबंकी में श्री राधे श्याम गुप्त 10 वर्षों से एक ही जगह पर थे, उनका ट्रान्सफर किया गया किन्तु एक साल बाद वह पुनः पुरानी जगह हैदरगढ़ में पहुंच गये और वहां भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इसलिए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य विभाग पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने गेहूं क्रय केन्द्र जो खुलवाये हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है और वहां किसानों का गेहूं न लेकर व्यापारियों का गेहूं लिया गया है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में किसी किसान का भी गेहूं नहीं खरीदा गया है। यदि खरीदा गया है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह जांच कराकर बताये कि उस किसान का कितना गेहूं पैदा हुआ था और कितना उसका गेहूं लिया गया है।

मान्यवर, माप तौल विभाग यहां है किन्तु वह प्रतिवर्ष केवल मोहर लगा देने का ही काम करते हैं जिससे खुला भ्रष्टाचार होता है। मान्यवर, 50 ग्राम से लेकर एक किलो तक मोहर लगाने में कितना सरकारी पैसा खर्च होता है और कितनी लागत आती है, यह मैं जानना चाहता हूं। यह काम ठेकेदारों को दे दिया जाता है जिससे वह मनमानी तरीके से मोहर लगाकर किसानों को लूटते हैं।

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो दुकानें कोटेदारों को वितरित की जाती हैं उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अनुसूचित जातियों और विकलांगों के लिए क्या व्यवस्था है, उन्हें दुकानें दी गयी हैं कि नहीं, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (मातवर सिंह कण्डारी)-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए समय दिया।

मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं आपका ध्यान उत्तरांचल की विकट भौगोलिक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मंत्री जी से निवेदन है कि पहले हमारे उत्तरांचल में प्रति यूनिट 10 किलो राशन दिया जाता था लेकिन आज एक राशन कार्ड पर 10 किलो राशन दिया जाता है। इसलिए अनुरोध है कि उत्तरांचल की भौगोलिक स्थिति और गरीबी को देखते हुए कम से कम जनता को प्रति यूनिट 10 किलो राशन दिलवाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि निर्धारित राशन से हमें अधिक राशन दिया जाता है लेकिन जो सप्लाई किया जाता है वह काफी नहीं है।

मान्यवर, दूसरी प्रार्थना है कि उत्तरांचल का अधिक भूभाग ग्रामीण है और वहां विद्युतीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा प्रत्येक राशन कार्ड पर 10 लीटर मिट्टी का तेल देना चाहिए। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि उत्तरांचल में आने जाने के रास्ते बड़े विकट हैं वहां सस्ते गल्ले के विक्रेताओं को राशन ढुलाने का पैसा मिलता है वह कम मिलता है, उत्तरांचल में राशन ढुलान का पैसा तथा सब्जीमंडी भी दी जाय।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मंत्रि मंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है मुझे ऐसा लगता है मातवर सिंह जी के बोलने के बाद इस सरकार में आपस में सामंजस्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मेरी प्रार्थना पर उदारता-पूर्वक मेरे दल के माननीय सदस्यों को मेरे समय में से जो समय देने की कृपा की उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपनी सीमा जानता हूं उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं, मेरे समय में से हमारे माननीय सदस्यों को समय दे दिया, उसके बदले में और आगे समय नहीं लेना चाहता हूं और समय लेकर मैं अपयश का भागी नहीं होना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आप मान्यवर, कानून के ज्ञाता हैं आप जानते हैं इण्डियन पेनल कोर्ट में, कुछ लोगों को छूट है वह कोई अपराध कर दें उनको सजा नहीं दी जाती है। अपनी ओर से कोई बात नहीं कहनी है। अमरमणि त्रिपाठी जी आप इस श्रेणी में हैं-

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

जिसे समझना है वह समझ गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

सम्मानित सदस्यों ने बहुत विस्तार से और बहुत पैने तरीके से इस बजट की आलोचना और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है जो बातें कही हैं उनको मंत्री जी शामिल करके अगर माननीय मंत्री जी संशोधित करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश में जो खाद्य और रसद विभाग के मंत्री जी हैं उनके विभाग से प्रदेश की जनता को कठिनाई नहीं होगी। जनता की कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। श्रीमन् मैं अपनी ओर से कोई नयी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी निदोषपूर्ण हैं उनका दोष नहीं है। वह विश्वास अधिक कर लेते हैं अधिकारियों का दोष कैसे कहूं, उनका संज्ञान लेने का औचित्य नहीं है। और जहां वह बैठे है उनका संज्ञान लेने की परम्परा नहीं है लेकिन उनके अधिकारी गलत आंकड़ों में फंसा देते हैं आंकड़ों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो मंत्री जी तो निदोष हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं मैं उन विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ऐजाज रिजवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत खाद्य विभाग के बजट पर अपने विचार सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत किए।

मैं तो ऐसा समझता हूं कि इसको बहुत पहले ही जैसे ही मैंने बजट प्रस्तुत किया था उसी समय मैंने यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि हमारा खाद्य विभाग भारत सरकार के दिशा निर्देश पर काम करता है और भारत सरकार द्वारा दी गई सामग्री को वितरित करता है। सम्मानित सदस्यों ने जो बातें यहां पर रखी हैं मैं समझता हूं कि अभी भी शायद उनके मन में भ्रम है। राम औतार शाक्य जी ने सब्सिडी के बजट में अन्तर बताया मैं उनके सामने विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जरा बजट का अवलोकन कर लें जो अन्तर वह बता रहे हैं वह अन्तर लेखानुदान का है जो पूर्व में पेश किया जा चुका है। इसी कारण उनको अन्तर दिखाई दिया।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के बारे में बात कही गई और यह परेशानी का इजहार किया गया कि शायद वहां कर्मचारियों की छटनी की जाने वाली है। मेरे संज्ञान में अभी तक कोई बात नहीं आई है। शायद उनको किसी के माध्यम से यह बात मिली होगी लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक बात शाक्य जी ने कही कि मेरे और मेरे राज्यमंत्री के बीच में कहा कि तालमेल नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात सरासर निराधार है। मैंने पूर्व में ही यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि मिट्टी के तेल के सम्बंध में माननीय शाक्य जी ने बात कही।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय खाद्य राज्य मंत्री इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

राज्य मंत्री खाद्य के उपस्थित हों तो जरा उनको प्रणाम करें।

श्री अधिष्ठाता-

राज्यमंत्री जी हों तो माननीय ऐजाज साहब के बगल में बैठ जाएं।

श्री ऐजाज रिजवी-

मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में मैंने स्पष्ट बात कही कि जहां पर मिट्टी के तेल की कमी है वहां पर फ्री सेल के लिए मिट्टी का तेल उपलब्ध करा दिया। इस समय बाजार में 8 रुपये ली0 मिट्टी का तेल खुले रूप में मिल रहा है। 12 रुपये ली0 की बात सरासर गलत है। भ्रष्टाचार की बात यहां पर की गई कि विभाग में भ्रष्टाचार है।

मान्यवर, खाद्य विभाग के अन्तर्गत एक खाद्य प्रकोष्ठ भी है वहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी और पूरा अमला है। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो वाकायदा जांच होती है, उसके बाद मुकदमें दर्ज होते हैं और उनमें सजा भी होती है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य प्रकोष्ठ बड़े सक्रिय रूप से काम कर रहा है। किसानों से गेहूं खरीदने की बात कही गयी है तो मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीददारी करने का लक्ष्य था उसके विरुद्ध 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं की किसानों से खरीदा है 3, लाख मीट्रिक टन आढ़तियों से खरीदा है। मान्यवर, इसी प्रकार से चावल की खरीददारी की बात कही गयी, माननीय सदन के सामने बताना चाहता हूं कि 10 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीददारी का लक्ष्य था 10 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले में 10.17 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीददारी की गयी है।

(माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण मेजें थपथपा रहे हैं इसका आशय आप समझ रहे हैं?

श्री ऐजाज रिजवी-

मान्यवर, यह घड़ी की तरफ संकेत कर रहे हैं। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। मान्यवर, पूर्व में जो बातें कह रहे थे उसमें कुछ बातें रह गयी थी। धान की पिछले वर्ष में 11 हजार मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, इस वर्ष हमने 13,144 मीट्रिक टन धान की खरीददारी की है। मैं कहना चाहता हूं कि खाद्य विभाग ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। विभाग में

सुधार आया है और जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। विभाग से जो खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है उससे जनता काफी सन्तुष्ट है। मैं अपने सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसे वापस ले लेगें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका चौधरी जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, सिर्फ एक-एक मिनट के दो प्रश्न हैं, उन पर स्पष्टीकरण माननीय सदस्यगण चाहते हैं। कृपया सुन लें।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैंने कटौती के प्रस्ताव पर बोलते समय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहा था कि मैनपुरी में राईस मिल बन्द कराकर और 10 करोड़ रुपये का रिश्वत लेकर 20 करोड़ रुपये का किसानों का नुकसान कराया है, और एक करोड़ रुपये के सेल-टैक्स का नुकसान हुआ है। जो धान 415 रुपये प्रति कुन्टल बिकना चाहिए था उसे पंजाब के व्यापारियों ने कम दाम में खरीदा, क्या उसकी जांच माननीय मंत्री जी करायेगे?

(समय 8 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई, अभी जब माननीय मंत्री जी को अवसर देगें तो जवाब आ जायेगा।

श्री ऐजाज रिजवी-

मान्यवर, माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे है, अच्छा होगा वह लिखकर दे दें।

राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैंने आंकड़ो सहित बता दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखकर दे दीजिये।

अम्बिका जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं, नहीं तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा आपस में टोकाटाकी किये जाने पर-व्यवधान।

राम तेज यादव, एडवोकेट-

आप मंत्री जी को संरक्षण दे रहे हैं, हमने लिखित दे दिया है। विनोद कुमार कोटेदार हैं जो हुजूरपुर ब्लाक के 80 कोटे दारों का कोटा ब्लैक कर लेता है, उस पर मंत्री जी की तरफ से स्पष्टीकरण दिला दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

भावावेश में यह कहना ठीक नहीं है। यह पीठ न किसी काह पक्षपात करती है न किसी दलीय भावनाओं में काम करती है, आप दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर चिन्तन करें, आचरण करें, तो अच्छा है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आपस में टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान जी का नाम पुकारे जाने पर।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, यह सब क्या हो रहा है, आप प्रश्न उपस्थित करें।

(सत्ता पख क सदस्यों द्वारा जोर-जोर से अपनी बात कहने का प्रयास पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इतनी उमरसता के बातावरण में पूरी चर्चा हो गई, आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया। मुन्ना चौहान जी आप कृपा करके विराजें। अम्बिका जी आप कटौती का प्रयास वापस ले रहे हैं।

श्री अमर मणि-

मान्यवर, यह खड़े होकर विषयान्तर कर रहें हैं।

अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, आप बैठें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुन्ना चौहान जी को सुन लें।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सी व्यवस्था आपने बजट में की है? जो उपभोक्ता फोरम बना हुआ है उसको गतिशील बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है। यह जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में होता है और जिला न्यायधीश को उपभोक्ता संरक्षण फोरम की बैठक

करने के लिए समय नहीं मिलता है तो क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि जो कनज्युमर फोरम है वह जिला न्यायाधीश की जगह विशेष न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश की अध्यक्षता में उसको चलायेंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो डीजल और पेट्रोल पम्प्स हैं उनकी जो जांच होती है वह आई ओ सी करता है। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज की तारीख तक किसी भी पेट्रोल पम्प को चेकिंग में दोषी नही ठहराया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा इंतजाम करने जा रहें हैं कि उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण मिल सके।

श्री ऐजाज रिजवी-

मानीय अधिष्ठाता महोदय, मैने पूर्व में ही बता दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण का काम अच्छा चल रहा है माननीय सदस्य ने जो जिज्ञास जाहिर की है मैं उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय अधिनियम है और उसके अन्तर्गत सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार के दिशा निर्देश पर ही होती हैं। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है पेट्रोल की चेकिंग के बारे में तो इसके लिए भी आई ओ सी के तहत ही काम होता है। हमारे प्रदेश से इस पर कोई कार्रवाही नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता-

आप वापिस ले रहें हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, ऐसा था कि गांव में एक नौजवान था और वह नौजवान कहीं एक नौकरी करने परदेश गया तो उसे पददेश में नौकरी यह मिली कि रात में मोहल्ले में घूमघूमकर सीटी बजाता था और जागते रहो कहता था। वह छुट्टी में वापिस घर आया और जब सोया तो नींद में उसको याद आई सीटी बजाने की, उसने तकिये के नीचे सीटी निकाकर बजाई तो बीबी ने मारी दो लात, वह नीचे गिरे तो कुछ मेत्र हमारे ऐसे हैं जो मंत्री हैं वह जो काम यहां से करते थे वही मंत्री हो जाने के बाद अब वहां से करते हैं उनकी आदत नहीं जा रही हैं। जो आदत पड़ी है वह अभी छूट नहीं रही है। इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(पंजीयन, मनोरंजन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री) श्री हुकम सिंह-

आज जाकर के सीटी न बजा दियों। (हंसी)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्य-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,16,60,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग सेवा योजन

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 43,71,17,000/- से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 51,07,26,000/- से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, प्रदेश सरकार की घोषित नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप श्रम विभाग श्रमिकों के हितों के संरक्षण और संवर्द्धन की दिशा में सतत् प्रयासरत हैं। श्रमिकों को शोषण तथा अत्याचार एवं प्रदेश के सामान्य औद्योगिक विकास व आर्थिक प्रगति के व्यापक हित में सेवायोजकों तथा व्यवसाइयों को अनावश्यक कठिनाई से मुक्ति दिलाना श्रम विभाग की प्रतिबद्धता है।

प्रदेश में संगठित एवं असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिक हैं। श्रम विभाग जहां एक ओर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु विभिन्न सांविधिक व्यवस्थाओं का पालन हेतु प्रयासरत है वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कराने के साथ ही साथ विभागीय कार्मिकों व अधिकारीगणों में इस दिशा में की जाने वाली कार्यवाही में गुणात्मक सुधार हेतु संवेदन जागृत कार्यशालायें तथा प्रशिक्षण भी श्रम विभाग द्वारा अनवरत रूप से संचालित किये जा रहे हैं।

श्री राम जग-

मान्यवर, यह तो बजट भाषण पढ़ा जा रहा है, यह परम्परा तो नहीं रही है। (व्यवधान)

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

प्रदेश में कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन तंत्र हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी। इस मामले में श्रम संगठन के अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है, वह दिलायी जाय।

बाल श्रमिक जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए श्रम विभाग इस दिशा में प्रयास कर रहा है। इस दिशा में सर्वेक्षण कराया जा चुका है। इस पर नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी उच्चतम न्यायालय द्वारा खतरनाक जगह पर तथा खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों पर रोक लगाने के संबंध में जो बात कही है, उसे समाप्त करने का यह सरकार प्रयास कर रही है। बंधुआ श्रमिक प्रथा को समाप्त करने के लिये यह सरकार प्रयासरत है। प्रदेश में 1996 तक 27,469 बंधुआ श्रमिक चिन्हित किये गये, जिसमें से विभाग ने सभी को पुनर्वासित कर दिया है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग की वार्षिक योजना के लिए कुल 17.25 लाख का प्राविधान किया गया है। उपश्रमायुक्त कार्यालयों को 13 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजना निदेशालय के अधीन प्रदेश में 103 सेवायोजन कार्यालय कार्यरत हैं इनके सुदृढीकरण की बात है तथा जो नव सृजित जिले हैं वहां पर नवीन कार्यालय को प्राविधान इस बजट में किया गया है। इनके स्थापना की बात है। प्रधानमंत्री जी की शिक्षित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन अधिकारी को नामित किया गया है तथा इस योजना के कार्यान्वयन में सेवायोजन अधिकारियों द्वारा कार्य लिया जा रहा है। विकलांगों के लिये भी कुछ नये केन्द्र खोले जा रहे हैं। पहले इनके लिए केवल कानपुर में प्राविधान था अब 9 जिलों में इसे खोलने का प्राविधान है। उत्तरांचल में नवसृजित जनपद उधमसिंह नगर में जिला सेवायोजन कार्यालय की स्थापना वित्तीय वर्ष 97-98 में की गई। मिर्जापुर में भी 1997-98 में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित किया गया। प्रदेश के औद्योगिक विकास में शिल्पकारों की पूर्ति तथा युवक-युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। 245 आई0टी0आई0 वर्तमान में संचालित हैं, जिसमें 56,319 सीटों पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हैं।

1997-98 में विश्व बैंक के तहत नवसृजित व्यवसायों में आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की गई थी तथा गाजियाबाद में हाईटेक संस्थान हेतु भवन निर्माण कराया गया है। स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत नये संस्थान स्वीकृत किये गये हैं। प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में चल रहे 20 संस्थानों में महिलाओं के उत्थान के लिए 12 विभिन्न अल्पकालीन स्वतः रोजगार परक व्यवसायों का खोला जाना तथा ब्लाक स्तर पर निजी क्षेत्र में 10 मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना करना प्रस्तावित है।

शिशुक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित हैं तथा समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग एवं महिला वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। इस वर्ष 40 हजार अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किये जाने का प्राविधान है। उ0प्र0 राजय कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत देय चिकित्सा हितलाभ, प्रसूति हित लाभ, अपंगता हित लाभ आदि लाभ में से आच्छादित श्रमिकों को चिकित्सा हित लाभ प्रदेश सरकार द्वारा कराया जा रहा है। अभी यह 41 जनपदों में चल रही है तथा कुल संख्या 4,93,000 व्यक्ति इससे लाभान्ति हो रहें हैं। इस समय 122 एलोपैथिक, 11 होम्योपैथिक तथा 11 आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 98-99 में चिकित्सा सेवाओं को और अधिक श्रमिकोन्मुख करने के उद्देश्य से इसनके संचालन में श्रमिकों व सेवायोजकों का पूरा सहयोग लिया जायेगा। इस हेतु दोनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए परामर्श समिति गठित की गयी है तथा चिकित्सालयों/औषधालयों में चिकित्साधिकारियों की नियममित उपस्थिति सुनिश्चित करहने एवं अनुशासन हेतु सतर्कता समितियां गठित की जा रही हैं। मान्यवर, मैंने अत्यन्त संक्षिप्त रूप से श्रमिक वर्ग की आशंअें, आकांक्षाओं से जुड़े श्रम विभाग व उसके अधीन संगठनों के 1998-99 के कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, जिसके लिए मैं अपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि हमें आप अपने विचारों से लाभान्वित कर और इस बजट को पास करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री राम जग-

मानीनय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम-कल्याण) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मानीनय अधिष्ठाता महोदय, श्रम के बिना कोई उत्पादन संभव नहीं है। श्रम के बिना समाज का विकास भी संभव नहीं है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रदेश देश का तभी विकास कर सकता है जब श्रमिक की प्रधानता हो। कोई भी देश तभी विकास कर सकता है जब श्रमिक की प्रधानता हो। श्रम के बिना खेती का उत्पादन नहीं हो सकता है, जिस महल में हम बैठें हैं, जिस श्रमिक ने इसे बनाया है आज अगर आप पता लगायें तो यह पायेगें कि उसके पास अपने रहने के लिए न तो कोई झोपड़ी है और न मकान ही है। पूरा प्रदेश सूबसूरत बना है, बेहतर

सड़के हैं, महल है, बेहतर उत्पादन हो रहा है और जो भी उत्पादन हो रहा है वह श्रम के आधार पर हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर श्रमिकों की दिक्कतें हैं और वह पूरे हिन्दुस्तान में कहीं ऐसी दिक्कतें श्रमिकों की नहीं हैं। श्रमिकों से जो अपेक्षा इस प्रदेश में है वह कहीं नहीं हैं। हमारा तो यह कहना है कि प्रदेश सरकार की श्रम की नीति पूंजी परस्त और श्रमिक विरोधी है।

प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पूंजीपतियों को खुली छूट दी गयी है उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, वे वेलगाम और सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। सरकार ने इंसपेक्टर राज को समाप्त करने के नाम पर सेवा योजनकों को मुक्त कर दिया है इससे पूरे प्रदेश में श्रमिक संकट पैदा हो गया है। फैक्टरी एक्ट में सुधार के प्राविधान को लागू नहीं किया गया है। जैसे मास्टर रोल में श्रमिकों से हस्ताक्षर नहीं कराये जाते हैं, उनका नाम दर्ज नहीं होता है, उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है, वर्षों तक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, टेम्पोरेरी काम करते हैं, नौकरी का प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है, कैजूअल नहीं मिलती है, मेडिकल नहीं मिलता है और नियमित वेतन नहीं मिलता है।

मस्टर रोल उद्योगपतियों की इच्छा से बनते और बिगड़ते रहते हैं। मान्यवर, हमारी सरकार की स्थिति यह है कि उसकी श्रम की कोई नीति नहीं है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम करते हुये पाये जाते हैं, सरकार चाहे जो आंकड़े प्रस्तुत करे, लेकिन असलियत यह है कि बाल श्रम को आप रोक नहीं पा रहे हैं।

कालीन उद्योग को ले लिजिये, चाय की दुकानों को ले लीजिये और अन्य किसी जगह को ले लीजिये, सभी जगह पर बाल श्रमिक पाये जायेगें। बच्चों की बहुत तादाद है, जो काम करते हैं। बाल श्रमिकों के लिये सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, श्रमिक जब घायल हो जाता है, तो उसके इलाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, आपकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कर्मचारी बीमा, प्राविडेंट फन्ड, पेंशन कानून का लाभ श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। फैक्टरियों में जिनका नाम मस्टर रोल पर होता है, वही इसका लाभ पाते हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट सभी पर लागू नहीं हो पा रहा है।

सरकार की ओर से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, वह बड़े भ्रामक हैं। बीड़ी मजदूर, लोहार मजदूर और बढ़ई मजदूर और नाई मजदूर सभी की स्थिति बड़ी दयनीय है, उनको पेट भर खाना नहीं मिल पाता है, इनके कल्याण के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है और हालत यह है कि उनको 47-48 रुपये मजदूरी मिलती है और जो धान रोपाई करनेवाले मजदूर हैं उनको दो किलो और तीन किलो अनाज मिल पाता है, और उनको मजदूरी के नामपर 10 रुपया मजदूरी मिलती है, इतने में उनका क्या भला हो सकता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार

के मजदूरों के लिये आप कोई कानून बनायें, जिससे उनको हित हो सके, उन को सही मजदूरी दिलाने की कोई योजना नहीं है। आपका जो एस0डी0एम0 और तहसीलदार है वह इनके लिये कोई काम नहीं करते हैं। अगर वह बेचारा मजदूरी मांगता है, तो उस पर डन्डे बरसाये जाते हैं। आपने खेतिहर मजदूरों के लिये कभी भी कोई योजना नहीं बनायी है। श्रीमन् एक और बात कहना चाहता हूं, श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं वह मिल मालिकों से साथ चाय पीते हैं और खाना खाते हैं, चाहे आप टाप से बाटम में जाये या बाटम से टाप पर जायें, आपको यही मिलेगा। वह किसी फैक्ट्री में नहीं जाते हैं, क्योंकि मिली भगत होती है। मजदूर परेशान होता है और आपका जो कानून है, वह अपनी जगह पर धरा रह जाता है।

मजदूरों के हितों की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। आज उ0प्र0 की स्थिति यह है कि बड़े-बड़े कारखाने चाहे चीनी उद्योग हो या सूती उद्योग, चाहे उर्वरक के कारखाने हों या कांच के उनमें 10 वर्षों से मजदूरों के वेतन का पुनरीक्षण नहीं हुआ है।

आज प्रदेश के कारखाने बंद हो रहे हैं जिससे हजारों हजार मजदूर बेरोजगार हो रहा है। सरकार की उनको सुरक्षा प्रदान करने की कोई नीति नहीं है क्योंकि यह फैक्ट्री मालिकों के हित में काम कर रहे हैं उन पर फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता है। उनको मनमाने ढंग से छूट मिल रही है। वह जब चाहते है ताला बंदी कर देते हैं जिसको चाहते हैं निकाल देते हैं। यह सब सरकार की गलत नीति का है जिसके चलते बड़े-बड़े कारखानें बंद हो रहे हैं। इनके श्रम विभाग के अधिकारी भी मालिकों से मिले हुए हैं।

प्रदेश के राजकीय निगमों की स्थिति यह है कि वह घाटे में हैं चाहे वह अपट्रोन हो या दूसरे निगम हों सब घाटे में हैं, कताई मिल हो या सीमेंट के कारखाने सब घाटे पर जा रहे हैं, यह निगम बंद हो रहे हैं जिससे वहां के मजदूर बेकार हो रहे हैं। उनके लिये रोजगार की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं बनाई है। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है ऐसे कारखानों को चलाने की व्यवस्था करें ताकि मजदूरों को समय पर वेतन मिल सके। मिल मालिक और नौकरशाह मिल कर कारखानों को घाटे में दिखा रहे हैं ताकि मालिकों को फायदा हो सके। यह सब सरकार की गलत नीति का परिणाम है। पब्लिक सैक्टर को ओने पौने दाम पर बेचने का षडयंत्र चल रहा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसी योजना ऐसे कारखानों के लिये बनाये ताकि वह ठीक से चल सके लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। श्रमिकों के फाइनल पेमेंट के लिये कोई पैसा नहीं है जो कार्यरत मजदूर हैं उनको वेतन देने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। मजदूरों के बोनस, छुट्टी आदि का वर्षों से बकाया पड़ा हुआ है। जिस श्रमिक की कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है उसको मुआवजा देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

श्रम न्यायालय जो श्रमिक के पक्ष में फैसला देते हैं उस पर मिल मालिक स्टे ले आते हैं, हाईकोर्ट में अपील करते हैं जिसकी पैरवी हमारे श्रम विभाग के

अधिकारी ठीक से नहीं करते हैं। इस प्रकार श्रमिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह श्रमिकों के हितों की रक्षा करे। लेकिन यह सरकार मजदूर विरोधी है और श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित नहीं किया जाता है, श्रमिकों के पक्ष में कहीं भी ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वह मिल मालिकों के पक्ष में हो रहा है।

मान्यवर, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में मजदूरों की संख्या 15 हजार है यह बंद होने के कगार पर है। सरकारी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं उसमें 20 हजार मजदूर हैं इन प्रतिष्ठानों को सरकार औनेपौने दामों पर बेचने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति श्रमिक विरोधी है। हमारे प्रदेश के जो असंगठित मजदूर हैं जिनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन इस सरकार के पास असंगठित मजदूरों के लिये कोई नीति नहीं है। इसी तरह से जो खेतिहर मजदूर हैं वह गुलामी की स्थिति में जी रहे हैं मैं चाहूंगा कि श्रम मंत्री जी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर पश्चिम बंगाल जायें और वहां बाममोर्चे की सरकार ने जो खेतिहर मजदूरों के लिये वेलफेयर योजना का प्राविधान किया है उसी प्रकार की योजना यहां पर चलायें।

इस योजना के तहत 7 साल से ज्यादा उम्र वाले खेतिहर मजदूर को वेलफेयर योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपया दिया जाता है। इसी प्रकार से गांव में रहने वाला जो असंगठित मजदूर है जो उत्पादन करता है लेकिन वह अपनी मेहनत का लाभ नहीं ले पाता है और सरकार की तरफ से उसके पक्ष में कोई योजना नहीं है। मैं सेवायोजन कार्यालयों की बात कहना चाहता हूं। सेवायोजन कार्यालय बेरोजगारों को नौकरी देने के उद्देश्य से स्थापित किये गये थे लेकिन बेरोजगारों को नौकरी देने का काम बिल्कुल ठप है। आज वहां पर शिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिये नाम दर्ज कराने नहीं जाते हैं और अगर नाम दर्ज भी कराते हैं तो वहां पर नौकरी के लिये कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार के पास बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई योजना नहीं है। आई0टी0आई0 की ट्रेनिंग लेने वाले छात्र पास करके सर्टीफिकेट लिये घूम रहें हैं सरकार के पास उनके लिये कोई योजना नहीं है।

आप चाहे जितना दावा ठोंक लीजिये, मंत्री जी चाहे जितने हंसी उड़ा लें आपके पास कोई योजना नहीं है। आज पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा की सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो आपको घोषणा करनी चाहिये कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगें। मान्यवर, इसी प्रकार से जो सरकार का श्रम विभाग है वह अपनी नीतियों के चलते मालिक परस्त नीति के चलते उदासीन है और कारखाने बंद हो रहे हैं और वहां पर जो काम करने वाले मजदूर हैं। वह बेरोजगार हो रहे हैं। आज जो श्रमिकों की स्थिति बिगड़ी है वह आपकी श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण बिगड़ी है। आज जितनी इस प्रदेश में मजदूरों की हालत खराब है उतनी हिंदुस्तान के किसी प्रदेश के मजदूरों की खराब नहीं है इसलिये मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री मुन्ना चौहान को पुकारा गया।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया सहयोग करें । -2 मिनटों में अपनी बात कहें ।

श्री मुन्ना चौहान-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो श्रम कल्याण और सेवा योजना का बजट प्रस्तुत किया है और माननीय श्री रामजग जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् समाज की तरक्की और विकास, या इस तरह के पहलू हैं जिसकी परिकल्पना बिना श्रमिक के नहीं की जा सकती । श्रमिक की कल्पना करना अपने आप में एक ऐसे अंग की कल्पना करना है जिसको दुनिया के अन्दर कोई निर्माण गतिविधियां होती हैं, उत्पादन की जो गतिविधियां होती हैं वहीं श्रमिक उसका एक अभिन्न अंग है ।

आज विशेष रूप से श्रमिक कल्याण की मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि श्रमिक कल्याण की बात आज एक तरह से गौड़ होती जा रही है । आज दुनिया के अन्दर एक इस तरह का वातावरण बन गया है । एक दौर था जब दुनिया का जो सोशियो पोलिटिकल सिस्टम था मजदूर आन्दोलन ने उसे प्रभावित किया और दुनिया को एक नई इकोनोमी देने का काम किया । इसी तरह से जाकर आगे एक औद्योगीकरण का दौर चला । आज हमारा देश एक फ्री बाजार व्यवस्था के तहत उदारीकरण की नीति के तहत हम लोगों ने अपने देश की सीमा तमाम देश से आने वाले व्यापारियों के लिये खोल दी उन सबके साथ एक अंग बन गये आज हिन्दुस्तान के अन्दर पूरी दुनियाा के लोग पूंजी निवेश करने की बात करते हैं । उनकी मानसिकता और सोच के पीछे एक खास बात है कि वह यह मानकर चलते हैं कि हिन्दुस्तान में दुनिया का सबसे सस्ता लेबर मिलता है, सबसे कम कीमत पर श्रम से अधिक से अधिक लाभ एकत्रित करके उसको आज सात समुन्दर पार और हिन्दुस्तान को सीमा से बाहर ले जाने का कार्य किया है ।

आज श्रमिकों का जिस तरह से शोषण हो रहा है । आज शोषण का स्वरूप बदल गया है । एक जमाना था जब श्रमिक का शोषण इस रूप में होता था कि उनको बन्धक बना लिया जाता था बान्डेड लेबर बनाया जाता था । आज जो आयाम है उसमें थोड़ा सा अलग ।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा टिप्पणी करने पर)

श्री मुन्ना चौहान-

ऐसा है कुछ पढ़े लिखे तो हैं नहीं । मुझसे अगम्भीर बात मत करिये [× × ×] नहीं कि इस तरह की बात मुझ से [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मुन्ना चौहान द्वारा बोले गये आक्रोश व उद्वेगपूर्ण वाक्य सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायेगें । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा ।

नोटः- [× × ×] यह अंश श्री अधिक्षता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसके साथ ही यह भी निर्देश दें कि जुमले ऐसा न उछाले जायें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी पीठ का सम्मान करता हूं और बचन देता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक भी शब्द ऐसा न निकालूं कि जिससे उत्तेजना पैदा हो और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे।

श्रीमन् आज असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को उबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। मान्यवर, असंगठित श्रमिकों को श्रम कानूनों का आज संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, फिर वह चाहे मिनिमम वेजेज का सवाल हो अथवा खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की बात हो। खतरनाक, हैजारडस उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया जिससे उनके शरीर को कोई चोट न पहुंचे। मान्यवर, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जो सैनिक थे उनके पुनर्वास और उनके समायोजन का जो कार्यक्रम चलना था उसी उद्देश्य से देश में सेवायोजन कार्यालयों का प्रारम्भ हुआ आज देश के अंदर जो श्रमिक शक्ति है उसके सेवायोजन का काम कैसे किया जाए इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

मान्यवर, इस दिशा में केन्द्र और प्रदेश स्तर पर तमाम सेवायोजन कार्यालयों की स्थापना की गयी लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सेवा योजन कार्यालय आज भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। बिना किसी सिफारिश के सेवायोजन कार्यालय से नियोजक के पास नाम नहीं भेजे जाते हैं। इसलिए सुझाव है कि मंत्री जी अपने बजट उत्तर में इसका समावेश करेंगे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार को इस तरह का डेटा बैंक और सेवा योजन कार्यालयों को आज निकनेट से जोड़कर पूरे प्रदेश में मानेटरिंग करने का काम किया जा सकता है और जिले एवं मंडल स्तर पर सेवायोजन कार्यालय जो हैं वहां दर्ज बेरोजगार लोगों के नामों को नियोजक तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है जिससे कोई गडबड़ी न हो और बेरोजगार लोगों का शोषण न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्ताव रखा है वह वास्तव में सराहनीय है। श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की जो व्यवस्था आपने की है वह वास्तव में बहुत अच्छी व्यवस्था है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाल श्रमिकों के लिए जो आपने योजना बनाई है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बंधुआ मजदूरों के संबंध में व्यवस्था दी है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद भदोही की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। भदोही कालीन व्यवसाइयों के कुटीर उद्योग का क्षेत्र है जहां कालीन बनाने की एक ऐसी संस्था है जो विदेशियों द्वारा चलाई जा रही है इस एजन्सी में स्वामी अग्निवेश जैसे लोग काम कराते हैं भारत में यह लोग कुटीर उद्योग चलाने वाले हैं। वह चाहते हैं कि किस तरह से विनाश किया जाए जो कालीन निर्माण का कार्य श्रमिक करते हैं यह लोग उनका शोषण करते हैं ऐसे व्यक्तियों पर अंकुश लगाया जाए।

यह जो कालीन का उद्योग चल रहा है इसमें परिवार के लोग मिल-जुलकर काम करते हैं जिस तरह से किसान का बेटा किसान, कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करता है उसी तरह से जो कालीन का निर्माण करते हैं उनके बच्चे वही काम करते हैं उसी से उनका जीवन यापन होता है यह जो कालीन बनाने वाले बच्चे हैं इन पर फिल्म बनाई जाती हैं। 10 साल के बच्चे को 14 साल का बताया जाता है और इनसे पैसा वसूला जाता है, इनको परेशान किया जाता है। जो जिम्मेदार लोग हैं वही इसमें मिले हुए हैं। श्रमिक अधिकारी घरों में आते हैं और 16 साल का बता करके और 14 साल का बता करके बाल श्रमिक की श्रेणी में लेते हैं मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा जो लोग कुटीर उद्योग चला रहे हैं, करोड़ों की विदेशी मुद्रा इससे मिलती है, उनके द्वारा जो कुचेष्टा की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। जो श्रमिक काम करते हैं बलपूर्वक उन्हें इस कार्य से वंचित नहीं किया जाना चाहिए गरीब परिवार की आय का वही माध्यम है। 16-18 साल के बच्चों को 14 से कम का बताकर उस उद्योग को बन्द कराने का जो काम किया जा रहा है इस तरह की जो कुचेष्टा की जा रही है इसमें कानून बनना चाहिए। कुटीर उद्योग चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ बातें सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं बंधुआ मजदूरी आज भी होती है। मेरा क्षेत्र छत्रपति शाहूजी नगर है किताब में दिखाया गया है 61 बंधुओं को पुनर्वासित किया गया है इनको आईडेन्टीफाई किया गया है। मैं श्रम मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं आज भी कम से कम 100 बंधुआ मजदूर हैं। इनको पुनर्वासित करें। न्यूनतम मजदूरी पिछले डेढ़ साल पहले तय हुई थी उसको बढ़ाने के लिए इस साल भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने काई प्रस्ताव नहीं लिया है। लिहाजा मजदूर विरोधी सरकार है, श्रमिक विरोधी सरकार है हमारे जिले छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में सेवायोजन कार्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है। जबकि पिछले वर्ष बजट में इस मद में धन की व्यवस्था कर दी गई थी, लिहाजा मैं अपके माध्यम से श्रममंत्री जी से कहना चाहूंगा

कि जिला सेवायोजन कार्यालय की स्थापना छत्रपति शाहू जी महराज नगर में की जाए। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, आपने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। चन्द बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। श्रमिकों के लिए बल किया प्रदान किया यह बजट श्रमिकों का करेगा सही उत्थान यह बजट, निःशुल्क चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था, खाने को अन्न, रहने को मकान करेगा यह बजट। विकासोन्मुखी और संतुलित बजट है, आज अछूता नहीं है न क्षेत्र कोई भी समाज का। हर वर्ग, क्षेत्र, धर्म की चिन्ता है बजट कल्पना साकार होगी रामराज की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम जग जी।

श्री रामजग-

मेरे कटौती के प्रस्ताव पर सम्मानित साथियों के बहुमूल्य सुझाव आए चाहें वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के इसका अर्थ यह है कि उनकी भी भावनाएं वही हैं जो हमारी हैं। जहां तक बंधुआ मजदूरी की बात है बंधुआ मजदूरों की संख्या हर जगह अधिक है। लेकिन बंधुआ मजदूरों के बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि बंधुआ मजदूरों के मुक्त कराने के लिए कोई योजना बनाए। सेक्रेट बैलेट के द्वारा यह सरकार यूनियन को अधिकार देने के लिए कोई योजना बनाए जैसी कि सेन्ट्रल ऐक्ट के अन्तर्गत व्यवस्था है। लेकिन सरकार श्रमिक विरोधी नीति पर चल रही है। यह पूंजीपतियों के साथ चल रही है। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्रममंत्री जी अपने उत्तर भाषण में कुछ कहना चाहेंगी।

(समय 9 बजकर 20 मिनट)

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यगण के विचार हमने सुने। मैं अवगत कराना चाहूंगी कि हमारी सरकार श्रमिकों के हित में सदैव चिन्तन करती है और उसकी योजनायें उनके कार्यालय के लिये हैं मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगी। हमारे सम्मानित सदस्यों ने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में यहां पर बात रखी है। श्रम विभाग उसके प्रति जागरूक है। मैं बताना चाहूंगी कि मिनिमम

वेजेज ऐक्ट में एक लाख, सात हजार निरीक्षण किये गये और उसमें 7 हजार मुकदमें दायर किये गये, उनके प्रति जिन्होंने श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है। चाइल्ड लेवर ऐक्ट में 34,000 निरीक्षण किये गये और 4 हजार के विरूद्ध अभियोजन दाखिल किये गये। फैक्ट्रीज ऐक्ट में 5720 निरीक्षण किये गये और 600 मुकदमें दायर किये गये। इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार श्रमिकों के हित में कार्यकर रही है।

मैं यह भी बताना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति भी हमारे विधायकों की चिन्ता रही है, चिन्ता सरकार की भी है, सरकार के स्तर से बल्कि भारत सरकार के स्तर से इस क्षेत्र में चिन्तन चल रहा है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया में दो बार इस विषय पर मीटिंग आर्गनाइज हो चुकी है जिसमें सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को बुलाया गया था। एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगे हुये मजदूरों के लिए भी ऐक्ट बनाना चाह रहें हैं जिसके संबंध में चर्चायें हो चुकी है, हो सकता है कि बहुत जल्दी यह ऐक्ट हमारे समक्ष आ जाये। मैं यह बताना चाहूंगी कि मिनियम वेजेज ऐक्ट के तहत पूर्वी जिलों में 47/- तथा पश्चिमी जिलों में 49/- से कम मजदूरी नहीं मिल रही है। जब मैं बाहर जाती हूं तो वहां लोगों से इस बारे में पूछती हूं मुझे तो यह बताया जाता है कि आप 47/- और 49/- की बात करती हैं भोजन व्यवस्था के साथ 50-60/- से कम में मजदूर नहीं मिलते हैं।

एक माननीय सदस्य ने 28/- मजदूरी की बात कही तो मैं बताना चाहती हूं कि आजकल 50-60 रुपये से कम में कोई मजदूर नहीं मिलता है। ग्रामीण श्रमिकों एवं कृषि मजदूरों के लिए भी कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं। जे0आर0वाई0 और आई0आर0डी0पी0 स्कीम में योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित रोजगार योजना में काम दिया जाता है और जो निर्धारित मजदूरी है उसका भुगतान किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो भदोही की समस्या रखी है। मिर्जापुर एवं भदोही का मैंने विजिट किया है। दो-तीन जगह मैं स्वयं गयी वहां कालीन बुनने का काम चल रहा था लेकिन उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नजर नहीं आये। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो निर्देश प्राप्त हुए हैं तब से बाल-श्रमिकों की समस्या भदोही क्षेत्र में कम हो गयी है। पाण्डेय जी ने एक विवाद की बाद उठायी थी कि 12 साल के बच्चों को 14 साल और 16 साल बता दिया जाता है। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसकी गम्भीरता से जांच करायी जायेगी ताकि विवाद पैदा न हो। सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उसका स्वागत करती हूं और गम्भीरता से चिन्तन करने के बाद उसे विभागीय कार्य प्रणाली में शामिल करना चाहूंगी। माननीय अधिष्ठाता जी से निवेदन है कि जनहित में और श्रमिकों के हित में श्रम विभाग का बजट पास करलें, अनुरोध मा0 विधायकों से करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता -

माननीय राम जग जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं?

श्री रामजग-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 43,71,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,07,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) अनुदान संख्या 89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर)।

संस्थागत वित्त (श्री राधेश्याम गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 80,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 80,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राधेश्याम गुप्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 57,51,86.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति, के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 57,51,86.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग-

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,67,35,31.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,67,35,31.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, विचार किया जाय।

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक अत्यन्त ही सरल है इसकी धारा 3(1) में खण्ड "ग" में 14 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत किया जा रहा है और खण्ड "ख" में 16 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। जैसा आप अवगत हैं कि विकास की गति के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसकी दृष्टि से यह संशोधन लाया जाना आवश्यक हो गया था।

माननीय सदस्यगण बजट की चर्चा के दौरान भी अधिकांश विपक्ष के सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं, और बजट में जो कहा गया है इसके लिए संसाधन कहां से आयेगा। इसके लिए इस बात की आवश्यकता है संसाधनों का जुटाने की। इसलिए मान्यवर, इसको 14 से 20 प्रतिशत कर रहे हैं। इससे जो वृद्धि होगी उस वृद्धि को हम मुख्यतः सड़क और मार्गों के निर्माण में एक निधि के रूप में उसको लगायेंगे, मार्ग निधि के अन्तर्गत लगायेंगे। यह बहुत सरल साधारण संशोधन है, प्रदेश के हित में है संसाधनों का जुटाया जाना क्योंकि पंचम वेतनमान के अनुरूप संशोधित वेतनमान दिये जाने, विकास के कार्यों को गति देने के लिये दिये जाने के कारण संसाधन की आवश्यकता है इन परिस्थितियों में यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण इस पर सहमति देते हुए स्वीकृति प्रदान करें।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, यद्यपि समय बहुत हो गया है लेकिन इस प्रस्ताव के साथ प्रदेश के करोड़ों-करोड़ों गरीबों और किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो एक कुशल खिलाड़ी की तरह से यह कह दिया कि हमने कोई कर नहीं लगाया, बिना कर का यह बजट प्रस्तुत कर दिया उन्होंने यह भी कहा कि मेरी नीयत और नीति, साफ है तो अब इसका पर्दाफास हो रहा है। मान्यवर, गरीब की कोई जाति नहीं होती, हर जाति में होता है। मान्यवर, यह गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, गरीब को मिटा रहे हैं।

मान्यवर, इसका दाम बढ़ाने का असर यह होगा कि जो बसें चलती हैं, जो मोटरगाड़ियां चलती हैं उसके किराये में वृद्धि हो जायेगी। जब स्प्रिट के, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किराया बढ़ेगा। आप तो ए0सी0 कार में चलते हैं, बड़े-बड़े लोग अपनी गाड़ियों में चलते हैं लेकिन गरीब आदमी परेशान होगा। मान्यवर, माननीय वर्मा जी किसान परिवार से आते हैं, नरेन्द्र सिंह जी आते हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आते हैं, पता नहीं किस मजबूरी में यह किसान पर यह अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। तो मान्यवर, न इनकी नीति ठीक है और न ही नीयत ठीक है। इस संशोधन के माध्यम से माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं। इससे मंहगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी। किसान मजदूर की कमर टूट जायेगी यह अलोकतांत्रिक संशोधन है। उद्देश्य और कारण में नहीं लिखा कि क्या जरूरत पड़ गयी कह देते संसाधन की कमी है। परमाणु परीक्षण के कारण उ0प्र0 में विभिन्न परियोजनायें ठप्प हो रही हैं आपके पास संसाधन है नहीं जो वैकल्पिक व्यवस्था करते। जो यह विधेयक लाये हैं यह फासिस्ट प्रकृति का अंग है। विशेष अध्ययन के बाद इस विधेयक को लाया जाय, इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय वह हर पहलू पर अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट दें उस पर चर्चा हो। मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें और कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहेंगे। कोई नहीं। क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे शाक्य जी।

श्री राम औतार शाक्य-

मैं इस पर बल देता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय सदस्य शायद उद्देश्य और कारण पढ़ नहीं सके। इसमें है राज्य की वित्तीय संसाधनों में संवर्द्धन करने की दृष्टि से यह संशोधन लाया जा रहा है। इस प्रदेश में तो इसे विलम्ब से लाया जा रहा है। जिन राज्यों में आपका शासन है उन राज्यों में 1994-95 से 20 और 22 परसेन्ट बिक्रीकर है। कर्नाटक में मोटर स्प्रिट पर 22 परसेंट डीजल पर 20 महाराष्ट्र में 20 परसेंट दोनों पर, गुजरात में क्रमशः 20 और 18 परसेंट है। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बजट की चर्चा में यह चिंता व्यक्त की थी कि जो योजनायें हैं वह संसाधन कहां से आयेंगे। हमारी नीति साफ है। उ0प्र0 को विकसित करेंगे। हम सड़क निधि की स्थापना करेंगे, सड़कों का निर्माण और मरम्मत ठीक ढंग से की जायेगी। अनुरोध है कि इसको पारित किया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार ने जिस संसाधनों का जिक्र किया था और हमने कहा था कि आप कहां से लायेंगे तो आज मालूम हुआ कि इस छद्म तरीके से आप लायेंगे। अब धीरे-धीरे कब तक आप पूरा घूंघट उठायेंगे। कम से कम इसके लिये तो हम आपको

बधाई देना चाहेंगे परन्तु जो प्रस्ताव आप लाये हैं, उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। आज विपक्ष की आशंकायें सत्य हुई हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यह छद्म तरीका नहीं है। हम विधेयक लाये हैं। माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन

2-संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 3 में, उपधारा (1) में,-

(क) खण्ड (क) में शब्द "चौदह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे,

(ख) खण्ड (ख) में शब्द "सोलह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठता- प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मुन्ना चौहान सा0वि0स0 द्वारा आवेश में कहे गये कतिपय शब्दों पर खेद प्रकाश पश्चात् कार्यवाही से निकालने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

श्री मुन्ना चौहान जी ने एक चिट लिखकर निवेदन किया है कि "मेरे से आवेश में यह शब्द निकले" तुम्हारी कोई औकात नहीं, मुझे इन शब्दों के लिए अफसोस है। कृपया घोषणा करने की कृपा करें कि मैं इन शब्दों को वापस लेना चाहता हूं ताकि किसी माननीय सदस्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। यदि सदन की अनुमति हो तो उस भाग को कार्यवाही का अंग नहीं बनाया जाय।

(उक्त से सदन ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की)

यद्यपि मैंने उसी समय यह निर्देश दे दिया था कि इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। फिर भी माननीय सदस्य ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम-51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की मेरठ महानगर के चार ट्यूबवेलों की रिबोरिंग कराये जाने के संबंध में है। इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है। दूसरी सूचना श्री तेजभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर के थाना-गौरीगंज के ग्राम-गुजरटोला में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने तथा भाई-बहन दोनों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार की जाती है। तीसरी सूचना श्री अकबर हुसैन की राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुन्दरकी, जनपद-मुरादाबाद के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार की जाती है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं निरस्त की जाती हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं-श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री धर्मेश मिश्र, श्री अजय कुमार पोद्दार, श्री ज्ञान चंद्र, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री समर पाल सिंह, श्री परवेज हलीम खां की, श्री गोमती यादव, व श्री दद्दू प्रसाद जी की।

जनपद फर्रुखाबाद स्थित संकिसा-बौद्ध पर्यटक स्थल में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1992 में निर्मित पर्यटक आवास गृह को पर्यटन विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य जी के नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर राज्य पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

श्री लल्लू सिंह चौहान-(पर्यटन राज्य मंत्री)-

मान्यवर, जनपद फर्रुखाबाद स्थित पर्यटक आवास गृह, सांकेसा के संबंध में..

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लल्लू सिंह चौहान-

(अवगत कराना है कि रु0 45.38 लाख की लागत से पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य वर्ष 1985 में स्वीकृत हुआ था। लोक निर्माण एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 1993 में संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें भवन में टूट-फूट, विद्युत कनेक्शन, वाटर टैंक, केबिल का कार्य, सीपेज, बाथरूम में वाश बेसिन में पानी न आना इत्यादि में कमियां पायी गयी। जिसके कारण पर्यटन विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया। इन कमियों को दूर करने के लिये लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये। तदोपरान्त लोक निर्माण विभाग एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 17-6-95 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा विद्यमान कमियों में से कतिपय कमियां जैसे विद्युत कनेक्शन, वाटर टैंक केबिल का कार्य तथा सीपेज, बाथरूम में बेसिन में पानी न आना आदि कमियां पुनः पायी गयीं।

इसके निमित्त तत्कालीन निदेशक पर्यटन द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि कमियों को दूर कराकर भवन अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न की जाय, किन्तु कमियों के दूर न होने की दशा में दिनांक 9-2-96 को प्रमुख सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में पर्यटन आवास गृह का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पानी की आपूर्ति, सीपेज संबंधी दोष बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कमियां भी विद्यमान हैं। पुनः इसका निरीक्षण संयुक्त रूप से 22-12-97 को किया गया, जिसमें यह पाया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पूर्ण कमियां दूर नहीं की गयी हैं।

अतः इस भवन को लिया जाना सम्भव नहीं हो सका। अभी भी विद्युत कनेक्शन का कार्य तथा कतिपय कमियां जैसे सीपेज इत्यादि दूर नहीं की गयी हैं। समस्त कार्य पूर्ण होने पर इसका अधिग्रहण कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।)

नोटः- (* *) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, इसमें मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। मान्यवर, सांकिसा एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जहां पर जापान, चीन, लंका, सुमात्रा दुनेया की एक तिहाई आबादी जो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां से पर्यटक आते हैं। वहां पर पर्यटक आवास गृह बनना था। मान्यवर, लोक निर्माण और पर्यटन एक ही मंत्री के पास हैं, श्री कलराज मिश्रा जी के पास।

श्री सूर्य प्रताप शाही (आबकारी मंत्री)-

मान्यवर, यह कोई भाषण हो रहा है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह बनाया गया था और यह अभी तक पर्यटन विभाग को हेण्ड ओवर नहीं हुआ है। यह कब तक हेण्ड ओवर हो जायेगा यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री लल्लू सिंह चौहान-

जो कमियां हैं उनको पूरा करने के बाद यह हेण्ड ओवर कर दिया जायेगा।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह कोई जवाब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप जैसा जवाब चाहते हैं वैसा तो नहीं मिल पायेगा आप मंत्री जी को कम्पैल तो नहीं कर सकते हैं। वैसा जवाब देने के लिए।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, एक दूसरा स्पष्टीकरण है। जो अनावश्यक देरी हुई है और जिसने कार्य पूरा नहीं किया है तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री लल्लू सिंह चौहान-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग को लिखा जा चुका है और लोक निर्माण विभाग जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पत्र लिखा जा रहा है।

श्री लल्लू सिंह चौहान-

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि लिखा जा चुका है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी पर्यटन मंत्री की हैसियत से उत्तर दे रहे हैं या सार्वजनिक निर्माण मंत्री की हैसियत से उत्तर दे रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह (पेंशन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री)-

मेरा सुझाव है कि शाक्य जी और मंत्री जी आधे घंटे के लिये बन्द कर दिये जायें, दोनों तय कर लें, काफी हो गया है।

माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकों द्वारा अभिभावकों व शिक्षकों का आर्थिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री का वक्तव्य

डा0 नेपाल सिंह (माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री)-

मान्यवर, प्रदेश में .....

(निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया है)

(वर्तमान में 8288 माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें 1438 राजकीय तथा 6850 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 4350 ऐसे विद्यालय हैं जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त हैं अर्थात् इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

2-वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-12 तक बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था लागू है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य छात्र/छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना है। माध्यमिक विद्यालयों में संसाधनों की वृद्धि तथा विद्यालय भवनों के जीर्ण-शीर्ण दशा में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 1997 के द्वारा जुलाई 1997 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र से विकास शुल्क की दर में निम्नवत् वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) कक्षा- 6, 7 तथा 8	रु0 2/- प्रति छात्र प्रतिमाह
(2) कक्षा-9 तथा 10	रु0 5/- प्रति छात्र प्रतिमाह
(3) कक्षा-11 तथा 12	रु0 8/- प्रति छात्र प्रतिमाह

3-विकास शुल्क के मद में ली जा रही धनराशि को विद्यालय के विकास हेतु निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है :-

(1) विज्ञान को नवीन मान्यता हेतु विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण एवं विज्ञान उपकरण के क्रय पर।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) पीने का पानी एवं कृषि उपयोग के लिए ट्यूबवेल का निर्माण।

(3) नवीन कक्षा का निर्माण।

(4) सज्जा एवं काष्ठोपकरण के क्रय पर।

(5) बिजली/गैस के फिटिंग पर।

(6) क्रीड़ा शारीरिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के सुधार हेतु बिजली, प्रोजेक्ट का निर्माण।

(7) विद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध फैसिलिटीज या स्थान में बढ़ोत्तरी और बदलाव।

(8) अनावर्तक अनुदान के साथ प्रबन्धकीय अंशदान का व्यय।

4- विकास शुल्क के मद में छात्र-छात्राओं से वसूल की गयी धनराशि को विद्यालय में पृथक खाते में जमा किये जाने तथा इसका संयुक्त रूप से संचालन विद्यालय प्रबंधक/प्रधानाचार्य द्वारा किये जाने हेतु व्यवस्था की गयी तथा इस मद से धनराशि के व्यय हेतु प्रत्येक अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक समिति का भी गठन किया गया है। यह भी उल्लेख है कि विकास शुल्क के मद में प्राप्त धनराशि और व्यय किये गये धनराशि का वार्षिक विवरण शैक्षिक सत्र के समाप्ति के पूर्व माह जून में प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त विवरण का सम्यक् परीक्षण निरीक्षक द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी/लेखाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5- उपरोक्त से स्पष्ट है कि विकास शुल्क के मद में ली जा रही धनराशि का सम्यक् परीक्षण और आडिट किये जाने की व्यवस्था है। विकास शुल्क के मद में ली जा रही धनराशि सभी बच्चों से समान दर से ली जाती है। यदि किसी विद्यालय में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क विकास शुल्क के मद में लिया गया है अथवा इस खाते में धनराशि का अनियमित व्यय हुआ है, इस संबंध में स्पष्ट शिकायत प्राप्त होने पर प्रभावी कार्यवाही संबंधित संस्था के विरुद्ध सुनिश्चित की जायेगी।

6-विद्यालय में शैक्षिक वातावरण में सुधार हेतु तथा पठन-पाठन क्रियाकलाप सुनिश्चित किये जाने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ गठित किये जाने की व्यवस्था है। अभिभावक शिक्षक एसोसियेशन विनियमावली में यह व्यवस्था है कि कार्यकारिणी संस्था के लिए समाज के उदार और सम्पन्न व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान के लिए अधिकृत होंगे। दान प्राप्त करने के लिये संस्था के एसोसियेशन के नाम पर छपी हुई रसीद दी जायेगी तथा इसका खाता किसी अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खोला जायेगा। यदि किसी विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ के नाम पर अनायास ही भारी मात्रा में फीस ली जा रही है अथवा ली जा रही फीस पर रसीद विधिवत् अभिभावक को नहीं दी जा रही है तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा-7 ग में यह व्यवस्था है कि किसी संस्था में प्रवेश पाने के लिये

विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय नहीं प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा। इस व्यवस्था के उल्लंघन होने पर धारा-7 घ के अधीन शास्ती की व्यवस्था है जिसके अधीन कारावास तीन वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना जो रु0 1000/- से कम नहीं होगा, दण्डित किया जा सकता है।

7-प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षिक गुणवत्ता तथा शैक्षिक उन्नयन हेतु विद्यालय के समुचित संचालन तथा विभिन्न शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण शुल्क लिये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है:-

(1) शिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त आय से विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।

(2) शुल्क के रूप में प्राप्त आय विद्यालय में साज-सज्जा, काष्ठोपकरण, पीने के पानी, शौचालय/मूत्रालय के निर्माण, क्रीड़ा सामग्री के क्रय पर आवश्यकता अनुसार व्यय की जायेगी।

(3) शिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का रख-रखाव विधिवत् रखा जायेगा।

8-प्रदेश में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने हेतु दिनांक 14-10-1986 को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा-7 क (क) के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई थी उसके अधीन ऐसे विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने तथा उन्हें प्रबन्धतंत्रों द्वारा अपने स्रोतों से सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था की गई थी। ऐसे अंशकालिक शिक्षकों को केवल मानदेय के आधार पर शिक्षण कार्य कराये जाने हेतु व्यवस्था तत्समय की गई थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुये अशासकीय असहायता प्राप्त तथा वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयो में शिक्षा शुल्क लिये जाने की जो छूट प्रदान की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त आय से विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार वेतनादि का भुगतान किया जाय। ऐसे विद्यालयों में केवल शिक्षण शुल्क लिये जाने की छूट प्रदान की गई है, अन्य सभी शुल्क की दरें वही होंगी जो शासन/विभाग द्वारा आधारित हैं।

9-इस प्रकार उपरोक्त के सन्दर्भ में मैं पुनः माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में यदि अभिभावक शिक्षक संघ के नाम पर भारी मात्रा में फीस ली जा रही है अथवा विकास शुल्क के मद में ली जा रही धनराशि का अनियमित व्यय हो रहा है या वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त

अन्य मदों में अभिभावकों से मनमाना शुल्क वसूल किया जा रहा है तो इस सम्बन्ध में ऐसे विद्यालयों के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने पर शासन/विभाग द्वारा ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।)

प्रदेश में सरकारी वाहनों के प्रयोग हेतु शासन द्वारा मानक निर्धारित किये जाने के विषय में तथा प्रदेश में चल रही अंग्रेजी माध्यम से संस्थाओं में ली जाने वाली फीस की की दरों में कई गुना वृद्धि किये जाने विषयक डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री हुकुम सिंह (संसदीय कार्यमंत्री)-

मान्यवर, वैसे तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन संख्या और समय को देखते हुए, मद सं0 16 और 17 को स्थगित कर दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0 16 और 17 को स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

30 जून, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये अता०प्र०स०–45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर]

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के 2सरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री श्रीराम पाल सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के साथ संलग्न सूची

जनपद जालौन में वर्ष 1996-97, 1997-98 में कार्यरत इकाइयों को निम्न धनराशि मदवार आवंटित की गयी अंकित मदवार कार्यों पर व्यय किया गया :–

क्र०सं०	खण्ड/इकाई का नाम	नवीनीकरण	फेरा	सामान्य मरम्मत (पेचरिपेयर)	श्रमिकों के वेतन हेतु	विशेष मरम्मत के कार्य (प्रमुख अभियन्ता से प्राप्त)	योग (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नि०ख०–1 उरई	18-00	6-60	11-05	53-23	14-00	102-88 लाख
2.	नि०ख०–2 उरई	16-35	...	14-26	29-06	10-00	69-67 लाख
3.	नि०ख०–3 उरई	15-90	...	3-40	32-74	6-45	58-49 लाख
	योग	50-25	6-60	28-71	115-03	30-45	231-04 लाख

क्र०सं०	खण्ड/इकाई का नाम	नवीनीकरण	फेरा	सामान्य मरम्मत (पेचरिपेयर)	श्रमिकों के वेतन हेतु	विशेष मरम्मत के कार्य (प्रमुख अभियन्ताओं से प्राप्त)	योग (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नि०ख०–1 उरई	31-05	6-60	36-12	65-48	18-75	158-00 लाख
2.	नि०ख०–2 उरई	19-20	...	27-36	34-93	16-00	97-49 लाख
3.	नि०ख०–3 उरई	12-00	...	39-46	10-20	8-50	70-16 लाख
	योग	62-25	6-60	102-94	110-61	43-25	325-65 लाख

उपरोक्त दर्शायी गयी धनराशि का सदुपयोग दिखाए गए मदों में किया गया। वित्तीय वर्ष 1996-97 में 86 कि०मी० एवं वर्ष 97-98 में 87 कि० मी० नवीनीकरण किया गया। जगम्मनपुर घाट फेरा (66 फीट्न) पर यातायात हेतु 6-60 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 96-97 एवं 97-98 में विशेष मरम्मत मद में कराए गए कार्यों की सूची संलग्न है।

कलराज मिश्र,
मन्त्री,
लोक निर्माण विभाग।

वर्ष 1996-97 में विशेष मरम्मत के कार्य जनपद जालौन की सूची

क्र०सं०	खण्ड/इकाई का नाम	कार्यों का विवरण	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	निर्माण खण्ड –1 उरई	वी०पी० मार्ग के कि०मी० 357 में मरम्मत का कार्य	1.00
		कोच नदी जैनमार्ग के कि०मी० 1 में रेगिग का कार्य	2.00
		कोच नदी गांव मार्ग के कि०मी० 21 में क्षतिग्रस्त मार्ग मरम्मत	1.50
		एन०एच० 25 से कोच मार्ग तक क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत	1.50
		वी०पी० मार्ग के कि०मी० 343, 344 क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत	2.00
		माधोगढ़ इमखेडा मार्ग के कि०मी० 6, 8, 10 में सतह की मरम्मत का कार्य	2.00
		जगम्मनपुर घाट मार्ग के कि०मी० 1, से 3 की सतह मरम्मत का कार्य	1.50
		जगम्मनपुर बगरा मार्ग के कि०मी० 24 व 25 में मार्ग का उच्चीकरण का कार्य	2.50
		योग	14.00
2	निर्माण खण्ड –2 उरई	बिलराया पनवाड़ी मार्ग राज्य मार्ग–21 में पुलिया 270/1 में ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण	0.50
		पुलिया सं० 375/4 1 मी० व्यास ह्यूम पाइप एन०सी० 3 का पुनः निर्माण	0.80
		कि०मी० 360, 361, 363, 365, 366, 368 एवं 371 में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत	2.00
		आरा इन्दोरा मार्ग के कि०मी० 2 में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत	0.70
		हमीरपुर-काल्पी मार्ग के कि०मी० 32, 33 में आबादी भाग की मरम्मत	3.00
		हमीरपुर-काल्पी मार्ग के कि०मी० 34, 35, 41, 42, 43 48, 49, 50 में क्षतिग्रस्त भाग की सतह एवम् गड्डे का सुधार कार्य	2.50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	खण्ड/इकाई का नाम	कार्यों का विवरण	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
		काल्पी मदारीपुर मार्ग के कि०मी० 11 में मिट्टी भराई, सुधार कार्य	0.50
		योग	10.00
3	निर्माण खण्ड-3 उरई	एटघर भटसडी मार्ग के कि०मी० 1, 2, 3, 4, 5, 6 में मरम्मत का कार्य	1.50
		उरई कोच मार्ग के कि०मी० 12 में 1×1=5 मी० पुलिया का पुनः निर्माण	0.95
		राजकीय कालोनी उरई मार्ग में कि०मी० 1 में मरम्मत का कार्य	1.50
		कोटराघाट पहुंच मार्ग कि०मी० 1 में मरम्मत का कार्य	1.00
		उरई कोटरा मार्ग के कि०मी० 4 में कि०मी० 5 में 6, 8 में मरम्मत का कार्य	1.50
		योग	6.45
		वर्ष 1996-97 का योग	30.45

कलराज मिश्र,

मन्त्री,

लोक निर्माण विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1997-98 में जनपद जालौन में कार्यरत इकाई/खण्डो में विशेष मरम्मत के कार्यों की सूची

क्र०सं०	खण्ड/इकाई का नाम	कार्यों का विवरण	आवंटित धनराशि (लाख रु०)
1	निर्माण खण्ड –1 उरई	ढगरा जगमन्नपुर मार्ग के कि०मी० 10, 11, 13, 14, 24, 25 में 2250 पत्थर की लेवलिंग कोट मरम्मत तथा सतह लेपन का कार्य	3.50
		बहादुरपुर पतराही मार्ग के कि०मी० 1 से 5 में लेवलिंग एवं सतह की मरम्मत का कार्य तथा कि०मी० 6 में 700 मी० पम्बवेमन्ट तथा लेपन स्तर तक की मरम्मत का कार्य	6.00
		माधोगढ़ कुठोद मार्ग के कि०मी० 1 से 12 में क्षतिग्रस्त सतह की लेवलिंग, मरम्मत का कार्य	3.75
		जगमन्नपुर से हुसेपुरा मार्ग के कि०मी० 2 में क्षतिग्रस्त सतह की लेवलिंग तथा मरम्मत का कार्य	2.50
		माधोगढ़ असखेरा मार्ग के कि०मी० 1 से 4 तक क्षतिग्रस्त मार्ग सतह एवं तटबन्धों का सुधार तथा कि०मी० 7 में क्षतिग्रस्त पुलियो के स्थान पर हयूम पाइप प्रक्रिया का निर्माण	1.50
		रामपुरा मार्ग-गोहान मार्ग के कि०मी० 1 से 9 में क्षतिग्रस्त मार्ग सतह एवं तटबन्धों का सुधार तथा कि०मी० 34 में शहरी भाग में सुदृढ़ीकरण	1.50
		योग	18.75
2	निर्माण खण्ड –2 उरई	ठण्डेश्वरी मन्दिर जेलमार्ग के कि०मी० 1 में लगभग 500 मी० लम्बाई में क्षतिग्रस्त भाग में 25-50 एम०एम० के कुटाई एवं द्वितीय सतह लेपन का कार्य	2.00
		हमीरपुर-काल्पी मार्ग के कि०मी० 43, 44, 47 से 50 तथा 51 से 52 की क्षतिग्रस्त भाग का सुधार कार्य एवं कि०मी० 43, 44 में 2 न० पुलिया का पुनः निर्माण	4.50
		हमीरपुर-काल्पी मार्ग के कि०मी० 26, 28, 35 व 36 में 25-50 स्टोर बेलास्ट की कुटाई तथा द्वितीय सतह लेपन का कार्य	3.00

क्र०सं०	खण्ड/इकाई का नाम	कार्यों का विवरण	आवंटित धनराशि (लाख रु०)
		काल्पी भदारीपुर मार्ग कि०मी० 3, 4, 7, 12, 20, 23, 24 व 30 में क्षतिग्रस्त मार्ग के 25-50 की कुटाई तथा द्वितीय सतह लेपन का कार्य	2.50
		ठापई सिरसा मार्ग के कि०मी० 2 से 6 में 25-50 की कुटाई तथा सतह लेपन का कार्य	2.50
		ठावई सिहारी दाऊतपुर मार्ग के कि०मी० 1, 3, 6, 7, में पत्थर की कुटाई करके सतह लेपन का कार्य तथा कि०मी० 6 में 1000 एम०एम०व्यास के पुलिया का निर्माण	2.00
		योग	16.00
3	निर्माण खण्ड -3 उरई	कोयकेलिया मार्ग के कि०मी० 3, में क्षतिग्रस्त मार्ग का क्लवर्ट	आवंटन
		1 नं० का पुनः निर्माण तथा सर्विस रोड का निर्माण	4.00
		कोच केलिया मार्ग के कि०मी० 14/1 में क्षतिग्रस्त आर०सी०सी० क्लवर्ट एड० न० का पुनः निर्माण	0.50
		उरई कोटरा मार्ग के कि०मी० 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 19, 28 में 4डे 2 गड्डे भरना लेवलिंग, टापकोट, प्रथम सतह/द्वितीय सतह लेपन का कार्य	2.00
		जिलराया पनवाड़ी मार्ग के कि०मी० 359 में लेवलिंग रोड इण्डरकोट, टापकोट, प्रथम/द्वितीय सतह लेपन का कार्य	1.25
		मुहम्मदाबाद मठा मार्ग के कि०मी० 1 में बड़े-बड़े गड्डे भरना लेवलिंग कोट, मिट्टी, टापकोट, मिट्टी भराई का कार्य	0.75
		योग	8.50
		जनपद जालौन का योग	43.25

कलराज मिश्र,

मन्त्री,

लोक निर्माण विभाग।

उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय

नत्थी "ख"

(देखिये अता०प्र०स०–94 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

संख्या–1/3/96–का–4–1998

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 14 अप्रैल, 1998

विषय : सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–4

सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(1) वार्षिक स्थानान्तरण यथासंभव कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे और यदि निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो समूह "क" एवं "ख" के लिये, मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) समूह "ग" के कार्मिकों के स्थानान्तरण उपरोक्त सीमा से अधिक किया जाना प्रस्तावित हो तो विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(3) समूह "घ" के कार्मिकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित जिलाधिकारियों के अनुमोदनोपरान्त ही उक्त सीमा से अधिक किये जायें।

2—सामान्य स्थानान्तरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किये जायें :–

(1) सामान्य अवधि पूरी होने पर, परन्तु सबसे अधिक समय से कार्यरत कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए,

(2) पदोन्नति पर,

(3) रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु,

(4) प्रतिनियुक्ति से वापसी पर,

(5) स्वयं के व्यय पर पारस्परिक-स्थानान्तरण पर।

3—तैनाती की सामान्य अवधि :–

प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरणों को छोड़कर, तैनाती की अवधि निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

(1) समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों के लिये विभिन्न स्थानों में एक जिले में, समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि, मैदानी क्षेत्र के लिए सामान्यतः तीन वर्ष एवं अपवाद स्वरूप पांच वर्ष होगी। उत्तराखण्ड क्षेत्र में तैनाती की सामान्य अवधि पांच वर्ष एवं अपवाद स्वरूप सात वर्ष होगी। एक जिले में तैनात अधिकारी को पुनः उसी जिले में पांच वर्ष से पूर्व किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा। अपवाद स्वरूप उक्त अवधि तीन वर्ष होगी।

(2) समूह "ग" के कर्मचारियों के लिए तैनाती की सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी, यद्यपि पदों की आवश्यकता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, उक्त अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु संवेदनशील पदों पर किसी भी कार्मिक को, किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा।

(3) उत्तराखण्ड संवर्ग को छोड़कर अन्य ऐसी सेवायें जिनके प्रदेशीय संवर्ग हैं, के कार्मिकों को उत्तराखण्ड क्षेत्र में आवश्यक रूप से तैनात करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी।

(4) तैनाती अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के मई माह के अन्तिम दिवस को मानकर की जायेगी।

4—श्रेणीवार कार्मिकों की तैनाती के स्थान :—

(1) समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

(2) शिकायत/प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान में तैनात नहीं किया जायेगा।

(3) समूह "ग" के लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कार्मिकों के गृह स्थान को छोड़कर उनके जिले में ही तैनात किया जा सकता है। किन्तु समूह "ग" के प्रशासकीय पदधारकों के स्थानान्तरण जनपद के बाहर भी किये जा सकते हैं, बशर्ते कि उक्त कार्मिकों के संवर्ग, मण्डल/प्रदेश स्तर पर निर्धारित किये जाते हों।

नोट :— गृह स्थान का तात्पर्य ऐसे गांव /हल्का/तहसील आदि से है, जिसका वह मूल निवासी है।

(4) तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को तीन साल के अन्तर पर दूसरी सीट पर तैनात कर दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रत्येक सीट का कार्य करने का अवसर मिल सके।

(5) समूह "घ" कार्मिकों को उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जायेगा।

(6) संबंधित कार्मिकों की प्रार्थना पर किये जाने वाले पारस्परिक स्थानान्तरणों में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5—प्रदेश के "कवाल" तथा अन्य बड़े नगरों में तैनाती की नीति :—

(1) कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद/नोएडा, मुरादाबाद, अलीगढ़, देहरादून, फैजाबाद, झांसी एवं नैनीताल स्थानों में, जिला प्रशासन के पदों को सम्मिलित करते हुए, किसी भी अधिकारी को (पूर्ण सेवा को सम्मिलित करते हुए) सात वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रखा जायेगा। लखनऊ के लिए जिला प्रशासन के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर की गयी सेवा को उक्त अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) यदि कोई अधिकारी उक्त स्थानों/जनपदों में किन्हीं पदों पर सात वर्ष की कुल अवधि पूर्ण कर चुके हैं तो तुरन्त उनका स्थानान्तरण उक्त स्थान/जनपद से कर दिया जाये तथा किसी भी दशा में पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति तक पुनः उसी जनपद में कदापि तैनात न किया जाये। जो अधिकारी ऐसे स्थानों/जनपदों में एक पद पर तीन वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, उनका भी उक्त पद/स्थान से स्थानान्तरण कर दिया जाये।

6—प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण :–

(1) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि न लेने आदि के आधार पर ही, आवश्यक पुष्टि के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जायें।

(2) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से "मोटीवेटेड" शिकायतों के आधार पर अथवा "कैजुअली" न किये जायें।

(3) उक्त स्थानान्तरणों में प्रशासनिक आधार का अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(4) प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही किये जायें।

7—विभागाध्यक्षों / मण्डलायुक्तों / मण्डल स्तरीय अधिकारियों को स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना :–

(1) समूह "ख" तक के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे।

(2) समूह "ख" तक के अधिकारी, जिनका स्थानान्तरण मण्डल के अन्तर्गत एक जिले से दूसरे जिले में हो सकता है, के स्थानान्तरण सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के तहत, संबंधित विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त का लिखित अनुमोदन प्राप्त करके किये जायें।

(3) समूह "ग" तथा "घ" के जनपद स्तरीय कार्मिक, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, का स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(4) उपर्युक्त व्यवस्था उक्त वेतनमानों में आने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०), प्रादेशिक कार्यकारी सेवा (पी० सी० एस०), भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा (पी० पी० एस०) के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

8—मार्ग दर्शक सिद्धान्त :–

(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाये।

(2) यदि पति-पत्नी सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किया जाये।

(3) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाये जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(4) प्रतिकूल तथ्य न होने पर, दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह "ग" के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है।

(5) समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है।

(6) पदोन्नति के कारण स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के कार्यभार ग्रहण न करने पर, उससे पदोन्नति को "फोरगो" करने के संबंध में लिखित रूप में प्रार्थना पत्र लेकर, तद्नुसार उसके सेवा अभिलेखों में उल्लेख कर दिया जाये।

(7) विकेन्द्रीकरण नीति के तहत अधीनस्थ कार्मिकों के स्थानान्तरण विषयक अधिकारों का प्रतिनिधायन कर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर में संशोधन कर, उक्त प्रक्रिया को सम्बद्ध किया जाये।

9—स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि तथा यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश के जारी किए जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि के उपरान्त संबंधित स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिक का वेतन कदापि उक्त पूर्व तैनाती के स्थान/जनपद से आहरित नहीं किया जायेगा। आहरण-वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

(2) स्थानान्तरित किया गया कार्मिक यदि 15 दिन की अवधि के लिये मेडिकल अवकाश लेता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिये कहा जाये। यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुशंसा नहीं की जाती है तथा स्थानान्तरित कार्मिक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उक्त अवधि को "ब्रेक इन सर्विस" माना जायेगा।

(3) उत्तराखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें।

(4) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों के संबंध में भी यथासम्भव उपर्युक्तानुसार की कार्यवाही की जाये।

(5) स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

(6) उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनकी वेतनवृद्धि रोक दी जाय तथा उन्हें दो वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित रखा जाये।

10—स्थानान्तरण हेतु समय-सारणी :–

इस वर्ष समस्त वार्षिक स्थानान्तरण विलम्बतम् दिनांक 15 मई, 1998 तक अवश्य कर लिए जायें। परन्तु यदि पदोन्नति/विभागीय कार्यवाही/निलम्बन/प्रशासनिक आधारों के कारण उत्पन्न अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त तिथि के बाद स्थानान्तरण करने आवश्यक हों तो निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :–

(क) समूह "क" के पदधारकों के संबंध में ऐसे स्थानान्तरण मा० मुख्य मंत्री जी के पूर्व आदेश प्राप्त करके किए जायें।

(ख) समूह "ख" के पदधारकों के संबंध में ऐसे स्थानान्तरण मा० विभागीय मंत्री जी के पूर्व आदेश प्राप्त करके किए जायें।

(ग) समूह "ग" व "घ" के पदधारकों के संबंध में ऐसे स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से कम से कम एक स्तर ऊपर के अधिकारी के आदेश प्राप्त करके किए जायें।

11—सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये जायें। यदि किन्हीं प्रशासनिक कारणों (जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है) से उक्त पदाधिकारियों के स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर किये जायें। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जायें।

12—स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही :–

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो

उसके इस कृत्य/आचरण को, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध सी०सी०ए० के नियम 49 (ए)/पनिशमेन्ट एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम 1 (ए) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार कर, किया जाय।

13—चार्ज नोट :—

नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त संबंधित अधिकारी को संबंधित कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है। अतः स्थानान्तरित कार्मिक को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें, ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

14—स्थानान्तरण नीति का प्रभावी होना :—

उक्त स्थानान्तरण नीति आगामी वर्षों में भी, जब तक कि शासन द्वारा विखण्डित न की जाये, यथावत् लागू रहेगी।

15—यदि कोई विभाग उक्त स्थानान्तरण नीति के तहत अपनी विभागीय स्थानान्तरण नीति को और अधिक सुस्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो सकारण प्रस्ताव प्रस्तुत कर, मुख्य सचिव/सक्षम स्तर के अनुमोदन से, उक्त कार्यवाही कर सकते हैं।

16—उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

संख्या—1/3/96—का—4/1998 (1), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार,
सचिव।

संख्या—1/3/96—का—4/1998 (2), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिव, श्री राज्यपाल।
2—प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री।
3—निजी सचिव, मा० मंत्रीगण।
4—स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
के० एम० लाल,
विशेष सचिव।

नत्थी "ग"

(देखिये अता०प्र०स०–183 का उत्तर पीछे पृष्ठ 111 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित श्री उबेदुर्रहमान सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 183 को साथ संलग्न सूची

निर्माण खण्ड-1 एवम् निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि० गोण्डा के कार्य क्षेत्र जनपद बलरामपुर में पड़ते हैं जनपद बलरामपुर में नहर की पटरी को पक्का करने के अन्तर्गत कोई योजना स्वीकृति नहीं है।

जनपद बलरामपुर मे पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कुल 20 कार्यवर्ष 1997-98 में स्वीकृति है जिनका विवरण निम्नवत् है :—

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृति लागत	आगणन में प्राविधान				
				मिट्टी	सोलिंग	इण्टर	टाप	लेपन
1	कटरा शंकर नगर	2.00	14.80	1.00	1.0	1.00	2.0	2.0
2	गेजहवा	0.50	4.25	0.5	0.5	—	0.5	0.5
3	बरगदवा सैफ	2.00	12.60	—	—	2.00	2.0	2.0
4	चमरूपुर	2.00	12.60	—	—	2.00	2.0	2.0
5	रामपुर ग्रेट	1.50	12.75	1.5	1.5	—	1.5	1.5
6	दुधरा	1.00	6.30	—	—	1.00	1.0	1.0
7	विशुनपुर टनटनवा	1.00	6.30	—	—	1.00	1.0	1.0
8	भीखमपुर	0.60	5.10	0.60	0.60	—	0.6	0.6
9	मगरा कोहल	1.00	6.30	—	—	1.00	1.0	1.0
10	सराय खास	1.00	8.50	1.00	1.00	—	1.0	1.0
11	जद्दापुर	2.00	12.60	—	—	2.00	2.0	2.0
12	बीरपुर	1.00	4.40	—	—	1.0	1.0	1.0
13	शिवचरन डीह	0.50	4.25	0.5	0.5	—	0.5	0.5
14	बडहरा कोट	2.00	10.70	—	1.0	1.00	2.0	2.0
15	महराजगंज	0.50	4.25	0.50	0.50	—	0.5	0.5
16	अर्चीनपुर	1.50	11.87	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5
17	रौनारी	1.50	12.75	1.50	1.50	—	1.5	1.5
18	शिवपुर महंत	2.00	17.00	2.00	2.00	—	2.0	2.0
19	पिपरा राम चन्द्र	1.50	9.75	—	1.50	—	1.5	1.5
20	तुरकौलिया	1.00	8.50	1.00	1.00	—	1.0	1.0
	योग,	26.10	185.57	10.85	13.35	12.75	26.10	26.10

कलराज मिश्र,
मंत्री,
लोक निर्माण विभाग।

पी०एस०यू०पी०–एल० 295 वि० सभा (432)–1998–813 (डी०टी०पी०)।